अष्टम माला, खंड 10, अंक 4

गुरुवार, 21 नवम्बर, 1985
30 कार्तिक, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

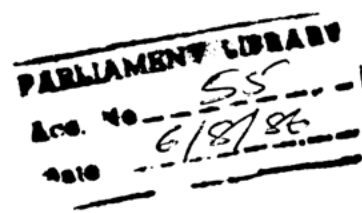
का

हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र

(आठवीं लोक सभा)





(खंड 10 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

अष्टम माला, खंड 10 चौथा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 4 गुरुवार, 21 नवम्बर, 1985/30 कार्तिक, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	2—30
*तारांकित प्रश्न संख्या : 61, 63, 65, 67 से 73, 75, 76 और 78	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	30—208
तारांकित प्रश्न संख्या : 62, 64, 66, 77, 79 और 80	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 616 से 686,688 से 703 और 705 से 822	
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	208—215
प्राक्कलन समिति	215—216
तेरहवां प्रतिवेदन	
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	216
86वें, 98वें और 100वें प्रतिवेदनों संबंधी विवरण	
फतुहा-इस्लामपुर लाइट रेल लाइन (राष्ट्रीयकरण) विधेयक – पुर:स्थापित	216—218
नियम 377 के अधीन मामले	218—222
(एक) मथुरा-अलवर बड़ी लाइन परियोजना के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता	
श्री राम सिंह यादव	218

*किसी नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

(दो) जीवनरक्षक औषधियों के निर्माण में प्रयोग की जा रही जड़ी-बूटियों के विकास और उचित उपयोग के लिए एक स्वतन्त्र विभाग की आवश्यकता

श्रीमती कृष्णा साही 219

(तीन) लेह के लिए वायु-सेवाओं की बारम्बारिता में वृद्धि करने की आवश्यकता

श्री पी० नामग्याल 219

(चार) परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कोट, के दो एककों द्वारा कार्य आरंभ किए जाने तक, राजस्थान को सिंगरौली वृहद ताप-विद्युत संयंत्र से बिजली की आपूर्ति करने की आवश्यकता

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 220

(पांच) सिंदरी उर्वरक कारखाने तक कोयले की ढुलाई और वहां से यूरिया तथा फ्लाई एश की ढुलाई के लिए पर्याप्त संख्या में खुले डिब्बे उपलब्ध कराने की आवश्यकता

श्री सरफराज अहमद 220

(छः) कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा-विवाद के बारे में महाजन आयोग की रिपोर्ट को तुरन्त लागू करने की आवश्यकता

डा० बी० बेंकटेश 221

(सात) आन्ध्र प्रदेश में काजीपेट में एक इलैक्ट्रिक लोको शैड का निर्माण करने की मांग

श्री सी० जंगा रेड्डी 221

रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) विधेयक 222 264

विचार करने के लिए प्रस्ताव

डा० गौरी शंकर राजहंस 222

श्री अमल दत्त 225

श्री शरद दिघे 229

विषय	पृष्ठ
श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी	232
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	237
श्री ए० सी० षण्मुख	238
श्री राम प्यारे पनिका	241
श्री आर० जीवरत्नम	243
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	245
प्रो० एन० जी० रंगा	248
श्री हरीश रावत	252
श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि	253
श्री नारायण चौबे	254
श्री मूलचन्द डागा	256
श्री ए० चार्ल्स	262
कृषि जिन्सों के मूल्यों में भारी गिरावट के बारे में चर्चा	264—312
श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव	264
श्रीमती बसवराजेश्वरी	269
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	272
श्रीमती विभा घोष गोस्वामी	273
श्री जैनुल बशर	278
श्री टी० बशीर	281
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	284
श्री दिग्विजय सिंह	287
श्री एन० टोम्बी सिंह	289
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया	291

विषय		पृष्ठ
	श्री सोमनाथ रथ	292
	श्री भरत सिंह	296
	प्रो० पी० जे० कुरियन	298
	श्री इन्द्रजीत गुप्त	300
	श्री जी० एस० बसवराजू	303
	श्री जार्ज जोसफ मुन्डाकल	305
	श्री बी० एस० विजयराघवन	307
	श्री काली प्रसाद पाण्डेय	309
	श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी	310
सभा का कार्य		286—287

———

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

गुरुवार, 21 नवम्बर, 1985/30 कार्तिक, 1907 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

विषय सूची, पृष्ठ (i), पंक्ति नीचे से 6, "लाइन" के स्थान पर "लाइन" पढ़िये।

विषय सूची, पृष्ठ (iii), पंक्ति नीचे से 6, "श्री जैनुन बशर" के स्थान पर "श्री जैनुल बशर" पढ़िये।

पृष्ठ 15, पंक्ति 18, "गालिब" के पश्चात "को" अंत:स्थापित करिये।

पृष्ठ 19, पंक्ति 3, 10, "श्री टी०बशीर" के स्थान पर "श्री टी०बशीर" पढ़िये।

पृष्ठ 30, पंक्ति 10, "परिवह मंत्री" के स्थान पर "परिवहन मंत्री" पढ़िये।

पृष्ठ 42, पंक्ति 15, "(हिन्द)" के स्थान पर "(हिन्दी)" पढ़िये।

पृष्ठ 48, पंक्ति नीचे से 4, "श्री सतन कुमार मंडल" के स्थान पर "श्री सनत कुमार मंडल" पढ़िये।

पृष्ठ 65, पंक्ति 4, "परियोनना" के स्थान पर "परियोजना" पढ़िये।

पृष्ठ 66, पंक्ति 15, "श्री टी०वाला गौड" के स्थान पर "श्री टी०वाल गौड़" पढ़िये।

पृष्ठ 72, पंक्ति नीचे से 9, "श्री वी०बी०देहाई" के स्थान पर "श्री बी०वी० देसाई" पढ़िये।

पृष्ठ 74, पंक्ति 13, "(श्री जगदीश ईटाडलर)" के स्थान पर "(श्री जगदीश टाइटलर)" पढ़िये।

पृष्ठ 86, पंक्ति नीचे से 7, पृष्ठ 87, पंक्ति नीचे से 2; पृष्ठ 94, पंक्ति नीचे से 7; पृष्ठ 116, पंक्ति 1; पृष्ठ 118, पंक्ति नीचे से 9; पृष्ठ 119, पंक्ति नीचे से 3; पृष्ठ 139, पंक्ति 13; पृष्ठ 142, पंक्ति 2; पृष्ठ 172, पंक्ति 5; पृष्ठ 183, पंक्ति 10; पृष्ठ 189, पंक्ति 6; पृष्ठ 190, पंक्ति 4; पृष्ठ 191, पंक्ति 10; "श्री बंशी लाल" के स्थान पर "श्री बंसी लाल" पढ़िये।

पृष्ठ 112, पंक्ति 18, "}श्री वंसी लाला{" के स्थान पर "}श्री वंसी लाल{" पढ़िये।

पृष्ठ 114, पंक्ति 17, "श्री चित्र महाता" के स्थान पर "श्री चित्त महाता" पढ़िये।

पृष्ठ 134, पंक्ति 8, "मानो" के स्थान पर "पानो" पढ़िये।

पृष्ठ 134, पंक्ति नीचे से 2, "श्री प्रकार वी०पाटिल" के स्थान पर "श्री प्रकाश वी० पाटिल" पढ़िये।

पृष्ठ 136, पंक्ति 5, "श्रीमीतो" के स्थान पर "श्रीमतो" पढ़िये।

पृष्ठ 137, पंक्ति 5, "श्री जैनुल वशर" के स्थान पर "श्री जैनुल वशर" पढ़िये।

पृष्ठ 137, पंक्ति 16, "श्री धर्मपा लासिंह मालिक" के स्थान पर "श्री धर्मपाल सिंह मलिक" पढ़िये।

पृष्ठ 170, पंक्ति 8, "श्री" का लोप करिये।

पृष्ठ 176, पंक्ति 11, "श्री कांत दत्त नरसिंहराज वाडियर" के स्थान पर "श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर" पढ़िये।

पृष्ठ 183, पंक्ति नीचे से 6, "श्री हन्नान मोहल्लाह" के स्थान पर "श्री हन्नान मोल्लाह" पढ़िये।

पृष्ठ 185, पंक्ति नीचे से 9, "श्री सैफ़ुद्दीन चौधरी" के स्थान पर "श्री सैफ़ुद्दीन चौधरी" पढ़िये।

पृष्ठ 207, पंक्ति 7, "श्री एस०जयपाल रेड्डा" के स्थान पर "श्री एस०जयपाल रेड्डी" पढ़िये।

पृष्ठ 216, पहले पाद टिप्पण की पहली पंक्ति में "भाग के" के स्थान पर "भाग 2" पढ़िये।

पृष्ठ 216, अंतिम पंक्ति, "शिफारिश" के स्थान पर "सिफारिश" पढ़िये।

पृष्ठ 217, पंक्ति 15, "श्री इन्द्रोजीत गुप्त" के स्थान पर "श्री इन्द्रजीत गुप्त" पढ़िये।

लोक सभा

गुरुवार, 21 नवम्बर, 1985/30 कार्तिक, 1907 (शक)
लोक सभा 11 बजे मध्याह्न पूर्व समवेत हुई ।
(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को श्री वीरेन्द्र अग्रवाल के दुखःद निधन के बारे में सूचित करना है । वह 1971-77 के दौरान उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद चुनाव क्षेत्र से लोक सभा के सदस्य थे ।

वह एक जाने माने पत्रकार और शिक्षाविद थे और कई संस्थाओं से सम्बद्ध थे। उन्होंने विश्वविद्यालय सेवा की भारतीय राष्ट्रीय समिति के महासचिव के रूप में काम किया और वह दिल्ली अध्ययन दल के संस्थापक संयोजक थे । उन्होने आर्थिक मामलों पर कई एक लेख लिखे थे । उन्होंने देश-विदेश की कई बार यात्रा की और विश्वविद्यालय सेवा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में कई बार भारत का प्रतिनिधित्व किया था ।

वह एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने सारे भारत में जरूतमंद छात्रों को राहत बांटने का काम किया । उन्होंने कई स्थानों पर छात्रों के लिए स्वास्थ्य केन्द्रों का भी आयोजन किया ।

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल का निधन 58 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में, 19 नवम्बर, 1985 को हुआ ।

हम, इस मित्र की मृत्यु पर गहरी संवेदना प्रकट करते हैं और मुझे विश्वास है कि सभा भी शोक सन्तप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करने में मेरे साथ है ।

अब सभा शोक व्यक्त करने के लिए कुछ क्षण मौन खड़ी होगी ।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

रुग्ण नौवहन कम्पनियां

*61. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि अनेक नौवहन कम्पनियां रुग्ण हैं;

(ख) क्या नौवहन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा नौवहन कम्पनियों की रुग्णता पर विचार किया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या इस समिति ने सिफारिस की है कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम में संशोधन किया जाए ताकि नौवहन विकास निधि समिति नौवहन कम्पनियों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) नौवहन विकास निधि समिति ने जिन नौवहन कम्पनियों को सहायता प्रदान की उनमें से अधिकांश कम्पनियां नौवहन उद्योग में चालू मन्दी के कारण ऋणों की अदायगी नहीं कर सकीं। तथापि, किसी भी नौवहन कम्पनी को "सिक" घोषित नहीं किया गया है।

(ख) भूतपूर्व सचिव की अध्यक्षता में एक समिति ने नौवहन कम्पनियों को सहायता के प्रबन्धों की समीक्षा की थी।

(ग) और (घ) समिति ने यह विचार व्यक्त किया कि नौवहन विकास निधि समिति यदि स्वयं इस बात से संतुष्ट हो कि ऋण-ग्राही नौवहन कम्पनी के प्रबन्धक ठीक काम नहीं कर रहे हैं अथवा प्रबन्धक अक्षम एवं बेईमान हैं तो नौवहन विकास निधि समिति के लिए यह संभव होना चाहिए कि वह प्रबन्धकों को बदल दे अथवा प्रबन्ध अपने हाथ में ले ले और इस प्रयोजन के लिए मर्चेण्ट शिपिंग एक्ट में उपयुक्त धाराओं को शामिल करना होगा।

श्री एच० एम० पटेल : आपने समिति की नकारात्मक सिफारिशों का ही जिक्र किया है। लेकिन क्या समिति ने उस ढंग के बारे में भी ऐसी सकारात्मक सिफारिशें की थीं जिससे आप उन नौवहन कम्पनियों को सहायता दे सकें जो कि सारे विश्व में नौवहन उद्योग में चल रही लगातार मंदी के कारण कठमाइयों के दौर से गुजर रही हैं।

श्री राजेश पाइलट : यह सत्य है कि नौवहन उद्योग में मंदी चल रही है। समिति ने सभी पक्षों पर विचार किया था और सरकार भी उद्योग की सहायता करना चाहती है, क्योंकि दो

कारणों से यह महत्वपूर्ण है नौवहन एवं उद्योग तो देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला एक प्रमुख उद्योग है; और दूसरे, यह हमारी दूसरी रक्षा पंक्ति भी है। समिति ने इन पर विस्तार से विचार किया है। उन्होंने कुछ प्रस्तावों की सिफारिश की है, जिन पर सरकार विचार कर रही है।

श्री एच० एम० पटेल : हांलाकि आपने इन कम्पनियों को रुग्ण घोषित नहीं किया है लेकिन तथ्य यह है कि वे वास्तव में काफी रुग्ण हैं। क्या सरकार अपने वित्तीय संगठनों की पुनः संरचना पर विचार करेगी आदि आदि। ताकि नये सिरे से कार्य आरम्भ करने का मौका मिल सके और वह भी सुदृढ़ तरीके से। मेरे कहने का यह अर्थ है कि इन कम्पनियों पर भारी कर्ज है और नये जहाज आदि खरीदने के लिए उनके पास कोई संसाधन नहीं हैं। उनके पुराने जहाज कबाड बनने वाले हैं। दुर्भाग्य से भारत सरकार ने उन्हें रद्द करना भी मुश्किल बना दिया है, क्योंकि जो उद्योग इन जहाजों को रद्द कर रहा था, खुद ही मुश्किल में है। इन कम्पनियों की पुनः संरचना के लिए कुछ साहसिक वित्तीय कदम उठाए जाने आवश्यक हैं, ताकि वे नेई पूंजी जुटा सकें। और तभी सम्भव है जब सरकार उन्हें सहायता देने के लिए राजी हो और उन्हें ब्याज व भारी बकाया रकम पर समय की छुट दे। अगर सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखे जाएं तो क्या सरकार इन पर विचार करने के लिए राजी होगी ?

श्री राजेश पाइलट : सभा इस बात पर सहमत होगी कि माननीय सदस्य वित्त और नौवहन मामलों के विशेषज्ञ हैं और उन्हें इनका काफी अनुभव है। यह सत्य है कि नौवहन उद्योग में मंदी है और उनकी कुछ समस्याएं हैं। लेकिन सभा मेरे इस तर्क से भी सहमत होगी कि इस मंदी के बावजूद कुछ नौवहन कम्पनियां अच्छी प्रकार से चल रही हैं, और उनमें उतना घाटा नहीं हुआ है, जितना कि अन्य नौवहन कम्पनियों में हुआ है। हमें निजी कम्पनियों के प्रयासों को देखना होगा और यह भी देखना होगा कि उन्होंने अपने प्रबन्धन और कार्य संचालन में कितना परिश्रम किया है। सभा मेरे इस तथ्य से भी सहमत होगी कि जो कम्पनियां अपने अकुशल प्रबन्ध के कारण घाटे में चल रही हैं, जो कि एक राष्ट्रीय हानि है···

श्री एच० एम० पटेल : मैं यह बात नहीं कर रहा हूं। वास्तव में, शायद ही कोई कम्पनी होगी जो लाभ कमा रही हो। यहां तक कि नौवहन निगम ने 100 करोड रुपये का भारी घाटा दिखाया है। तो यह केवल अकुशलता का ही प्रश्न नहीं है। जहां अकुशलता हो, उसके बारे में, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप जो चाहें कदम उठायें। लेकिन जहां कम्पनियां कुशल हैं वे अच्छी प्रकार से कार्य कर रही हैं। क्योंकि सारे विश्व में नौवहन उद्योग में भारी मदी चल रही है जो कि कई वर्षों से व्याप्त है। इसलिए ये कम्पनियां अपनी स्थिति नहीं सुधार पा रही हैं। इसलिए कुछ साहसिक उपाय किये जाने की आवश्यकता है। मैंने यही प्रश्न पूछा था।

श्री राजेश पाइलट : मैं माननीय सदस्य के एक प्रश्न का ही उत्तर देने जा रहा था। मैं इस बात से सहमत हूं कि इस उद्योग में घाटा मंदी के कारण है, और हम इस पर सहानुभूति-पूर्वक

विचार कर रहे हैं। समिति ने कुछ प्रस्ताव दिये हैं, उन्होंने कुछ सिफारिशें की हैं, जिन पर सरकार विचार कर रही है। और इस दिशा में सरकार जो भी कार्यवाही करेगी, हम सभा को उससे अवगत करा देंगे।

श्री सी० माधव रेड्डी : क्या सरकार व्यापार नौवहन अधिनियम में संशोधन करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जैसा कि मन्त्री महोदय ने भी कहा है कि नौवहन उद्योग जोकि रुग्ण है उसे सरकार अधिग्रहीत कर ले। चूंकि हम आजकल रुग्ण एककों सम्बन्धी विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं और इस विधेयक में नौवहन कम्पनियों को सम्मिलित नहीं किया गया है; अतः कम्पनियों की सहायता के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है।

श्री राजेश पाइलट : व्यापार कम्पनी अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है और सरकार इस पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

श्री जी० एस० मिश्र : मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जब भारतीय शिपिंग कम्पनी की हालत इतनी खस्ता है तो भारत सरकार और भारत सरकार ने उपक्रमों के कितने शिप्स, किस प्रकार के शिप्स, किस काम के लिए चार्टर हायर किए हुए हैं और उनके लिए कितना कमीशन दिया जाता है ?

[अनुवाद]

श्री राजेश पाइलट : यह प्रश्न इस प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है, अगर माननीय सदस्य इस विषय पर, पूरे चार्टर पर, अलग से प्रश्न देंगे तो मैं उत्तर दे सकूंगा।

श्री जी० एस० मिश्र : यह कम्पनियों की रुग्णता के बारे में है।

श्री डी० पी० जदेजा : यह एक जाना माना तथ्य है कि सारे विश्व में नौवहन उद्योग में मन्दी है। इससे छोटी और बड़ी कम्पनियों पर असर पड़ता है. जिन कम्पनियों को एस डी एफ सी द्वारा वित्त दिया जाता है, उन्हें मांगी गई राशि का 95% तक पैसा इससे मिलता है। आपका मंत्रालय भी पानी के जहाज चलाने वाले उद्योगों को ऋण देता है और यह ऋण जहाज की कुल कीमत का 75% तक दिया जाता है। क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि इन नौवहन कम्पनियों और बड़ी कम्पनियों को क्या-क्या सुविधाएं दी जाएं ?

क्या सरकार पानी के जहाज चलाने वाले उद्योग को सुविधाएं देने के प्रश्न पर विचार कर रही है, ताकि वह कठिनाई के इन दिनों में जीवित रह सके ?

श्री राजेश पाइलट : अध्यक्ष महोदय, एस एफ डी सी के गठन के समय सरकार के सामने कुछ सुझाव थे और इसके आधार पर एस एफ डी सी का गठन किया गया था। माननीय सदस्य के सुझाव का स्वागत है; मैं इनकी जांच करा कर सभा को सूचित करूंगा।

सिगरेट की बढ़ती हुई खपत के कारण फेफड़ों का कैंसर

*63. **श्री के० राममूर्ति** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी अनेक रिपोर्टों में चेतावनी दी है कि तृतीय विश्व के देशों में सिगरेट की बढ़ती हुई खपत के कारण एक दशक के अन्दर वहां फेफड़ों के कैंसर की महामारी फैलने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो सिगरेट निर्माताओं द्वारा बड़े विज्ञापन पटों तथा समाचार पत्रों में पूरे पृष्ठ पर दिये गये विज्ञापनों में इस सांविधिक चेतावनी के अतिरिक्त कि "सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" सरकार द्वारा भारत में लोगों द्वारा सिगरेट की खपत कम करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या संयुक्त राज्य अमरीका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा धूम्रपान को कम करने संबंधी समाचार और प्रयासों के बारे में सरकार को जानकारी है; यदि हां, तो उन्होंने क्या कदम उठाए है; और

(घ) भारत में इसी प्रकार के कदम उठाने ने बारे में सरकार के सामने क्या बाधाएं हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवाई) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) सिगरेट पैकटों और विज्ञापनों पर सांविधिक चेतावनियों के अलावा बहुत सी राज्य सरकारों ने सिनेमा-हालों, बसों, शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पतालों, आदि जैसी बन्द जगहों में धूम्रपान निषेधी कानून लगू कर दिये हैं । इण्डियन एयरलान्स कारपोरेशन के प्राधिकारियों ने विभिन्न विमानों "में धूम्रपान निषेध" क्षेत्र बढ़ाने का निर्णय लिया है । खेल-कूद मंत्रालय ने भी यह निर्णय लिया है कि एशियाड स्टेडियमों में सिगरेट के विज्ञापन लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी इस क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा के कार्य को तेज करने और तम्बाकू से बने उत्पादों की खपत में कमी लाने सम्बन्धी एक कार्य-योजना पर अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयों से परामर्श लेते हुए विचार किया जा रहा है । इस कार्य-योजना को तैयार करते समय अन्य देशों में अपनाई गयी कार्य-नीतियों को भी ध्यान में रखा जाएगा ।

श्री के० राममूर्ति : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य धूम्रपान करते हैं उनसे माफी मांगते हुए, क्या मैं आपके माध्यम से यह प्रश्न पूछ सकता हूं ? सिगरेट पैकटों पर सांविधिक चेतावनी "सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ।" छपे होने से लोगों में धूम्रपान कम होने की बजाय, इसकी लत तेजी से बढ़ रही है ।

1974 में, जब मैं लंदन में था तो ब्रिटेन सरकार ने तब वहां पैकटों पर सांविधिक चेतावनी की यह प्रणाली आरम्भ की थी । और मैं समझता हूं कि इस चेतावनी के छपने के बाद सिगरेट

कम्पनियों ने कहा था कि उनकी बिक्री में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अतः, यह एक खतरनाक बात है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री के० राममूर्ति : मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : धूम्रपान न करें।

श्री के० राममूर्ति : सिगरेट पीने के विरोध में बहुत कम उपाय किये गये हैं। माननीय मन्त्री ने कहा है कि इंडियन एअरलान्स और कुछ एशियाड स्टेडियमों ने 'धूम्रपान निषेध' क्षेत्र का विस्तार करने का निर्णय लिया है आदि, और यह कि वे सिगरेट से संबंधित विज्ञापन स्वीकार नहीं करेंगे लेकिन इतना काफी नहीं है। सारे विश्व में यह, जाना-माना तथ्य है कि इससे फेफड़ों के कैंसर और अन्य संबंधित रोग फैल रहे हैं। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं क्या सरकार सिनेमा और अन्य प्रचार साधनों और सभी प्रचार माध्यमों से यह प्रचार करेगी कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और सरकार द्वारा सिगरेट कम्पनियों का कोई विज्ञापन नहीं किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : इस सबके बावजूद, परिणाम क्या है ?

प्रो० मधु दण्डवते : आप अन्य प्रतिबन्ध नहीं लागू कर सकते हैं।

श्रीमती मोहसिना किदवाई : यह केवल सिगरेट पीने की ही बात नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में तम्बाकू का उत्पादन, विश्व में तीसरे स्थान पर है। इससे स्वास्थ्य मंत्रालय का ही सम्बन्ध नहीं है। अन्य मन्त्रालय भी सम्बंधित हैं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से एक निवेदन करना चाहूंगी।

[हिन्दी]

आपकी जो लाबीज हैं, उनमें जो एस-ट्रेज रखी हैं, वे सिगरेट के टुकड़ों से भरी पड़ी रहती हैं। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि यहां नो-स्मोकिंग होनी चाहिए। पता नहीं मुझ से दण्डवते जी सहमत होंगे या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो अपने कमरे में किसी को पीने नहीं देता हूं।

श्रीमती मोहसिना किदवाई : अध्यक्ष मोदय, मैं तो लॉबीज के बारे में कह रही हूं।

अध्यक्ष महोदय : लॉबीज तो मैंने आपके अधिकार में दे रखी हैं।

श्रीमती मोहसिना किदवाई : मैं यह मानने के लिए तैयार हूं कि स्मोकिंग के सिलसिले में जो कदम हम उठायेंगे वह दूसरी मिनिस्ट्रीज से राय मशविरा करके उठायेंगे (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : मन्त्री महोदया को इसके बारे में कोई अनुभव नहीं है। उनको केवल शैक्षिक अनुभव है।

अध्यक्ष महोदय : आपका मतलब है कि उन्हें इसके बारे में कुछ न कुछ करना चाहिये।

[हिन्दी]

श्रीमती मोहसिना किदवई : कम्पनियां जो सिगरेट बेचती हैं। वे उस लिहाज से अपनी पालसी बनाती हैं। हमारे देश में न सिर्फ सिगरेट का इस्तेमाल होता है बल्कि उसके साथ बीड़ी का इस्तेमाल भी, होता है, हुक्के का इस्तेमाल भी होता है और दूसरी तरह से भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तम्बाकू खाते भी हैं। यह सारी चीजें जो हैं इसके बारे में हम देश में लोगों को एजूकेट करें। सिगरेट तो लग्ज के लिए नुकसानदेहहै ही और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मीडिया के जरिए और दूसरी चीजों के जरिए जैसे सिगरेट के पैकेट्स पर भी वार्निंग लिखी जाती है, और भी क्या खास कदम उठाए जायें उसके लिए हम लोग विचार कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री के० रामामूर्ति : माननीय मन्त्री महोदया मे मुझे सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया है। वह इस मामले को विभिन्न मन्त्रालयों पर टाल रही हैं।

इसके अतिरिक्त सिगरेट के इस्तेमाल के अलावा, विश्वभर में ऐश्फाल्ट शीटों के उत्पादन पर भी प्रतिबन्ध है··· ··

अध्यक्ष महोदय : क्या इसका प्रश्न से कोई सम्बन्ध है।

श्री के० रामामूर्ति : जी हां, महोदय। अन्य देशों में एसबेस्टोस शीटों (सीमेंट की चादरें) के उत्पादन तथा इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध है, क्योंकि इससे मनुष्य के शरीर में कैंसर सैल उत्पन्न होते हैं। विकासशील देश होने के कारण हमारे यहां श्रमिक सस्ते हैं, इसलिए हमारे देश में प्रचुर मात्रा में एसबेस्टोस शीटों का उत्पादन हो रहा है। क्या मन्त्री महादया को इसके कुप्रभावों के बारे में पता है ? यदि हां; तो इस देश में एसबेस्टोस सीटों (सीमेंट की चादरों) के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए वह क्या दकम उठा रहीं है ?

[हिन्दी]

श्रीमती मोहसिना किदवई : अध्यक्ष जी, किसी चीज को बेन कराना ही मसले का हाल नहीं होगा। हमारे यहां जो टोबैको को करते हैं फार्मर्स, न सिर्फ उनका सवाल होता है बल्कि और जो लोग लगे होते हैं उनका भी होता है।

कैन्सर की बीमारी का जहां तक ताल्लुक है, वह स्मोकिंग से भी होती है, तम्बाकू खाने से भी होती है। और बहुत सारी चीजें हैं। (व्यवधान)

एस्बेस्टोस शीट्स के बारे में मेरी जानकारी नहीं है कि उसमें भी कैन्सर का कोई खास मर्ज होता है। (व्यवधान)

इस बारे में आई सी एम आर के जरिए से स्टटी हो रही है, रिसर्च हो रही है। जो आगरा का रीजन है वहां पर टोबेकों च्युइंग से होने वाले कैन्सर की बीमारी पर रिसर्च जारी है।

माननीय सदस्य ने यह सबाल स्मोकिंग के बारे में किया था तो स्मोकिंग से लंग कैन्सर होता है और जो उससे रिलेटिव चीजें हैं उनसे भी कैन्सर का अन्देशा रहता है और इसीलिए कहा जाता है कि स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए।

[अनुवाद]

डा० वत्ता सामन्त : विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य विभाग पिछले दस वर्ष से लगातार इस बात का जन प्रचार करते आ रहे हैं कि सिगरेट पीने से न केवल कैंसर होता है अपितु अधिक सिगरेट पीने से हृदय धमनियां तथा फेफड़े खराब हो जाते हैं। कम उम्र में हृदय आघात का एक प्रमुख कारण यह भी है ! इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार सिनेमा अथवा अन्य माध्यमों से इन बात का प्रबल प्रचार करने का है कि सिगरेट पीने से मानव शरीर में ये सब हानियां होती हैं जिससे कि आम आदमी को इन सब हानियों के बारे में पता चल सके ? तम्बाकू खाने से कुछ कम हानि होती है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न कीजिए।

डा० वत्ता सामन्त : मेरा विशेष प्रश्न यह है—क्या सरकार व्यापक पैमाने पर यह विज्ञापन देगी कि सिगरेट पीने से मानव को ये हानियां होती हैं। जिससे कि जनता को इसके कुप्रभाव की जानकारी हो सके ?

श्रीमती मोहसिना किदवई : यह कार्य हमारी स्वास्थ्य शिक्षा प्रणाली द्वारा यह कह कर किया जा रहा है कि हृदय के लिए यह हानिकारक है। अपने साहित्य के माध्यम से इसका प्रचार किया जा रहा है तथा सार्वजनिक स्थानों में उसका पर्चे लगाकर प्रचार किया जा रहा है।

श्री ललितेश्वर शाही : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उस प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि जब सिगरेट के विज्ञापनों का विज्ञापन प्रदर्शित किया जाये तब उस विज्ञापन में कम से कम 15 प्रतिशत स्थान इस विज्ञापन के लिये इस्तेमाल किया जाये कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है ·····(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : यह सब ठीक है। और कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा। बस।

खड़गपुर रेलवे वर्कशाप में विकलांग कर्मचारी

*65. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़गपुर स्थित रेलवे वर्कशाप, जो देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी वर्कशाप है, के कर्मचारियों में विकलांग व्यक्ति भी शामिल हैं;

(ख) यदि हां, तो इस वर्कशाप में कुल कितने कर्मचारी हैं और उनमें विकलांग श्रमिकों की संख्या क्या है; और

(ग) क्या उनकी मजदूरी भी वही है जो अन्य श्रमिकों को दी जाती है और यदि नहीं, तो क्या कारण हैं ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां ।

(ख) कर्मचारियों की कुल संख्या—14596 ।

विकलांग कर्मचारियों की संख्या—130 ।

(ग) जी हां ।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : महोदय, जहां तक विकलांग व्यक्तियों का सम्बन्ध है, क्या उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था है और यदि हां, तो वह कितने प्रतिशत है ?

श्री बंसी लाल : पद्रह प्रतिशत ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मेरे विचार से मंत्री महोदय, गलत कह रहे हैं।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : महोदय, खड़गपुर वर्कशाप में, कुल 14,596 कर्मचारी हैं जिनमें से केवल 130 कर्मचारी विकलांग हैं । इस हिसाब से यह संख्या एक प्रतिशत से कम है, अर्थात ये स्थान 15 प्रतिशत आरक्षित स्थान से बहुत कम है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस कारखने में विकलांग कर्मचारियों के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री बंसी लाल : हम लोग कोटा बढ़ाने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं, अपितु कोटे के अन्दर ही हम लोग विकलांग व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं ।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, मंत्री महोदय ने अभी-अभी कहा था कि विकलांग व्यक्तियों के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण है । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह प्रतिशत विशेष वर्कशाप के संबन्ध में है अथवा सम्पूर्ण रेल विभाग पर लागू किया जाता है।

श्री बंसी लाल : समग्र रेल विभाग में यह 15 प्रतिशत है, किन्तु महोदय, चालू लाइन के कार्यकरण में हम लोग उन्हें अधिक संख्या में नियुक्त नहीं कर सकते हैं ।

श्री वसुदेव आचार्य : फिर भारतीय रेलवे में आरक्षण का क्या प्रतिशत है ?

श्री बंसी लाल : सभी जगह 15 प्रतिशत है किन्तु संचालन कार्यों में हम 15 प्रतिशत विकलांग व्यक्ति तैनात नहीं कर कसते हैं, क्योंकि इसमें खतरा है। वर्कशापों तथा अन्य स्थानों में भी हम यही करने की चेष्टा कर रहे हैं ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मंत्री महोदय इस संबन्ध में बहुत ही अनजान हैं। 15 प्रतिशत न होकर 3 प्रतिशत है। तत्क्षण जो उदहारण दिया गया है उसमें जितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है उनका प्रतिशत एक से भी कम है। क्या वह उसको बढ़ाकर 3 प्रतिशत करने का प्रयत्न करेंगे और क्या वह अपने उत्तर के संबन्ध में स्वयं को ठीक करेंगे अथवा क्या इसके विकल्प स्वरूप वह विशेषाधिकार प्रस्ताव का मुकाबला करने को तैयार हैं ?

श्री बंसी लाल : महोदय, 1977 में जो परिपत्र जारी किया गया था उसके अनुसार यह तीन प्रतिशत था किन्तु 1980 के बाद एक और परिपत्र जारी किया गया था जिसमें विशेष वर्ग में रिक्त स्थानों में इसका प्रतिशत 15 तक बढ़ा दिया गया था।

दिल्ली परिवहन निगम को नकली तथा घटिया किस्म के माल की सप्लाई

*67. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या जल-भूतल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री ने अभी हाल में दिल्ली परिवहन निगम के विभिन्न डिपुओं का आकस्मिक निरिक्षण किया है और उनमें नकली और घटिया किस्म का माल पाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या नकली और घटिया किस्म का माल यहां पाया गया;

(ग) दिल्ली परिवहन निगय को घटिया माल सप्लाई करने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं, और

(घ) क्या इसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है और ऐसे सौदों में शामिल दिल्ली परिवहन निगम के अधिकारियों और कम्पनियों के विरुद्ध सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्यमंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) और (ख) जी हां, यह छापा दिल्ली परिवहन निगम के पटपरगंज स्थित डिपो पर 28 अक्टूबर, 1985 को मारा गया था। जांच के दौरान स्टोर्स डिपार्टमेंट में साबुन की पेटियां खुलवाई गईं और नमूने के तौर पर कुछ एक की जांच की गई जिनमें माल नकली पाया गया। कुछ ऐसे स्पेयर पार्ट भी बरामद किये जो निम्न कोटि के और नकली पाये गये।

(ग) और (घ) दिल्ली परिवहन निगम के 11 अधिकारियों को मुअत्तल किया गया है।

इसकी जांच का काम केंद्रीय कुफिया ब्यूरो व जल भूतल के मुख्य सतर्कता अधिकारी को सौंपा गया है तथा माल खरीदने की प्रक्रिया के ब्यौरे के बारे में भी सूचित किया गया है। इसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। जब तक जांच पड़ताल का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक इस बारे में कुछ अधिक सूचना देना सार्वजनिक हित में नहीं है।

डा० गौरी शंकर राजहंस : मैं नकली पुर्जों का नाम जानना चाहता हूं। मेरा विचार है कि उनका नाम बताने में सार्वजनिक हित की कोई बात नहीं है। नकली पुर्जों के नाम हमें बताये जायें।

श्री राजेश पाइलट : मेरे डिपो पर जाने से पूर्व इस बात की शिकायतें मिली थीं कि निगम द्वारा अतिरिक्त पुर्जों की बड़ी भारी खरीददारी की जाती है आदि-आदि। हमें कुछ शिकायतें मिली थीं कि यह प्रणाली ठीक नहीं है और इस प्रणाली में कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है, इत्यादि। मैंने एक डिपो की जांच पड़ताल स्वय की थी। मैं स्नामागार से गुजर रहा था। मैंने देखा कि उसमें एक लाइफबॉय साबुन की टिक्की पड़ी थी जो पीली और लाल रंग की थी। मेरे विचार से लाइफबॉय की टिक्की लाल रंग की होती है। इसलिए हम लोगों ने कुछ और भंडार खोले। हमने देखा कि इस लाइफबॉय की टिक्की का रंग रूप सही नहीं था। हमने उन मदों को तथा कुछ अन्य अतिरिक्त पुर्जों यथा ब्रेक शू तथा अन्य वस्तुओं को जब्त कर लिया जिससे की सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा उनकी जांच पड़ताल कर सकें। इस मामले में जांच पड़ताल करने तथा उनका ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए उन्हें कुछ मदें और दी गई थीं।

डा० गौरी शंकर राजहंस : केन्द्रीय जांच ब्यूरो की यह जांच पड़ताल कब तक पूरी हो जायेगी ? क्या सभा को इसके बारे में बताया जायेगा ?

श्री राजेश पाइलट : मैं वस्तुतः यह नहीं कह सकता कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच पड़ताल कब तक पूरी हो जायेगी। किन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि हमने गृह मंत्रालय को उस काम की प्राथमिकता देकर पूरा करने को कहा है यदि सभा इसकी जानकारी चाहेगी तो हम अवश्य ही सभा को इसकी जानकारी देंगे।

श्री भागवत झा आजाद : भ्रष्टाचार, जिसकी जड़े गहरी हैं तथा जिससे देश को सैकड़ों करोड़ रुपयों का घाटा हो रहा है, का पता लगाने का असाधारण अभियान चलाने के लिए युवा मंत्री को बधाई देते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के कारण जो घाटा हुआ है, उसे वह किस तरह पूरा करेंगे और अधिकारियों को निलम्बित करने के अलावा और क्या उपाय किये जायेंगे।

श्री राजेश पाइलट : हमने एक विभागीय जांच-पड़ताल और एक केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा जांच-पड़ताल कराने के आदेश दिय हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरों की जांच-पड़ताल कराने के पीछे यह विचार था। सभा की जानकारी के लिये मैं यह सूचना सभा को दूंगा। जब हमने एक विशेष

एजेन्सी से इन मदों की सप्लाई निगम को करने को कहा तो उसने ऐसा करने से इन्कार कर दिया तथा उन्होंने बताया कि आपको हमारे स्टाकिस्ट से खरीदना होगा। इसलिए, हमने इस जाँच-पड़ताल का कार्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा है और हमने इस मामले की छान-बीन करने के लिये उनसे कहा है। कुछ उपाय किये गये हैं जिन अधिकारियों ने जांच की थी जिन्होंने आदेश दिया था तथा जिन अधिकारियों ने अपेक्षित वस्तुओं की खरीददारी की थी, हमने उनके विरुद्ध कार्यवाही की है। विभागीय जांच-पड़ताल के बाद की गई सिफारिशों पर कुछ और उपाय किये जायेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो बाद में हम इसके बारे में सभा को सूचित करेंगे।

शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन

*68. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, में दिल्ली में हुए दो दिवसीय शिक्षा मंत्री सम्मेलन में देश में जन-शक्ति की आवश्यकता का पता लगाने के लिए एक छोटे ग्रुप की स्थापना की शिफारिश की थी; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) नई शिक्षा नीति तैयार करने के सम्बन्ध में राज्य शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन 29 और 30 अगस्त, 1985 को नई दिल्ली में हुआ था। इस सम्मेलन ने अन्य बातों के साथ-साथ भावी विकास के परिप्रेक्ष्य तथा उत्पादन प्रौद्योगिकियों के सन्दर्भ में जन शक्ति अनुमानों और व्यवसायीकरण के सम्बन्ध में मंत्रियों और विशेशज्ञों का एक दल बनाने का निर्णय किया था। इस दल की बैठक 25 नवम्बर, 1985 को होनी निश्चित हुई है।

श्री एस० एम० भट्टम : अध्ययन दल में सम्मिलित मंत्रियों के नाम क्या हैं ? विशेषज्ञों के नाम क्या हैं उनकी कब तक अपनी रिपोर्ट देने की सम्भावना है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : ग्रुप में उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, जम्मू तथा काश्मीर, पंजाब, असम तथा दिल्ली के शिक्षा मंत्री सम्मिलित हैं। पांच सहयोजित विशेषज्ञ इससे सम्बद्ध हैं वह कितना समय लेंगे, यह इस समय नहीं बता सकते। मंत्रियों के नाम हैं : श्री सिबने राजी, शिक्षा मंत्री, लखनऊ; श्री टी० एम० जाकोब, शिक्षामन्त्री, त्रिवेद्रम, श्री सी० अरांगनयागम, शिक्षा मंत्री, मद्रास, हुसमुख पटेल, शिक्षा मंत्री गांधीनगर श्री अली मुहम्मद नापक, श्री नगर, सुखजिन्द्र सिंह, चण्डीगढ़, श्री मुकुट शर्मा, गौहाटी, श्री कुलानन्द भारती, दिल्ली।

विशेषज्ञों के नाम हैं : डा० (श्रीमती) तमराजाकक्षी योजना आयोग, प्रो० गौतम माथुर, आई० ए० एम० आर, डा० वी० सी० कुलन्दई स्वामी, मद्रास, डॉ भावातोष दत्त, कलकत्ता, प्रो० अशोक चन्द्र शिक्षा सलाहाकार।

प्रो० मधु दण्डवते : सभी सदस्यों को सभा पटल पर रख दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को, उनके नामों को क्या नहीं, सभी को स्थान देने के लिए सभा पटल पर्याप्त है ?

श्री एस० एम० भट्टम : जहां तक जन शक्ति आयोजना का प्रश्न है योजना आयोग तथा अन्य निकायों ने कुछ अध्ययन पहले भी किये हैं। क्या सरकार पहले किये गये प्रयासों में कुछ जोड़ना चाहती है। वे अब इस झमेले में क्यों पड़ रहे हैं ?

यह व्यवसायीकरण करने के बारे में है। यह अध्ययन केवल इसी उद्देश्य से किया जा रहा है। जहां तक व्यवसायीकरण का सम्बन्ध है, एन० सी०ई०आर० टी० तथा कुछ अन्य निकायों ने भी पहल की थी तथा कुछ कार्य किया था। क्या सरकार सोचती है कि पर्याप्त कार्य नहीं किया गया है अब वे इसे किस ढंग से करना चाहते हैं ? क्या वे कमी को पूरा करना चाहते हैं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : यदि सदस्य चाहते हैं तो सदस्यों के नाम सभा पटल पर रखे जा सकते हैं।

दो ग्रुप गठित किये गये हैं। उनका गठन पहले ही मंत्री महोदय द्वारा किया गया है वे जन शक्ति प्रक्षेपण और व्यवसायीकरण तथा अधिक शिक्षा दिये जाने पर विचार करेंगे। ग्रुपों की बैठक 24 तथा 25 नवम्बर को होगी। वे विविध पहलुओं का अध्ययन कर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और हमें उम्मीद है कि शीघ्र होने वाली इन चर्चाओं से कुछ सूत्रीकरण होगा तथा कुछ सिद्धांत तैयार होंगे।

श्री एस० एम० भट्टम : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। पहले जन-शक्ति के बारे में अध्ययन योजना आयोग द्वारा किया गया था। क्या सरकार उसमें कुछ कमी अनुभव करती है। इसमें किस तरह की कमी पाई गई है तथा इसे व्यापक बनाने के लिये वे क्या कार्यवाही करना चाहते हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : यह निर्णय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में लिया गया था। इस निर्णय का अनुसरण करते हुए इन समितियों का गठन किया गया जब बैठक होगी; तब स्वभावतः समितियां इन विषयों पर पहले किये गये कार्यों पर विचार करेंगी। मैं जानता हूं कि पर्याप्त कार्य हुआ है। नई शिक्षा निति गठित करते समय इस सब पर विचार किया जाएगा। आयोजन न तो अकेले शिक्षा मंत्रालय द्वारा और न ही योजना आयोग द्वारा किया जाता है। बहुत से अन्य अभिकरण भी इससे सम्बद्ध हैं। जो भी सामग्री पहले प्राप्त हो गई है उस पर विचार किया जायेगा। और मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम बहुत जल्दी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे क्योंकि यह मांग वाद-विवाद का मामला नहीं है। इसके परिणाम-स्वरूप ठोस प्रस्ताव तथा निर्णय लिये जायेंगे।

गालिब के मकान और जौक के मजार का रख रखाव

*69. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में महान भारतीय शायर गालिब का मकान जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है और उसमें कोयले का डिपो बना हुआ है तथा एक अन्य भारतीय शायर जौक के मजार पर सार्वजनिक शौचालय बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो गालिब के मकान और जौक की मजार को उन महान शायरों के स्मारक के रूप में बनाये रखने तथा उनके रख रखाव हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं।

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जिस स्थल पर महान कवि गालिब का मकान था वह गैर सरकारी कब्जे में है और इसमें कुछ भी नहीं जिसे ग्रहण और सुरक्षित किया जाता। जिस स्थल पर दूसरे महान कवि जौक के मजार का होना बताया जाता है यह कब्रिस्तान का ही भाग था और जिस स्थल विशेष पर उन्हें दफनाया गया था उसका ठीक-ठीक पता नहीं है। कब्रिस्तान के अधिकांश भाग में अब रिहायशी क्वाटर बने हुए हैं।

(ख) जिस स्थल पर कवि गालिब का मकान था उसका काफी समय पहले निरीक्षण उसके सम्भावित अधिग्रहण और सुरक्षा के उद्देश्य से किया गया था किन्तु यह पता चला कि केवल एक दालान और कुछ मेहराब ही बचे हैं और ये भी मरम्मत के योग्य नहीं हैं। इस स्थल पर व्यापक परिवर्तन हो चुके हैं और यह अब गैर सरकारी कब्जे में है। इसी प्रकार जौक के मजार के भी ऐसे कई कोई संरचनात्मक अवशेष नहीं हैं जो सुरक्षित और संरक्षित किये जाने योग्य हों।

[हिन्दी]

श्री मौहम्मद महफूज अली खां : स्पीकर साहब, जौक और गालिब का मुकाम यहां था। आज यह बड़ा अफसोस है कि मंत्री जी इस सवाल का मुकम्मिल जवाब नहीं दे सकीं। आपने इस जवाब में यह नहीं बताया कि मिर्जा गालिब का मकान दिल्ली के किस हिस्से में था और जौक का मजार किस हिस्से में था। मुझे जहां तक मालूमात हैं जौक का जहां मजार था वहां पाखाना, लेबोटरी बनी हुई है और जहां मिर्जा गालिब का मकान था वहां एक कौल डिपो।

क्या आप कोई एक्सन इस सिलसिले में ले रही हैं कि उन लोगों को बेदखल करायें और उसके बाद इसको नेशनल मौन्यूमैंट बनाया जाये ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : माननीय सदस्य ने जो बात कही है, मैं उसका कम्सर्न शेयर करती हूं क्योंकि ये हमारे बहुत बड़े शायर हुए हैं जिनकी हम बहुत कद्र करते हैं। इस समय हमारे पास फैक्चुअल पोजीशन यह है कि 1959 में गालिब साहब के घर के बारे में सरकार ने बहुत गंभीरता से विचार किया था और उस वक्त के हमारे सांइटिफिक रिसर्च और कल्चरल एफेयर्स के मिनिस्टर प्रो० हुमायुं कबिर स्वयं उस साइट को देखने के लिए गये थे। देखने के बाद यह जाहिर हुआ कि सैंटीमैंट्स के बावजूद भी ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हम लोग इक्तजा नेशनल मौन्युमैंट्स के रूप में इस समय ले सकें।

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : बल्लीमारान में गालिब साहब का मकान है, वहां फखरूद्दीन अहमद एक टेनेन्ट रहते हैं जो कोल का डिपो किये हुए हैं। मैं आपको 25 तारीख का 'स्टेट्समैन दिखा सकता हूं, उसमें उसका फोटो भी है और बिल्कुल क्लीअर है कि वहां अपनी टाल लगायें हुए हैं और कोयला तोल रहे हैं।

यह बिल्कुल सही है कि आपने गालिब एकेडैमी और रिसर्च इंस्टीट्यट बना दिया, यह सब जरूरी है, लेकिन अफसोस है कि जब गालिब साहब से कहा गया कि हमारे इस मुल्क को छोड़कर कहीं और आ जायें तो उन्होंने कहा कि दिल्ली की गलियां कैसे छोड़ सकता हूं। आज बड़ा अफसोस है कि और दूसरे मौन्यूमैंट्स बनाये जा रहे हैं, लेकिन उनका कोई मौन्यूमैंट नहीं है। खाली इससे कुछ नहीं होता कि गालिब एकेडैमी बना दी और इस्टीट्यूट बना दिया।

मैं स्पीकर साहब के जरिये निवेदन करूंगा कि इनका भी मौन्यूमेंट बनना चाहिये, गालिब साहब का भी और जौक साहब के मजार का भी आजकल जौक साहब के मजार पर लेट्रीन्ज बनी हुई हैं, आप उसे क्लीअर करा सकती हैं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : आपके सैंटीमैंट्स की मैं कद्र करती हूं। हम लोगों के पास जो इन्फार्मेशन्ज इस वक्त हैं, उसके आधार पर ये सब चीजें प्राइवेट पोजिशन में हैं और वहां पर कोल डिपो वगैरह है। जो आगे बात आपने कही है, मैं पुनः इस तरफ ध्यान दूंगी अगर कोई इस तरह की संभावना है तो उसको अवश्य विचार कर लेगें।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : आप गालिब नौकर शाही को मत सौंपे। कृपया आप पहल करें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती कृष्णा साही।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का भाग 'ख' देखा जाये। उसमें मैंने मंत्री महोदय से जानना चाहा है कि सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : सवाल तो कीजिए पहले। आप तो टिकट लेने से पहले ही गाड़ी में बैठना चाहती हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली के लिए भूमिगत रेलवे

*70. **श्रीमती कृष्णा साही :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल सुधार समिति ने दिल्ली के लिए भूमिगत रेलवे की सिफारिश की है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां ।

(ख) शहरी विकास मंत्रालय, जो शहरी परिवहन योजनाओं के लिए केन्द्रक मंत्रालय है, फिलहाल दिल्ली के लिए भूगत रेल मार्ग के पक्ष में नहीं है क्योंकि इस पर भारी पूंजी निवेश करना पड़ेगा ।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : मैंने सरकार से जानना चाहा है कि सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है । मन्त्री महोदय ने 'ख' भाग में उत्तर दिया है कि शहरी विकास मन्त्रालय भूमिगत रेल मार्ग के पक्ष में नहीं है क्योंकि इस पर भारी पूंजी निवेश करना पड़ेगा ।

(व्यवधान)

श्रीमती कृष्णा साही : मुझे इंगलिश नहीं आती है । मैं जानना चाहती थी कि इनके विभाग के द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? उत्तर में शहरी विकास मन्त्रालय के बारे में कहा गया है, फिर भी मैं जानना चाहती हूं कि जिस तरह जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, उसी तरह यातायात का दबाव भी महानगरों में बहुत बढ़ता जा रहा है और पर्यावरण भी दूषित होता जा रहा है । मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहती हूं कि क्या इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 1982 में स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के महानगरों में भूमिगत रेल सुविधा प्रदान करने की कोई घोषणा की थी ? उसके बाद विभाग द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई थी ?

श्री बंसी लाल : प्रधान मन्त्री जी ने ऐसी कोई घोषणा की थी, यह मेरे नोटिस में नहीं है । जहां तक रेलवे मिनिस्ट्री का सवाल है, रेल मिनिस्ट्री भी अर्बन डैवलपमैंट मिनिस्ट्री के साथ सहमत है ।

श्रीमती कृष्णा साही : क्या सहमत है, सो तो बताइये ।

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय, हमेशा कृष्ण पुल्लिग हुआ करते थे और बंसी स्त्रीलिंग हुआ करती थी लेकिन आज यहां बंसी पुल्लिग हैं और कृष्ण स्त्रीलिंग हैं ।

अध्यक्ष महोदय : बैरागी जी, आजकल उल्टा काम हो रहा है ।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, 1972 से इस सम्बन्ध में विभाग के द्वारा कुछ काम किया गया है जैसे कि कनाट प्लेस में यह कहा गया था कि तीन दशाओं में भूमिगत रेल लाइन बिछायी जायगी और रीगल पार्क के नीचे अण्डर ग्राउन्ड जंक्शन बनेगा और फिर एक भारतीय अध्ययन दल ने विदेशों में सारे देशों का दौरा किया । इस का सर्वेक्षण भी हुआ । तो इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहती हूं कि 72 से ले कर अब तक रेल मन्त्रालय ने भूमिगत रेल योजना के

सर्वेक्षण और उच्च अधिकारियों के विदेशों में भ्रमण के ऊपर एवं अन्य व्यवस्था के ऊपर कितनी राशि खर्च की ?

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने बहुत इसका अध्ययन किया है। अगर कोई कमेटी अब बनाएं तो इस का मेम्बर इनको जरूर बना देंगे।

श्री बंसी लाल : कितना रुपया खर्च हुआ है यह फिगर्स तो मेरे पास नहीं हैं लेकिन यह मैंने बताया कि यहां अण्डर-ग्राउन्ड रेलवे लाइन के लिए रकेमेंडेशन की गई थी। हमने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को भेजा। उन्होंने कहा कि इस पर दो हजार करोड़ रुपया खर्च होगा। इसलिए हम इस को फिलहाल बनाने की बात पर सहमत नहीं हैं ..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस में पूछने को क्या है ?

एक माननीय सदस्य : पूरे दिल्ली को अण्डर ग्राउन्ड ले जाइए।

[अनुवाद]

श्री डी० एन० रेड्डी: क्या सरकार का इरादा मिनि रेलवे का राष्ट्रीयकरण करने का है।

अध्यक्ष महोदय : इसका प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है।

[हिन्दी]

श्री प्रताप भानु शर्मा : अध्यक्ष महोदय, पिछले कई वर्षों से दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में सुधार की चर्चा हो रही है। और आवश्यकता भी महसूस हो रही है। अभी माननीय मन्त्री जी ने बताया कि अण्डर ग्राउन्ड रेलवे का जहां तक प्रश्न है वह काफी महंगा होने के कारण वह उससे सहमत नहीं हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि डी० टी० सी०, डेल्ही ट्रासपोर्ट कारपोरेशन, करप्शन और पौल्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स बना हुआ है। यदि उसको ठीक करना है और परिवहन की आवश्यकता को पूरा करना है, उसको सुधारना है तो यहां दिल्ली में एलैक्ट्रिक ट्राली बसें चलाने के बारे में कोई विचार है ? क्या सातवीं पंच वर्षीय योजना में यहां एलैक्ट्रिक ट्राली बसेज चलाने की योजना है ?

श्री बंशी लाल : फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे घोषित करना

***71. श्री टी० बशीर** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल के लोग काफी समय से त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मांग कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) जी, हां, चूंकि मौजूदा चार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय यातायात की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा गया था, इसलिए सरकार ने अब तक त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे सहित किसी भी अन्य हवाई अड्डे को जन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित करने की आवश्यकता नहीं समझी। इसलिए, इस समय त्रिवेन्द्रमम को अन्तर्राष्ट्रीत हवाई अड्डे के रूप मे घोषित करने का प्रस्ताव नहीं है।

तथापि, सरकार ने अभी हाल में बम्बई हवाई अड्डे पर भीड़-भाड़ को कम करने की दृष्टि से अन्य बातों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों के विकास के लिए अन्य हवाई अड्डों का पता लगाने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की है।

श्री टी० बशीर : मन्त्री महोदय का उत्तर अत्यन्त निराशाजनक है। वास्तव में केरल के लोगों की यह मांग चिरकाल से चली जा रही है। त्रिवेन्द्रम एअर पोर्ट से लगभग 18 अन्तराष्ट्रीय उड़ानें प्रति सप्ताह होती हैं। अत: मैं समझता हूं कि त्रिवेन्द्रम एयपोर्ट को अन्तराष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित करने के लिए ठोस मामला बनता है।

फिर महोदय, लगभग दो तीन महीने पहले हमारे प्रधान मन्त्री त्रिवेन्द्रम गये थे तथा वहां पर इस एअरपोर्ट के लिए बने हुए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया था। उस समय उन्होंने कहा था कि तिवेंद्रम एयरपोर्ट को अन्तर्राष्ट्रीय एयर पोर्ट घोषित करने का प्रस्ताव है। तथा उचित समय पर निर्णय लिया जायेगा। अत: यह माननीय मन्त्री जी का उत्तर उसके विरुद्ध है। वह कहते हैं कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह बहुत ही निराशाजनक है। अत: मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं क्या वे इस स्थिति पर पुनर्विचार करेंगे तथा यह आश्वासन देंगे कि त्रिवेन्द्रम् को भी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया जायेगा।

श्री जगदीश टाइटलर : मेरे विचार से माननीय सदस्य चाहते हैं कि त्रिवेन्द्रम हवाई-अड्डे का अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। परन्तु ऐसा किया जा रहा है तथा यह पक्की बात है। प्रश्न सिर्फ कि त्रिवेन्द्रम को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डा घोषित करने का है। हम किसी भी हवाई-अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डा घोषित नही करते हमारे यहां सिर्फ अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं। 1971 अधिनियम के अन्तर्गत जब भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी सिर्फ चार अड्डों को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया। परन्तु देश के किसी भी हवाई-अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं के लिए उपयोग में लाया जा सकता है और उनमें त्रिवेन्द्रम शामिल है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बशीर जी दो बाते हैं। एक तो कानूनन सरकार होती है और

एक वास्तविक सरकार। आपके यहां वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इससे ज्यादा कुछ नहीं।

श्री टी० बसीर : मैं नहीं समझ सका कि इसे कानूनन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डा क्यों नहीं बताया जा सकता। वास्तव में, उत्तर में माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि सरकार ने हाल ही में एक उच्च स्तरी समिति नियुक्त की है जिसका कार्य होगा अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं के विकास के लिए अन्य हवाई अड्डों का पता लगाना जिससे बम्बई हवाई-अड्डे पर भारी यातायात को कम किया जा सके। मैं कहना चाहूंगा.....

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिये। आप जानकारी मत दीजिये। आपको तो जानकारी लेनी है।

श्री टी० बसीर : सिर्फ यही आधार नहीं होना चाहिये। मेरी जानकारी के अनुसार कुछ वर्ष पहले भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने सिफारिश की थी कि कतिपय हवाई अड्डों को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे घोषित किया जाना चाहिए तथा त्रिवेन्द्रम भी उनमें से एक है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे देश में हवाई-अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डा घोषित करने के लिए क्या मापदण्ड हैं।

श्री जगदीश टाइटलर : मापदण्ड में यातायात भी एक बात है। मैं आपको बताऊंगा कि सर्वेक्षण में पांच हवाई-अड्डों का पता लगाया गया है तथा त्रिवेन्द्रम भी उनमें से एक है। हैदराबाद अहमदाबाद, बंगलौर तथा नागपुर क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर हैं। उनका उद्देश्य बम्बई में यातायात को कम करना है। मैं कहना चाहता हूं कि इसे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डा घोषित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप शायद चाहते हैं कि लोगों को यहां से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें उपलब्ध हो सकें। वो तो हम अभी भी चला रहे हैं।

श्री तरुण कान्ति घोष खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : आपको केरल के बारे में क्या कहना है।

श्री तरुण कांति घोष : मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि बम्बई को अत्यधिक भीड़ भाड़ वाला हवाई-अड्डा माना गया है तथा घोषित अन्तर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डों में मैं मसझता हूं कि कलकत्ता हवाई-अड्डे को काम में ही नहीं लिया जा रहा है। सच तो यह है कि कुछ दिन पहले ही ब्रिटिश एयरवेज के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रधान मन्त्री जी को एक पत्र लिखा है.....

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का जवाब कई दफे सभा में दिया जा चुका है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि 5 एयरपोर्ट्स को वे अपग्रेड

करने वाले हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि हर एयरपोर्ट को अपग्रेड करने में कितना खर्चा होगा और कब आप यह काम शुरु करने वाले हैं और नागपुर को इसमें कब तक लिया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो चलता रहता है ।

[अनुवाद]

मेरे विचार से और कुछ पूछने की गुंजाइस नहीं है ।

श्री बलवन्तसिंह रामूवालिया खड़े हुए ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिये ये नये सदस्य क्या पूछना चाहते हैं ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : त्रिवेन्द्रम के बारे में और अधिक अनुपूरक प्रश्न होने चाहिए ।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि बम्बई में भीड़-भाड़ को कम करने के लिए पड़ौसी हवाई अड्डों को अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए इस्तेमाल करने की स्वीकृत दी जा रही है । अमृतसर से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों को बन्द कर देने के क्या कारण हैं ? पहले यहां से अन्तराष्ट्रीय विमान सेवाएं हुआ करती थीं ।

श्री जगदीश टाइटलर : इसके एक या दो कारण हैं । इसका कारण स्पष्ट है कि हमने अन्तर्राष्ट्रीय उड़ाने क्यों बन्द कीं परन्तु में समझता हूं कि हम इस पर बाद में विचार करेंगे ।

इन्दिरा गांधी एयर पोर्ट टर्मिनल कम्पलैक्स में आयातित सामान प्रभाग

*72. **श्री वी० तुलसी राम†**
श्री जगन्नाथ पटनायक } : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली हवाई अड्डे पर इन्दिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल काम्पलैक्स में हवाई अड्डे के एक आवश्यक भाग आयातित सामान प्रभाग का निर्माण भूल जाने के सम्बन्ध में 27 अक्तूबर, 1985 के हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुए समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस प्रयोजन के लिए राशि भी मंजूर की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां ।

(ख) नए टर्मिनल भवन में आयात निर्यात किये जाने वाले दोनों प्रकार के माल के लिए

8·00 करोड़ रुपए के अनुमोदित परिव्यय से एक परिसर का पहले ही निर्माण किया जा रहा है। तथापि, अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्रधिकरण के प्रबन्धकों ने लगभग 80·00 लाख रुपए की लागत से इस परिसर में भारी माल का शेड जोड़ने का निर्णय किया है जिसका खर्च परियोजना के कुल परिव्यय में से ही पूरा किया जाएगा।

(ग) सरकार का विचार है कि भारी माल के शेड के निर्माण की योजना को कार्यान्वित करना आवश्यक है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : तुलसीराम जी अगर कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए।

श्री बी० तुलसीराम : मंत्री महोदय ने जो बताया है वह ठीक तरीके से नहीं बताया है। मेरा जो प्रश्न था उसका सही उत्तर नहीं दिया है। मैं चाहता हूं कि उसका सही उत्तर दिया जाए।

श्री जगदीश टाइटलर : आपने सवाल उठाया कि क्या आपने पढ़ा। हमने कहा कि हमने पढ़ा।

अध्यक्ष महोदय : कहते हैं कि ठीक उत्तर है।

(व्यवधान)

श्री बी० तुलसीराम : यह क्वेश्चन आपके पास भी है। आप देख सकते हैं कि वह ठीक से उत्तर नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह कह रहे हैं कि बन रहा है।

(व्यवधान)

श्री बी० तुलसीराम : बन रहा है तो अब फिर क्या कहें।

अध्यक्ष महोदय : बनते-बनते बनेगा।

(व्यवधान)

श्री बी० तुलसीराम : जैसे बंसी लाल जी फटा-यट जवाब देते हैं वैसे ही उनके पीछे बैठकर इन्हें भी वही हवा लग गई है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जवाब मतलब का होना चाहिए।

श्री बी० तुलसीराम : नए-नए आए हैं और वैसी ही हवा इनको लग गई है।

अध्यक्ष महोदय : एक ही डिपार्टमेंट है। इनको हवा नहीं लगेगी तो दूसरों को कैसे लगेगी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

एयर इंडिया में जनरल सेल्स एजेन्टों की नियुक्ति

*73. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कि क्या अनेक सेल्स एजेन्ट की तुलना में एयर इंडिया द्वारा प्रत्येक देश के लिए एक जनरल सेल्स एजेन्ट (जी. एस. ए.) नियुक्त करने की वर्तमान पद्धति संतोषजनक रूप में कार्य कर रही है, कोई तुलानात्मक अध्ययन किया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) क्या इस पद्धति के कारण एयर इंडिया को वित्तीय हानि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं अथवा करने का विचार है?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार सामान्य बिक्री एजेन्ट (जी. एस. ए.) और अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संस्था (आई ए. टी. ए.) के एजेन्ट दोनों ही किसी देश विशेष में कार्य करते हैं। अत: इस प्रकार का अध्ययन करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) इस बात का कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह पता चले कि एयर इंडिया को उपर्युक्त प्रक्रिया के अधीन वित्तीय हानि हुई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री वाई० एस० महाजन : जब "जनरल सेल्स एजेन्ट" का पद बनाया गया था तो उनके कार्यालय को रियायत प्रदान करना बहुत ही सुविधाजनक था परन्तु चूंकि ये रियायत नियमित प्रक्रिया बन गई है क्या आप समझते हैं कि उनकी नियुक्ति आवश्यक है।

श्री जगदीश टाइटलर : कहीं-कहीं पर तो इसकी आवश्यकता है जबकि अन्य स्थानों पर हम स्थिति की पुनरीक्षा कर रहे हैं।

श्री वाई० एस० महाजन : बहुत से एजेन्ट हैं तथा उनमें से कुछ परिसमापन की स्थिति में चले जाते हैं क्या इससे एयर इन्डिया को नुकसान नहीं होता है?

श्री जगदीश टाइटलर : अगर यह बात सरकार के ध्यान में लाई जाती है तो हम निश्चित रूप में इस पर कार्यवाही करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 75-श्री थम्पन थामस । वह उपस्थित नहीं हैं । श्री सी. माधव रेड्डी ।

एक माननीय सदस्य : महोदय, वे पीछे बैठे हुये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी आप अपने स्थान पर वापस आ जाइये । आपके नाम से प्रश्न है ।

प्रो० मधु दण्डवते : ऐसा नियम है कि प्रश्न सदस्य द्वारा अपने ही स्थान से पूछा जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप समझते हैं कि आप बच जाते ?

मानसिक रोग चिकित्सालयों का प्रबन्ध

*75. **श्री सी. माधव रेड्डी**
श्री थम्पन थामस } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के प्रबन्धाधीन अनेक मानसिक रोग चिकित्सालय हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय चिकित्सालयों तथा राज्य सरकारों के प्रबन्धाधीन चिकित्सालयों के रख-रखाव तथा उनमें मानसिक रोगों से पीड़ित रोगियों के कल्याण और देखभाल के बारे में स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोई निर्देश जारी किए गए है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या खराब प्रबन्ध व्यवस्था के कारण मानसिक रोगों के अनेक रोगियों की गंभीर स्थिति को दृष्टि में रखते हुए सरकार का विचार इन हालात की जांच करने और उपचारात्मक उपायों के बारे में सुझाव देने के लिए एक आयोग नियुक्त करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

मानसिक स्वास्थ्य से सम्बन्धित परामर्शी और उपचार सुविधाएं मानसिक अस्पतालों/

संस्थाओं तथा अधिकांश राज्यों के जनरल अस्पतालों में उपलब्ध हैं। मानसिक रोगियों के उपचार की सुविधाओं वाले अस्पतालों की सूची संलग्न परिशिष्ट में दी गई है। भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 में अस्पतालों में मानसिक रोगियों की देखभाल, उनके कल्याण तथा परिचर्या के बारे में विस्तृत दिशानिर्देश दिए हुए हैं। केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची तथा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान सस्थान बंगलौर ऐसी संस्थाएं हैं, जिनका प्रशासन केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिदार कल्याण मन्त्रालय के हाथ में है। जहां तक प्राइवेट और राज्यों के अन्य सरकारी मानसिक अस्पतालों का सवाल है, उनका नियंत्रण सम्बन्धित राज्य सरकारें भारतीय पागलपन, अधिनियम, 1912 में की गई व्यवस्था को ध्यान में रखकर करती हैं।

परिशष्ट

मानसिक रोगियों के लिये विशेषज्ञ उपचार सुविधाओं वाले अस्पतालों/संस्थाओं की सूची—

1. राजकीय मानसिक परिचर्या अस्पताल, प्राल्टेयर, विशाखापतनम 530003 आन्ध्र प्रदेश।
2. राजकीय मानसिक परिचर्या अस्पताल, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश।
3. मानसिक अस्पताल, तेजपुर, दारंग-784001, असम।
4. रांची मानसिक आरोग्यशाला, कांके, रांची-834006, बिहार।
5. केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची-834001, बिहार।
6. डेविस तन्त्रिका—मनश्चिकित्सा संस्थान, (किशोर नर्सिग् होम) बुरोया रोड, एम. कांके, रांची-83007, बिहार।
7. मानसिक अस्पताल, दिल्ली गेट के बाहर, शाही बाग रोड, अहमदाबाद-38004, गुजरात।
8. मानसिक अस्पताल, करेली बाग, बड़ौदा, गुजरात।
9. मानसिक अस्पताल, जाम नगर, गुजरात।
10. मानसिक अस्पताल, गुज, कच्छ-370001, गुजरात।
11. कस्तूरबा मानसिक रोग अस्पताल, मरौली, ताल, नवासारी जिला—वलसाद, गुजरात।
12. मानसिक रोग संस्था, काला बाड़, राजकोट, गुजरात।
13. राजकीय मनश्चिकित्सा अस्पताल, जम्मू, जम्मू व कश्मीर।

14. राजकीय मनश्चिकित्सा अस्पताल, रैना बारी, खट्टी दरवाजा श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर।

15. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर-560029, कर्नाटक।

16. मानसिक अस्पताल, धारवाड़, 58000!, कर्नाटक।

17. राजकीय मानसिक रोग अस्पताल, त्रिवेन्द्रम-695005! केरल।

18. राजकीय मानसिक रोग अस्पताल त्रिचुल-68004 केरल।

19. राजकीय मानसिक रोग अस्पताल कालीकट कोजी कोड-673016, केरल।

20. मानसिक रोग अस्पताल, इन्दौर 450023, मध्य प्रदेश।

21. मानसिक रोग अस्पताल, ग्वालियर-474003, मध्य प्रदेश।

22. केन्द्रीय मानसिक रोग अस्पताल, यरवदा पुणे-411006, महाराष्ट्र।

23. एन. एम. मानसिक रोग अस्पताल, थाना-400601, महाराष्ट्र।

24. मानसिक रोग अस्पताल, छिन्दवाडा रोगु, नागपुर-449013।

25. मानसिक रोग अस्पताल, रत्नागिरी-415612, महाराष्ट्र।

26. कृपामयी मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, निराज, डा० बल्लेश्वरी, जिला संगरी, महाराष्ट्र।

27. मानसिक रोग अस्पताल, जे० एल० कालोनी कोहिमा-7001, नागालैंड।

28. मानसिक रोग संस्थान, एस० सी० एच० मेडिकल कालेज अस्पताल, कटक-753071, उड़ीसा।

29. पंजाब मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल अमृतसर-143001, पंजाब।

30. मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल (मनश्चिकित्सा केन्द्र) जनता कालोनी, जयपुर-302004 राजस्थान।

31. मानसिक रोग अस्पताल (मनश्चिकित्सा केन्द्र), शास्त्री नगर, जोधपुर-342001, राजस्थान।

32. मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, किलपोक, मद्रास-600010।

33. मानसिक रोग अस्पताल, आगरा-282002, उत्तर प्रदेश।

34. मानसिक रोग अस्पताल, बरेली-243001, उत्तर प्रदेश।

35. मानसिक रोग अस्पताल, वाराणसी-221002 उत्तर प्रदेश।

36. नूरमंजिल मनश्चिकित्सा केन्द्र, लाल बाग, लखनऊ-226001, उत्तर प्रदेश।

37. मानसिक स्वास्थ्य आब्जेंवेशन वार्ड, 7 डी० एल० खान रोड, भवानीपुर, कलकत्ता-700027, पश्चिमी बंगाल।

38 लम्बनी पार्क, मानसिक रोग अस्पताल, 115 जितेन्द्रा सरकार बोस रोड, कलकत्ता-700039, पश्चिमी बंगाल।

39. मानसिक रोग अस्पताल, 18 गोबरा रोड, कलकत्ता-700046 (पश्चिम बंगाल)

40. दत्ता नगर मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र, (भूतपूर्व बंगिया उन्माद आश्रम), दत्ता नगर कलकत्ता-700077, पश्चिमी बंगाल।

41. मानसिक रोग अस्पताल, मन कुन्डू, हुगली-72103, पश्चिमी बंगाल।

42. सरकार पोल मानसिक रोग अस्पताल, डाक घर महेश तांला, 25 परगना, पश्चिमी बंगाल।

43. लाल गोला, स्पेशल जेल डाक घर, लाल गोला मुर्शिदाबाद, पश्चिमी बंगाल।

44. मानसिक रोग अस्पताल, डाक घर बहरामपुर मुर्शिदाबाद, पश्चिमी बंगाल।

45. मानसिक रोग अस्पताल, जी० टी० रोड, शाहदरा, दिल्ली-110032।

46. मानसिक रोग अस्पताल, मनश्चिकित्सा एवं मानव व्यवहार संस्थान, आलवहो, पणजी-403001, गोआ दमन व द्वीप।

अध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी, कोई प्रश्न मत करिये ?

श्री सी० माधव रेड्डी : नहीं, मैं उत्तर से सन्तुष्ट हूं।

डा० वी० वेंकटेश : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में अधिकतर मानसिक रोग चिकित्सालय विभिन्न स्थानों पर पुराने कारागृहों में बने हुए हैं तथा उनकी हालत बहुत ही खराब है। अतः मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं क्या वे इन मानसिक रोग संस्थानों को प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए हाथ में लेने जा रहे हैं। अन्यथा, इन संथानो के रख-रखाव के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय कठिनाई होगी स्वास्थ्य मंत्रालय से यह मेरा सीधा प्रश्न है।

श्रीमती मोहसिना किदवई : इन सभी मानसिक रोग संस्थानों को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस समय केवल दो संस्थाएं केन्द्रीय सरकार के अधीन हैं।

बच्चों और गर्भवती महिलाओं में कुपोषण

*76. डा० टी० कल्पना देवी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में बच्चों और गर्भवती महिलाओं में कुपोषण व्यापक रूप से विद्यमान है;

(ख) क्या इस समस्या से निपटाने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित स्वास्थ्य निरीक्षक आदि नियुक्त करने का सरकार का कोई कार्यक्रम है;

(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में, अलग-अलग कुपोषण की गम्भीरता का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो किए गए अध्ययन का क्या परिणाम रहा; और

(ङ) देश में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग राज्यवार कितने प्रशिक्षित स्वास्थ्य निरीक्षक काम कर रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) लोगों को पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से संबंधित सभी परिधीय स्तरों के कार्यकर्ताओं जैसे आंगनवाड़ी कार्यताओं, ए० एन० एम० और लेडी हैल्थ विजिटरों को प्रशिक्षित किया जाता है।

(क) और (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कुपोषण किस हद तक है इसका आकलन करने के लिए 10 विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय पोषण मॉनीटरिंग ब्यूरो स्थापित किए हैं। इनके परिणामों को हर वर्ष ब्यूरों की वार्षिक रिपोर्टों के रूप में प्रकाशित किया जाता है।

नवीनतम रिपोर्टों (1982) के कुछ महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार हैं :

(i) स्कूल जाने की पूर्व आयु के लगभग 35 प्रतिशत बच्चे साधारण कुपोषण से तथा लगभग 6·1 प्रतिशत बच्चे तीव्र कुपोषण से पीड़ित थे।

(ii) आमतौर पर लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के शारीरिक भार का स्तर बेहतर था।

(iii) पोषण की कमी के जो आम चिह्न पाए गये वे थे प्रोटीन शक्ति कुपोषण (पी० ई० एन०) और विटामिन ए और बी काम्पलेक्स की कमी ।

(ङ) देश में कार्य कर रहे प्रशिक्षित लेडी हैल्थ विजिटरों का ब्यौरा इस प्रकार है :

राज्य का नाम	ग्रामीण क्षेत्रों में	शहरी क्षेत्रों में
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	1562	74
2. असम	210	30
3. बिहार	1577	42
4. गुजरात	928	45
5. हरियाणा	338	20
6. हिमाचल प्रदेश	337	12
7. जम्बू और कश्मीर	67	16
8. कर्नाटक	1000	44
9. केरल	515	30
10. मध्य प्रदेश	1215	93
11. महाराष्ट्र	4779	525
12. मणिपुर	42	2
13. मेघालय	46	2
14. नागालैंड	21	—
15. उड़ीसा	730	22
16. पंजाब	651	27
17. राजस्थान	486	64
18. सिक्किम	8	—
19. तमिलनाडु	1797	47

1	2	3
20. त्रिपुरा	35	2
21. उत्तर प्रदेश	3072	203
22. पश्चिम बंगाल	715	153
23. अंदमान व निकोबार द्वीप समूह	4	3
24. अरुणाचल प्रदेश	—	—
25. चण्डीगढ़	2	3
26. दादर नगर हवेली	5	—
27. दिल्ली (एम०सी० डी०)	28	—
28. गोवा, दमन व दीव	16	—
29. लक्ष द्वीप	—	—
30. मिजोरम	63	4
31. पांडिचेरी	14	2
योग	20263	1465

डा० टी कल्पना देवी : देश में व्याप्त कुपोषण के बारे में ग्रामीण लोगो में, विशेष रूप से बच्चों में, जाग्रति उत्पन्न करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं एव किन-किन प्रसार माध्यमों का इस्तेमाल किया गया है ? इस कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ? साधारण कुपोषण को, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल-पूर्व आयु के 35 प्रतिशत बच्चे और तीव्र कुपोषण को, जिससे 6.1 प्रतिशत बच्चे प्रभावित हैं, नियन्त्रित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ? बच्चों में विशेष रूप में ग्रामीण क्षेत्रों के, बच्चों में व्याप्त दो प्रकार के कुपोषण से आप किस प्रकार निपट रहे हैं।

श्रीमती मोहसिना किदवई : बहुत सी बातें हमने शैक्षणिक संस्थाओं तथा स्कूलों में विभिन्न पाठ्यक्रम स्तरों पर आई० सी० डी० एस० कार्यक्रमों तथा स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा शुरू की हैं। बहुत सी बातें हैं जो हमने प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा स्तरों पर शुरू कर सम्मिलित की हैं। आई० सी० डी० एस० द्वारा अर्थात समेकित शिशु विकास केन्द्रों द्वारा हमने बच्चों को पोष्टिक अहार देने तथा प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों द्वारा माताओं को शिक्षित करने के कार्यक्रम

आरम्भ किए हैं। इन सभी कार्यक्रमों द्वारा हम महिलाओं को विशेष रूप से शिक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं।

रेल टिकटों की कालाबाजारी

*78. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह†
श्री कमला प्रसाद रावत } : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 अक्तूबर, 1985 के इंडियन एक्सप्रेस में "रेल टिकट्स ब्लैक मार्कीटिक गैलोर" शीर्षक से प्रकाशित हुए समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवह मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां।

(ख) यह सच है कि कुछ अनधिकृत ट्रेवल एजेंट यात्रियों से सेवा-प्रभार वसूल करके उनकी ओर से रेल टिकट और आरक्षण प्राप्त करने का व्यापार कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने रेलों द्वारा रेल यात्री-सेवा एजेंटों को प्राधिकृत करने की एक योजना शुरू करने का निदेश दिया है. अपेक्षित योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है और उसे रेलों को भेज दिया गया है। रेलों को ऐसे उपयुक्त ट्रैवल एजेंटों का चयन करने का निदेश दिया गया है जिन्हें यह कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जा सके।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम

*62. श्री चित्त महाता : क्या स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्षय रोग, हैजा, टायफायड और पोलियों जैसे संक्रामक रोगों से बचाव की सही जानकारी देने लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम में बहुत कम प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में कितनी प्रगति हुई है; और यदि नहीं, तो इसके कारण हैं और सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस सम्बन्ध में सरकार का विचार और क्या कदम उठाने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) राज्यों में स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धित राज्य स्वास्थ्य विभागों द्वारा चलाया जाता है। केन्द्रीय सरकार प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करती है और केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, नई दिल्ली के माध्यम से एक तकनीकी संसाधन के रूप में काम करती है। सभी राज्यों में स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन का स्तर और गुणवत्ता एक-समान नहीं है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का विचार सातवीं पंच-वर्षीय योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो में प्रशिक्षण कार्यों को तेज करके स्वास्थ्य शिक्षा सेवाओं का और भी विकास और संवर्धन करने का है। विभिन्न संक्रामक रोगों जैसे क्षयरोग, पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस और खसरा से बचाव के लिए सही जानकारी देने हेतु सर्वव्यापी रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। स्वास्थ्य शिक्षा सर्वव्यापी रोग प्रतिरक्षक कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है।

प्रत्येक जिले में माडल स्कूल

*64. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के पढ़ाई में प्रतिभावान छात्रों को शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने के लिए देश के प्रत्येक जिले माडल नेशनल स्कूल खोलने का कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, और इस प्रयोजन के लिए किन-किन जिलों का चयन किया गया है; और

(ग) ये स्कूल संभवत: किस तारीख तक खोल दिए जाएंगे ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) भारत सरकार का प्रत्येक जिले में निम्नलिखित मुख्य विशेषताओं के साथ आदर्श विद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है :

(1) कोटि,

(2) सामाजिक न्याय, अभिभावकों की भुगतान करने की क्षमता पर ध्यान दिए बिना शिक्षा उपलब्ध होगी,

(3) योग्यता-आधारित,

(4) राष्ट्रीय नीति के अनुरूप उपयोगिता तथा सामाजिक उद्देश्य,

(5) अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करना, और

(6) राष्ट्रीय एकता का विकास करना ।

(ग) सातवीं योजनावधि के दौरान विद्यालयों को प्रावस्थाबद्ध रूप से खोले जाएंगे । प्रावस्था को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा ।

[हिन्दी]

जल संसाधनों को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित करने का प्रस्ताव

*66. **श्री हरीश रावत** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल संसाधनों पर राज्यों के अधिकारों को सीमित करके उन्हें राष्ट्रीय सम्पति घोषित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो अन्तर्राज्यीय जल विवादों को निपटाने के लिए सरकार की क्या नीति है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं ।

(ख) अन्तर्राज्यीय जल विवादों को बातचीत की प्रक्रिया के जरिए हल किया जाता है जिसके विफल होने पर अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अधिनिर्णय का तरीका अपनाया जाता है ।

[अनुवाद]

परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देना

*77. **श्री बी० बी० रमैय्या** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1985 के प्रथम सप्ताह में दिल्ली में आयोजित केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद और केन्द्रीय परिवार कल्याण परिषद के संयुक्त सम्मेलन में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्नि सुझावों पर विचार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो किन सुझावों पर विचार किया गया था; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद और केन्द्रीय परिवार कल्याण परिषद का 11 वां संयुक्त सम्मेलन 2 से 5 सितम्बर, 1985 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था ।

परिवार कल्याण कार्यक्रम के बारे में परिषदों ने जो सिफारिशें की थीं वे संलग्न विवरण में दी गई हैं।

परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए मुख्य नीति सम्बन्धी दिशा-निर्देश केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार किए जाते हैं जबकि कार्यक्रम का कार्यान्वयन मूल रूप से राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। कार्यक्रम सम्बन्धी नीतियों की सतत् समीक्षा की जा रही है और उन्हें नया रूप दिया जाता है और ऐसा करते समय परिषदों द्वारा की गयी सिफारिशों को विधिवत् ध्यान में रखा जाता है।

विवरण

2, 3, 4 और 5 सितम्बर, 1985 को हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद और केन्द्रीय परिवार कल्याण परिषद के ग्यारहवें संयुक्त सम्मेलन की सिफारिशें परिवार कल्याण कार्यक्रम और जच्चा बच्चा स्वास्थ्य तथा शिशु रोगप्रतिरक्षण

2 से 5 सितम्बर, 1985 तक नयी दिल्ली में हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद और केन्द्रीय परिवार कल्याण परिषद के ग्याहवें संयुक्त सम्मेलन में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम में हुई उपलब्धियों की समीक्षा की गई और 7 वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में किये जाने वाले कार्यों तथा नीतियों का जायजा लिया गया। परिषद ने प्रस्ताव पारित किया कि शताब्दी के अंत तक कुल प्रजनन दर एक पर लाने के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। दूसरे शब्दों में हमारी दर घटकर प्रति हजार 12 तक तथा शिशु मृत्यु दर घटकर प्रति हजार 60 तक अवश्य आ जानी चाहिए।

परिषदों ने इस बात को नोट किया कि इस वर्ष कार्यक्रम की बहुत अच्छी शुरूआत हुई है और इसके फलस्वरूप कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य में बहुत अच्छा सुधार हुआ है। सरकार द्वारा हाल ही मे इस सम्बन्ध में उठाये गये नए कदमों का स्वागत किया गया। इन कदमों से इस कार्यक्रम में और गति आई है। परिषदों ने प्रधानमन्त्री द्वारा दिखाई गयी गहरी रुचि का स्वागत किया और विश्वास व्यक्त किया कि वांछित राजनीतिक इच्छा और समर्थन, स्वैच्छिक प्रत्यनों में और तेजी लाने, उपयुक्त रूप से सुदृढ़ और विस्तारित सामग्री और सेवाओं तथा गर्भ निरोधकों की मांग बढ़ाने और कार्यक्रम में लगे सब लोगों की सुदृढ़ इच्छा से सातवीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। विस्तृत विचार विमर्श के बाद निम्नलिखित सिफारिशें की गयीं :

सिफारिशें

1. राजनीतिक प्रतिबद्धता

1.1 परिषदों ने प्रधान मन्त्री जी द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम को दी गई उच्च प्राथमिकता पर संतोष व्यक्त किया। परिषदें उनकी इस बात से सहमत थीं कि जन्म दरों में शीघ्र कमी लाई जाए। चूंकि कार्यक्रम का कार्यान्वयन मूल रूप से राज्यों द्वारा किया जाना है इसलिए

परिषदें सिफारिश करती हैं कि प्रत्येक राज्य को तत्काल एक ऐसा तन्त्र स्थापित करना चाहिए जिसके तहत मुख्यमन्त्री द्वारा कार्यक्रम की गतिविधियों की पूरी समीक्षा हर माह की जाए जिससे सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में निकट संपर्क और समन्वय हो सके और अधिकतम परिणाम प्राप्त किये जा सकें।

1.2. उच्च स्तर पर इस बारे में राजनीतिक प्रतिबद्धता और इसमें सभी स्तरों पर जन प्रतिनिधियों को शामिल किये जाने के काम को जारी रखा जाना चाहिए जिससे कि परिवार नियोजन एक जन आन्दोलन का रूप ले सके। स्थानीय निकायों और पंचायत राज संस्थाओं सहित सभी स्तरों पर चुने गये प्रतिनिधियों द्वारा कार्यक्रम को सतत आधार पर निरन्तर समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए। कार्यक्रम में जन सहयोग प्राप्त करने के लिए यह बहुत जरूरी है।

2. समुदायिक सहयोग

परिषद सिफारिश करती है कि।

2.1. सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि इस समय परिवार नियोजन को बढ़ावा देने में लगे जाने-माने गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग को कैसे और बढ़ाया जाए। इन संगठनों को कुछेक निर्धारित क्षेत्रों में कार्यक्रम को लागू करने का दायित्व संभालने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इस सम्बन्ध में राज्यों को कदम उठाने चाहिए और स्वैच्छिक प्रयत्नों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए तथा ऐसे संगठनों को पूरा-पूरा सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए। गैर सरकारी संगठनों से अनुरोध किया जाना चाहिए कि वे उन क्षेत्रों में परियोजनाएं शुरू करें जिन्हें कठिन समझा जाता है।

2.2. सम्मेलन, सेमीनार और समय-समय पर बैठकें करके विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों में समन्वय करने और उन्हें प्रेरित करने के लिए समुचित तन्त्र तैयार किया जाना चाहिए।

2.3. सरकार को स्वैच्छिक संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। इन संगठनों को अपने कार्यकर्त्ताओं और परिवार कल्याण-दाई, ग्राम स्वास्थ्य गाइड और ए० एन० एम० आदि के कर्मचारियों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहायता और प्रोत्सहान देना चाहिए।

2.4. ऐसे कुछ चुने हुए संगठनों, को जिनका स्वैच्छिक कार्य अच्छा रहा हो मौजूदा संगठनों में परिवार कल्याण कार्य की परियोजनाएं तैयार करने, मूल्यांकन करने और मानीटरिंग करने में परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

2.5. अधिकांश स्वैच्छिक संगठन मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। उनके लिए यह आवश्यक है कि वे इस काम को करें तथा ग्रामीण क्षेत्रों पर भी अधिक ध्यान दें क्योंकि 75 प्रतिशत लोग गांव में ही रहते हैं। इस संबन्ध में स्थानीय स्वतः मदद और क्रियाशील ग्रुपों अर्थात् महिला मन्डल, महिला सहकारिताओं, नेहरू युवक केन्द्र

फामर्ज फोर्मों, एन० एस० एस० स्थानीय निकायों, जिनमें पंचायत राज संस्थान और अन्य स्थानीय ग्रुप भी शामिल हैं, को प्रोत्साहित किया जाए तथा लोगों में अच्छे ढंग से जागरूकता पैदा करने, दो बच्चों के परिवार के आकार को अपनाने और गर्भ-रोधक के तरीकों को बढ़ावा देने में मदद करनी चाहिए।

3. प्रबन्ध और संगठनात्मक पहलू

3.1. परिषद ने यह नोट किया कि हाल ही के वर्षों में आधारभूत ढांचे की सुविधाओं, दोनों भौतिक और जनशक्ति में काफी वृद्धि हुई है। इन सुविधाओं का और विस्तार करने की जरूरत है जिससे कि ये सुविधाएं लोगों को दूर-दूर तक पहुंचाई जा सकें। मौजूदा आधारभूत ढांचे के क़ामकाज और कुशलता में सुधार करने की काफी जरूरत है ताकि इसके अनुकूल परिणाम प्राप्त किए जा सकें। इस प्रयोजन के लिए परिषदों ने यह महसूस किया कि राज्य, क्षेत्रीय और जिला स्तरों पर प्रबन्ध, मूल्यांकन और मानीटरिंग घटकों को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक है। इस संबंध में परिषदों ने राज्यों को अपने-अपने राज्य में जिला स्तर पर प्रबन्ध ढांचा तैयार करने के प्रस्ताव का स्वागत किया किन्तु शर्त यह है कि खर्च निर्धारित सीमा के अन्तर्गत हो।

3.2. सतत रि-ओरियेटेशन और नियमित सेवा कालीन प्रशिक्षण इस काम काज में सुधार करने का प्रमुख पहलू है। इस पहलू पर पहले भी उचित ध्यान नहीं दिया गया। अतः परिषदों ने यह सिफारिश की एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाए तथा यह कार्यक्रम इस बात को ध्यान में रख कर शुरू किया जाना चाहिए जिससे कि विभिन्न स्तरों के कार्मिकों के व्यावसायिक, प्रबन्धकीय, आई० ई० सी० तथा अन्य कार्य-कौशल में वृद्धि हो सके। इसके साथ-साथ मौजूदा पूर्व सेवा पाठ्यक्रमों को भी उपयुक्त ढंग से संशोधित किया जाना चाहिए जिससे कि चिकित्सा परा चिकित्सा और अन्य कार्मिक अपना-अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद कार्यक्रम की जरूतों के अनुसार कुशलता से अपनी ड्यूटी को पूरा कर सकें। इस प्रयोजन के लिए परिषदों ने विशेष रूप से सिफारिश की कि प्रशिक्षण संगठनों/संस्थानों को सभी स्तरों पर संसाधन के आबंटन में प्राथमिकता मिलनी चाहिए ताकि कुशल कार्यकर्त्ताओं के माध्यम से अच्छी सेवाएं प्रदान की जा सकें।

4. मांग बढ़ाना (सूचना, शिक्षा और संचार)

गत वर्षों के दौरान राष्ट्रीय प्रयासों से परिवार के आकार को सीमित करने के लिए लोगों में काफी जागरूकता पैदा हुई है तथा परिवार नियोजन के बारे में उनमें जागरूकता है। अब जिस बात को करने की जरूरत है वह है जागरूकता से तरीके विशिष्ट की जानकारी तथा परिवार के आकार को सीमिति करने के लिए गर्भरोधन को अपनाना। वस्तुतः 18-25 आयु वर्ग के बीच के दम्पतियों की ओर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। प्रचलित प्रचार पद्धित इसका अच्छा उत्तर नहीं हो सकता। परिषदों ने यह महसूस किया कि प्रचार कार्यकलापों को व्यावसायिक बनाया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए परिषदों ने निम्नलिखित सिफारिश कीं :

4.1. सम्पूर्ण हाइअराकि आफ एक्टेंशन और प्रचार कार्मिकों की फिर से जांच पड़ताल करके

उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे अपने काम में कुशल हो सकें और वे सौंपी गयी ड्यूटी को ठीक ढंग से पूरा कर सकें। उपयुक्त प्रशिक्षण कार्य-नीतियों के माध्यम से सतत आधार पर सभी कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाना है।

4.2. प्रचार और विस्तार कार्यकलापों के लिए प्रदान किये गये उपकरण और वाहनों को ठीक ढंग से रखा जाना चाहिए तथा इनका अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। विविध प्रयोजन निधि को पहले सप्लाई किये गये उपकरणों की मरम्मत के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए तथा नये उपकरणों के रख रखाव के लिए उचित प्रबन्ध किये जाने चाहिए।

4.3. ग्राम स्वास्थ्य गाइडों, सहायक नर्स मिडवाइफों, बहु-उद्देश्यीय कार्यकर्ताओं और खण्ड विस्तार शिक्षकों सहित निम्नतम स्तर के कार्यकर्ताओं के पास कार्यात्मक और आर्थिक संचार सामग्री होनी चाहिए जिसे उन्हें लक्ष्य-श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करने में मदद मिल सके।

4.4. क्षेत्रों की जरूरतों, सामुदायिक सामाजिक-सांस्कृतिक और श्रोताओं की आर्थिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए विभिन्न लक्ष्य ग्रुपों के संदेशों को ध्यान पूर्वक तैयार किया जाना चाहिए। क्षेत्र विशेष तथा लोगों की विशेष मांग को बढ़ाने का अभियान स्थानीय जरूरतों को ठीक ढंग से समझकर चलाया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो विशेषज्ञ व्यायसायिकों की मदद लेनी चाहिए ताकि क्षेत्र विशेष और लोगों के लिए विशेष आई० ई० सी० सामग्री तैयार की जा सके।

4.5 दूरदर्शन का विस्तार करके, फिल्म, इलैक्ट्रोनिक प्रचार साधनों और आकाशवाणी का पूरा-पूरा इस्तेमाल करके समाज के सभी वर्गों को परिवार नियोजन का संदेश और जानकारी के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किये जाने चाहिए। अत्यधिक व्यावसायिक मूल तत्व को इनके इस्तेमाल में शामिल किया जाना चाहिए।

4.6. रेडियो और दूरदर्शन को चाहिए कि वह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सिफारिशों पर परिवार नियोजन के सन्देश के प्रचार के लिए अलग से पर्याप्त समय निर्धारित करें। परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए अच्छे धारावाहिक और अन्य दिलचस्प कार्यक्रम शीघ्र शुरू किये जाएं।

4.7. समाचार पत्रों से अनुरोध किया जाए कि वे अपने-अपने विज्ञापन के कालमों में कम से कम एक प्रतिशत स्थान परिवार नियोजन के संदेशों के लिए आरक्षित रखें।

4.8. मौजूदा प्रचार संगठन का उपयुक्त रूप से पुनर्गठन किया जाना चाहिए ताकि दो बच्चों के परिवार की आवश्यकता तथा परिवार नियोजन के तरीकों को बढ़ावा देने के लिए विस्तार, शिक्षा और संचार कार्यक्रम चलाए जा सकें। इस प्रयोजन के लिए राज्य से लेकर ब्लाक स्तर तक के सारे प्रचार तन्त्र को संघटित किया जाए और कर्मचारियों का उपयुक्त स्टेटस और

उनकी उन्नति के अच्छे अवसर सुनिश्चित किये जाएं ताकि छोटे परिवार सिद्धान्त तथा परिवार नियोजन के तरीकों की मांग बढ़ाने में यह संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।

4.9. छोटे परिवार के सिद्धान्त के संदेश का प्रचार करने वाली फीचर फिल्में मनोरंजन कर से मुक्त होनी चाहिए। राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाना चाहिए कि वे इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें।

5. सेवाएं और सामग्री

परिषद् ने इस बात पर बल दिया कि लोगों में परिवार नियोजन के बारे में मांग बढ़ाने के प्रयत्नों के साथ-साथ अपेक्षित सेवाओं और सामग्री की समुचित व्यवस्था की जाए जिससे कि वे लोगों को आसानी से सुलभ हो सकें। वास्तव में अच्छी किस्म की सेवाएं अपने आप में मांग को बढ़ाने में सहायक होती हैं तथा दूसरों को परिवार नियोजन के लिए राजी करने में एक संतुष्ट स्वीकारकर्त्ता हमारा अच्छा सहायक होता है। अतः यह आवश्यक है कि भौतिक आधारभूत ढांचे में उपयुक्त वृद्धि की जाए तथा इसका दर्जा बढ़ाया जाए ताकि इसकी गुणदत्ता में सुधार लाया जा सके और दूर-दराज के क्षेत्रों में रह रहे लोगों को सेवाएं उपलब्ध की जा सकें। परिषद ने नोट किया कि आधारभूत ढांचे के विस्तार की विभिन्न योजनाएं, जैसे तालुक स्तर पर प्रसवोत्तर केन्द्र खोलना, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र स्थापित करना, प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर पर आई० यू० डी० कक्षों को आपरेशन थियेटरों में बदलना आदि, भारत सरकार द्वारा मंजूर की गयी हैं। लेकिन उनके कार्यान्वयन की प्रगति काफी धीमी है। इसलिए यह परिषद सिफारिश करती है कि :

5.1. उन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जहां आपरेशन थियेटर मौजूद हैं, पुरुष नसबन्दी मिनी-लैप, आई० यू० डी०, चिकित्सा द्वारा गर्भ समापन जैसी सेवाएं एक वर्ष की अवधि के अन्दर अन्दर उपलब्ध कराई जाएं जिसके लिए या तो प्रशिक्षत कर्मचारी तैनात किए जाएं या मौजूदा स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाए।

5.2 ग्रामीण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केन्द्रों के भवनों, आई यू० डी० कक्षों को आपरेशन थियेटरों में बदलने तथा प्रसवोत्तर केन्द्रों का निर्माण जिनका कि निर्माण कार्य चल रहा है, मंजूरी आदेश मिलने से दो वर्ष की अवधि के अन्दर अन्दर राज्य सरकारों द्वारा पूरा कर लिया जाना चाहिए अन्यथा ऐसी योजनाओं को पूरा करने की लागत राज्यों को वहन करनी होगी।

5.3 मौजूदा कुछेक संस्थाओं, प्रसवोत्तर केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, आदि में काम इतना बढ़ गया है कि वे उसे सम्भालने की स्थिति में नहीं हैं। उनके द्वारा किया जा रहा काम निर्धारित लक्ष्यों से बहुत अधिक है। इसलिए यह परिषद पुरजोर सिफारिश करती है कि जो संस्थाएं नसबन्दी पलंग बढ़ाना चाहती हों वहां यह पलंग बढ़ाए जाएं तथा उन प्रसवोत्तर केन्द्रों का दर्जा बढ़ाया जाए जहां कार्य-भार अधिक हो।

5.4 परिषद् इस बात की भी पुरजोर सिफारिश करती है कि अच्छी-किस्म की सेवाएं और उचित अनुवर्ती देख-रेख बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं तथा इन पर लगातार ध्यान तथा देख-रेख रखने की आवश्यकता है। राज्यों को चाहिए कि वे इन पहलुओं पर विशेष ध्यान दें।

5.5 यह सुविदित है कि दीर्घकालीन जनांकिकीय लक्ष्य तभी प्राप्त किये जा सकते हैं यदि युवा वर्ग के बहुत सारे दम्पति बच्चों के जन्म में उचित अन्तराल रखने के तरीके अपनाएं। जन्म में अन्तराल रखने सम्बन्धी कार्य-नीति पर विचार विमर्श किया गया तथा निम्नलिखित विशेष सिफारिशें की गयीं :

(i) जहां लगभग 90 प्रतिशत दम्पति नसबन्दी के बारे में जानकारी रखते हैं, वहां जन्म में अन्तराल रखने के तरीकों की उन्हें बहुत कम जानकारी है। इसलिए पहले कदम के रूप में बच्चों के जन्म में अन्तराल रखने के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देना जरूरी है। इसप्रयोजन के लिए परिवार कल्याण कार्यकर्ताओं को विषय परिचायक जानकारी देने की आवश्यकता है।

(ii) युवा वर्ग आदि को शिक्षित करने के उद्देश्य से जनसंख्या शिक्षा प्रचार का एक व्यापक कार्यक्रम चलाया जाए।

(iii) गोलियों के प्रयोग को चढ़ावा देने के लिए सहायक नर्स मिडवाइफों को प्रशिक्षित करने हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाए और चालू वर्ष में इस कार्य में कम से कम 50 प्रतिशत सहायक नर्स मिडवाइफों को शामिल किया जाना चाहिए।

(iv) कंडोमों का समुदाय के लोगों में वितरण करने से इस जन्म में अन्तराल रखने की विधि को लोकप्रिय बनाने में काफी मदद मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर दुकानों, सहकारी महिला मंडलों और ग्राम पंचायतों के जरिए प्रचलित गर्भ निरोधकों का वितरण करने के लिए राज्य नए आटलेट खोलें।

(v) जन्म में अन्तराल रखने के तरीकों को बढ़ावा देने के लिए एक दीर्घकालिक नीति तैयार करने हेतु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक लघु समिति का गठन किया जाए।

(vi) जानी-मानी विपणन कम्पनियों के जरिए निरोध के विपणन और विज्ञापन कार्य का स्वागत किया गया और आशा की गयी कि ये कम्पनियां निरोध की बिक्री में कम से कम 50 प्रतिशत की वृद्धि करेंगी।

(vii) परिवार नियोजन और बच्चा-बच्चा स्वास्थ्य कार्यक्रम को "क्लिनिक आधारित" होने के बजाए अधिक समुदाय आधरित कार्यक्रम बनाने के लिए एक भरसक प्रयास की आवयकता है।

5·6 परिषदों ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान नसबंदी कार्यक्रम की समग्र उपलब्धियों में पुरुष नसबंधी में कमी आई है। पुरुष नसबन्दी साधारण, आसान और कारगर गर्भनिरोधक तरीका है। इसे देश के सभी भागों में जोरदार ढंग से बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिससे यह फिर से लोगों द्वारा अपनाया जाने वाला लोकप्रिय गर्भ निरोधक तरीका हो सके। इस तरीके को अपनाने के लिए लोगों में जो आशंकाएं और डर है उसे दूर करने के लिए गहन शिक्षा यौर संचार अभियान चलाया जाना चाहिए।

5·7 स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा और प्रशिक्षण तथा गर्भ-निरोधक प्रक्रियाओं और चिकित्सा द्वारा गर्भ समापन में निपुणता अनिवार्य विषय होना चाहिए।

6 प्रोत्साहन और हतोत्साहन

6·1 कार्यक्रम को बढ़ावा देने में उपयुक्त प्रोत्साहनों की भूमिका को परिषदें महत्व देती हैं। इस संदर्भ में यह सिफारिश की गयी कि संसाधनों की समग्र उपलब्धता को देखते हुए दो बच्चों के बाद नसबंदी कराने लालों को सतत आर्थिक लाभ देने और एक निश्चित अवधि के बाद परिपक्व होने पर भुनाए जा सकने वाले बांडों की योजनाएं यथावश्यक संशोधनों के बाद अपनाई, जानी चाहिएं।

6.2 सरकारी कर्मचारियों अथवा अन्यों के लिए जो भी प्रोत्सहान उपलब्ध हैं, जिनमें प्रसूति लाभ, शिक्षा के लिए छात्रवृतियां शामिल हैं, ये प्रोत्सहान केवल दो बच्चों के साथ जोड़े जाने चाहिएं क्योंकि वर्तमान स्थितियों के अनुसार छोटे परिवार के आकार का अर्थ होना चाहिए-केवल दो अथवा कम बच्चे।

6·3 हाल ही में लागू की गयी स्कीम आफ ग्रेडिड इन्सेंटिव्स को जिसके अन्तर्गत तीन अथवा उससे कम बच्चों वाले नसबन्दी करवाने वाले स्वीकारकर्ताओं को अतिरिक्त 20 रुपये की धन-राशि दी जाती है, कार्यान्वित करना कठिन समझा गया। परिषदें सिफारिश करती हैं कि राज्यों को प्रत्येक नसबंदी के लिए 20 रुपये की धनराशि के आधार पर धन उपलब्ध कराया जाए जिसका कुछ भाग सभी वर्गों के स्वीकारकर्ताओं को और कुछ भाग इस कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए दिया जाए। इसमें पूरी-पूरी छूट दी जाए।

6.4 इसी प्रकार जिस क्लाज के अन्तर्गत दो या कम बच्चों वाले स्वीकारकर्ताओं को राज्यों की प्रकीर्ण प्रयोजन निधि के अन्तर्गत लूप लगवाने वाली प्रत्येक महिला को तीन रुपये की राशि देना निश्चत किया गया, उसे सम्बन्धित अनुदेशों में हटाने की जरूरत है।

7. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य

परिषदों ने चालू योजना के दौरान "सभी को टीका लगाने" सम्बन्धी व्यवस्था का स्वागत किया और इस बात को सिफारिश की कि इन परियोजना को भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की स्मृति में एक चिरन्तन स्मारक के रूप में माना जाए।

श्रीमती इन्दिरा गांधी बच्चों के प्रति अगाध प्रेम रखती थीं।

7.1 माताओं और बच्चों को स्वास्थ्य देख-रेख की अच्छी सेवाएं प्रदान करने और बच्चे जीवित रहें, इस लिए प्रसव-पूर्व, प्रसव के दौरान और प्रसवोत्तर के मामलों में अधिक चौकसी बरती जानी चाहिए। जिन प्रसूतियों को खतरा हो उन्हे उच्छे अस्पतालों में रेफर कर दिया जाए। कार्यकर्त्ता इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं उनके लिए उपयुक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का जो आयोजन किया जाए ताकि उन्हें अधिक कौशल और जानकारी मिल सके।

7.2 संगठनात्मक ढांचे का पुनर्गठन किया जाए ताकि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यकलापों की ठीक प्रकार से देख-रेख की जा सके। राज्य का वरिष्ठ अधिकारी जो राज्य परिवार नियोजन अधिकारी के निकट सम्पर्क में कार्य कर रहा है, वह राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशक की सम्पूर्ण देखभाल का कार्य करे।

7.3 मेडिकल कालेजों के छात्रों को टीका कार्यक्रम में शामिल किया जाए और उन्हें अध्यापक संकाय के मार्गदर्शन में लोगों को ये सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। इससे न केवल मौजूदा संसाधनों का ही अच्छा उपयोग हो पाएगा परन्तु इससे छात्रों में समाज सेवा करने का भाव भी उत्पन्न होगा और उन्हें टीका लगाने का आवश्यक कौशल भी प्राप्त होगा।

7.4 सातवीं योजना में सभी व्यक्तियों को जो टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है उसे दो आलटरनेटिव एप्रोचेज्स से प्राप्त किया जा सकता है। चालू वर्ष में सर्वभौम टीका लगाने के लिए 30 जिलों को चुना गया है। एक एप्रोच यह हो सकती है कि इन 30 जिलों में सभी व्यक्तियों को टीका लगाने का कार्य जारी रखा जाए और बाकी देश में प्रतिवर्ष टीका कार्य में धीरे-धीरे सुधार किया जाए। दूसरी एप्रोच यह है कि प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त जिलों को शामिल किया जाए ताकि सातवीं योजना के अन्त तक सभी जिलों को कवर किया जा सके। इन परिषदों ने बाद वाली एप्रोच के बारे में सिफारिश की है क्योंकि इससे टीका लगाने वाले व्यक्तियों की जानकारी भी बढ़ेगी और यह कार्य अधिक व्यवहारिक भी हो जाएगा क्योंकि विशेष प्रशिक्षण और अपेक्षित उपकरणों को चरणबद्ध रूप से महैया किया जा सकेगा।

ये परिषदें सिफारिश करती हैं कि इस प्रयोजन के लिए मंजूर किया गया स्टाफ शीघ्र ही तैनात किया जाए, चुने हुए जिलों में शीघ्र ही कोल्ड चैन की स्थापना की जाए और इस कार्य की मानीटरिंग करने के लिए समय पर रिटर्न भेजने के कार्य पर बल दिया जाए।

7.5 परिषदों ने नोट किया कि अतिसार रोग बच्चों, विशेषकर पांच वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए बड़ा ही घातक है और उन्हें बहुत कमजोर कर देता है। पुनर्जलीकरण की प्रक्रिया बड़ी सरल, सस्ती और आसानी से सुलभ है और घरों में अतिसार रोगों को रोकने के लिए बड़ी गुणकारी विधि है। परिषदों ने सिफारिश की कि विशेष रूप से ओरल रीहाईड्रेशन थेरोपी को बढ़ावा देकर बच्चे का जीवन बढ़ाने का एक व्यापक कार्यक्रम सातवीं योजना के दौरान शुरू किया

जाना चाहिए ताकि बच्चों की मौतों को 40 से 50 प्रतिशत तक कम किया जा सके। इसके लिए बड़े पैमाने पर प्रेरणादायक कार्यों की एक तीव्र प्रशिक्षण कार्यक्रम की तथा पर्याप्त मात्रा में ओ० आर० एस० पैकटों की आवश्यकता है ताकि ओ० आर० टी० के जरिए अतिसार रोग का पता लगाने तथा उसका उपचार करने का ज्ञान तथा अनुभव 2-3 वर्षों के भीतर-भीतर हर घर में पहुंचा दिया जाए।

यह भी सिफारिश की गयी कि परिवार नियोजन और प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सफलता से चलाने के लिए सहायक नर्सधात्रियों को इसी काम पर लगाया जाए और घर-घर जाकर वे छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज करें। यह कार्यवाही काफी होनी चाहिए यदि पुरुष बहुधन्धी कार्यकर्त्ता शेष काम को संभाल लें।

8. महिला और युवा विकास कार्यक्रम

8.1. सामाजिक आर्थिक विकास के एकीकृत कार्यक्रम के एक अंग के रूप में परिवार कल्याण कार्यक्रम को चलाने की जरूरत है। अन्य बातों के साथ-साथ महिलाओं की सुधरी हुई दशा, उच्च शिक्षा दर, महिलाओं का नाम स्कूलों में दर्ज कराने, महिलाओं को बड़े पैमाने हर आर्थिक योजनाओं में शामिल करने तथा प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य योजनाओं पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। क्षेत्रीय स्तर पर विकास के विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं का समन्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

8.2 परिषद ने जोर डाला कि छोटे परिवार के आदर्श को बढ़ावा देने की दृष्टि से लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल करने और उनकी रुचि में अपेक्षित परिवर्तन लाने की दृष्टि से प्रचार और परस्पर संपर्क दोनों के जरिए शिक्षा कार्यक्रमों की तरफ विशेष ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है।

8.3. परिवार नियोजन को लोग जीवन का एक अंश मानें इसके लिए युवाओं, महिलाओं और अन्य व्यक्तियों को जनसंख्या शिक्षा देना काफी लाभदायी होगा। जनसंख्या शिक्षा पाठ्यक्रम जिसे औपचारिक शिक्षा पद्धिति में शामिल कर लिया गया है, को व्यापक बनाया जाना चाहिए और उसमें बेहतर पारिवारिक जीवन, यौन शिक्षा आदि को शामिल करके लोगों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए तथा उसे भिन्न-भिन्न लोगों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। अनौपचारिक तथा निरन्तर शिक्षा कार्यक्रम में जनशिक्षा के ऐसे विषयों को शामिल किया जा सकता है।

8.4 जन्म और मृत्यु को दर्ज कराने की सिविल रजिस्ट्रेशन विधि को तत्काल सरल बनाने की आवश्यकता है ताकि सरकार को महत्वपूर्ण विषयों पर विश्वसनीय आंकड़े नियमित रूप से और समय पर मिल सकें जिससे की इस कार्यक्रम के प्रभावों का तत्काल मूल्यांकन किया जा सके, उस समय पर उपचारी उपाय किये जा सकें।

8.5 जनन क्षमता के निर्धारण के लिए विवाह की औसत आयु महत्वपूर्ण है। एक विस्तृत

सुविचारित जन शिक्षण प्रेरणादायक और सामाजिक अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया जा सके और विवाह की औसत आयु को बढ़ाया जा सके। यह परिषद सिफारिश करती है कि पिछली जनगणना के अनुसार जिन राज्यों में से विवाह की औसत आयु 18 वर्ष से कम सूचित की गयी है, उनमें महिलाओं के विवाह की आयु पढ़ाने के लिए विस्तृत नीति तैयार करने के वास्ते एक टास्कफोर्स गठित किया जाना चाहिए।

8.6. डैमोग्राफरों का मत था कि एक शुद्ध प्रजनम दर के लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है, यदि हम 60 प्रतिशत दम्पति सुरक्षा दर प्राप्त कर लेते हैं। अब तक के हमारे अनुभव के आधार पर हमें पता चला कि यद्यपि दम्पति सुरक्षा दर में बढ़ोतरी रही है, तथापि जन्म दर में अभी तक गिरावट आनी प्रारम्भ नहीं हुई है। अनुभव के आधार पर इस बुनियादी अनुमान को सत्यापित करने की आवश्यकता है कि 60 प्रतिशत दम्पति सुरक्षा दर से एक की शुद्ध प्रजजन दर प्राप्त हो जाएगी।

8.7 इस कार्यक्रम की प्रगति में निरन्तर फीड बैक प्राप्त करने तथा कार्यक्रम के दौरान उसमें सुधार करने की आवश्यकता और किस्म को देखते हुए मैक्रो और माइक्रो किसम के अनुसंधान अध्ययन करने की बात को भी ये परिषदें स्वीकार करती हैं।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालयों के कार्यकरण में सुधार के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना

*79. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों के कार्यकरण में सुधार करने तथा परीक्षा सम्बन्धी अनियमितताओं को दूर करने के लिए कोई नई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का उक्त योजना को कब तक लागू करने का विचार है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली बी ए/ बी एस सी/बी काम डिग्रीयों के लिए शिक्षा के न्यूनतम स्तर निर्धारित करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अन्तर्गत विनियम बनाए हैं। इन विनियमों में यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक शैक्षणिक वर्ष में वास्तविक अध्यापन दिवसों की संख्या 180 से कम नहीं होनी चाहिए, विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं आयोजन से सम्बन्धित

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी की गई मार्गदर्शी रूपरेखाओं को अपनाना चाहिए, जो अध्यापक आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं पूरी नहीं करते उन्हें अध्यापन पदों पर नियुक्त नहीं किया जाए और अध्यापकों का कार्यभार आयोग द्वारा जारी की गई मार्गदर्शी रूप रेखाओं के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिये ।

(ग) इन विनियमों को 1 जून, 1986 से लागू करने का प्रस्ताव ।

[अनुवाद]

चिकित्सा शिक्षा को नया रूप देने की योजना का प्रगति का मूल्यांकन

*80. श्री भोला नाथ सेन
श्री मोहन भाई पटेल } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चिकित्सकों तथा युवा चिकित्सकों की ग्रामीण स्वास्थ्य देख-भाल में अधिक संख्या में भागीदारी में सुधार करने हेतु 1977 में आरम्भ की गई चिकित्सा शिक्षा को नया रूप देने की योजना की प्रगति का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणाम/निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) केन्द्र द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को दी जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी हां ।

(ख) मूल्यांकन के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार थे :

(i) कुल मिलाकर अधिकांश संस्थानों ने इन योजनाओं की क्रियान्विति ठीक ढंग से कर दी थी,

(ii) संस्थाओं ने इस कार्यक्रम के प्रथम चरण को अभी पूर्ण रूप से समेकित नहीं किया था और उन्हें अतिरिक्त वित्तीय सहायता की जरूरत थी ।

(iii) कर्मचारियों और छात्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक ले जाने और लाने के लिए प्रत्येक मेडिकल कालेज को एक वाहन की व्यवस्था करने की जरूरत थी ।

(iv) मोबाइल क्लीनिकों के लिए स्थायी गैरेज की सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

(ग) ब्रिटिश सहायता कार्यक्रम के अधीन उपलब्ध प्रति क्लीनिक 8.50 लाख रुपयों की

लागत के तीन मोबाइल क्लिनिकों के अलावा चिकित्सा शिक्षा को समयानुकूल बनाने की योजना के अंतर्गत प्रत्येक मेडिकल कालेज निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्राप्त करने का पात्र है :

(क) अनावर्ती	रुपये लाखों में
1. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में छात्रों के लिए डोरमेटरी टाइप रेजिडेंशियल क्वार्टर 2. सेमीनार एम, लेक्चरर-कम-कन्सलटेशन रूम 3. सर्जिकल उपकरण 4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का परिवर्तन व परिवर्धन 5. फर्नीचर, पुस्तकें आदि 6. गैरेजों का निर्माण 7. मिनी बस की खरीद	14.75 लाख रुपये

(ख) आवर्ती	
1. फैकल्टी का परिवर्तन 2. स्टेनो टाइपिस्ट 3. प्रत्येक मोबाइल क्लीनिक के लिए ड्राइवर-मैकेनिक 4. अतिरिक्त औषधियां	1.29 लाख रुपये

[अनुवाद]

रेलवे सेवा भर्ती बोर्ड

616. **श्री एन० डेनिस** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सेवा भर्ती बोर्डों के कतिपय मामलों में चेयरमैन के कार्य तदर्थ आधार पर स्थानीय प्रबन्धों द्वारा किए जाते हैं न कि नियमित रूप से नियुक्त व्यक्ति द्वारा किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बोर्डों के नाम क्या हैं और कौन-कौन सी तारीख से तदर्थ आधार पर प्रबन्ध किये जा रहे हैं और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या लम्बी अवधि से किये जा रहे प्रबन्ध से बोर्डों के कार्यकरण पर बुरा प्रभाव पड़ा है, और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां, ।

(ख) रेल भर्ती बोर्ड का नाम	तदर्थ व्यवस्था की तारीख
1. अजमेर	8-9-83
2. अहमदाबाद	19-3-84

3. इलाहाबाद	16-8-82
4. बेंगलूर	16-3-82
5. बम्बई	9-1-81
6. कलकत्ता	5-2-82
7. चन्डीगढ़	9-9-83
8. गुवाहाटी	9-2-84
9. मद्रास	8-4-85
10. मुजफ्फरनगर	16-5-81
11. सिकन्दराबाद	5-8-83
12. गोरखपुर	19-7-84
13. मालदा	17-7-84
14. रांची	29-8-84

चूंकि संघ लोक सेवा आयोग को भेजी जाने वाली सूचि में शामिल करने के लिए पर्याप्त संख्या में उपयुक्त व्यक्तियों का अभी चयन नहीं किया गया है, इसलिए उनके विचारार्थ सिफारिशें नहीं भेजी जा सकी हैं। तथापि, इसको जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के लिए प्रत्येक प्रयास किये जा रहे हैं।

(ग) और (घ) इस तदर्थ व्यवस्था से बोर्डों के कार्यों पर कोई बुरा प्रभावी नहीं पड़ा है, क्योंकि विभिन्न विभागों के कर्तव्यनिष्ठ और कुशल रेल अधिकारियों की रेल भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जाती है। वस्तुतः उन्होंने रेल भर्ती बोर्डों के कार्यों को सुधारने में सहयोग दिया है और रेलों की आवश्यकताओं को शीघ्रता से पूरा किया जा रहा है।

इक्कीसवीं शताब्दी के लिए व्यवहारिक परिवहन नीति

617. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजीकृत और गैरपंजीकृत तथा मोटर युक्त और बिना मोटर के वाहनों की राज्य-वार अनुमानित संख्या क्या है और उन पर कुल अनुमानित निवेश कितना है तथा प्रत्येक श्रेणी के वाहनों द्वारा कितना माल ढोया जाता है और यात्री लाए ले जाए जाते हैं;

(ख) रेलों द्वारा प्रति वर्ष कितना माल ढोया जाता है और कितने यात्रियों को लाया ले जाया जाता है तथा उस पर अनुमानित निवेश क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने विश्वव्यापी कमी की आशंका तथा ऊर्जा संकट को ध्यान में रखते हुए इक्कीसवीं शताब्दी के लिए एक व्यवहारिक परिवहन नीति तैयार करने के उद्देश्य से वर्तमान स्थिति का अध्ययन किया है?

जल-भूतल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) 31-3-1983 तक राज्यवार पंजीकृत मोटर वाहनों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। गैर मोटर चालित वाहन जैसे हाथ से चलाए जाने वाले साइकिल रिक्सा, साइकिल इत्यादि नगर पालिका के स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। उनके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अनुमान है कि सड़क क्षेत्र के व्यावसायिक वाहनों द्वारा 1984-85 में 210 बिलियन पी के एम एस माल ढोया गया और 587 बिलियन पी के एम एस यात्रियों को लाया ले जाया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के यात्री लाने-ले जाने वाले सड़क परिवहन उपक्रमों में अनुमानित कुल निवेश 2500 करोड़ रुपये का है। लगभग संपूर्ण माल परिवहन निजी क्षेत्र में है और वाहनों के प्रकार, उनकी आयु इत्यादि के बारे में विस्तृत सूचना के अभाव में उनके निवेश का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(ख) (i) रेलों द्वारा ढोया गया कुल अनुमानित माल (ओरिजनेटिंग आधार पर राजस्व कमाने वाला माल यातायात) — 236 मिलियन टन

(ii) कुल अनुचालित यात्रियों की संख्या (ओरिजिनेटिंग) — 3331 मिलियन

(iii) अनुमानित निवेश :

महानगरीय परिवहन परियोजनाओं सम्बन्धी निवेश को छोड़कर रेलों पर निवेश अर्थात् वर्ष 1984-85 के अन्त तक कैपिटल ऐट चार्ज, 82085.66 करोड़ रुपये है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के महत्वपूर्ण नीति सम्बन्धी लक्ष्यों में चरणबद्ध ढंग से पुरानी परिसम्पत्तियों को हटाना, नई प्रौद्योगिकी के आधार पर परिवहन अवस्थापना का आधुनिकीकरण, प्रभावी रख-रखाव और मौजूदा क्षमता का अधिकतम उपयोग, ऊर्जा विशेष रूप से डीजल का यथा-सम्भव अधिकतम सीमा तक परिरक्षण और प्रौद्योगिकीय उन्नति एवं प्रभावी प्रबन्ध के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि करना शामिल है।

विवरण

31-3-1983 तक भारत में पंजीकृत कुल मोटर वाहन

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश (अनुमानित)	393755
2.	असम (अनुमानित)	80812
3.	बिहार (अनुमानित)	214591
4.	गुजरात	514748
5.	हरियाणा	156211
6.	हिमाचल प्रदेश (अनुमानित)	37785
7.	जम्मू एवं कश्मीर	44774
8.	कर्नाटक	504252
9.	केरल (अनुमानित)	223093
10.	मध्य प्रदेश	395727
11.	महाराष्ट्र	1085118
12.	मणिपुर (अनुमानित)	10551
13.	मेघालय (31-3-1981 तक)	285
14.	नागालैंड	2934
15.	उडीसा	78134
16.	पंजाब	439277
17.	राजस्थान	265627
18.	सिक्किम (31-3-1982 तक)	1274
19.	तमिलनाडु	408592
20.	त्रिपुरा	9346

1	2
21. उत्तर प्रदेश	597388
22. पश्चिमी बंगाल	419239
23. अन्डमान एवं निकोबार द्विप समूह	2843
24. अरूणाचल प्रदेश (अनुमानित)	502
25. चंडीगढ (टैक्सियों को छोड़कर)	78126
26. दादरा एवं नागर हवेली (31-3-1979 तक)	510
27. दिल्ली	668022
28. गोवा दमन और दीव	45407
29. मिजोरम	3989
30. पांडिचेरी (अनुमानित)	35627
कुल (अनंतिम)	6718539

शोरानुर-मंगलौर सेक्सन को दोहरा करना

618. **श्री मुल्लापल्लि रामचन्द्रन** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शोरानुर-मंगलौर के बीच रेलवे लाइन को निकट भविष्य में दोहरा करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) क्या हसन-मंगलौर रेलवे लाइन आर्थिक रूप से लाभदायक है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां, ।

(ख) लाइन वित्तीय रूप से अर्थक्षम नहीं है।

कलकत्ता में एक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का अस्पताल

619. **श्री सतन कुमार मंडल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का एक अस्पताल खोलने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) कलकत्ता और उसके इर्द-गिर्द रहने वाले 8 लाख केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की लम्बे अर्से से चली आ रही इस मांग को पूरा करने में केन्द्रीय सरकार के समक्ष क्या कठिनाइयां हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अस्पताल के मूल प्रस्ताव अन्ततोगत्वा बदलकर पूर्वी भारत के लिए एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कर दिया गया है, और

(घ) यदि हां तो इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन में क्या प्रगति हुई है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) कलकत्ता में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का 100 पलंगों वाला एक नया अस्पताल तथा दिल्ली, बम्बई मद्रास में भी इसी तरह के अस्पताल खोलने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक अस्थायी प्रस्ताव किया गया था । परन्तु संसाधनों की अनुपलब्धता को देखते हुए इन सभी चारों मुख्य शहरों में अस्पताल खोलने का प्रस्ताव छोड़ दिया गया है ।

(ग) और (घ) उपर (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

खड़गपुर (दक्षिण-पूर्व रेलवे) में नई डीजल शैड परियोजना

620. **श्री नारायण चौबे** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़गपुर में भूतपूर्व रेल मंत्री द्वारा नए डीजल शैड की आधारशिला रखी गई थी, यदि हां, तो किस तारीख को रखी गई थी;

(ख) उक्त परियोजना को पूरा करने की पहली निर्धारित तारीख क्या थी, और परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है;

(ग) उस पर अब तक कितना काम हुआ और कुल कितना काम किया जाना बाकी है;

(घ) क्या यह सच है कि इस समय वास्तव में परियोजना का समूचा कार्य रुका पड़ा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, सरकार से उक्त कार्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं, और

(च) इस कार्य के लिए वर्ष 1985-86 बजट में वास्तव में कितनी धनराशि स्वीकृत की गई ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां, । नीमपुरा (खड़गपुरा) में नए डीजल शैड के निर्माण के लिए 28-10-1982 को शिलान्यास किया गया था ।

(ख) इस निर्माण कार्य को पूरा करने की अनुमानित लक्ष्य तिथि 31-12-1985 निर्धारित की गई थी । इस कार्य की प्रत्याशित लागत 4.93 करोड़ रुपये है।

(ग) इस कार्य की अद्यतन वास्तविक प्रगति लगभग 40% हुई और शेष कार्य प्रगति पर है ।

(घ) से (च) जी नहीं । योजना के अनुसार कार्य की प्रगति हो रही है वर्ष 1985-86 के दौरान इस कार्य के लिए 65.00 लाख रुपये आबंटित किये गये हैं । आगामी बजट में रेलवे की समग्र निधियों की स्थिति के भीतर इस कार्य के लिए पर्याप्त धनराशि के आबंटन पर विचार किया जायेगा

[हिन्दी]

रतलाम-बांसवाड़ा रेल सम्पर्क

621. **श्री. प्रभु लाल रावत** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रतलाम-बांसवाड़ा रेल सम्पर्क का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने भी कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां।

(ग) वर्तमान संसाधनों की तंगी के कारण इस प्रस्ताव पर विचार करना संभव नहीं है ।

गासीखुर्द सिंचाई परियोजना का नाम बदलना

622. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र की गासीखुर्द सिंचाई परियोजना का नाम बदलकर स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखे जाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार के विचार भी मांगे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) चूंकि राज्य सरकार ने गासी-खुर्द परियोजना पर केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के उत्तर नहीं भेजे हैं अतः इस परियोजना को केन्द्रीय जल आयोग तथा योजना आयोग ने स्वीकृति नहीं दी है। परियोजना को वन-संरक्षण तथा पर्यावणिक दृष्टि से भी स्वीकृति नहीं दी गई है। इसलिए इस स्तर पर यथावांछित परियोजना को नाम देने का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बसुल्लिया (सुताहटे) और शहीद मातंगिनी (मानिकतला) रेलवे स्टेशनों (दक्षिणी-पूर्व रेलवे) की खोलना

623. **श्री तत्वगोपाल मिश्र** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिणी-पूर्वी रेलवे के पंसकुरा-हल्दिया खंड में बसुल्लिया (सुताहटे) और शहीद मातांगिनी (माकतला) रेलवे स्टेशनों को खोलने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) विलम्ब होने के क्या कारण हैं?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) सुताहटे क्रासिंग स्टेशन का नाम "बसुल्या-सुताहटे" के रूप में बदलने के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार का अनुमोदन हाल ही में प्राप्त हुआ है। दक्षिणी पूर्व रेलवे स्टेशन के प्रस्तावित नाम का अनुमोदन करने तथा इसके कूट संकेताक्षर देने के लिए भारतीय रेल सम्मेलन को लिखा है। तत्पश्चात् इस स्टेशन को यात्री यातायात के लिए खोल दिया जाएगा।

जहां तक रघुनाथबाड़ी और तामलुक स्टेशनों के बीच शहीद मातंगिनी(मानिकतला) यात्री हाल्ट को खोले जाने का संबंध है, दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा जब इस प्रस्ताव की पुनः जांच की गयी थी तब वर्तमान लागत के अनुसार यह स्टेशन अर्थक्षम नहीं पाया गया था। मामले की आगे और समीक्षा की जा रही है।

दिल्ली विश्वविद्यालय की एम० टेक० उपाधि की मान्यता

624. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा माइक्रोवेव इलैक्ट्रानिकी में प्रदान की जाने वाली एम० टेक० उपाधि केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत उच्च पदों तथा सेवाओं में भर्ती हेतु सरकार द्वारा मान्य है;

(ख) यदि नहीं तो इसका क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त उपाधि की मान्यता कब तक प्रदान की जाएगी?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) संसद अथवा

राज्य विधान मण्डलों के अधिनियमों के अन्तर्गत स्थापित विश्वविद्यालय और संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई डिग्रियों और डिप्लोमाओं के लिए रोजगार के प्रयोजन हेतु सरकार द्वारा कोई और मान्यता दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई माइक्रोवेव इलाक्ट्रानिकी में एम० टेक० डिग्री के लिए रोजगार के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा कोई और मान्यता की आवश्यकता नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

बम्बई-सांगली रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

625. **श्री प्रकाश बी० पाटिल :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि सरकार ने बम्बई-सांगली रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की योजना को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो यह मंजूरी कब दी गई;

(ग) तब से अब तक इसमें क्या प्रगति हुई है और इस समय कार्य किस स्थिति में है; और

(घ) इस रेल लाइन के लिए सातवीं योजना में कितना आबंटन किया गया है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (घ) बम्बई और सांगली के बीच बड़ी लाइन पहले से ही मौजूद है। सांगली के रास्ते पुणे से मिरज तक मीटर लाइन के आमान परिवर्तन का काम बहुत वर्ष पहले पूरा हो गया था।

पाटिलीपुत्र मेडिकल कालेज और अस्पताल, धनबाद की मान्यता समाप्त करना

626. **श्री साइमन तिग्गा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चिकित्सा परिषद ने पाटिलीपुत्र मेडिकल कालेज और हस्पताल, धनबाद की मान्यता दूसरी बार समाप्त की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की इस मेडिकल कालेज और हस्पताल को भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को सौंपने की योजना की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा पाटलीपुत्र मेडिकल कालेज, धनबाद को 30-4-1982 तक रांची विश्वविद्यालय की एम० बी० बी० एस० की डिग्रियां प्रदान करने के लिए अनन्तिम रूप से मंजूरी दी गयी थी और उक्त तारीख से पहले उस कालेज में दाखिला किये गये सभी छात्रों को एम० बी० बी० एस० की अन्तिम परीक्षा पास करने के बाद पंजीकरण के लिए पात्र घोषित किया गया था। इस परिषद ने अभी तक है इस कालेज को 30-4-1982 के बाद मंजूरी देने के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं लिया है। मेडिकल कालेज की मान्यता को दूसरी बार समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इस बारे में भारत सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। ऐसा निर्णय राज्य सरकार को लेना होगा।

दिल्ली में सड़कों की लम्बाई

627. **श्री चिन्ता मोहन** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में ऐसी सड़कों की प्रति व्यक्ति और प्रति वर्ग किलोमीटर लम्बाई सबसे अधिक है, जिन पर मोटर गाड़ियां सुगमता से चलाई जा सकती हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में एक पथ वाली दो पथ वाली, चार पथ वाली और 6 पथ वाली सड़कों की कुल लम्बाई क्या है तथा सड़कों की कुल लम्बाई कितनी है और गत 3 वर्षों के दौरान इन पर कुल कितनी राशि निवेश हुई हैं, और

(ग) दिल्ली में वाहनों (मोटर वाले और बिना मोटर वाले) की कुल संख्या कितनी है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) दिल्ली में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 1063.30 कि० मी० दूर तक मोटरों के चलने लायक सड़कें हैं, जो देश में सर्वाधिक है। यहां लेकिन प्रति एक लाख की आबादी में केवल 254.84 कि० मी० दूर तक ही मोटर वाहनों के चलने लायक सड़कें हैं। जो देश में सर्वाधक नहीं है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में दिल्ली में एक लेन, दो लेन, 4 लेन और 6 लेन वाली सड़कों की कुल लम्बाई (समेकित) और सड़कों और पुलों पर किया गया खर्च निम्नलिखित है :—

वर्ष	सड़कों की लम्बाई	खर्च लाख रुपये में
1981-82	15,790	3801
1982-83	15;808	3535
1983-84	16,116	2707

(ग) 31 मार्च, 1985 तक दिल्ली में मोटर वाहनों की कुल संख्या 8.41 लाख थी चूंकि गैर मोटर वाहनों को पंजीकृत नहीं किया जाता है, अत: उनके आंकडे उपलब्ध नहीं है।

मलेरिया उन्मूलन के लिए राशि आबंटन में कटौती

628. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम बहुत पीछे रह गया है क्योंकि योजना आयोग ने इसके लिए राशि आबंटन में कटौती की है; और

(ख) यदि हां, तो कटौती किए जाने हेतु प्रस्तावित परिव्यय का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (ग्रामीण) शहरी मलेरिया योजना और राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय और राज्य दोनों हिस्सों के अन्तर्गत 1026 करोड रुपये के परिव्यय की मांग की गयी थी। इन योजनाओं के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस जरूरत के मुकाबले 370 करोड़ रुपये का अस्थायी आबंटन मंजूर किया गया है। इस अस्थायी आबंटन से इन कार्यक्रमों को मौजूदा पैटर्न पर जारी रखना मुश्किल है। इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ वैकल्पिक नीतियों पर विचार किया जा रहा है।

वाराणसी तथा गाजीपुर के बीच गोमती नदी पर सड़क पुल की मरम्मत

629. **श्री जैनुल बशर** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे की :

(क) क्या वाराणसी-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाराणसी तथा गाजीपुर के बीच गोमती नदी पर सड़क पुल तीन वर्षों से अधिक अवधि से खराब है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मरम्मत न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) मरम्मत कार्य कब तक आरम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) से (ग) पुल को कोई भारी ह नि नहीं हुई है। पुश्तों पर आश्रित केवल पाट डूब गये हैं और इससे पुश्तों की दीवालों को नुकसान हुआ है। मरम्मत कार्य दिसम्बर, 1985 में शुरू किया जाएगा।

सातवीं योजना के दौरान कर्नाटक में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का खोला जाना

630. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजनावधि के दौरान कर्नाटक राज्य में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को खोलने का काम राज्य-क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है। योजना आयोग में कर्नाटक राज्य के प्रतिनिधियों के साथ हुए योजना के विचार-विमर्शों के अनुसार सातवीं योजनावधि के दौरान राज्य में 805 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है, इनमें से 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 1985-86 में खोले जायेंगे। ये केन्द्र कहां-कहां खोले जाने हैं इसका निर्णय स्वयं राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड में निर्मित जगत महेश्वरी और जगत राजेश्वरी पोतों का स्वामित्व

631. **श्री के० एस० राव** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापत्तनम में निर्मित "जगत महेश्वरी" पोत को इसके मालिक को देने के लिए मार्च, 198 में हर प्रकार से पूरा हो गया था, लेकिन यह अभी भी शिपयार्ड में है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा निर्णय लेने में हुयी देरी के कारण हिन्दुस्तान शिपयार्ड का परिहार्य व्यय हुआ है और यदि हां, तो कितना हुआ है;

(घ) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड में "जगत महेश्वरी" नामक एक और पोत निर्माणाधीन है जिसके स्वामित्व के संबंध में सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा है; और

(ङ) क्या इस संबंध में निर्णय के कारण हिन्दुस्तान शिपयार्ड के कर्मचारियों का मनोबल गिर रहा है ?

जल-भूतल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) और (ख) जी हां,।

चूंकि लागत की 5 प्रतिशत धनराशि मालिक द्वारा अदा नहीं की गई, इसलिए इसकी डिलीवरी नहीं हुई है।

(ग) इस रूप में शिपयार्ड ने 40 लाख रुपये अधिक व्यय किये हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) जल-भूतल परिवहन विभाग में इस सम्बन्ध में अभिवेदन प्राप्त हुए हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान में जिले-वार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय

632. **श्री बनवारी लाल बेरवा** :क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में जिले-वार कितने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय हैं;

(ख) क्या निकट भविष्य में उनकी संख्या में वृद्धि करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि अच्छी चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण इन औषधालयों के उपचार में दिन-प्रतिदिन गिरावट आती जा रही है, और

(घ) इस दिशा में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) राजस्थान में केवल जयपुर में ही केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना चल रही है। यहां 4 एलोपैथिक औषधालय, एक पालीक्लीनिक आयुर्वेदिक यूनिट तथा एक होम्योपैथिक यूनिट है।

(ख) वर्ष 1986-87 के दौरान जयपुर में एक एलोपैथिक औषधालय खोलने का विचार है।

(क) नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जल संसाधनों का उपयोग

633. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अब तक जल संशाधनों के उपयोग में अपनी पूर्ण क्षमता का प्रयोग नहीं कर सका है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्तमान स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और राज्यों द्वारा सम्पूर्ण उपलब्ध जल संसाधनों का अब तक उपयोग न कर पाने के क्या कारण हैं;

(घ) विभिन्न राज्यों में गत तीन वर्षों के दौरान इस मामले में कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) देश के जल संसाधनों के उत्पादन कार्यों के लिए सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ङ) सिंचाई तथा अन्य उपयोगों के लिए जल संसाधनों का नियोजित विकास योजनाओं के अन्तर्गत 1951 से किया गया है। देश में सभी उपयोगी जल संसाधनों का इस्तेमाल संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार बढ़ रहा है। विभिन्न प्रकार के उपयोगों में लाए जाने वाले जल के इस्तेमाल की मात्रा वर्तमान स्थिति के संबंध में राज्यवार सूचना केन्द्र में नहीं रखी जाती।

मद्रास में भारतीय नौवहन निगम का एक कार्यालय खोलना

634. **डा० सुबोध राय** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम वर्ष 1983 में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति द्वारा की गई सिफारिशों की दृष्टि से मद्रास में एक नया कार्यालय चालू करेगा ?

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) और (ख) भारतीय नौवहन निगम ने तेल, लोहा अयस्क और कंटेनराइजेशन की बढ़ती हुई यातायात के तकनीकी और परिचालनात्म मामलों की देख-भाल करने के लिए 18-10-1985 को मद्रास में एक कार्यालय खोला गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

संक्रैल (जिला हावड़ा) में रेलवे यार्ड का निर्माण

635. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संक्रैल जिला हावड़ा, दक्षिण पूर्व रेलवे पर रेलवे यार्ड का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस समय निर्माण कार्य किस अवस्था में चल रहा है;

(ग) यह कार्य कब पूरा हो जाएगा, और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) संक्रैल में भूमि अधिग्रहण और माल टर्मिनल के विद्युतीकरण सहित 3 लाइनों की व्यवस्था सम्बन्धी कार्य अनुमोदित किये जा चुके हैं । इस योजना के चरण-1 के लिए कुल 338 एकड़ भूमि अपेक्षित है जिसमें से राज्य सरकार ने हाल में लगभग 306 एकड़ भूमि सौंपी है । शेष लगभग 22 एकड़ आबादी वाली भूमि अभी नहीं सौंपी गयी है । आबादी वाली भूमि का परिहार करते हुए चरण-1 में तीन लाइनों के लिए मिट्टी सम्बन्धी काम शुरू कर दिया गया है । इस कार्य का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा पूरी भूमि सौंपी जाने तथा आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई और मद्रास के हवाई अड्डों पर यात्रियों तथा माल की आवाजाही

636. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई और मद्रास स्थित अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर गत तीन वर्षों में वर्षवार यात्रियों की तथा माल की आवाजाही कितनी रही है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है ।

विवरण

	बम्बई	कलकत्ता	दिल्ली	मद्रास	योग
यात्रियों की संख्या					
1982-83	64,47,825	15,06,505	41,13,412	12,39,763	2,33,07,505
1983-84	71,80,561	16,52,693	45,68,187	13,27,570	1,47,29,011
1984-85	75,96,648	18,58,923	48,97,122	15,15,123	1,58,67,816
माल (टनों में)					
1982-83	1,19,198	22,302	78,836	25,978	2,46,314
1983-84	1,35,700	12,577	94,164	27,473	2,82,904
1984-85	1,62,520	29,068	1,10,809	31,794	3,34,191

प्रत्येक प्रमुख बन्दरगाह के आधुनिकीकरण, नवीनीकरण और विस्तार के लिए आबंटित और खर्च की गई धनराशि

637. **श्री सैयद मसुदल हुसैन** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में प्रमुख बन्दरगाहों के आधुनिकीकरण, नवीनीकरण और विस्तार के लिए प्रत्येक को कितनी धनराशि आबंटित की गई थी और वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पाइलट) : नीचे की सारणी से छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में प्रत्येक बड़े पत्तन के आधुनिकीकरण, नवीनीकरण और विस्तार के लिए आबंटित धन और वास्तव में व्यय धन की जानकारी मिलती है—

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं०	पत्तन	छठी योजना परिव्यय		छठी योजना परिव्यय (1980-85 में व्यय राशि)
		मूल	वार्षिक योजना के अनुसार (कुल)	
1	2	3	4	5
1. (क)	कलकत्ता	30.30	35.94	19.88
(ख)	हल्दिया डॉक	21.45	18.28	13.18
(ग)	हल्दिया ड्रेजिंग चनल	11.52	2.00	10.92
(घ)	बी०एच०आर० टी० डब्ल्यू	19.73	15.60	13.44
2.	बम्बई	68.78	120.39	72.45
3.	मद्रास	54.18	100.15	82.13
4.	कोचीन	54.22	63.22	56.01
5.	विशाखापत्तनम	71.33	76.54	57.35
6.	कांडला	46.12	59.18	49.08
7.	मुरगांव	25.05	22.55	25.19

1	2	3	4	5
8.	परादीप	60.18	56.47	67.37
9.	तूतीकोरिन	25.27	31.11	24.84
11.	न्यू मंगलोर	31.84	34.92	33.48
	कुल :	521.20	627.25	525.32
11.	न्हावा शेवा	30.00	48.68	17.88

रेल किराये और माल भाड़े में की गई वृद्धि द्वारा एकत्र की गई धनराशि

638. **श्री पूर्णचन्द्र मलिक** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान रेल किराये तथा माल भाड़े में वृद्धि से वर्षवार कितनी धनराशि एकत्रित की गई, और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान रेल किराये में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) रेलों पर रखे जा रहे खातों से किसी लेखा अवधि के दौरान रेल किराये और भाड़े में वृद्धि के कारण अलग से एकत्रित की गई राशि का पता नहीं चलता है।

(ख) रेल किरायों में हुई वृद्धि का प्रतिशत (लगभग) इस प्रकार है :

1982-83	—	17.5
1983-84	—	13.0
1984-85	—	7.7

केन्द्रीय जल आयोग में वर्क-चार्जड कर्मचारी

639. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल आयोग में वर्क-चार्जड कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उदारीकृत पेंशन नियम अस्थायी वर्क-चार्जड कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं;

(ग) क्या मत अस्थायी वर्क-चार्जड कर्मचारियों को पेंशन संबंधी लाभ दिए जाते हैं;

(घ) क्या इन कर्मचारियों को स्थल जांच भत्ता दिया जाता है;

(ङ) वर्क-चार्जड कर्मचारियों के सामान्य कार्य के घण्टे क्या हैं;

(च) क्या उन्हें शीतकालीन तथा ग्रीष्मकालीन वर्दियां दी जाती हैं;

(छ) क्या सरकार को वर्क-चार्जड कर्मचारियों से उनके काम के घंटे छुट्टी इत्यादि के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ज) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) केन्द्रीय जल आयोग में 1-1-1985 को 2904 वर्क-चार्जड कर्मचारी हैं ।

(ख) उदारीकृत पेंशन नियम उन अस्थायी वर्क-चार्जड कर्मचारियों पर लागू होते हैं जिन्होंने इस स्कीम के लिए विकल्प दिया है तथा उन कर्मचारियों के लिए जो 31 मार्च, 1985 को अथवा उसके पश्चात् सेवानिवृत्त होंगे तथा स्वीकृत बढ़ाए गए समय के अन्दर इसके लिए विकल्प देंगे ।

(ग) पारिवारिक पेंशन लाभ उन मृत अस्थाई वर्क-चार्जड कर्मचारियों के परिवारों को अनुज्ञेय हैं जिन पर उदारीकृत पेंशन नियम लागू हैं ।

(घ) जल संसाधन विकास परियोजनाओं के अन्वेषण कार्यों में कार्यरत अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अन्वेषण भत्ता स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर सरकार सहमत हो गई है ।

(ङ) वर्क-चार्जड कर्मचारियों के कार्य का समय प्रात: 9.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक है जिसमें आधे घंटे का भोजन अवकाश होता है ।

(ज) वर्दियां/उपरि वस्त्र उन वर्क चार्जड कर्मचारियों को सप्लाई किए जाते हैं जिनकी ड्यूटियां कपड़ों को क्षति पहुंचाने वाले कार्यों पर अथवा ऐसे कार्यों पर होती हैं जहां कपड़े असामान्य रूप से कट-पट जाते हैं अथवा जिनको चल मशीनरी के पास कार्य करना होता है ।

(छ) और (ज) वर्क-चार्जड कर्मचारियों से उनके कार्य के समय, छुट्टी आदि के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

रेलों में स्वीकृत पद

640. **श्री मतिलाल हंसदा** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1-4-85 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेलों में स्वीकृत स्थायी तथा अस्थायी पदों की संख्या कितनी है;

(ख) 1-4-85 को वास्तविक रूप से कितने कर्मचारी नियुक्त थे;

(ग) रिक्तियां, यदि कोई हों, के क्या कारण हैं, और

(घ) 1-4-85 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेलों में कार्यरत नैमित्तिक मजदूरों की संख्या कितनी थी ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और मद्रास हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण

641. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** : क्या **परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और मद्रास हवाई अड्डों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजना अवधियों के दौरान योजना वार कितना खर्च किया गया और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और मद्रास स्थित हवाई अड्डों के विस्तार और आधुनिकीकरण पर पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1972-77) और छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान क्रमशः कुल 391.76 लाख रुपये और 14575.86 लाख रुपये खर्च किए गए । इनके ब्यौरे प्रकार है :

(लाख रुपये)

	कलकत्ता	बम्बई	दिल्ली	मद्रास	जोड़
पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1972-77)	315.67	635.09	1165.53	275.47	2391.76
छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85)	556.70	4638.42	7610.72	1770.02	14575.86

एयर इण्डिया की कलकत्ता होकर टोकियो और फ्रेंकफर्ट के लिए मालवाहक उड़ानें रद्द किया जाना

642. **श्री गदाधर साहा** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया ने कलकत्ता होकर टोकियो और फ्रेंकफर्ट के लिए अपनी अन्तर्राष्ट्रीय मालवाहक उड़ानें रद्द कर दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण हैं?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) एयर इण्डिया की मालवाही सेवा एयर इण्डिया 199-ए, जो टोकियो/हांगकांग/कलकत्ता मार्ग पर प्रचालित की जा रही थी, इसे 11-9-85 से बदलकर टोकियो/हांगकांग/दिल्ली/बम्बई मार्ग कर दिया गया है। कलकत्ता और टोकियो/हांगकांग के अपेक्षाकृत कम माल यातायात को दृष्टि में रखते हुए, वाणिज्यिक कारणों से कलकत्ता को हटाने का निर्णय लिया गया था।

हुगली पर दूसरे पुल के लिए दी गई राशि

643. **श्री आनन्द पाठक** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हुगली पर दूसरे पुल के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को अभी तक कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है और राज्य सरकार को अभी भी कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है और इसका भुगतान कितनी किस्तों में किया जाएगा, और

(ख) उपयुक्त योजना और निर्माण की सुविधा के लिए आबंटित की गई राशि का समय पर भुगतान न करने के क्या कारण हैं?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) कलकत्ता में हुगली नदी का दूसरा पुल जब निर्मित होगा तो वह राज्य राजमार्ग पर पड़ेगा। इसलिए यह परियोजना प्राथमिक रूप से पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से सम्बद्ध है। संवैधानिक रूप से केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों का ही उत्तरदायित्व भारत सरकार का होता है। तथापि भारत सरकार ने विशेष में पश्चिम बंगाल सरकार को 150 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करने की सहमति दे दी है। यह धनराशि समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई मांग के आधार पर वास्तविक आवश्यकता के मुताबिक प्रदान की जाती है। अब तक 96.62 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। वर्ष के दौरान 10.75 करोड़ रुपए की और राशि प्रदान की जाएगी। शेष 42.63 करोड़ रुपए की राशि परवर्ती वर्षों में राज्य सरकार द्वारा प्रक्षिप्त आवश्यकता के अनुसार प्रदान की जाएगी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेल भूमि का उपयोग

644. **श्री आई० रामा राव** : क्या **परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेलवे के अधीन मूल्यवान भूमि पर दुकानों, होटलों इत्यादि का निर्माण करके उसका उपयोग कर रेलवे की आय बढाने की कोई योजना है?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : वर्तमान नीति के अनुसार, रेलवे कार्य-संचालन से सम्बद्ध

दुकानें, वाणिज्यिक कार्यालय, वेंडिंग स्टाल, क्लीनिक आदि की स्थापना के प्रयोजन के लिए रेलवे भूमि का लाइसेंस पर दिया जाना बन्द कर दिया गया है। दुकानें और होटल आदि का निर्माण करके रेलों की आमदनी बढ़ाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

इलाहाबाद-पटना अन्तःस्थलीय जल परिवहन परियोनना को नीदरलैण्ड के साथ अन्तिम रूप देना

645. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीदरलैंड सरकार ने इलाहाबाद से पटला तक गंगा की अन्तःस्थलीय जल परिवहन प्रायोगिक परियोजना को अन्तिम रूप देने और इसका वित्तपोषण करने में रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो इलाहाबाद-पटना अन्तःस्थलीय जल परिवहन परियोजना में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) सरकार का डच प्रस्ताव स्वीकार करने और इस परियोजना को अंन्तिम रूप देने के बारे में क्या विचार है ?

जल-भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) जी, हां।

(ख) पटना और इलाहाबाद के बीच गंगा नदी में पायलट प्रोजेक्ट के लिए एक स्कीम 19-1-85 को मंजूर की जा चुकी है और नीदरलैण्ड एवं भारत सरकार द्वारा इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए करार पर दिनांक 4-10-85 को हस्ताक्षर किए जा चुके हैं तथा इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई प्रारम्भ की जा चुकी है।

(ग) इस स्कीम के अन्तर्गत नीदरलैंड सरकार परिवहन सेवाओं आदि के प्रचालन के काम आने वाली कुछ मदों आदि का खर्च देगी।

आरक्षण को कम्प्यूट्रीकृत करना

646. **श्री हरिकृष्ण शास्त्री** : क्या **परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक किन-किन रेलवे स्टेशनों पर यात्री आरक्षण को कम्प्यूट्रीकृत किया गया है,

(ख) चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के दौरान अन्य किन-किन स्टेशनों पर कम्प्यूटर प्रणाली आरम्भ करने का कार्यक्रम है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में यात्री और भाड़ा आरक्षण को कम्प्यूटरीकृत करने का क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) अब तक किसी भी रेलवे स्टेशन पर यात्री आरक्षण को संगणकीकृत नहीं किया गया है। तथापि, बम्बई और कलकत्ता में कुछ गाड़ियों के मामले में ऐसा करने के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं। लेकिन दिल्ली क्षेत्र में सभी आरक्षणों के के संगणकीकरण के लिए एक पाइलट परियोजना दो चरणों में कार्यान्वित करने की कार्रवाई आज कल चल रही है। पहले चरण में, जिसके चालू वित्तीय वर्ष में पूरा होने की सम्भावना है, नई दिल्ली में ऊंचे दर्जे और निचले दर्जे के सभी आरक्षणों को संगणकीकृत किया जा रहा है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के अन्य महानगरों के संगणकीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। माल यातायात के परिचालन का भी संगणकीकरण करने की योजना है और इसे सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है।

विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट अथारिटी को पोर्ट का इस्तेमाल करने वालों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना

647. **श्री टी० बाला गौड** : क्या **परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विशाखापत्तनम बन्दरगाह में शिकायतों को दूर करने के लिए एक प्रभावशाली प्रणाली बनाने की आवश्यकता के बारे में पता है;

(ख) पोर्ट ट्रस्ट अथारिटी को पोर्ट के विभिन्न प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं के अधिक अनुरूप बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों में बाहरी बंदरगाह परियोजना तथा तेल की तह (आयल बर्थ) में कार्य को पूरा करने में अनावश्यक विलम्ब हो चुका है, और

(घ) विशाखापत्तनम में पोर्ट प्रशासन में सुधार लाने के लिए और कौन से अन्य कदम उठाने का विचार किया जा रहा है ?

जल भूतल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) विशाखापत्तनम न्यास ने, शिकायत दूर करने की एक प्रभावी प्रणाली अपनाने के बारे में सरकार के अनुदेशों के अनुपालन में, व्यापारियों और अन्य पत्तन प्रयोक्ताओं के लिए एक सार्वजनिक शिकायत एकांश की स्थापना की है।

(ख) पत्तन न्यास ने, आवश्यक सुविधा की व्यवस्था करके, विभिन्न पत्तन प्रयोक्ताओं की

आवश्यकताओं को, पूरा करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। व्यापारियों और पत्तन प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं के बारे में उनके प्रतिनिधियों से पत्तन न्यास में विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श किया जाता है। पत्तन प्रयोक्ताओं की समस्याओं का पता लगाने के लिए यातायात अधिकारी दैनिक बैठकें बुलाते हैं। विशिष्ट माल वाले जहाजों के कार्य-निष्पादन पर नजदीक से निगरानी रखने और यातायात के लक्ष्य के अनुसार परिचालन की व्यवस्था करने के लिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष विशेष बैठकें भी बुलाते हैं। इन बैठकों में, पत्तन प्रयोक्ताओं द्वारा बताई गई आवश्यकताओं और उन्हें यदि कोई कठिनाई हो तो उन पर विचार किया जाता है तथा इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए कदम उठाए जाते हैं;

(ग) फुटकर व थोक माल की बर्थ से सम्बन्धित विभिन्न कार्य में कुछ कारणों से देरी हुई लेकिन यह बर्थ अब चालू हो गई है। तेल की बर्थ भी चालू होने वाली है।

(घ) इस पत्तन की परिचालन क्षमता में सुधार लाने के लिए अवस्क हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स की कार्य-प्रणाली को सरल बनाना, सामग्री और उपकरणों की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए विशेष खरीद दस्तों की स्थापना करना, पारियों में उपकरणों के रखरखाव और मरम्मत कार्यों को पूरा करने के लिए रखरखाव दस्तों का गठन करना जैसे उपाय किए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रयोक्ताओं की सुविधा के लिए एक केन्द्रीय सूचना केन्द्र की भी स्थापना की जा रही है।

सफदरजंग हवाई अड्डे में इण्डियन एयरलाइन्स के विमान-परिचारिका प्रशिक्षण केन्द्र में आग लगना

648. **श्री गुरूदास कामत** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 31 अक्तूबर, 1985 को सफदरजंग हवाई अड्डे में इण्डियन एयरलाइन्स के विमान परिचारिका प्रशिक्षण केन्द्र में आग लगने से लगभग 20 लाख रुपये की सामग्री नष्ट हो गई; और

(ख) यदि हां, तो क्या आग लगने के कारणों की जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) अभी तक इस बात का मूल्यांकन किया जा रहा है कि कितनी हानि हुई है।

(ख) और (ग) पुलिस प्राधिकारी आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं।

दिल्ली और नागपुर के बीच के रेलवे स्टेशनों पर घटिया किस्म के खाद्य पदार्थों का बेचा जाना

649. **श्री बनवारीलाल पुरोहित** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे स्टेशनों, विशेष रूप से दिल्ली तथा नागपुर के बीच के रेलवे स्टेशनों पर बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों की किस्म और मात्रा दोनों में ही गिरावट आई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली और नागपुर के बीच अनेक रेलवे स्टेशनों पर निम्न स्तर की सेवा तथा खाद्य पदार्थों की किस्म घटिया होने की शिकायतों की ओर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे स्टेशनों पर खाद्य पदार्थों की किस्म तथा मात्रा में सुधार लाने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) अप्रैल से सितम्बर, 1985 के दौरान दिल्ली-नागपुर मार्ग के 9 महत्वपूर्ण स्टेशनों पर कुछ शिकायतें दर्ज की गई थीं। इसी अवधि के दौरान इन स्टेशनों पर बहुत से प्रशंसा-पत्र भी प्राप्त हुए थे।

(ग) खान-पान सेवा में सुधार लाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं अथवा जो कदम उठाने का प्रस्ताव है, उयमें बेहतर किस्म की सामग्री और चाय-पत्ती का उपयोग करना, निरीक्षण और जांच को गहन करना तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करना शामिल है।

महरौली-बदरपुर रोड रेल फाटक पर ऊपरी पुल (फ्लाई-ओवर) का निर्माण

650. **श्री भरत सिंह** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महरौली-बदरपुर रोड रेल फाटक के अधिकतर समय बन्द रहने के कारण यातायात को बड़ी कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस समस्या के समाधान के लिए वहां एक ऊपरी पुल बनाने का है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) तुगलकाबाद यार्ड की स्टेशन सीमा के भीतर स्थित समपार के बदले निचले सड़क पुल के निर्माण का कार्य रेलवे के निर्माण-कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। रेलवे की लागत का हिस्सा 111 लाख रुपये है और दिल्ली नगर निगम का हिस्सा 908 लाख रुपये है।

[अनुवाद]

सड़क सुरक्षा सम्बन्धी समिति द्वारा सुझाए गए कार्यदल

651. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सड़क सुरक्षा सम्बन्धी समिति ने अपने वर्ष 1983 के प्रतिवेदन में तीन कार्यदलों (एक) वैधानिक संशोधनों, शिक्षा प्रचार, यातायात के पुनर्गठन और प्रशासनिक ढांचों, के बारे में (दो) यातायात इंजीनियरिंग के बारे में (तीन) आंकड़ों के आधार के लिए, का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इन कार्यदलों की विभिन्न सिफारिशों की क्रियान्वित के परिणामस्वरूप सड़क सुरक्षा में सुधार हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) और (ख) सड़क सुरक्षा विषयक समित ने अपनी रिपोर्ट में यातायात प्रबन्धों और शिक्षा की कुछ पहलुओं और प्रचारात्मक उपायों के मामलों पर मोटर यान अधिनियम, 1939 में कुछ कानूनी संशोधनों पर कार्यदलों की स्थापना की सिफारिश की है।

यातायात इंजीनियरिंग और आंकड़ा आधार के लिए समिति ने केवल कार्यदलों की स्थापना व्यावहारिकता पर विचार करने का सुझाव दिया है। इनके सम्बन्ध में, परिवहन अनुसंधान निदेशालय में विशेष सेल को सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण का कार्य सौंपा गया है। राज्य सरकारों को यातायात इन्जीनियरिंग सेलों की स्थापना करने की सलाह दी गई है।

मोटर यान अधिनियम, 1939 के सभी उपबन्धों की समीक्षा के लिए और उसे अवतन बनाने के लिए तथा उचित परिवर्तन सुझाने के लिए, जिसमें सड़क सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक परिवर्तन करना शामिल है, कार्यदल गठित किया गया है। इसका काम चल रहा है। मानव संसाधन विकास मन्त्रालय द्वारा गठित कार्यदल सड़क सुरक्षा के बारे में शैक्षिक और प्रचारात्मक उपायों से सम्बन्धित विस्तृत कार्य योजना के प्रश्न पर अध्ययन कर रहा है।

(ग) कार्य दलों की रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

राज्यों के बीच नदी जल विवाद

652. **डा० श्रीमती फूलरेणु गुहा**
श्री हुसेन दलवाई
श्री मूलचन्द डागा } : क्या **जल संसाधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के बीच कुछ नदी जल विवाद हल के लिए लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन विवादों में अन्तर्ग्रस्त विभिन्न राज्यों के बीच विवाद के मुद्दे क्या हैं;

(घ) इन विवादों को तेजी से हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है; और

(ङ) इस मामले में गत तीन वर्षों के दौरान क्या प्रगति हुई है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ङ) इस समय जल के बंटवारे के सम्बन्ध में दो प्रमुख अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद हैं जो इस प्रकार हैं (1) कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के बीच कावेरी नदी (2) उत्तर प्रदेश, हरियाणा राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के बीच यमुना नदी। राज्यों के बीच मतभेदों को हल करने के लिए बातचीत के जरिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। जहाँ तक कावेरी विवाद का सम्बन्ध है, अप्रैल, 1982 में आयोजित मुख्य मन्त्री स्तर की बैठक में हुई सहमति के अनुसार कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री मुख्य मुद्दों को हल करने के लिए द्विपक्षीय विचार-विमर्श करते रहे हैं। हाल ही में स्थिति की समीक्षा करने के लिए केन्द्र द्वारा सिंचाई सचिवों की एक बैठक आयोजित की गई थी। यमुना विवाद के सम्बन्ध में केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष ने सम्बन्धित राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ तकनीकी स्तर के कई विचार-विमर्श किए थे तथा यमुना और इसकी सहायक नदियों पर भंडारणों के निर्माण के निर्धारण जैसे मुद्दों पर राज्यों द्वारा आगे की अनुवर्ती कार्यवाही हेतु आम सहमति हो गई है।

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास हेतु धनराशि का आबंटन

653. **श्री सोमनाथ रथ**
श्री रामस्वरूप राम } : क्या **मानव संसाधन विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य योजना के अतिरिक्त मानव संसाधन विकास के लिए कोई विशेष धनराशि आबंटित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो शिक्षा के लिए धनराशि का कितना भाग उपयोग किया जाएगा और किस प्रकार से उपयोग किया जाएगा ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) योजना परिव्यय को अन्तिम रूप देते समय मानव संसाधन विकास के लिए आबंटनों को 1500 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया था, जिसमें से 540 करोड़ रुपये शिक्षा, 200 करोड़ रुपये संस्कृति और 200 करोड़ रुपये खेल और युवा सेवाओं के लिए दिए गए हैं।

[हिन्दी]

स्वतन्त्रता सेनानियों को रेलवे पास

654. **श्री निर्मल खत्री** : क्या **परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वतन्त्रता सेनानियों को निशुल्क यात्रा करने के लिए स्थायी रेल पास जारी करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) स्वतन्त्रता सेनानियों को मुफ्त रेलवे पास देने की योजना को अब अन्तिम रूप दे दिया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत उन स्वतन्त्रता सेनानियों को पहले दर्जे के मानार्थ चैक पास जारी किये जायेंगे जो स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय राजस्व से पेंशन ले रहे हैं। यह पास एक बार यात्रा करने के लिए होगा जिसमें सर्कुलर पास भी शामिल होगा जिससे किन्हीं दो रेलवे स्टेशनों, जो कि रेलवे समय सारिणी में दी गई हैं, के बीच यात्रा की जा सकेगी। स्वतन्त्रता सेनानी की पत्नी/पति अथवा परिचर को भी पास दिया जायेगा।

यह योजना 1 दिसम्बर, 1985 से लागू होगी।

[अनुवाद]

माल डिब्बों की कमी को पूरा करने के लिए उठाए गए कदम

655. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या **परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1984-85 के दौरान माल डिब्बों की भारी कमी के कारण रेलवे देश के विभिन्न स्थानों को उर्वरक और कोयला नहीं पहुंचा पाई और इसका सम्बद्ध उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ा;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान रेलवे की मांग और पूर्ति की स्थिति क्या रही है;

(ग) वर्ष 1985 के दौरान कुल कितने नए माल डिब्बे प्राप्त किए गए और 1986 और 1987 के लिए क्या योजनाएं हैं, और

(घ) इससे व्यापार और उद्योग की आवश्यकताओं की किस सीमा तक पूर्ति हो पाएगी और यदि कोई कमी है, तो उसे पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) 1984-85 में चौपहियों के हिसाब से 12371.5 माल डिब्बों का निर्माण किया गया था । 1985-86 में चौपहियों के हिसाब से 12544 माल डिब्बों की अधिप्राप्ति की योजना की तुलना में अक्तूबर, 1985 तक चौपहियों के हिसाब से 3347.5 माल डिब्बों का निर्माण किया गया है । 1986-87 में चौपहियों के हिसाब से लगभग 15,000 माल डिब्बों की अधिप्राप्ति करने का प्रस्ताव है । लेकिन, वास्तविक खरीद धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगी ।

(घ) अतिरिक्त माल डिब्बों की खरीद से मांग और सप्लाई में मामूली सा अन्तर अब भी बना रहेगा । यद्यपि रेल उत्पादकता में सुधार करके कुछ हद तक कमी पूरी करने की कोशिश करेगी, फिर भी रेल उपयोग कर्ता माल डिब्बों की मांग को सन्तुलित करके तथा इसे वर्ष में समान रूप से विभाजित करके सहायता कर सकते हैं ।

तेलुगु गंगा परियोजना को स्वीकृति

656. **श्री एस० एम० भट्टम**
श्री जी० एस० वसवराजू
श्री बी० शोभ नाद्रीश्वर राव
श्री एच० एन० नञ्जेगौडा
श्री बी० बी० देहाई : **क्या जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा तेलुगु गंगा परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) समीपवर्ती राज्यों द्वारा क्या-क्या आपत्तियां की गई हैं और उस पर आन्ध्र प्रदेश सरकार का क्या दृष्टिकोण है; और

(ग) क्या केन्द्र को आन्ध्र प्रदेश सरकार से केन्द्र के सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो गए हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार के परामर्श से केन्द्रीय जल आयोग में तेलुगु गंगा परियोजना की तकनीकी जांच की जा रही है । राज्य सरकार

द्वारा महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के साथ अन्तर्राज्यीय पहलुओं को निपटाना भी अपेक्षित है। इस परियोजना को वन रक्षण अधिनियम, 1980 के तहत पर्यावरण दृष्टिकोण और वन क्षेत्र को साफ करने के लिए भी स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी है।

(ख) कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकारों का मत है कि यह परियोजना कृष्णा जल जल विवाद प्राधिकरण के निर्णयों तथा मद्रास शहर को जल सप्लाई करने के लिए कृष्णा नदी के 15 टी० एम० सी० जल के व्ययवर्तन के बारे में 1977 के अन्तर्राज्य समझौते के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। तथापि आन्ध्र प्रदेश सरकार का यह मत है कि वह कृष्णा नदी के अतिरिक्त जल प्रवाहों को उपयोग में लाने की हकदार है।

(ग) जी, नहीं।

प्रसव-पूर्व लिंग निर्धारण सम्बन्धी जांच के बाद गर्भपात

657. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में एम्नियोसेंटसिल के माध्यम से प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण सम्बन्धी जांच के बाद गर्भपात किए जा रहे हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है उसके क्या कारण हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) चिकित्सकीय गर्भ समापन अधिनियम भारतीय दण्ड प्रक्रिया के अन्तर्गत गर्भपात के अपराध को संरक्षण प्रदान नहीं करता यदि वह केवल भ्रूण के लिंग के आधार पर किया गया हो। प्रसव-पूर्व लिंग निर्धारण सम्बन्धी जांच के बाद गर्भपात कराने वालों के खिलाफ उचित कदम उठाने के लिए राज्यों को अनुदेश जारी किए जा चुके हैं।

वायुदूत द्वारा बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए पैकेज भ्रमण कार्यक्रम

658. **श्री सत्य नारायण सिंह :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए बिहार के बौद्ध केन्द्रों से होकर पैकेज भ्रमण/कार्यक्रम आरम्भ करने को वायुदूत की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका उपयोग किए जाने के बारे में क्या संभावनाएं हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं। फिलहाल ऐसे कोई पैकेज भ्रमण कार्यक्रम आरम्भ करने का इरादा नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

पक्षी के टकरा जाने से प्रभावित हुए जम्बोजेट विमान

659. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव**
श्री एम० रघुमा रेड्डी } : क्या **परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 सितम्बर, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि एयर इण्डिया का एक जैट जिसमें 299 यात्री सवार थे, बम्बई से रोम की नियमित उड़ान भरने से कुछ देर बाद ही एक पक्षी से टकरा गया जिससे उसका इन्जन खराब हो गया और विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल-बाल बच गया; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या **उपचारात्मक** उपाय किए हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 11-9-1985 को भारतीय समय के अनुसार लगभग 0700 बजे रोम की अनुसूचित उड़ान पर, दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान भरते समय, एयर इण्डिया के बी-747 जम्बो जेट का एक इन्जन खराब हो गया था। पायलट ने उड़ान को रोक दिया और वह उसे "पार्किंग-बे" पर ले गया। जांच करने पर यह पता चला कि एक गिद्ध इंजन से टकरा गया था। विमान के टैक्सिंग के दौरान कुछ टायरों से हवा भी निकल गई थी। सभी यात्री और कर्मीदल सुरक्षित थे।

इस सम्बन्ध में धावन-पथ के इर्द-गिर्द घास को काटना और कीटनाशक को छिड़कना, मलबे को जलाने के लिए भस्मक यन्त्र का उपयोग हवाई अड्डों पर पक्षियों को मार भगाना, परिचालन क्षेत्र और पट्टियों और सोडियम वाष्पयुक्त बत्तियां लगाना और वायुयान नियम 1937 के नियम 81-बी के उपबन्धों को लागू करना जैसे विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। हवाई अड्डों के आस-पास गन्दी बस्तियों की सफाई और विभिन्न प्रचार माध्यमों के जरिये वातावरण को साफ रखने के लिए सार्वजनिक चेतना को जगाने के कार्य भी किए जा रहे हैं। हवाई अड्डों के नजदीक पक्षियों के जमाव को रोकने के लिए विमान क्षेत्र के 10 किलोमीटर परिधि के भीतर पशु वधशालाओं, अनधिकृत मांस और मछली की दुकानों तथा बूचड़खानों को हटाने के लिए लगातार सतर्कता बरती जा रही है।

कनिष्क विमान दुर्घटना की जांच

660. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक**
श्री मानिक रेड्डी
श्री आर० एम० भोये } : क्या **परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 जून, 1985 को कनिष्क विमान दुर्घटना, जिसमें इस विमान में सवार 329 यात्री मारे गए थे, की जांच के लिए गठित जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार को यह रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) नियुक्ति की अधिसूचना के अनुसार, कनिष्क दुर्घटना की जांच करने वाले न्यायालय से कहा गया है कि वह अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 1985 तक सरकार को प्रस्तुत कर दे।

परिवार नियोजन के लिए नीति तैयार करने हेतु मंत्रियों की स्थायी समिति

661. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल**
श्री आर० एम० भोये } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परिवार नियोजन के लिए नीति तैयार करने हेतु मन्त्रियों को एक स्थायी समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं और परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में इसका दृष्टिकोण क्या है;

(ग) क्या कार्यक्रम तैयार करने के बारे में राज्य सरकारों को भी शामिल किया जाएगा; और

(घ) क्या नीति और कार्यक्रम के कार्यान्वयन में स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग प्राप्त करने का प्रस्ताव है; यदि हां, तो कैसे ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी नहीं। वैसे, परिवार कल्याण कार्यक्रम में स्वैच्छिक संगठनों की सक्रियता को बढ़ाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के अन्तर्गत एक उच्च स्तरीय स्थायी समिति गठित करने के एक प्रस्ताव पर आधा-सरकार विचार कर रही है। इस समिति में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, मानव संसाधन, श्रम कल्याण, कृषि और ग्रामीण विकास तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालयों/विभागों के मन्त्री शामिल होंगे। यह विचार है कि जब यह समिति गठित हो जाएगी तो यह समिति परिवार कल्याण के दूसरे समाज कल्याण और विकासात्मक क्रियाकलापों के साथ मिलाने के लिए नीति तैयार करेगी।

(ग) जी हां, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय परिवार कल्याण परिषद, जिसमें राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासकों के स्वास्थ्य मन्त्री सदस्य हैं, पहले ही कार्य कर रही है जो समय समय पर परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करती है तथा नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने के बारे में सरकार को सलाह देती है।

(घ) जी हां, परिवार कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सक्रिय रूप से सम्मिलित किया जा रहा है ताकि लोगों को इसकी जानकारी, शिक्षा और सूचना तथा सेवाएं उपलब्ध की जा सकें।

1985-86 के दौरान देश भर में विद्युतीकरण सम्बन्धी योजनाएं

662. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान देश-भर में रेलवे द्वारा कितनी विद्युतीकरण सम्बन्धी योजनाएं आरम्भ करने का विचार है, और

(ख) इनमे से कितनी योजनाएं दक्षिण रेलवे के अन्तर्गत आती है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) धौलपुर-इटारसी-नागपुर-विजयवाड़ा, गोधरा-रतलाम-गंगापुर सिटी-मथुरा, भुसावल-नागपुर-दुर्ग, चन्द्रपुरा कम्पलेक्स तथा कटपाडिजोल्लार-पेट्टै खंडों के विद्युतीकरण के अलावा, जहां विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है, टूंडला-आगरा-बयाना तथा चम्पा गेबरा रोड खंडों के विद्युतीकरण का अनुमोदन 1985-86 के दौरान नयी योजनाओं के रूप में किया गया है।

उपर्युक्त योजनाओं में से कटपाडि-जोल्लारपेट्टै खंड का विद्युतीकरण दक्षिण रेलवे पर पड़ता है इस खंड पर विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्य 1985-86 के दौरान पूरा हो जाने की आशा है।

केरल मे रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण

663. **प्रो० पी० जे० कुरियन**
श्री टी० बशीर : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण की कुल लागत के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि केरल उन कुछ राज्यों में से एक है जहां पर अभी तक एक भी लाइन का विद्युतीकरण नहीं किया गया है।

(घ) यदि हां, तो क्या केरल में कम-से-कम कुछ क्षेत्रों में विद्युतीकरण का कार्य आरम्भ करने के बारे में सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[हिन्दी]

हिमालय अभियानों के लिए पर्वतारोही दल

664. **श्री मदन पांडे** : क्या **मानव संसाधन विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष हिमालय अभियान में कितने पर्वतारोही दलों ने भाग लिया और अभियान के दौरान कितने पर्वतारोहियों की मृत्यु हुई है और उनकी मृत्यु के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार ने उनकी मृत्यु के कारणों का पता लगाया है और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

युवक कार्यक्रम और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्री मती मारग्रेट अल्वा) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार केवल भारतीय अभियान जिसने वर्ष के दौरान एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास किया था वह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन आर्मी एडवेन्चर फाउन्डेशन द्वारा भेजा गया था । अभियान में 33 सदस्य थे । टीम के 5 सदस्यों की अभियान के दौरान मृत्यु हुई । एक चढ़ने वाले की 7-10-85 को गिरने से मृत्यु हुई और अन्य चारों की मृत्यु 10/11 अक्तूबर, 1985 की रात्रि को थकान, निर्जलन तथा बर्फानी तूफान के संयोग से हुई थी ।

खेलों के रूप में साहस विशेषकर पर्वतारोहण बहुत जोखिम का कार्य है । ऐसे कार्यकलापों में भाग लेना पूर्णतया स्वेच्छा के आधार पर है । पर्वतारोही अभियान में, विशेषकर एवरेस्ट पर चढ़ने के प्रयास करने वाले ऐसे व्यक्ति शामिल किये जाते हैं जो उच्च कोटि के निपुण व्यक्ति होते हैं और जिन्हें जोखिम के बारे में पूरी जानकारी है । बहुत जोखिम वाले ऐसे स्वैच्छिक प्रयास में भाग लेने वालों से स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए अपेक्षित उपाय अपनाने की आशा की जाती है ।

पटना में राष्ट्रीय पुस्तक मेला 1985 में हुई उपद्रव की जांच

665. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या **मानव संसाधन विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पटना में अक्तूबर, 1985 के आरम्भ में आयोजित राष्ट्रीय पुस्तक मेले में किए गए उपद्रव की जांच कराने के बारे में कोई ज्ञापन/पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा आयोजित इस मेले का उद्घाटन एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या न्यास में व्याप्त भ्रष्टाचार पक्षपात और अनियमितताओं के सम्बन्ध में अनेक समाचार प्रकाशित हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन मामलों की उच्चस्तरीय जांच कराने और नये चेयरमैन की यथाशीघ्र नियुक्ति करने का है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय पुस्तक मेले का उद्घाटन एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष ने पटना में अक्तूबर, 1985 में हुए राष्ट्रीय पुस्तक मेले को स्थगित करने के कारणों की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की है।

(ग) और (घ) समाचार-पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए हैं जिनमें राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के कामकाज के बारे में आलोचनात्मक टिप्पणियां की गई हैं। न्यास के कार्यकलापों और कार्यक्रमों की समीक्षा कार्यकारी समिति और न्यास बोर्ड द्वारा समय-समय पर की जाती है। अत: रा० पु० न्यास के कार्यों की जांच करने के लिए समिति नियुक्त करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं हैं। न्यास का एक नया अध्यक्ष शीघ्र नियुक्त किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

सुचेता कृपलानी अस्पताल में पुरुष रोगियों के लिए सुविधाएं

666. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज तथा सम्बद्ध अस्पतालों के रेजीडेंट डाक्टर्स एसोसिएशन के सदस्य तथा छात्र, सुचेता कृपलानी अस्पताल में पुरुष रोगियों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा किसी मेडिकल कालेज अस्पताल के लिए उपयुक्त कैजुअल्टी, इमरजेंसी वार्ड, इन्टेंसिव केयर यूनिट, कोरोनरी केयर यूनिट, ब्लड बैंक और सुरक्षित जल-आपूर्ति जैसी न्यूनतम आवश्यकताएं सुनिश्चित करने की मांग करते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी समस्याओं की ओर ध्यान दिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) मेडिकल कालेज की छात्राओं को क्लीनिकी प्रशिक्षण देने के लिए डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पहले से ही प्रबन्ध है जहां उन्हें पुरुष रोगियों की जांच करने की अनुमति दी जाती है। कालेज के अधिकारियों ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और सम्बद्ध अस्पतालों के रेजिडेंट डाक्टरों/छात्राओं की अत्यावश्यक मांगों को पूरा करने के लिए आगे कार्यवाही आरम्भ कर दी है।

इंडियन एयरलाइन्स के घाटे वाले मार्ग

667. **श्री बी० एस० विजयराघवन** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा संचालित उन मार्गों का ब्यौरा क्या है, जिन पर घाटा हो रहा है;

(ख) उसके क्या कारण हैं; और

(ग) घाटे को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (जगदीश टाईटलर) (क) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा परिचालित 139 सेवाओं में से 93 सेवाएं प्रचालन की कुल लागत को पूरा नहीं कर सकीं।

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ हानि के कारण निम्नानुसार हैं—

(i) इन्डियन एयरलाइन्स कुछेक कम दूरी की होपिंग उड़ानों का प्रचालनों की लागत में वृद्धि हो जाती है।

(ii) तुलनात्मक दृष्टि से टर्बो प्रोप वायुयान का प्रचालन लाभकारी नहीं है।

(iii) कुछ क्षेत्रों में कम भार गुणक।

(iv) उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में कम भाड़े का लिया जाना।

(ग) हानि को कम करने के सम्बन्ध में एयरलाइन्स द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम निम्नानुसार हैं —

(i) वायुयान का अधिकाधिक उपयोग।

(ii) मार्गों का सुदृढ़ीकरण करना और एयरलाइन्स के अपने बुकिंग कार्यालयों से यात्रियों को टिकट खरीदने के प्रति प्रोत्साहित करना जिससे अभिकर्ताओं को देय बुकिंग एजेंसी कमीशन में कमी हो सके।

(iii) प्रोत्साहक/रियायती भाड़ों को लागू करने के विस्तृत विपणन प्रयत्न तथा अनुसूचियों को युक्तिसंगत बनाना।

पारादीप पत्तन में पगडंडी का सुधार और तेल और कोयला सुविधाओं के विकास के लिए डच सरकार के साथ सहयोग

668. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन में पगडंडी का सुधार और पाराद्वीप पत्तन में तेल और कोयला सुविधाओं के विकास के लिए डच सरकार के साथ कोई सहयोग-समझौता हो गया है अथवा उसके बारे में बातचीत चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है और कोई परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) उक्त परियोजना के कार्यान्वयन की प्रकिया कब से शुरू करने का विचार है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) और (ख) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट सैंड ट्रेप, चेनल, बेसिन और उर्वरक वर्थ हेतु कैपिटल ड्रेजिंग के लिए जनवरी, 1985 में डच फर्म के साथ डच द्विपक्षीय सहायता के अन्तर्गत एक करार किया था। फर्म ने चैनल, उर्वरक वर्थ और सैंड ट्रैप के एक भाग की ड्रेजिंग पूरी कर ली है और डच फर्म द्वारा सैंड ट्रैप के शेष भाग की ड्रेजिंग आगामी अच्छे मौसम में पूरी की जाएगी।

(ग) से (ङ) कोयला हैंडलिंग सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए हालैंड की फर्म मैसर्स ई एस० टी० बी० सी० इजमुइडेन को मौजूदा लौह अयस्क हैंडलिंग प्लांट के, जिसकी आकल्पित क्षमता 4 मिलियन टन प्रति वर्ष है, निष्पादन में सुधार करने और तटीय कोयला हैंडलिंग प्लांट की अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करने की एक व्यावहारिकता रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया है। परियोजना के कार्यान्वयन पर व्यावहारिकता रिपोर्ट प्राप्त हो जाने और उसकी जांच कर लिए जाने के बाद विचार किया जायेगा। इस समय परादीप पोर्ट पर तेल सुविधाओं में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अमरीका में भारतीय डाक्टरों द्वारा कुछ भारतीय संस्थाओं में सतत चिकित्सा शिक्षा के एक कार्यक्रम में सहायता दान करना

669. **श्री श्रीहारे राव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका में भारतीय डाक्टरों ने कुछ भारतीय संस्थाओं में सतत चिकित्सा शिक्षा के कार्यक्रम में सहायता प्रदान करने की एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत में इस तरह चुनी गई संस्थाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिनमें चिकित्सा अध्ययन शुरू किया जायेगा ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) अमेरिकन भारतीय चिकित्सा संघ के प्रतिनिधियों ने सूचित किया था कि वे मेडिकल कालेजों और अन्य संथाओं में लेक्चर देने, सेमीनार संगोष्ठी आयोजित करने और कौशल का प्रदर्शन करने के लिए उन भारतीय मूल के डाक्टरों की सेवाएं प्रदान करना चाहेगें जो अपने देश छुट्टी पर आये हों। भारतीय आयूर्विज्ञान परिषद को इस कार्यक्रम की क्रियान्वियति के लिए नोडल प्लाईट के रूप में नामोदिष्ट किया गया है। वर्ष 1985 के लिए यह निर्णय किया गया है कि यह योजना निम्न-लिखित विशेषताओं और संस्थाओं में चलाई जायेगी।

1. मूत्र विज्ञान	एस० एम० मेडिकल कालेज, जयपुर
2. कर्डिलाजी और कार्डियो थोरासिस सर्जरी	1. जी० एस० मेडिकल कालेज और 2. के० ई० एम० अस्पताल, बम्बई।
3. तन्त्रिका विज्ञान और तन्त्रिका सर्जरी	एपोलो अस्पताल मद्रास
4. गैस्ट्रोलाजी	जी० बी० पन्त अस्पताल, नई दिल्ली।

कारगिल के लिए वायुदूत सेवाएं

670. **श्री पी० नामग्याल** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीनगर जम्मू और अन्य स्थानों को जोड़ने वाले जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में इन क्षेत्रों में लोगों की सतत मांग को देखते हुए निकट भविष्य में वायुदूत सेवाएं शुरू करने का है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कारगिल को जिसका वर्ष में छः महीने से अधिक समय देश के शेष भागों से सम्बन्ध कट जाता है, प्रधान मन्त्री द्वारा इस बात का आश्वासन दिए जाने के बाद भी, नागर विमानन विभाग द्वारा वायुदूत सेवा शुरू करने पर विचार नहीं किया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कारगिल विमान क्षेत्र पहले ही तैयार हो चुका है और हाल ही में वहां पर विमान भी उतरने लगे हैं;

(घ) यदि हां तो क्या वह कारगिल से वायुदूत सेवाएं प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने का विचार करेंगे; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) वायुदूत का एक डोर्नियर विमान के साथ जम्मू और कश्मीर में कुछ स्टेशनों तक विमान सेवा का प्रचालन करने का इरादा है। यह गैर-वायु-चालित विमान कारगिल तक प्रचालन करने के योग्य नहीं है, जो कि समुद्री सतह से 9575 फीट की ऊंचाई पर है।

(ग) कारगिल एक रक्षा एयर-फील्ड है और अभी तक इस स्टेशन तक कोई सिविल प्रचालन की योजना नहीं बनाई गई है।

(घ) और (ङ) कारगिल तक वायुदूत सेवा को चालू करने पर तभी विचार किया जा सकता है जब (1) कारगिल एयर फील्ड से/तक सिविल सेवाओं का प्रचालन करने के लिए रक्षा प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदन किया जाए (2) उस ऊंचाई पर परिचालन के लिए वायुदूत द्वारा उपयुक्त विमान प्राप्त के किए जाएं; और (3) परिचालन आर्थिक दृष्टि से साध्य हो।

मणिपुर और असम के बीच कांगपोकपी से डिफ्हु तक एक नये राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

671. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर सरकार ने मणिपुर से असम के बीच कांगपोकमी से डिफ्हु तक एक नए राजमार्ग के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता हेतु केंद्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इम्फाल से दिमापुर होकर जाने वाला वर्तमान मार्ग अपर्याप्त है उसके लिए तिनसुखिया मेल और असम मेल रेल लाइनों तक पहुंचने वाली एक अन्य वैकल्पिक सड़क की आवश्यकता है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों के लिए उत्तरदायी है। चूंकि माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित वैकल्पिक सड़क का भाग होगी अतः मणिपुर और असम की सरकारें इसके निर्माण और अन्य मामलों के लिए उत्तरदायी है।

देश में भू-जल विज्ञान सर्वेक्षण करना

672. श्री अमर सिंह राठवा
श्री चिन्तामणि जेना : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भू-जल संसाधनों के विकास के लिए देश में और विशेषकर देश के सूखाग्रस्त और अदिवासी क्षेत्रों में भू-जल विज्ञान सर्वेक्षण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं और उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) जिन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किए जाने की सम्भावना है उनका ब्यौरा क्या है और इस काम के कब तक पूरा हो जाने की सम्भाना है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड सूखा प्रवण तथा अदिवासी क्षेत्रों सहित देश के भू-जल संसाधनों के विकास की आयोजना के लिए जल भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण संचालित कर रहा है। इन सर्वेक्षणों के तहत देश के 32.88 लाख वर्ग किलो मीटर के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से बोर्ड ने सूखा प्रवण तथा आदिवासी क्षेत्रों समेत 20.32 लाख वर्ग किलोमीटर को छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पहले ही कवर कर लिया है। शेष क्षेत्रों को जल भू वैज्ञानिक सर्वेक्षणों तथा दूरस्थ संवेदन जैसी अन्य आधुनिक तकनीकों द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कवर किए जाने का प्रस्ताव है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा पर नोट

673. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य शिक्षा पर एक नोट तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नोट में कुछ गांवों में दी गई सुरक्षात्मक चिकित्सा परिचय शिक्षा के परिणामों की आलोचना की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार सुरक्षात्मक चिकित्सा परिचय को, विशेष रूप से गांवों में पुन: आयोजित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी नहीं।

(ख) अलबत्ता, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद से अध्ययन अनुदान प्राप्त करने वाले एक अन्वेषक से अभी हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान को एक अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें तीन राज्यों में स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम में कुछ कमियों का उल्लेख किया गया है।

(ग) और (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने इस रिपोर्ट का, उसमें इस्तेमाल की गई कार्य प्रणाली और निकाले गये निष्कर्षों का अभी मूल्यांकन करना है। अतः किसी प्रकार की कार्रवाई करना असामयिक है।

[हिन्दी]

डी० टी० सी० बसों में जाली टिकटें तथा जाली कूपन

674. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या **पनिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 सितम्बर, 1985 के नवभारत टाइम्स में प्रकाशित बसों में जाली टिकट-जाली कूपन" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) इसके कारण अब तक सरकार को कितनी वित्तीय हानि हुई है;

(घ) इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या व्यापक कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) तवभारत टाइम्स के सम्वादाता से सम्पर्क स्थापित कर उक्त जाली कूपनों की मांग की गई। निगम की हर सम्भव कोशिश के बावजूद ये कूपन नहीं उपलब्ध हो सके हैं। जब तक ये जाली कूपन नहीं मिल जाते हैं तब तक न तो कूपनों की असलियत का पता लगाया जा सकता है और न कोई कार्रवाई ही की जा सकती। अभी तक दिल्ली परिवहन निगम के पदाधिकारी के समक्ष जाली कूपनों का कोई भी मामला सामने नहीं आया है।

भोपाल में रेल-मरम्मत वर्कशाप

675. **श्री सुभाष यादव** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भोपाल में रेल मरम्मत वर्कशाप स्थापित करने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : मध्य रेलवे ने भोपाल में सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना

के लिए अपेक्षित सम्पूर्ण भूमि का अधिग्रहण कर लिया है। मुवावजे के रूप में भूमि अधिग्रहण अधिकारी, भोपाल को 60.00 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान कर दिया गया है। सुरक्षा दीवार का निर्माण तथा निर्माण संगठन की स्थापना आदि प्रारम्भिक कार्य पहले ही शुरू हो चुके हैं। काम की प्रगति तेज करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

स्नेहकों (ल्यूब्रिकेन्ट्स) का आयात

676. **प्रो० राम कृष्ण मोरे**
डा० ए० के० पटेल
श्री सी० अंगा रेड्डी } : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है की जबकि सरकारी क्षेत्र के भारत-अमरीका उद्यम (ल्यूब्रीजोल) द्वारा उत्पादित स्वदेशी स्नेहक भी उतना ही अच्छा है तब भी रेलवे ने इसे आयात करना बेहतर समझा जिससे कि देश को भारी विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों (वर्षवार) के दौरान रेलवे द्वारा आयात किये गये स्नेहकों की मात्रा क्या है तथा इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई; और

(ग) स्नेहकों को आयात करने के क्या कारण हैं जबकि यह देश में ही उपलब्ध है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) रेलें स्नेहकों का आयात नहीं करती हैं जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्रों की दो कंपनियों जैसे मैसर्स इंडियन आयल कारपोरेशन तथा मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली में मिश्रित ईंधन बसें चलाना

677. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार दिल्ली में मिश्रिम ईंधन बसें चलाने का है;

(ख) यदि हां तो कब तक इन बसों को चलाने विचार है;

(ग) क्या किसी अन्य स्थान पर पहले मिश्रिम ईंधन बसें चलाई गई हैं;

(घ) यदि हां तो इन स्थानों के क्या नाम हैं, और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या ऐसी बसों को प्रयोगात्मक आधार पर चलाने का विचार है?

जल भू तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट): (क) से (ङ) भारतीय पैट्रोलियम संस्थान ने डीजल के स्थान पर वैकल्पिक ईंधन सम्बन्धी अनुसंधान परियोजना के एक भाग के रूप में व्यापक प्रयोगशाला परीक्षण किए हैं जिनका उद्देश्य ट्रकों और बसों के लिए मिश्रत ईंधन के रूप में मथानोल मिश्रत उपयोग की सम्भावना का पता लगाना है। उनके द्वारा फील्ड परीक्षण किए जाने हैं। दिल्ली परिवहन निगम ऐसे फील्ड परीक्षण के लिए कुछ बसें सुलभ कराने के लिए सहमत हो गया है।

प्रायोगिक आधार पर मद्रास में मिश्रत ईंधन से चलने वाली बसों (डीजल-एल पी जी) का परीक्षण किया गया है और महाराष्ट्र में वी आर डी ई द्वारा एल पी जी प्राकृतिक गैस से चलने वाली बसों का परीक्षण किया गया है।

[अनुवाद]

विश्व बैंक की सहायता से आधुनिकीकरण और विस्तार योजना तथा माल डिब्बों का निर्माण

678. श्री पी० कुलन्दईवेलू : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे को विश्व बैंक की सहायता से आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम मिला है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम में रेल माल डिब्बों का और अधिक निर्माण किया जाना शामिल है, और

(घ) क्या यह समयबद्ध कार्यक्रम है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंशी लाल) : (क) विश्व बैंक ने कुछ रेल परियोजनाओं के लिए सहायता दी है, जो मुख्यतः कारखाना आधुनिकीकरण, विद्युतीकरण और उपस्करों के प्रागण के लिए है।

(ख) एक चालू क्रेडिट/ऋण के अन्तर्गत प्रदान की गई सहायता 400 मिलियन अमरीकन डालर है तथा एक अन्य चालू ऋण के अन्तर्गत दी गयी सहायता 280 मिलियन रुपये है।

(ग) यह सहायता माल डिब्बों के निर्माण के लिए पुर्जों की खरीद हेतु भी है।

(घ) जी हां।

हेलीकाप्टर निगम

679. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों द्वारा चलाये जाने वाले प्रस्तावित हेलीकोप्टर निगम केवल राज्य सरकारों के अधीन होंगे;

(ख) यदि हां, तो पर्याप्त संख्या में हेलीकोप्टर प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अगदीश टाईटलर) (क) : जी, नहीं । भारतीय हेलिकॉप्टर निगम का पंजीकरण कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन एक सरकारी कम्पनी के रूप में किया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार का इक्विटी अंशदान 51 प्रतिशत और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का इक्विटी अंशदान 49 प्रतिशत होगा ।

(ख) और (ग) इस बारे में विचार किया जा रहा है कि कम्पनी द्वारा किस किस्म के और कितने हैलिकाप्टर लिए जाएं ।

अधिमूल्य पर रेल टिकटों/शायिकाओं का अग्रम आरक्षण

680. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालुम है कि भारतीय रेलवे में अग्रिम आरक्षण की प्रणाली के कारण भारतीय रेलों में सभी सीटें/शायिकाएं लोगों/एजेन्सियों द्वारा पहले ही बुक कर ली जाती हैं, जो टिकटों को अधिमूल्य पर बेचती है ।

(ख) क्या यह भी सच है कि वेतन-भोगी कर्मचारी कई महीने पूर्व छुट्टियां नहीं ले सकते हैं और व्यापारी भी अपने व्यवसायिक यात्रा की तारीख पहले निर्धारण नहीं कर सकते हैं और इसलिए आरक्षण प्राप्त करने के लिए उन्हें अधिमूल्य देना पड़ता है क्योंकि अल्पसूचना पर रेलगाड़ियों में आरक्षण नहीं मिलता है;

(ग) क्या वह किसी ऐसे उपाय पर विचार कर रहे हैं जिससे यह निश्चित हो सके कि कोई भी व्यक्ति अपातकाल के समय अल्प सूचना पर यात्रा कर सके, और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंशी लाल) : (क) जी नहीं, यह सही नहीं है ।

(ख) कतिपय अल्प दूरी की सेल/एक्सप्रेस गाड़ियां के लिए अग्रिम आरक्षण केवल 3 से 10

दिन पहले खोले जाने हैं। लम्बी दूरी की गाड़ियों के सम्बन्ध में स्कूलों, कालिजों, न्यायालयों आदि की छुट्टियों के दौरान की जाने वाली यात्राओं अथवा वेतन भोगी तथा व्यापारिक समुदायों द्वारा शादियों, अन्य सामाजिक/सांस्कृतिक समारोहों/उत्सवों, व्यापार सम्मेलनों आदि के सिलसिले में की जाने वाली यात्राओं के लिए अग्रिम कार्यक्रम बनाना सामान्यतः व्यावहारिक होता है। केवल छुट्टियों, शादी/त्यौहार के सीजन आदि जैसी व्यस्त अवधियों के दौरान ही गाड़ियों में काफी समय पहले स्थान बुक करा लिये जाते हैं। अन्य अवधियों में अल्प सूचना पर भी गाड़ी में सामान्यत; स्थान प्राप्त हो जाता है।

(ग) और (घ) जी नहीं। अल्प सूचना पर यात्रियों को आरक्षण उपलब्ध कराने की किसी विशेष योजना का दुरुपयोग होगा तथा आरक्षणों में कदाचार और बढ़ेगा।

पार्श्व सड़क परियोजना

681. **श्री डुमर लाल बैठा** : क्या परिवहन मन्त्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पार्श्व सड़क परियोजना के विकास तथा उसके वित्तपोषण का सरकार द्वारा प्रस्ताव किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्यौरा क्या है तथा सड़क एवं इसके लिए धन की वर्तमान स्थिति क्या है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाईलट) : (क) जी हां।

(ख) पार्श्व सड़क परियोजना में, लखीमपुर, बहराइच, बस्ती, गोरखपुर, कासिया, पिपरा, मुजफ्फरपुर, बरौनी, पुरुनिया, फूलवारिया, अररिया, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, हाशीमारा, कोछुरगांव, सिदली होते हुए उत्तर प्रदेश में बरेली और असम में अमीनगांव के बीच मुख्य सड़क और बिहार में सगौली से बेतिया, मुजफ्फरपुर से दरभंगा, तथा अररिया से फरबसगंज छोटी-छोटी सड़कें शामिल हैं। इस योजना में शामिल सड़कों को, सम्बद्ध राज्य सरकारों ने भारत सरकार से वित्तीय सहायता लेकर 1962-1973 के दौरान विकसित और पूरा किया।

[हिंदी]

हेलीकाप्टरों की खरीद और हेलीकाप्टर निगम स्थापित करना

682. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत**
श्री चिन्तामणि जेना } : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हेलीकाप्टर निगम की स्थापना कब तक हो जाएगी और इस निगम द्वारा कितने

हेलीकाप्टर रखे जाने का प्रस्ताव है, उन देशों के नाम तथा उन कम्पनियों के नाम क्या हैं, जहां से ये हेलीकाप्टर खरीदने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या पहाड़ी क्षेत्रों के अलावा पर्यटक स्थलों को भी हेलीकाप्टर सेवा के माध्यम के बड़े हवाई अड्डों से जोड़ने का विचार है; और

(ग) इन हेलीकाप्टरों में सवारियों के बैठने की क्षमता कितनी है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) भारतीय हेलीकाप्टर निगम को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन सरकारी कम्पनी के रूप में 15 अक्तूबर, 1985 को पंजीकृत किया जा चुका है। कम्पनी द्वारा खरीदे जाने वाले हेलीकाप्टरों की संख्या और उनकी किस्म पर विचार किया जा रहा है।

(ख) विशेषज्ञों की एक समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, पर्यटक चार्टरों के लिए हेलीकाप्टर सेवाओं की मांग का सर्वेक्षण किया था जिसकी रिपोर्ट विचाराधीन है। पर्यटक चार्टरों के लिए हेलीकाप्टरों की व्यवस्था, विमान क्षमता की उपलब्धता, आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के विकास और प्रचालनों की आर्थिक साध्यता पर निर्भर होगी।

(ग) हेलीकाप्टरों में सीटों की क्षमता, चुने गए हेलीकाप्टरों के स्वरूप पर निर्भर करेगी।

बागमती सिंचाई परियोजना

683. **श्री राम श्रेष्ठ खिरहर** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीतामढी जिले (बिहार) में बागमती सिंचाई परियोजना गत 15 वर्षों से निर्माणाधीन है;

(ख) क्या इस पर भारी धनराशि खर्च की जा चुकी है और किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि नहर तथा बांध के पानी में डूब गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कब तक पूरी होने की आशा है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) से (ग) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि बागमती परियोजना पर निर्माण कार्य 1870-71 में शुरू किया गया था और सितम्बर, 1985 तक इस पर 27·77 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं तथा बराज एवं नहर के कार्य को अभी तक हाथ में नहीं लिया गया है, अतः इससे कोई खेती वाली भूमि जलमग्न नहीं हुई है। निधियां उपलब्ध होने के अध्याधीन राज्य सरकार का इस परियोजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरा करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

भारत में कोरोनरी एंगियोग्राम और कोरोनरी बाई-पास सर्जरी के लिए केन्द्र

684. **श्री मूल चंद डागा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोरोनरी एंगियोग्राम और कोरोनरी बाई-पास सर्जरी भारत में किन-किन केन्द्रों में की जाती है;

(ख) कोरोनरी बाई-पास सर्जरी के लिए मरीजों को विदेश भेजने के लिए क्या मापदण्ड अपनाए गए हैं;

(ग) पिछले तीन वर्ष के दौरान विदेशों में स्थित केन्द्रों को इस प्रकार के मामले प्रायोजित करने पर सरकार द्वारा कितना खर्च किया गया; और

(घ) इस प्रकार के मामलों को सरकारी खर्च पर विदेश भेजने का क्या औचित्य है जबकि यह सुविधायें भारत में उपलब्ध हैं और यह धन उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिनको आधारभूत चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) कोरोनरी एंगियोग्राम सहित कोरोनरी बाई-पास सर्जरी कर रहे अस्पतालों के नामों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) किसी रोगी को इलाज के लिए विदेश भेजने या रूपान्तर करने हेतु केन्द्रीय सरकार की कोई नीति नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सामान्य दिशा-निर्देश निर्धारित किए गये हैं जिनके अन्तर्गत चिकित्सकों की राय के अनुसार देश में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध न होने तथा विदेश में ऐसे उपचार प्राप्त करने की वांछनीयता को देखते हुए विदेशी मुद्रा जारी की जाती है। वैसे, सरकार केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों को चिकित्सा खर्च की सीमित प्रतिपूर्ति करने की अनुमति देती है जिन्होंने कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसे उपचार की सुविधाएं स्वयं विदेश में प्राप्त की हों। यह अनुमति कुछ विशिष्ट मामलों तक ही सीमित होती है।

(ग)और (घ) ऊपर (ख) के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

कोरोनरी बाई-पास सर्जरी कर रहे अस्पतालों की सूची

1. दक्षिणी रेलवे मुख्यालय अस्पताल, पेराम्बूर, मद्रास।
2. क्रिश्चियन मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, वेलोर।

3. के० एम० अस्पताल, बम्बई ।

4. जसलोक अस्पताल, बम्बई ।

5. श्री चित्र तिरूमल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम ।

6. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ।

7. जी० बी० पन्त अस्पताल, नई दिल्ली ।

8. बम्बई अस्पताल, बम्बई ।

9. अपोलो अस्पताल, मद्रास ।

10. नानावती अस्पताल, बम्बई ।

11. ब्रीच कैंडी अस्पताल, बम्बई ।

12. कस्तूरबा अस्पताल, मनीपाल ।

कलाड़ी, केरल में संस्कृत विश्वविद्यालय

685. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का कलाड़ी, केरल में, जो श्री शंकर का जन्म स्थान है, सस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने का कोई प्रस्ताव है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं ।

राजस्थान द्वारा गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण पर भाग की अदायगी

686. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार को गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण पर व्यय के अपने भाग की अदायगी करनी बकाया है;

(ख) राजस्थान सरकार को व्यय के कितने भाग की अदायगी करनी है;

(ग) यह कितने समय से बकाया है; और

(घ) क्या अन्य दो लाभग्राही राज्य अर्थात् महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने परियोजना पर व्यय के अपने-अपने भागों की अदायगी पहले ही कर दी गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) जी, हां।

(ख) मार्च, 1985 तक 11.01 करोड़ रुपए।

(ग) 1979-80 में परियोजना के क्रियान्वयन के आरम्भ से संबंधित वर्ष से वार्षिक हिस्से का अंशदान बकाया है।

(घ) महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश की सरकारों ने अपने हिस्से की अधिकांश राशियों का भुगतान गुजरात सरकार को कर दिया है।

बबम्ई पत्तन न्यास के अतिरिक्त धन को अन्य पत्तनों को दिया जाना

688. **श्री बी० बी० देसाई**
श्री शरद दिघे } : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बम्बई पत्तन न्यास के अतिरिक्त धन का एक प्रमुख भाग देश के कम आय वाले अन्य पत्तनों को देने की योजना बना रही है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या मन्त्रालय ने प्रमुख पत्तन न्यास अधिनियम के अन्तर्गत बम्बई पत्तन न्यास को धन की कमी वाले पत्तनों को ऋण देने का निदेश जारी किया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बम्बई पत्तन की क्षमता में वृद्धि नहीं करना चाहती है;

(घ) क्या योजना आयोग ने अब पत्तनों के लिए सातवीं योजना के परिव्यय में कमी कर दी है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ?

जल भू तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) बम्बई पोर्ट ट्रस्ट से अनुरोध किया गया है कि वह अपनी अतिरिक्त निधि से कुछ धन अन्य महापत्तनों की योजनाओं के लिए उपलब्ध कराये।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार ने अनेक स्कीमों को अनुमोदित किया है जिससे सातवीं योजना के दौरान बम्बई पत्तन की क्षमता में वृद्धि होगी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता।

स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी केरल की सिंचाई परियोजनाएं

689. **श्री के० कुन्जम्बू** . क्या जल संसाधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल की कौन-कौन सी प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं केन्द्र के पास स्वीकृत के लिए अभी भी लंबित पड़ी हैं;

(ख) क्या इनमें से किसी परियोजना को स्वीकृति देने में अनावश्यक विलम्ब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी परियोजनाओं को अंतिम स्वीकृति कब तक दिए जाने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) केरल द्वारास्वीकृति हेतु भेजी गई बृहद तथा मध्यम परियोजनाओं के नाम और उनकी वर्तमान स्थिति निम्नवत है ।

बृहद स्कीमें	वर्तमान स्थिति
1. चिमोनी सिंचाई परियोजना	परियोजना पर योजना आयोग की सलाहकार समिति की टिप्पणियां राज्य सरकार को उनके स्पष्टीकरण हेतु 1983 में भेज दी गई थीं । राज्य सरकार को स्कीम के अद्यतन अनुमान भी प्रस्तुत करने हैं ।
2. मोय्यार सिंचाई परियोजना का आधुनिकीकरण	राज्य सरकार को 1984-85 के दौरान भेजी गई केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के उत्तर राज्य सरकार द्वारा भेजे जाने हैं ।
3. इदमालयार सिंचाई परियोजना	केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियां राज्य सरकार को 1983-84 के दौरान भेजी गई थीं । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वे अनुमानित लागत को कम करने के लिए परियोजना का पुनः मूल्यांकन कर रहे हैं ।
4. कट्टियाडी ऑगमवटेशन बहुपयोजनी परियोजना	इस परियोजना में कावेरी नदी बेसिन जल का उपयोग शामिल है तथा केरल द्वारा अन्य बेसिन राज्यों की सहमति प्राप्त की जानी है ।

मध्यम स्कीमें

1. मीनाचिल नदी घाटी परियोजना	केन्द्रीय जल आयोग ने दिसम्बर, 1984 तथा मार्च, 1985 के दौरान परियोजना पर टिप्पणियां भेजी हैं।
2. चमरावटम पर नियामक एवं बराज	परियोजना पर टिप्पणियां अक्तूबर, 1984 तथा मार्च, 85 में भेजी गई हैं।

दोहरी घाट और इन्दारा-बम्बई-कलकत्ता आदि के बीच रेल टिकटों की बिक्री में गिरावट

690. **श्री राज कुमार राय** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दोहरीघाट और इंदारा (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच रेल टिकटों की बिक्री में गिरावट आने के क्या कारण हैं और दोहरीघाट से बम्बई, कलकत्ता आदि की टिकटों की बिक्री से वर्तमान आय में तीन वर्ष पहले की तुलना में कितनी प्रतिशत गिरावट आई है;

(ख) क्या वराणसी से दोहरीघाट छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदल कर इस आय को दस वर्ष पहले की आय के लगभग बढ़ाया जा सकता है;

(ग) क्या यह सच है कि सभी महत्वपूर्ण रेल गाड़ियां मुगलसराय और वाराणसी होकर गुजरती हैं और यदि हां, तो क्या वाराणसी तथा दोहरी घाट के बीच छोटी रेल लाइन होने के कारण तथा वहां रेलगाड़ियों के समय पर न चलने की वजह से यात्री मुगलसराय और वाराणसी के बीच अन्य कीमती परिवहनों से यात्रा करते हैं, और

(घ) यदि हां, तो सरकार का दोहरी घाट क्षेत्र तथा इसके निकटस्थ क्षेत्रों के यात्रियों के हित में उक्त समस्याओं का समाधान करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंशी लाल) : (क) दोहरीघाट तथा इन्दारा के बीच के रेलवे स्टेशनों पर रेल टिकटों की बिक्री में गिरावट केवल निम्नलिखित मुख्य कारणों से है।

(1) दोहरी घाट-मऊ खंड, दोहरी घाट-गोरखपुर सेक्टर तथा आजमगढ़ जनपद, द्वारा सेवित अन्य खंडों पर सरकारी तथा प्राइवेट बसों/टैक्सियों की अधिक आवर्ती के कारण।

(2) रेल सेवाओं की पुलना में सड़क सेवाएं सस्ती और शीघ्रगामी हैं।

(ख) वाराणसी-भटनी खंड का आमान परिवर्तन होने से दोहरी घाट इन्दारा खंड के रेलवे स्टेशनों पर आमदनी में वृद्धि होने की सम्भावना नहीं है।

(ग) यह सही नहीं है कि वाराणसी तथा दोहरी घाट के बीच मीटर लाइन होने के कारण यात्रीगण यातायात के अन्य महंगे साधनों द्वारा यात्रा करना पसंद करते हैं । यह भी सही नहीं है कि यात्री गाड़ियां समय पर नहीं चलती हैं ।

(घ) उपयुक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम की विफलता के बारे में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट

691. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की अध्ययन रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें यह उल्लेख किया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रभावकारी दवाइयों की व्यवस्था तथा चिकित्सकों की अनुपलब्धा से सरकार के स्वास्थ्य कार्यक्रमों की विश्व-सनीयता में कमी होने के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम विफल हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सातवीं योजना में इन कमियों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने सूचित किया है कि परिषद को केवल इस मास में ही उस अन्वेषक से, जिसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद से अध्ययन अनुदान मिला था एक रिपोर्ट मिली है । यह अन्वेषक "भारत के तीन राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा उपयोग न करने के बारे में एक तुलनात्मक अध्ययन में व्यस्त था । जिस अन्वेषक ने यह अध्ययन किया, वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि केरल, गुजरात और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम इसलिए असफल हुआ क्योंकि कारगर दवाइयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों के उपलब्ध न होने के कारण लोगों का सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रति विश्वास कम हो गया था । चुंकि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अभी इस रिपोर्ट की जांच करनी है, इसलिए इस्तेमाल की गई प्रक्रिया और निकाले गये निष्कर्षों की वैधता को अभी निर्णायिक समझना असामयिक है ।

बम्बई और पणजी के बीच तटीय यात्री नौवहन सेवा को तेज करना

692. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम तट पर बम्बई से पणजी के लिए विद्यमान तटीय यात्री नौवहन सेवा में तेजी लाये जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम तट पर समुद्र द्वारा शीघ्र यात्रा सुलभ कराने हेतु उपयोगी तेज रफ्तार वाली नौकाएं जल्द ही चलाई जायेंगी;

(ग) यदि हां, तो इन नौकाओं की यात्रा वाहक क्षमता कितनी होगी; और

(घ) इस मांग पर यात्री-भाड़ा ढांचा क्या होगा ?

जलभूतल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) और (ख) बम्बई और पणिजी के बीच वर्तमान तटीय यात्री जलयान सेवा में तेज गति वाले जलयान चलाने के बारे में सरकार का फिलहाल कोई इरादा नहीं है ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नही उठता ।

राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की बैठक

693. **श्री बी० तुलसी राम** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राजधानी में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें चर्चा किये गये विषयों का ब्यौरा क्या है और उसमें विशेषतया सहयोग के तंत्र के रूप में प्रत्येक अन्तर्राज्यीय नदी के लिए एक स्थायी नदी आयोग स्थापित करने के संदर्भ क्या निर्णय लिये गये हैं;

(ग) सरकार इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लेगी;

(घ) क्या इस प्रयोजन के लिये निकट भविष्य में राज्य के मुख्य मंत्रियों की कोई बैठक बुलाई जायेगी; और

(ङ) यदि हां, तो कब यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) एक राष्ट्रीय जल नीति बनाने से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् की प्रथम बैठक 30 अक्तूबर, 1985 को आयोजित की गई ।

(ख) परिषद का एकमत था कि जल को अमूल्य और दुर्लभ राष्ट्रीय संसाधन समझा जाये और इस पर इसी प्रकार से विचार किया जाये और यह भी कि एक राष्ट्रीय जल नीति तैयार करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि भूतल तथा भूमिगत दोनों में उपलब्ध जल संसाधनों का समग्र राष्ट्रीय हित में इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके । किसी अन्तर्राज्य नदी के लिए एक स्थायी नदी आयोग गठित करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया था ।

(ग) से (ङ) परिषद् ने केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में एक दल गठित करने

का निर्णय किया जो परिषद् द्वारा विचार किए जाने के लिए छः महीने के भीतर एक राष्ट्रीय जल नीति प्रलेख तैयार करेगा।

[हिन्दी]

छितौनी में घाघरा पर रेल और सड़क पुल का निर्माण

694. **श्री कुंवर राम** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोरखपुर डिवीजन में छितौनी में घाघरा पर एक रेल और सड़क पुल का निर्माण सातवीं योजनावधि के दौरान पूरा होने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, रेल प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार द्वारा इसके लिए कितनी राशि आबंटित की गई है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, गंडक नदी पर (न कि घाघरा नदी पर एक रेल-एवं-सड़क पुल) रेल पुल के निर्माण सहित छितौनी-बगहा भीतर लाइन रेल सम्पर्क के पुनः स्थापना के लिए रेलवे 3.98 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है और बगहा से वाल्मीकि नगर तक का खंड (9 कि. मी.) पूरा करके उसे यातायात के लिए खोल दिया है। इस कार्य के लिए 1985-86 के रेलवे बजट में केवल सांकेतिक आबंटन किया गया है। 1982 में इस परियोजना पर कुल 61 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान लगाया गया है जिसमें रेलवे के हिस्से की राशि 23 करोड़ रुपये और राज्य सरकार के हिस्से की राशि 38 करोड़ रुपये है। उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य सरकारों ने क्रमशः केवल 3 करोड़ रुपये और 2 करोड़ रुपये जमा किये हैं। अपने हिस्से की बढ़ी हुई लागत वहन करने के लिए उनकी वचनबद्धता की प्रतीक्षा है।

[अनुवाद]

बम्बई मध्य रेलवे डिवीजन में रेलवे स्टालों की लाइसेंस फीस और किराये में वृद्धि

695. **श्री एस० जी० घोलप** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई मध्य रेलवे डिवीजन में हाल ही में रेलवे स्टालों की लाइसेंस फीस और किराया बढ़ा दिया है और वह भी वर्ष 1974 से भूतलक्षी प्रभाव से है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह रेलवे बोर्ड द्वारा दिनांक 25-1-1969 की अधिसूचना सं० 68 टी० जी० III 670/पी० ओ०/आर० सी-पी ए सी में निर्धारित नीति के प्रतिकूल है; और

(ग) यदि हां, तो बोर्ड ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) मध्य रेलवे के बम्बई मंडल पर खान-पान के स्टालों के किराये में 1974 से पूर्वव्याप्ति सहित जून, 1974 में संशोधन किया गया था। लाइसेंस शुल्क में यथोचित समय पर संशोधन किया गया था।

(ख) जी नहीं बोर्ड की दिनांक 25-1-1969 की अधिसूचना सं० 68-टी जी-3/670/10/आर सी पी एसी लाइसेंस शुल्क के संशोधन से सम्बन्धित है, न कि किराया प्रभार से।

(ग) इस संशोधन के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उनकी जांच की जा रही है।

छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना में रेलवे विभाग को रेल डिब्बे तथा चल स्टाक की खरीद के लिए अधिक धन राशि का आबंटन

696. **श्री सैफुद्दीन चौधरी**
श्री नरायण चौबे } : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे विभाग द्वारा योजना आयोग से की गई राशि की मांग की तुलना में रेलवे विभाग के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितना धनराशि का आबंटन किया गया है तथा 1985-86 के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या रेल विभाग को 1985-86 के लिए आबंटित की जाने वाली धनराशि में हाल ही में वृद्धि की गई है और यदि हां, तो राशि में हाल ही में कितनी वृद्धि की गई है;

(ग) क्या रेलवे को आबंटित की गई अधिक धनराशि का उपयोग अधिक रेल डिब्बेतथा अन्य चल स्टाक खरीदने के लिए किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो क्या पूर्ति कार्यक्रम सुनिश्चित करने के लिए इस बारे में आवश्यक क्रिया-देश जारी किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो कब, और

(च) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में रेलों के लिए आबंटन की राशि 12,334 करोड़ रुपये है।

योजना आयोग द्वारा गठित कार्यकारी ग्रुप ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में रेलों के लिए 18,500 करोड़ रुपये के आबंटन का प्रस्ताव किया था। वर्ष 1985-86 के लिए 1650 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया था तदनुसार योजना आयोग द्वारा 400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आबंटन अनुमोदित किया गया है, लेकिन अभी उसे संसद द्वारा स्वीकृति दी जानी है।

(ग) जी हां, अन्य अनिवार्य आवश्कताओं के साथ-साथ।

(घ) 7000 और माल डिब्बों की खरीद के आर्डर जारी कर दिये गये हैं।

(ङ) 4-11-1985 को।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता की मेट्रो रेल परियोजना

697. **श्री अनिल बसु** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि प्रधान मंत्री का कार्यालय कलकत्ता की मेट्रो रेल परियोजना की प्रगति पर निगरानी रखा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो प्रधान मंत्री के कार्यालय ने निगरानी रखने का कार्य कब से आरम्भ किया है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां। मासिक फलैश रिपोर्ट निगरानी प्रणाली के भाग के रूप में मेट्रो रेलवे परियोजना, कलकत्ता की प्रगति की निगरानी प्रधान मंत्री द्वारा रखी जा रही है।

(ख) मार्च, 1982।

दामोदर घाटी निगम के पंचेट बांध की क्षमता में वृद्धि

698. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दामोदर घाटी निगम के पंचेट बांध की क्षमता बढ़ाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) (क) : जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नकद प्रोत्साहन देकर परिवार नियोजन को बढ़ावा देना

699. **श्री राजकान्त डिघाल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार नगद प्रोत्साहन देकर परिवार कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए प्रस्तावित कार्यक्रम क्या है;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि निर्धारित की गयी है;

(घ) क्या यह कार्यक्रम प्रारम्भ में केवल कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए ही रखा गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके लिए कौन से राज्य और संघ राज्य क्षेत्र चुने गये हैं; और

(च) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (च) परिवार नियोजन को बढ़ावा देने हेतु नकद प्रोत्साहन देने संबंधी किसी नई योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

इंडियन एयरलाइन्स की कलकत्ता जाने वाली उड़ानों से यात्रियों का उतारा जाना

700. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 अक्तूबर 1985 के "इन्डियन एक्सप्रैस" में पैसेंजर्स आफ्लेंडिड फ्राम इन्डियन एयरलाइन्स फ्लाइटस" शीर्षक से प्रकाशित सामाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि 29 अक्तूबर 1985 (मंगलवार) को इन्डियन एयर-लाइन्स की कलकत्ता जाने वाली उड़ान के पुष्टिकृत टिकट धारी यात्रियों को उतार दिया गाया था; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पूर्ण तथ्य क्या है तथा यात्रियों को उतारने के क्या कारण थे तथा भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) 29 अक्तूबर, 1985 की दिल्ली-कलकत्ता की सुबह की उड़ान में, दस ऐसे यात्रियों को, जिनके पास कलकत्ता स्थित इन्डियन एयरलाइन्स के एजेन्ट द्वारा जारी किए गए पुष्टीकृत टिकट थे, विमान में जगह नहीं मिल सकी क्योंकि उनके नाम कंप्यूटर द्वारा निकाली गई सूची में नहीं थे। जिन यात्रियों के पास पक्के टिकट थे और जिन्हें सुबह की उड़ान में जगह नहीं मिल सकी,

उन्हें उसी दिन परिचालित की गई विशेष उड़ान से भेजा गया। उन दसात्रियों को जिनके पास 29 अक्तूबर को दिल्ली कलकत्ता कि सायंकालीन उड़ान के पुष्टीकृत टिकट थे, विमान में जगह नहीं दी जा सकी क्योंकि उड़ान में निर्धारित संख्या से अधिक यात्रियों की बुकिंग हो चुकी थी। इन यात्रियों को होटल आवास उपलब्ध कराया गया और अगले दिन इन्हें सुबह की उड़ान से कलकत्ता भेजा गया।

विमान क्षमता का अधिकतम उपयोग करने और प्रतीक्षा-सूची में यात्रियों की संख्या कम करके उड़ानों का समय पर प्रस्थान सुनिचित करने की दृष्टि से सभी जेट उड़ानों में थोड़ी प्रतिशत में सुनियोजित रूप से निर्धारित संख्या से अधिक बुकिंग की जाति है। यह तरीका विश्व की सभी एयरलाइनों द्वारा अपनाया जाता है। इस विशेष दिन में आखरी क्षणों में भी किसी यात्री ने अपना टिकट रद्द नहीं करवाया जिसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त स्थिति हो गई। इंडियन एयरलाइन्स ने अब तत्काल जेट उड़ानों पर निर्धारित संख्या से अधिक बुकिंग का स्तर घटाकर 5% कर दिया है। ऐसी आशा है कि इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में नहीं होगी।

[हिन्दी]

दिल्ली और सूरत के बीच सीधी विमान सेवा

701. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और सूरत (गुजरात) के बीच सीधी विमान सेवा शुरू करने की मांग काफी समय से की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यह सेवा कब तक शुरू कर दी जाएगी और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) फिलहाल सूरत और दिल्ली के बीच सीधी विमान सेवा की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राजस्थान में रेल मार्गों का बदला जाना और अजमेर में पी. आर. सी. स्लीपर्स यूनिट की स्थापना

702. **श्री विष्णु मोदी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे द्वारा रेल पटरी परिवर्तन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रेस्ट्रिस्ड रेइनफोर्सड कंक्रीट का प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राजस्थान में रेलवे डिवीजनों के अन्तर्गत रेल पटरियों को बदलते समय पी. आर. सी. का उपयोग करने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने अजमेर (राजस्थान) में विभागीय स्तर पर अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में पी०आर०सी० का उत्पादन करने के लिये एक यूनिट स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) (ग) मीटर लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के कार्यक्रम में पूर्व प्रबलित कंक्रीट स्लीपरों का इस्तेमाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भविष्य में महत्त्वपूर्ण मीटर लाइन के मार्गों पर, जिनमें राजस्थान में पड़ने वाले कुछ मार्ग भी शामिल हैं, रेलपथ का नवीकरण करते समय पूर्व-प्रबलित कंक्रीट स्लीपरों का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन के लिए सातवीं योजना के अंत तक मीटर लाइन के 3.0 लाख कंक्रीट स्लीपरों का निर्माण करने की योजना तैयार की गयी है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) मीटर आमान की रेल लाइनों के लिए पूर्व-प्रबलित कंक्रीट स्लीपरों का निर्माण करने के लिए साबरमती में एक संयंत्र की स्थापना की जा रही है। इससे, तथा उत्तर रेलवे पर स्थापित किये जाने वाले एक और प्रस्तावित संयंत्र से राजस्थान में रेलवे मंडल के लिए मीटर आमान के पूर्व-प्रबलित कंक्रीट स्लीपरों की जरूरत पूरी हो जायेगी।

[अनुवाद]

इन्डियन एयरलाइन्स की सेवायें सुधारने हेतु उठाए गए कदम

703. **श्री डी० पी० जवेजा** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इन्डियन एयरलाइन्स की उड़ानों की नियमितता पर निगरानी रखती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1985 में नियमित उड़ानों का प्रतिशत क्या है;

(ग) इन्डियन एयरलाइन्स द्वारा देश में सेवाओं और शिष्टाचार में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे है;

(घ) क्या सीमा शुल्क सेवा के लिए विद्यमान तंत्र में सुधार लाया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) जनवरी, 1985 से सितम्बर, 1985 तक इन्डियन एयरलाइन्स का कुल पूर्णकालिक कार्य निष्पादन 75.8 प्रतिशत था और तकनीकी प्रेषण विश्वसनीयता लगभग 98 प्रतिशत थी।

(ग) उड़ानों में होने वाले विलम्ब पर नियमित रूप से नियंत्रण रखा जाता है और इन्डियन एयरलाइन्स के पूर्ण-कालिक कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाये जाते हैं। इन्डियन एयरलाइन्स अपने कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहती है और यात्रियों की सुविधाओं में सुधार की व्यवस्था करती है। फम्प्यूटरीकृत आरक्षण, बेहतर संचार, विक्रय प्रोत्साहन, विमान-बेड़े के अधिकतम उपयोग, खाद्य सेवा और सामान सम्भलाई सुविधाओं इत्यादि के माध्यम से निगम अपनी सेवा में सुधार करने के लिए उपाय कर रहा है।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

महिला खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों की व्यवस्था

705. **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एक ऐसी योजना आरम्भ करने का विचार है जिसके द्वारा राज्य स्तर पर फुटबाल, हाकी तथा क्रिकेट की महिला खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता दी जाएगी; और

(ख) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख) बरीयात के आदेश पहले ही विद्यमान हैं जिसके अन्तर्गत महिलाओं सहित ऐसे सराहनीय खेल व्यक्ति जिन्होंने फुटबाल, हाकी और क्रिकेट सहित विशिष्ट खेलों में राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य अथवा देश का प्रतिनिधित्व किया हो, भारत सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों द्वारा भर्ती पद्धति की छूट में विशिष्ट शर्तों के अधीन ग्रुप "ग" और "घ" के पदों पर नियुक्त किए जा सकते हैं।

तुंगभद्रा एक्सप्रेस रेलगाड़ी का गुंतकल तक चलाया जाना

706. **श्री एम० सुब्बा रेड्डी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुंगभद्रा एक्सप्रेस रेलगाड़ी को सिकन्दाराबाद से गुंतकल तक चलाये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से उक्त रेलगड़ी को वहां तक चलाया जाएगा ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नही उठता

[हिन्दी]

क्षेत्रीय शिक्षा केन्द्र

707. **श्री कमला रावत** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राष्ट्रीय शिक्षण योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों की राजधानियों और बड़े शहरों में क्षेत्रीय शिक्षण केन्द्र खोले गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त योजना के अन्तर्गत लखनऊ में भी कोई शिक्षा केन्द्र खोला गया है ;

(ग) यदि हां, तो यह लखनऊ में कब से चल रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

युवक कार्यक्रम और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत एक क्षेत्रिय प्रशिक्षण केन्द्र वर्ष 1972 में लखनऊ में खोला गया था, किन्तु राज्य सरकार के अनुरोध पर इसे 1976 में मेरठ में स्थानांतरित कर दिया गया था । तथापि, इस समय लखनऊ में 9 एन० आई० एस० प्रशिक्षक राज्य सरकार को खेल छात्रावास चलाने में और उस शहर में अन्य खेल कार्यकलापों में सहायता करने के लिए कार्य कर रहे हैं ।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पत्तन प्राधिकरण

708. **श्री मुल्लापल्लि रामचन्द्रन**
श्री लक्ष्मण मलिक
श्री हरि कृष्ण शास्त्री } : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल शिपिंग बोर्ड के प्रतिवेदन की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने एक राष्ट्रीय पत्तन प्राधिकरण का गठन करने के लिए कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, इस प्रकार के प्राधिकरण के कृत्यों और शक्तियों का ब्यौरा क्या है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कलकत्ता में नए हुगली पुल का निमार्ण

709. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में नए हुगली पुल के निर्माण में अब कितनी प्रगति हुई है और यह निर्धारित समय सीमा से कितना पीछे है;

(ख) क्या यह सच है कि नए हुगली पुल में प्रत्युक्त करने के लिए रुमानियां को आयात की गई बहुत सी इस्पात प्लेटें दोषपूर्ण पाई गई हैं और उन्हें बदले जाने की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो दन दोषपूर्ण इस्पात प्लेटों का व्यय कौन वहन करेगा;

(घ) क्या दोषपूर्ण इस्पात प्लेटों की प्रतिपूर्ति की अदायगी के लिए रुमानिया से कहा गया है;

(ङ) यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है;

(च) देश के अन्दर संरचना इस्पात की कुछ हिस्सों की कमी को पूरा करने के बारे में क्या विचार किया गया है; और

(छ) उक्त निर्माण कार्य में विलम्ब तथा रुमानिया की दोषपूर्ण प्लेटों के कारण कितनी वित्तीय हानि हुई है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) कलकत्ता में जब दूसरा हुगली पुल बन जाएगा तो वह राज्य के राजमार्ग के अन्तर्गत आएगा और इसलिए इस परियोजना का मूलत: राज्य सरकार से संबंध है क्योंकि संवैधानिक रूप से भारत सरकार की जिम्मेदारी केवल उन्हीं सड़कों के लिए होती है जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया जाता है। जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है,

परियोजना की प्रगति इस प्रकार है :

कलकत्ता साईड एप्रोच	(खण्ड I) 74%
(ख) हावड़ा साइड एप्रोच	(खण्ड II) 36%
(ग) मुख्य पुल	(खण्ड III) 49%

पुल के निर्माण कार्य में कुछ बाधाएं आई हैं।

(क) से (छ) एक निर्माण कंपनी को मुख्य पुल के ढांचे के निर्माण का कार्य सौंपा गया था, उसने निर्माण के लिए लगभग 12000 टन स्टील का आयात किया और उसमें से कुछ मामूली सी मात्रा में स्टील, जो विलम्ब का कारण नहीं बनेगी, दोषपूर्ण पाई गई। अत: कंपनी दोषपूर्ण स्टील के मामले को अलग से उठा रहा है। स्टील की कमी को देशी स्त्रोतों से और आयात द्वारा पूरा किया जा रहा है।

खड़गपुर (दक्षिण पूर्व रेलवे में रेलवे) के उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

710. **श्री नारायण चौबे** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्वी रेलवे के अन्तर्गत खड़गपुर में रेलवे के कितने उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं;

(ख) क्या यह सच कि विभिन्न राज्यों में स्थित रेलवे के विद्यालय उसी राज्य की शिक्षा प्रणाली का पालन करते हैं जिनमें वे स्थित होते हैं;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार के शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने खड़गपुर रेलवे के विद्यालयों का दौरा किया था तथा प्रशासन का ध्यान रेलवे के उन विद्यालयों में कतिपय त्रुटियों की ओर दिलया था।

(घ) यदि हां, तो वे त्रुटियां क्या हैं;और

(ङ) उनकी त्रुटियों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, ताकि रेलवे के विद्यालयों के छात्रों को उचित शिक्षा दी जा सके ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) 3 उच्च विद्यालय तथा 1 हाई स्कूल है।

(ख) जी हां, ।

(ग) जी हां।

(घ) मिदनापुर के जिला विद्यालय निरीक्षक ने रेलवे स्कूलों में शिक्षकों की संख्या में वृद्धि करने, सहायक प्रधानाध्यापक के पदों का सृजन करने तथा स्कूलों में कक्षाओं, पुस्तकालयों, फिजिक्स कैमिस्ट्री और बायोलाजी के लिए प्रयोग शालाओं और खेल के मैदान आदि का वर्तमान हालत में महत्वपूर्ण सुधार करने के लिए सिफारिश की है।

(ङ) मामला विचाराधीन है।

[हिन्दी]

पटना हवाई अड्डा के लिए रात्रि विमान सेवा

711. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना हवाई अड्डे पर रात्रि विमान सेवा आरम्भ करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि पटना हवाई अड्डे का विकास कार्य प्रगति पर है; और

(घ) यदि हां, तो यह कब तक पूरा हो जाएगा ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) पटना हवाई अड्डे पर एप्रेन के विस्तार का कार्य प्रारम्भ हो गया है और इसके जुलाई, 1976 तक पूरा होने की संभावना है ।

बिहार में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र में भू-जल के प्रयोग के लिए सहायता

712. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र में भू-जल सिंचाई का साधन है; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में अधिकतम सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भू-जल के पूर्ण प्रयोग हेतु केन्द्र सरकार द्वारा बिहार सरकार को क्या सहायता दी जा रही है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) कई बृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अतिरिक्त बिहार में गंगा के दक्षिण क्षेत्र में भू-जल सिंचाई के साधनों में से एक है।

(ख) भू-जल संसाधनों का सर्वेक्षण तथा अन्वेषण करने के लिए भारत सरकार, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के माध्यम से बिहार सरकार को सहायता प्रदान कर रही है । इसके अतिरिक्त, कसई तथा सुवर्णरेखा नदी बेसिनों में जाने वाले छोटा नागपुर क्षेत्र में भू-जल संसाधनों के व्यापक मूल्यांकन के लिए यू एन डी पी की सहायता से केन्द्रीय भू जल बोर्ड द्वारा एक परियोजना हाथ में ले ली गई है जिसके अन्तर्गत इस क्षेत्र में -भू जल संसाधनों के उपयोग के लिए विस्तृत योजनाएं तैयार की जाएंगी । इसके अलावा राज्य भू-जल तथा भू-तल जल लघु सिंचाई संगठनों को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत छठी योजना के दौरान राज्य को 50 प्रतिशत बराबर

के अनुदान के रूप में 27.19 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता रिलीज की गई थी । सातवीं योजना के दौरान इस स्कीम को चालू रखने का प्रस्ताव है । 500 गहरे नलकूपों के निर्माण तथा 4712 विद्यमान गहरे नलकूपों की मरम्मत एवं पुन: स्थापना के लिए केन्द्र सरकार विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने में भी बिहार सरकार की मदद कर रही है ।

[अनुवाद]

कालिज तथा विश्वविद्यालय शिक्षकों के वेतनमानों के सम्बन्ध में मेहरोत्रा समिति

713. **नारायण चन्द पराशर** : क्या मानव संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालिज तथा विश्वविद्यालय शिक्षकों के वेतनमानों की जांच करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त की गई मेहरोत्रा समिति ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशें क्या हैं, और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) समिति को किस तारीख को गठित किया गया था और उसे कब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया था; और

(घ) यदि प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इसके किस तारीख तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) (क) जी नहीं । (ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) दिसम्बर, 1983 में एक समिति नियुक्त की गई थी और यह आशा की गई थी कि अगस्त, 1984 तक वह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी ।

(घ) समिति ने अध्यपकों के प्रतिनिधियों, राज्य सरकारों, कुलपतियों, शिक्षाशास्त्रीयों आदि के साथ चर्चा आरम्भ कर दी है । उप समितियों ने इस प्रयोजन के लिए विभिन्न राज्यों की राजधानियों का दौरा किया था । इन चर्चाओं की व्यवस्था में कुछ समय लग गया था । इसके अतिरिक्त, समिति को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की शिफारिशों पर भी विचार करना था, जो मार्च, 1985 में ही उपलब्ध हुई थी । आशा है कि समिति अपनी रिपोर्ट मार्च, 1986 तक प्रस्तुत कर देगी ।

देश में केन्द्रीय विद्यालय

714. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां के लिए चालू वित्तीय वर्ष (1985-86) के दौरान स्कूलों को मंजूरी दी गई है; और

(ख) ऐसे स्थानों के नाम क्या हैं जहां इस बीच में स्कूल खोले जा चुके हैं और शेष स्कूल कब तक खोल दिए जाने की संभावना है तथा उनके खोले जाने में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर नये केन्द्रीय विद्यालय (सैंट्रल स्कूल) संस्वीकृत किए गये थे।

आन्ध्र प्रदेश

1. इद्दु मिलाराम, जिला मेडक
2. विशाखापटनम

असम

3. गोहाटी रिफाइनरी
4. तेजपुर, जिला सोनितपुर

बिहार

5. अरगदा क्षेत्र जिला हजारीबाग
6. मैथन डैम, जिला धनबाद

गुजरात

7. जामनगर
8. हजिरा सूरत

जम्मू और काश्मीर

9. बारा मुल्ला
10. किश्तवार, जिला डोडा
11. धाररोड परिसर, उधमपुर

केरल

12. विद्यानगर जिला कसार गोद
13. पुरानाट्टुकारा जिला त्रिचुर

मध्य प्रदेश

14. महाराजपुर, ग्वालियर
15. इटारसी
16. अगरतला जिला बिलासपुर
17. जमुना कोयलरी, जिला शाहदोल

महाराष्ट्र

18. पुणे
19. देहु रोड
20. अहमदनगर

पंजाब

21. भटिंडा कैन्ट
22. अबोहर
23. अमृतसर कैन्ट
24. नया कैन्ट
25. जालंधर कैन्ट

राजस्थान

26. लालगढ़ जाटन, जिला श्री गंगानगर
27. अजमेर

मेघालय

28. लैटकोर पीक, जिला शिलांग

तमिलनाडु

29. अवादी, मद्रास
30. कलपकम्म, जिला चेंगलपट्टु

उत्तर प्रदेश

31. देहरादून

32. बक्शी-का-तालाब लखनऊ

33. छकेरी, कानपुर

34. हजरतपुर, जिला आगरा

35. बुलन्दशहर

पश्चिम बंगाल

36. टोपोसी जिला बर्दवान

37. कालिमपोंग, जिला दार्जिलिंग

चण्डीगढ़

38. मुल्लनपुर

दिल्ली

39. धोगा बवाना

40. पीतमपुरा

41. सरदार पटेल मार्ग

(ख) केन्द्रीय विद्यालय धार रोड़ परिसर उद्यमपुर को छोड़कर इन सभी स्थानों पर खोले गये हैं। धार रोड़ परिसर में केन्द्रीय विद्यालय इसलिए नहीं खोला जा सका क्योंकि इस स्कूल के प्रायोज है प्राधिकारी 1 नवम्बर, 1985 तक कुछ औपचारिकताएं पूरी नहीं कर सके। ये औपचारिकताएं अब पूरी कर ली गई हैं और निकट भविष्य स्कूल के खोले जाने की आशा है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के सर सुन्दरलाल अस्पताल पर हुआ व्यय

715. **श्री अंनुल बशर :** क्या मानव संसाधन विकाश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के सर सुन्दर लाल अस्पताल की सेवाओं, रखरखाव, उपकरणों और दवाइयों के लिए बजटीय आबंटन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो उस अस्पताल में प्रति बिस्तर व्यय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़ के समान न होने के क्या कारण हैं?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) आयुर्विज्ञान संस्थान, बनारस, हिन्दू विश्वविद्यालय के सर सुन्दर लाल अस्पताल का कुल व्यय विश्व-

विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को संस्वीकृत किए गए अनुरक्षण अनुदानों में से पूरा किया जाता है। अस्पताल की सेवाओं पर व्यय की मात्रा निर्धारित करने के लिए औषधि, मरहम-पट्टी, खुराक, प्रयोगशाला और उपचर्या-सेवाओं आदि को जैसे फुटबाल खर्च की व्यवस्था इस समय शत-प्रतिशत भरे हुए बिस्तरों के आधार पर 6,000-रु० प्रति बिस्तर प्रति वर्ष की दर से है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और चिकित्सा शिक्षा, तथा अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़ के मामले में इन मदों पर व्यय अलग से नहीं किया जाता है बल्कि संस्थानों के डाक्टरी देख भाल सम्बन्धी पहलुओं पर कुल व्यय का एक अभिन्न अंग होता है। अतः इन संस्थानों द्वारा इन मदों पर किये गए व्यय के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा-वाराणसी सेक्शन पर रेलगाड़ियों का विलम्ब से चलना

716. **श्री जैनुल बशर** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा-वाराणसी सेक्शन से गुजरने वाली रेलगाड़ियों के रोजाना विलम्ब से चलने के बारे में जानकारी है;

(ख) लम्बे समय से चल रही इस स्थिति को सुधारने के लिए रेल प्रशासन की असमर्थता के क्या कारण हैं, और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाए जाने हैं?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाला) : (क) और (ख) यद्यपि नियमित रूप से विलंब से चलने का मामला नहीं है, तथापि कभी-कभी मुख्यतः खतरे की जंजीर खींचने तथा होजपाइप को अलग कर देने के कारण गाड़ियां विलंब से चलती हैं।

(ग) समय पालन में सुधार करने के लिए रेल प्रशासन खतरे की जंजीर खींचने तथा होज-पाइप को अलग करने की घटनाओं को रोकने के लिए समय-समय पर आवश्यक कार्रवाई करता है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय खेल संस्थानों की संख्या

717. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए देश में कितनी राष्ट्रीय खेल संस्थान खोले गए हैं;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऐसा एक संस्थान खोलने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो इस संस्थान का निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

युवक कार्यक्रम और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला ने अब तक तो क्षेत्रीय केन्द्र और कलकत्ता में पूर्वी केन्द्र खोला है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) जी, नहीं।

(घ) नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संसधान के क्षेत्रीय केन्द्र को शुरू करने पर विचार ऐसी संबंधित राज्य सरकारों के प्रस्ताव पर किया जाता है जो वहां अपेक्षित निःशुल्क भूमि तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराती है। ऐसा कोई प्रस्ताव उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

बांसवाड़ा (राजस्थान) के लिए स्टेडियम

718. **श्री प्रभु लाल रावत** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांसवाड़ा (राजस्थान) में स्टेडियम की सुविधा प्रादन करने का विचार है; और

(ख) क्या आदिवासी बहुल क्षेत्रों में खेलों को लढ़ावा देने का कोई विशेष कार्यक्रम विचाराधीन है ?

युवक कार्यक्रम और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) और (ख) राजस्थान सरकार ने बांसवाड़ा में एक स्टेडियम के निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा है। राज्य सरकार को इस प्रयोजनार्थ उपयुक्त अनुदान जारी करने का प्रस्ताव है। राज्य खेल परिषदों आदि को अनुदान देने की प्रचिलत योजना में पहले ही आदिवासी क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देने की व्यवस्था है ताकि यथासम्भव यह सुनिश्चित किया जाए, कि आदिवासी क्षेत्रों को आवंटित खेल सुविधाओं का प्रतिशत राज्य/संघ शासित क्षेत्र की आदिवासी जनसंख्या से कम न हो। आदिवासी जनसंख्या को अखिल भारतीय ग्रामीण खेल प्रतियोगताओं और खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्तियों की योजनाओं के अन्तर्गत भी शामिल किया गया है। विशेष क्षेत्रों जैसे कि आदिवासी क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने की एक नई योजना का भी प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

भारत में वर्ष 1982 में ओलम्पिक खेल आयोजित करना

719. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन ने भारत में वर्ष 1982 में ओलम्पिक खेलों का अयोजन करने के लिए आय-व्यय के सम्भावित विवरण के साथ एक प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार ने भारत में वर्ष 1992 में ओलम्पिक खेलों का आयोजन करने का फैसला किया है ?

युवक कार्यक्रम और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) से (ग) भारतीय ओलम्पिक आयोजित करने के अपने प्रस्ताव पर सम्भाव्यता रिपोर्ट उपलब्ध कराई है। सम्भाव्यता रिपोर्ट की जांच की जा रही है और उपयुक्त समय पर निर्णय ले लिया जाएगा।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम का लक्ष्य

720. **श्री चित्र महाता**
श्री अमर सिंह राठवा
श्री चिन्तामणि जेना } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हुई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) छठी योजना के दौरान हुए परिवार नियोजन के कार्यक्रम से पता चलता है कि लक्ष्य की उपलब्धि लगभग 80 प्रतिशत थी। परिवार कल्याण के कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य निष्पादन कई घटकों पर निर्भर करता है जिनमें प्रचलित सामाजार्थिक स्थितियों, दूर-दराज के क्षेत्रों में रह रहे लोगों तक सेवाएं पहुंचाने की पद्धति, गर्भ निरोधकों की मांग बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयास और कार्यक्रम-प्रबन्ध की कुशलता भी शामिल है।

रेलों की वार्षिक योजना के लिए आबंटन

721. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वार्षिक योजना (1985-86), सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के लिए राशि का आबंटन कर दिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो उत्तर रेलवे की चल रही परियोजनाओं (निर्माणाधीन) के लिए कितनी राशि आबंटन की गई है; और

(ग) सातवीं पंचवीय योजना में चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठावे का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां ।

(ख) लगभग 118 करोड़ रुपये ।

(ग) सभी समस्या ग्रस्त क्षेत्रों का पता लगाने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए परियोजनाओं की प्रगति पर गहण निगरानी रखी जायेगी।

गैर सरकारी पार्टियों को रेलवे की भूमि का आबंटन

722. **श्री नारायण चौबे** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नीति के रूप में इस समय रेलवे की भूमि का गैर सरकारी पार्टियों को आबंटन करना बन्द कर दिया है;

(ख) क्या सरकार का विचार नीति का संशोधन करने तथा गैर सरकारी पार्टियों को रेलवे की भूमि का आबंटन पुनः आरम्भ करने का है;

(ग) क्या सरकार ऐसे मामलो पर विचार करेगी जहां रेलवे प्लाट छोटे दुकानदारों के कब्जे में थे/हैं और वे भूमि के आबंटन के लिए दैनिक आधार पर टिकट (प्रणाली) रेलवे को धनराशि दे रहे थे/हैं;

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बड़ी संख्या में लोगों से आवेदन फीस के रूप में न्यूनतम 100 रुपए देकर रेलवे भूमि पर प्लाटों के लिए आवेदन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो रेलवे को दक्षिण पूर्व रेलवे में आवेदन फीस के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त हुई है और क्या रेलवे प्लाटों को आबंटन करते समय इन मामलों पर विचार किया जाएगा ?

परिवहन मंत्री (श्री बंशी लाल) : (क) जी हां। नीति के तौर पर रेलों ने रेलवे कार्य से असम्बद्ध प्राइवेट पार्टियों को दुकान तथा स्टालों के लिए रेलवे भूमि लाइसेंस पर देना बन्द कर दिया है।

(ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित नीति में संशोधन करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) रेलवे दैनिक तहबाजारी के भुगतान पर चलते फिरते वेंडरों को अनुमति देकर तहबाजारी प्रणाली की अनुमति देती है जिसमें भूखंडों को लाइसेंस पर देना अन्तर्निहित नहीं है।

(घ) सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्तमान नीति लागू की जाने से पहले दुकानों के लिए भूखंडों के आवेदन के समय प्रति आवेदन पर 25 रु० से लेकर 100 रुपए तक पंजीकरण शुल्क लिया जाता था।

(ङ) दक्षिण पूर्व रेलवे पर लगभग 1·50 लाख रुपए की राशि आवेदन शुल्क के रूप में इकट्ठी की गयी थी।

आवेदन शुल्क या तो लौटा दी गई है या लौटाये जाने की प्रक्रिया में है क्योंकि अब रेलों पर दुकानों के लिए भूखंडों का लाइसेंस पर दिया जाना बन्द कर दिया गया है।

[हिन्दी]

हेलीकाप्टर निगम

723. **श्री हरीश रावत**
श्री एस०एम०भट्टम
श्री मोहनभाई पटेल
श्री हुसैन दलवाई } : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने एक हेलीकाप्टर निगम स्थापित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(ग) हेलीकाप्टर निगम का संभावित कार्य-क्षेत्र क्या है और इस संबंध में क्या वित्तीय व्यवस्था की गई है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारतीय हेलिकाप्टर निगम, जिसका पंजीकरण कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन सरकारी कम्पनी के रूप में किया गया है का कार्य-क्षेत्र पूरा भारतवर्ष होगा। कम्पनी को प्राधिकृत

पूंजी 50 करोड़ रुपए है, जिसमें से 51 प्रतिशत पूंजी भारत सरकार द्वारा और शेष 49 प्रतिशत पूंजी तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा लगाई जाएगी ।

[अनुवाद]

विपदाग्रस्त महिलाओं के लिए गृह स्थापित करने का प्रस्ताव

724. **डा० गौर शंकर राजहंस**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद } : क्या **मानव संशाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में विपदाग्रस्त महिलाओं के लिए गृह स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में इस प्रकार का गृह स्थापित करने का क्या प्रयोजन है;

(ग) क्या सरकार के विचार देश के विभिन्न भागों में ऐसे गृह स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और विपदाग्रस्त महिलाओं को इन गृहों से कितना लाभ पहुंचने की संभावना है ?

युवक कार्यक्रम तथा खेलकूद और महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) से (घ) इस समय "अल्प आवास गृह योजना" भारत सरकार की वित्तीय सहायता से स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से कार्यन्वित की जा रही है । इस योजना के अन्तर्गत उन महिलाओं और लड़कियों को अस्थाई आश्रय प्रदान किया जाता है जो पारिवारिक सम्बन्ध के अनबन या भावनात्मक अव्यवस्था के कारण नैतिक खतरे में होती हैं । दिल्ली में स्थिति एक स्वयं सेवी संगठन "करुणा" ने दहेज के कारण सताई गई पीड़ितों के लिए दिल्ली में एक एसे गृह का प्रस्ताव किया है और इस संबंध में सहायता के लिए सरकार से अनुरोध किया है ।

सम्पूर्ण देश में 24 अल्प आवास गृहों की सहायता प्रदान की जा रही है ।

इन गृहों का उद्देश्य संकटग्रस्त महिलाओं/लड़कियों को चिकित्सा देखभाल, मनश्चिकित्सीय उपचार, केस वर्क सेवाएं, समायोजन की सामाजिक सुविधाएं, व्यवसायिक प्रशिक्षण आदि देते हुए थोड़े समय के लिए पुनर्वास प्रदान करना है ।

कुपोषण से निपटने के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में पोषण मंडलों की स्थापना

725. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में बड़े पैमाने पर फैले कुपोषण से निपटाने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पोषण मंडलों की स्थापना करने पर विचार कर रही है :

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां पर पहले ही ऐसे एकक स्थापित किए जा चुके हैं तथा वे कौन-कौन से राज्य है जहां पर चालू वित्त वर्ष के दौरान ऐसे मंडल स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) सातवीं योजना के प्रथम वर्ष में उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) अब तक जम्मू व कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिल नाडु, बिहार, कर्नाटक, केरल, सिक्किम, नागालैण्ड और संघ शासित क्षेत्रों गोवा दमन व द्वीप और अंडमान, निकोबार द्वीप समूह में राज्य स्तर के पोषण मंडल स्थापित कर दिए गए हैं। इस मंत्रालय को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किसी राज्य/संघ शासित क्षेत्र से अपने-अपने राज्य में पोषण मंडल स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों को सातवीं पंच वर्षीय योजना के पहले वर्ष के दौरान कोई धन आयोग आबंटित नहीं किया गया है। इस प्रयोजन के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार के वार्षिक योजना बजट से धन प्राप्त किया जाता है।

विशाखापत्तनम में राममूर्ति पनतुलुपेटा में ऊपरि पुल का निर्माण

726. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापत्तनम में राममूर्ति पनतुलुपेटा में एक ऊपरि पुल के निर्माण करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंशीलाल) : (क) और (ख) जी हां। राज्य सरकार ने हावड़ा-वाल्तेयर खंड पर विशाखापत्तनम में कि० मी० 877/7 पर मौजूदा समपार के बदले में ऊपरी पुल के निर्माण की वांछा की है। रेलें और राज्य सरकार फिलहाल इस परियोजना की तकनीकी व्यावहारिकता के सम्बन्ध में विस्तार से जांच कर रही है।

कुतुबमीनार की मरम्मत

727. **श्री मोहम्मद शहाबुद्दीन** : क्या **मानव संशाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुरातत्व विभाग द्वारा हाल में कुतुबमीनार की मरम्मत तभी की गयी जब क्षरण के कारण क्षति होने से उस ऐतिहासिक स्मारक को खतरा हो गया था; और

(ख) यदि हां, तो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए यदि कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं तो वे क्या हैं और उन्हें किसी खतरे से बचाने के लिए समय पर कार्यवाही करने हेतु उन्हें हुई क्षति/हो रही क्षति के बारे में जानने के लिए उनकी कितनी अवधि में जांच की जाती है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) हाल ही में कुतुब मीनार पर दो स्थानों पर मरम्मत कार्य शुरू किया गया था, जहां 1947 से पहले की गई मरम्मत में काम में लिया गया मसाला छीज गया था। स्मारक को खतरा पैदा करने वाली कोई क्षति नहीं हुई।

(ख) स्मारकों के नियमित निरीक्षण की व्यवस्था की गई है। स्मारकों के लिए जिम्मेदार संबंधित मंडलों के प्रभारी अधिकारी और उनके इंजीनियरी स्टाफ के लिए वर्ष के दौरान नियमित अंतरालों पर स्मारकों का निरीक्षण करना और उपचारिक उपाय करना आवश्यक है।

गोहाटी के समीप रेलवे फाटक पर हुई दुर्घटना

728. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां**
प्रो० रामकृष्ण मोरे
श्री मानवेन्द्र सिंह } : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में गोहाटी के पास रेलवे फाटक पर कछाड़ एक्सप्रेस के एक निजी बस के साथ टकरा जाने से बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि दुर्घटना की कोई जांच की गई तो उसके क्या परिणाम निकले और उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) वर्ष 1985 के शुरू में बिना चौकीदार के रेलवे फाटकों की संख्या (डिवीजन-वार) कितनी थी और लक्ष्य के अनुसार आज तक कितने रेलवे फाटकों पर चौकीदार नियुक्त कर दिए गए हैं;

(घ) क्या शेष बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटकों पर चौकीदार लगाने की किसी व्यापक योजना पर विचार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंशी लाल) : (क) और (ख) जी हाँ। 6-10-1985 को जब 201 अप कछार एक्सप्रेस पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के लमडिंग मंडल के नारंगी तथा पानी खेतों स्टेशनों के बीच चल रही थी तो वह एक चौकीदार वाले समपार पर एक प्राइवेट बस नं० ए०एस०के० 722

से टकरा गयी थी। इसके परिणामस्वरूप 27 बस यात्री मारे गए थे और 29 घायल हुए थे। रेल संरक्षा आयुक्त, पूर्वोत्तर सर्किल, गोरखपुर ने इस दुर्घटना की सांविधिक जांच की है। उनके निष्कर्षों के अनुसार यह टक्कर बस द्वारा उक्त समपार को पार करने के प्रयास के कारण हुई जिसका फाटक आ रही कछार एक्सप्रेस के समय भी सड़क यातायात के लिए खुला था। समपार के चौकीदार तथा पानी खेती के स्टेशन अधीक्षक को इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। रेल कर्मचारी अनुशासन एवं अपील नियमों के नियम 14(11) के अन्तर्गत चौकीदार को सेवा से बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। चौकीदार के विरुद्ध मुकदमा चलाया जा रहा है। स्टेशन अधीक्षक के विरुद्ध भी अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी गयी है।

(ग) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर 1-4-85 को बिना चौकीदार वाले समपारों का ब्यौरा निम्नलिखित है—

कटिहार मंडल	538
अलीपुर द्वार मंडल	528
लमडिंग	107
तिनसुकिया	169
जोड़	**1342**

अप्रैल-सितम्बर, 1985 की अवधि के दौरान बिना चौकीदार वाले तीन समपारों पर चौकीदार की व्यवस्था की गई है। वर्ष 1985-86 के दौरान 6 समपारों पर चौकीदार की व्यवस्था करने का कार्यक्रम है।

(घ) और (ङ) कम दृश्यता अथवा उच्च यातायात घनत्व अथवा बसों के चलने के कारण जोखिमपूर्ण समझे जाने वाले समपारों पर चरण-बद्ध तरीके से चौकीदार की व्यवस्था करने का कार्यक्रम है।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर बिना चौकीदार वाले ऐसे 56 समपारों का पता लगाया गया है, जिनमें से अब तक 18 समपारों पर चौकीदार की व्यवस्था कर दी गयी है।

एयर टैक्सी सेवाएं

729. **श्री टी० बशीर**
श्री भोला नाथ सैन
श्री मोहनभाई पटेल
श्रीमती जयन्ती पटनायक
श्री चिन्तामणि जैना
श्री टी० बाल गौड़ : परिवहन मंत्री क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में एयर टैक्सी चलाने की अनुमति देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का निर्णय लेने के क्या कारण हैं;

(ग) इस प्रकार की सेवाओं के लिए चुने गए मार्ग कौन-कौन से हैं;

(घ) एयर टैक्सी के रूप में किस प्रकार के विमानों का उपयोग करने का विचार है; और

(ङ) क्या यह सेवा किसी प्राइवेट एजेंसी अथवा सरकार के अधीन चलाई जाएगी ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ङ) मुख्य रूप से पर्यटन के विकास और देश के विभिन्न भागों में स्टेशनों को जोड़ने के लिए एयर टैक्सी सेवा की योजना लागू करने का इरादा है। योजना के ब्यौरे और इसे लागू करने का कार्य-विधियां तैयार की जा रही हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य योजना महानिदेशालय के विलय अथवा उनमें से एक को समाप्त करने के लिए विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन

730. **जगन्नाथ पटनायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने सरकार से आग्रह किया है कि या तो स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ विलय करदिया जाये अथवा उनमें से एक को समाप्त कर दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं और सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है;

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (एस० कृष्ण कुमार) : (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ विलय अथवा इनमें किसी एक को समाप्त करने के बारे में अध्ययन करने के लिए किसी विशेषज्ञ समिति का गठन नहीं किया है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले डाक्टरों को प्रोत्साहन

731. **डा० टी० कल्पना देवी**
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आठवें वित्त आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में सेवारत प्रत्येक डाक्टर को 400 रुपए प्रतिमाह मन्जूर किया था और क्या ऐसे डाक्टरों को उक्त राशि दी जा रही है;

(ख) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी स्वीकार करने वाले डाक्टरों को और प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) चिकित्सा स्नातकों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए उन्हें आकर्षित करने हेतु आठवें वित्त आयोग ने प्रोत्साहन देने की सिफारिश की है। उसके लिए वित्त मंत्रालय ने निम्नलिखित रूप से विशेष धन देना स्वीकार कर लिया है—

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्य कर रहे डाक्टरों को प्रतिमाह 250।

(2) जहां डाक्टरों को आवास सुविधा प्रदान नहीं की गई है वहां उन्हें 150 रुपए के हिसाब से मकान किराया भत्ता।

इसके अतिरिक्त वित्त आयोग ने डाक्टरों के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 53,52 करोड़ रुपयों की विशेष व्यवस्था की है। पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण लागत 30 प्रतिशत बढ़ाकर देने की व्यवस्था है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

मई-अक्तूबर, 1985 के दौरान हुई रेल दुर्घटनाएं

732. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह
श्री विजय कुमार यादव
श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर } : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई-अक्तूबर 1985 के बीच कितनी रेल दुर्घटनाएं हुईं;

(ख) उक्त दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति मरे और घायल हुए तथा कितनी रेल सम्पत्ति का नुकसान हुआ;

(ग) उक्त दुर्घटनाओं के क्या कारण थे;

(घ) उन दुर्घटनाओं में मरे और घायल हुए व्यक्तियों के परिवारों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेल विभाग में दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ग) मई-अक्तूबर 1985 के दौरान भारतीय रेलों पर 410 परिणामी गाड़ी दुर्घटाएं हुई जिनके कारण नीचे दिए गए हैं—

(i) रेल कर्मचारियों की गलती	235
(ii) रेल कर्मचारियों से इतर व्यक्तियों की गलती	34
(iii) उपस्कर की खराबी	
यांत्रिक	53
रेलपथ	16
(iv) तोड़-फोड़	5
(v) मिश्रित कारण	5
(vi) आकस्मिक	18
(vii) अन्तिम रूप से प्रमाणित नहीं हो सके	7
(viii) जिनकी जांच पड़ताल जारी है	37

(ख) इन दुर्घटनाओं में, 152 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी तथा 354 व्यक्ति घायल हुए थे।

रेल सम्पत्ति को 6.04 करोड़ रुपए की क्षति होने का अनुमान लगाया गया है।

(घ) सूचना इकट्ठा की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ङ) रेलों पर दुर्घटनाओं की संख्या कम करने के लिए किए गए कुछ महत्वपूर्ण संरक्षा उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) पटरियों तथा दल-स्टाक धुरों की पराश्रव जांच जैसे आधुनिक प्रौद्योगिकीय उपकरणों का उपयोग, रेलपथ परिपथन, धुरा-काउंटरों, पैनल तथा रूट रिले अन्तर्पाशन, सहायक चेतावनी प्रणाली आदि की व्यवस्था।

(2) चल-स्टाक, रेलपथ, सिगनल गियरों, पुलों तथा अन्य परिसम्पत्तियों का कार्यक्रम बद्ध आधार पर बदलाव।

(3) बिना चोकीदार वाले समपारों पर उत्तरोत्तर चौकीदार तैनात करना तथा समपारों पर सड़क उपयोगकर्ताओं द्वारा मोटर वाहन नियमों का अनुपालन करने के लिए राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क बनाए रखना तथा कार्यक्रम बद्ध आधार पर ऊपरी सड़क पुलों की व्यवस्था करना।

(4) सवारी डिब्बों में ज्वलनशील पदार्थ ले जाने की जोखिमों तथा समपारों को पार करते समय अपनायी जाने वाली सावधानियों की जानकारी कराने के लिए इश्तहारों तथा अन्य माध्यमों से प्रचार किया जाता है।

(5) पटरियों की टूट-फूट का पता लगाने के लिए रेलपथ पर गश्त लगाना तथा तोड़-फोड़ रोधी उपाय अपनाना।

(6) जनवरी, 1985 में रेलों पर 10 सूत्री कार्रवाई योजना चालू की गई जिसका उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर गहन क्षेत्र निरीक्षण तथा संरक्षा से संबंधित महत्व-पूर्ण पहलुओं की विशेष जांच करना था।

(7) असुरक्षित कार्य-प्रणाली में खामियों का पता लगाने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय रेलों पर विस्तृत निरीक्षण करने के लिए जून, 1985 में चार उच्चस्तरी बहुउद्देशीय संरक्षा कृतिक बल टीमों का गठन किया गया था। उनकी रिपोर्टों के आधार पर क्षेत्रीय रेलों को संरक्षा से संबंधित कई निर्देश तथा दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों के कार्यान्वयन पर रेलवे बोर्ड द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

दिल्ली के लिए तीन चरणों में चिकित्सकीय सेवा

733. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ने दिल्ली के लिए तीन चरणों में चिकित्सकीय सेवा का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सुझाव की जांच कर ली गई है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) (क) सरकार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के निदेशक से दिल्ली के लिए तीन चरणों में चिकित्सकीय सेवा के सुझाव का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

सोन नहर का आधुनिकीकरण

734. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बिहार में सोन नहर का आधुनिकीकरण हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्रियान्वयन की क्या स्थिति है;

(घ) उक्त योजना के कब तक पूरी होने की संभावना है; और

(ङ) उससे किसानों को होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ङ) बिहार सरकार ने बिहार सोन नहर के आधुनिकीकरण के लिए एक योजना तैयार की है। सोन आधुनिकीरण योजना के प्रथम चरण में 246-96 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है जिसमें मुख्य नहर प्रणाली के भागों तथा इसकी शाखाओं के पुनरूपेण इसमें 5 वर्ष की अवधि में संचार तन्त्र में सुधार करना भी शामिल है, के साथ-साथ 30.00 हेक्टेयर प्रायोगिक क्षेत्र को शामिल किया गया है। इस परियोजना को कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय जल आयोग की तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है। तथापि, सातवीं योजना में इसके कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा धन की उपलभ्यता के संबंध में बताया जाना है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में चिकित्सा शिक्षा पुनरानुकूलन योजना के अन्तर्गत लक्ष्य/उपलब्ध

735. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में चिकित्सा शिक्षा पुनारानुकूलन योजना के अधीन निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियां क्या हैं;

(ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित इस चिकित्सा शिक्षा पुनारानुकूलन योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल को कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई और 1984-85 तर पश्चिम बंगाल में उस धन-राशि का वास्तविक उपयोग कितना किया गया;

(ग) पश्चिम बंगाल में धनराशि का उपयोग कम किए जाने, यदि कोई हो, के क्या कारण हैं, और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में उक्त योजना के बेहतर कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (घ) चिकित्सा

शिक्षा को समयानुकूल बनाने की योजना का उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण लोगों को सीधी स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के काम में मेडिकल कालेजों को सामिल करना तथा छात्रों और संकाय सदस्यों का समुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण पैदा करता है। प्रत्येक मेडिकल कालेज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में छात्रों के लिए डोरमिटरी टाइप के रिहायशी मकानों, विचार-गोष्ठी कक्ष, व्याख्यान-सह-परामर्श कक्ष, आदि का निर्माण करने, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवर्धन तथा फेर-बदल करने, गैराजों का निर्माण करने, मिनी-बसें खरीदने और अतिरिक्त संकाय कर्मचारी नियुयत करने आदि के लिए 16.04 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता का पात्र है।

यह सूचित किया गया है कि सात प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अर्थात् मेडिकल कालेज वर्दवान के अन्तर्गत तीन, कलकत्ता नैशनल मेडिकल कालेज, कलकत्ता, के अन्तर्गत दो, एन० आर० एस० मेडिकल कालेज, कलकत्ता के अन्तर्गत एक और आर० जी० कार मेडिकल, कालेज कलकत्ता के अन्तर्गत एक प्राथमिक सवस्थ्य केन्द्र में रिहायशी मकानों और विचार-गोष्ठी/व्याख्यान हालों का निर्माण कर लिया गया है। नार्थ बंगाल मेडिकल कालेज के अन्तर्गत आने वाले एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ने अपने आपरेशन थियेटर में फेर-बदल कर लिए है। यह भी सूचित किया गया है कि छह मेडिकल कालेजों में कर्मचारी नियुक्त कर लिए गए हैं और छह कालेजों के इन्टर्नों/स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों के छात्र ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा नियमित रूप से कर रहे हैं। तीन मेडिकल कालेजों द्वारा 'बेसलाइन डाटा' एकत्र करने और आयोजना में अनुसंधान कार्य किए गए हैं।

पश्चिम बंगाल राज्य में सात मेडिकल कालेजों को दी गई वित्तीय सहायता की कुल राशि 111.08 लाख रुपये है। पश्चिम बंगाल उस राज्य सरकार को दी गई धनराशि के वास्तविक उपयोग की रिपोर्ट नहीं भेजी है।

कलकत्ता विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान का दर्जा

736. **श्री भोलानाथ सेन**
श्री प्रिय रंजन दास मंशी
श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्रीमती विभा घोष गोस्वामी } : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय के सुझाव मिल रहे हैं कि कलकत्ता विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया जाये;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार के क्या विचार हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख)

जी, हां। केन्द्रीय सरकार को कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व के एक संस्थान के रूप में घोषित किया जाना चाहिए और उसका प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार को अपने अधिकार में लेना चाहिए। इन अभ्यावेदनों के अनुसार ऐसा कदम उसके सामान्य कार्यों में राजनैतिक हस्तक्षेप और विघटन से कलकत्ता विश्वविद्यालय को बचाने के लिए आवश्यक था जो देश में सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है।

(ग) केन्द्रीय सरकार, कलकत्ता विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित कराने से सम्बन्धित इस समय किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

"एम० बी० बी० एस०" और "एम० डी०" पाठ्यक्रमों की पाठ्य-चर्चा और पाठ्य विवरण में विचार संशोधन

737. **श्री भोलानाथ सेन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार का "एम० बी० बी० एस" और "एम० डी०" पाठ्यक्रमों की पाठ्य-चर्चा और पाठ्य विवरण में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है ताकि परिवार कल्याण, मां और बच्चे के स्वास्थ्य के विषयक कार्यक्रम और अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को पाठ्य-चर्चा में शामिल किया जा सके,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस विषय में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ख) भारती आयुर्विज्ञान परिषद जो देश में चिकित्सा शिक्षा केन्द्र उचित बनाये रखने के लिए एक सांविधिक निकाय है। ने एम० बी० बी० एस० पाठ्क्रम में एस० बी० बी० एस० की अन्तिम परीक्षा पास कर लेने के बाद प्रशिक्षण तथा अनिवार्य रोटेटिंग इन्टर्नशिप दोनों में परिवार कल्याण, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य तथा अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अनिवार्य घटकों को पहले ही शामिल कर लिया है इसी भांति प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान के एम० डी० पाठ्क्रम में परिवार कल्याण और मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों समेत विभिन्न पहलुओं का व्यापक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद समय-समय पर नियमित रूप से स्नातक पूर्व और स्नाकोत्तर चिकित्सा शिक्षा पर अपनी सिफारिशों और उनमें संशोधन करती रहती है।

भारत में चिकित्सा शिक्षा संबंधी शान्ति लाल मेहता समिति की रिपोर्ट

738. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल**
श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री सुभाष यादव } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रलय की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने भारत में चिकित्सा भविष्य संबंधी शान्तिलाल मेहता समिति की रिपोर्ट का अध्ययन किया है।

(ख) उच्चाधिकर प्राप्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी;

(ग) उच्चाधिकार समिति ने किन मुख्य सिफारिशों को मंजूर किया है; और

(घ) इन सिफारिशों को कब तक कार्यन्वित किया जायेगा ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) चिकित्सा शिक्षा पुनरीक्षा समिति रिपोर्ट के भाग-I पर शक्ति प्राप्त समिति की सिफारिशें जनवरी, 1984 में और भाग-II पर मार्च, 1984 में सरकार को सौंप दी गई थी।

(ग) शक्ति प्राप्त समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ चिकित्सा शिक्षा पुनरीक्षा समिति की निम्नलिखित मुख्य-मुख्य सिफारिशों का समर्थन किया है:—

(1) एम० बी० बी० एस० तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा का आयोजन करना,

(2) सेवारत कार्मिकों को सुनिश्चित विशेज्ञताओं में प्रशिक्षण लेने के अवसर देना;

(3) कम से कम छह माह की अवधि की ग्रामीण इन्टर्नशिप को अनिवार्य कर दिया जाए तो किसी अधिकृत जिला/तालुक अस्पाल और ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र में पूरा किया जाए।

(4) इन्टर्नशिप अवधि के दौरान छात्रों के, प्रशिक्षण को सुपरवाइज करने के लिए कालेज के वरिष्ठ संकाय के सदस्यों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/जिला अस्पातालों/तालुक अस्पतालों से भेजा जाए।

(5) पूर्ण पंजीकरण के पश्च'त स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स की अवधि दो वर्ष की जाए।

(6) प्रत्येक स्नोतकोत्तर विभाग में सीटों की संख्या का निर्धारण भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की पूर्वानुमति से किया जाए।

(7) देश चिकित्सा शिक्षा की क्वालिटी और रैलावैन्स में सुधार करने के लिए अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए 6-8 प्रशिक्षण केन्द्र क्षेत्रीय आधार पर स्थापि किये जाएं।

(8) प्रत्येक मेडिकल कालेज में उससे सम्बन्ध एक चिकित्सा शिक्षा सेल अथवा यूनिट होना चाहिए।

(9) देश भर में मूल्यांकन के समान मानकों की आवश्यकता है।

(10) ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए डाक्टरों को निःशुल्क आवास विशेष ग्रामीण भत्ता देना ग्रामीण क्षेत्रों में प्रैक्टिस करने के लिए ऋण आदि जैसे अतिरिक्त प्रोत्साहन देना।

(11) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किए जाएं जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि देश के किसी भी भाग में आयुर्विज्ञान परिषद तथा भारत सरकार की पूर्वानुमति लिए बिना कोई मेडिकल संस्थान न खोली जाए।

(घ) सरकार ने चिकित्सा शिक्षा पुनरीक्षा समिति तथा शक्ति प्राप्त समिति की सिफारिशों पर अभी अन्ति निर्णय लेना है।

विश्व बैंक ऋण का उपयोग न किया जाना

739 **श्री दाला साहेब विखे पाटिल** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे विश्व बैंक के 1450 लाख डालर की ऋण राशि जिसकी शर्तें 1982 में तय की गई थीं, का उपयोग करने में असफल रहा है;

(ख) इस ऋण को कितनी राशि का उपयोग किया जा सका था तथा कितनी राशि का उपयोग नहीं किया गया था उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त ऋण राशि के उपयोग न किए जाने के कारण सरकार को प्रशासनिक व्यय का वहन न करना पड़ेगा जो 1982 से हो रही है, और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार विश्व बैंक से इस ऋण के लिए पुनः बातचीत करने का है और यह सुनिश्चित करने का है कि नए सिरे से किया गया करार 1982 के करार की भांति अप्रभावी न रह जाये ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) 145 मिलियन अमेरिकन डालर की राशि 1982 में विश्व बैंक के साथ तय हुए 400 मिलियन अमरीकन डालर के ऋण/क्रेडिट का एक अंग है। यह राशि उच्च क्षमता वाले माल डिब्बों के पुर्जों को खरीद के लिए है। 31 अक्तूबर 1985 तक 2.5 मिलियन डालर की राशि खर्च की जा चुकी है। निहित गूढ़ तकनीकी तत्वों के कारण माल डिब्बों को बोगियों के नमूनों को अन्तिम रूप देने में कठिनाइयों के कारण अब तक उपयोग की गति धीमी रही।

(ग) क्रेडिट राशि $\frac{1}{2}\%$ प्रतिवर्ष तथा ऋण राशि पर $\frac{3}{4}\%$ प्रति वर्ष की दर से करार प्रभारों का भुगतान करना होता है।

(घ) विश्व बैंक के परामर्श से क्रेडिट/ऋण राशि का पूरा-पूरा उपयोग करने के वैकल्पिक तरीकों का पता लगाया जा रहा है।

एयर इंडिया की सामान्य राजस्व आय

740. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल**
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया को भारत-ब्रिटेन तथा भारत-अमरीकी मार्गों पर हानि हो रही है;

(ख) क्या एयर इंडिया की सामान्य राजस्व आय में काफी गिरावट आ रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या वर्तमान स्थिति में सुधार लाने हेतु उपाय निकालने के लिए कोई गहन अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) इन मार्गों से नकद लागत से ऊपर बचत हो रही है और इस प्रकार ऊपरिव्यय में इनका पर्याप्त अंशदान है लेकिन लाभ का मूल्यांकन कुल परिणामों के आधार पर किया जाना है। इन मार्गों के मामले में, अधिक ऊपरिव्यय होने के कारण, इनमें निवल हानियां हुई हैं।

(ख) जी, नहीं। एयर इंडिया की राजस्व आय में पिछले वर्षों में लगातार वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) एयर इंडिया की नेटवर्क प्रणाली में अलग-अलग मार्गों के निष्पादन पर पूरी निगरानी रखी जाती है और राजस्व आय बढ़ाने के लिए समय-समय पर सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

परिवहन विकास परिषद की सिफारिशें

741. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल**
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह
श्री वी० एस० विजयराघवन
श्री अख्तर हसन
श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन विकास परिषद की अक्तूबर 1985 में दिल्ली में बैठक हुई थी;

(ख) क्या परिषद ने ट्रकों के लिए राष्ट्रीय परमिट समाप्त करने का सुझाव दिया;

(ग) यदि हां, तो इस समय रेलों द्वारा अधिक मात्रा में लादे जा रहे माल पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) क्या यह निर्णय लेने से पूर्व सड़क और रेल परिवहन की लागत-प्रभावकारिता की तुलना की गई थी;

(ङ) परिषद की अन्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने उन पर विचार किया है; और

(छ) यदि हां, तो कार्यान्वयन के लिए स्वीकार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

जल भू-तलपरिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) परिषद ने सार्वजनिक वाहनों के लिए राष्ट्रीय परमिटों पर कोटा पाबंदी को हटाने का सुझाव दिया है। सभी संबंद्ध तथ्यों का मूल्यांकन करने के बाद पाया गया है कि रेलवे द्वारा, इस समय अधिक मात्रा में लादे जा रहे माल के यातायात पर इस कदम का कोई अच्छा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। रेल और सड़क परिवहन के लिए लागत प्रभावकारिता इस समय यथावत बनी रहेगी। कोटा प्रणाली को समाप्त करने से केवल अपराधों को रोका जा सकेगा।

(ङ) परिवहन विकास परिषद द्वारा दिए अन्य सुझावों में, परमिटधारकों द्वारा गृह राज्य करों के अलावा, जिस राज्य में गाड़ी चलाई जाती है उस प्रत्येक राज्य को 2000 रु० प्रति वर्ष और संघ शासित प्रदेश को 1000 रु० प्रतिवर्ष की दर से दिए जाने वाले करों के स्थान पर संयुक्त शुल्क की लेवी, टैक्सी कैबों के लिए आल इंडिया टूरिस्ट परमिटों की मौजूदा संख्या में 50 प्रतिशत तक वृद्धि करना, बसों के लिए आल इंडिया टूरिस्ट हरमिट देने के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करने के लिए कुछ राज्यों के परिवहन मंत्रियों की एक छोटी समिति का गठन करना, आल इंडिया टूरिस्ट परमिट के आबंटन के लिए जनसंख्या और राजमार्ग किलोमीटरेज के आधार पर मार्गदर्शी संकेत लागू करना आदि शामिल हैं।

(च) और (छ) इन पर कार्रवाई करने और आगे कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

खुला विश्वविद्यालय और आदर्श स्कूल

742. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खुला विश्वविद्यालय कब से कार्य करना आरम्भ करेगा और कहां करेगा; और

(ख) वर्ष 1984-86 तक कितने आदर्श स्कूल खोले जाएंगे ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) इन्दिरा

गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय ने दिल्ली में अपना कार्य करना आरम्भ कर दिया है। तथापि, विश्वविद्यालय को अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों को शुरू करने में कुछ समय लगेगा जिसके लिए पर्याप्त प्रारम्भिक कार्य किया जाना है।

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान 2 प्रयोगात्मक माडल स्कूलों को खोले जाने का प्रस्ताव है बशर्ते कि अवस्थापना से संबंधित व्यवस्थाएं समय पर पूरी हो जाएं।

राष्ट्रीय स्मारकों के रखरखाव

743. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा अनुरक्षण और रखरखाव के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में कोई प्रावधान किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिए कितनी धन राशि आबंटित की गई है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी हां।

(ख) इस प्रयोजन के लिए योजना के अन्तर्गत 17.75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

अमीरात एयरलाइन्स के दुबई-दिल्ली बम्बई मार्ग पर विमान सेवाएं चलाने की अनुमति देने के लिए करार

744. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अमीरात एयरलाइन्स को दुबई-दिल्ली-बम्बई मार्ग पर विमान सेवा चलाने की अनुमति देने के लिए खाड़ी के किसी देश के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मार्ग पर एक और विमान कम्पनी की विमान सेवाएं चलने से एयर इंडिया के खाड़ी के देशों के साथ यातायात पर प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो एयर इंडिया चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जिसमें उसका लाभ बहुत कम हो जाने की संभावना है, किस प्रकार लाभ-हानि ग्रहित स्थिति में आने की आशा करता है?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां। भारत सरकार ने "अमीरात" एयरलाइन द्वारा भारत और दुबई के बीच विमान सेवाएं चलाये जाने

की अनुमति देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात सरकार के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) जी, नहीं। "अमीरात" कोई अतिरिक्त एयरलाइन नहीं है क्योंकि इसके आरम्भ से, इस मार्ग पर परिचालन कर रही भूतपूर्व एयरलाइन 'गल्फ एयर" की विमान सेवाएं बन्द कर दी गई हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पुलों के निर्माण में गैर सरकारी एजेंसियों का शामिल होना

745. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव**
श्रीमती जयन्ती पटनायक } : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनेक महत्वपूर्ण स्थानों पर धन के अभाव में नदियों पर पुल नहीं बना सकी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार गैर सरकारी एजेंसियों को पुल निर्माण करने और महसूल वसूल करने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है और मार्ग निदेश तैयार कर लिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) से (ग) जी हां।

(घ) निजी क्षेत्र से वित्तीय सहायता लेने के लिए निम्नलिखित प्रकार की योजनाओं को उपयुक्त समझा गया है।

(i) बड़े शहरों के आसपास चुने हुए बाईपास।

(ii) एक्सप्रेस वे जैसी नई सुविधाएं।

(iii) नए पुल।

(iv) कर वाली दो फास्ट लेनों और कर रहित दो स्लो लेनों वाले दोहरी लेन खंड को चार लेनों में बदलना।

ऐसी योजनाओं को चुनने में निम्नलिखित मापदंड पूरे किये जाएंगे :—

(i) नई सुविधाओं से एकाधिकार न हो इसलिए आम व्यक्ति के लिए एक वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

(ii) निजी उद्यमियों के लिए निधि का स्त्रोत, उनके अपने संसाधनों और खुले बाजार से ऋण होना चाहिए।

(iii) उद्यमियों को उसके वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार टैरिफ निश्चित करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि वह प्रयोक्ताओं के हित की, कर-मुक्त सुविधा को बरकरार रख, रक्षा करेगा।

ताजमहल में पानी का टपकना

746. **श्री प्रकाश वी० पाटिल**
श्री बनवारीलाल पुरोहित
श्री उत्तमराव पाटिल
श्री बी० एल० शैलेश } : क्या **मानव संसाधन विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ताजमहल में अनेक स्थानों से पानी टपक रहा है और इससे विश्व प्रसिद्ध मकबरे को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी;

(ख) यह सब कैसे हुआ है जबकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का आगरा में कार्यालय है जिसमें पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध हैं;

(ग) ताजमहल में पानी टपकने का पता कब चला; और

(घ) इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) (क) : जी, नहीं। तथापि रिसाव का एक जगह पता लगा था तथा इसे शीघ्र ही बन्द कर दिया था।

(ख) यह रिसाव बेमौसम की तथा अभूतपूर्व बारिश के कारण अचानक होने लगा।

(ग) पानी के रिसाव का 10 अक्तूबर, 1985 को पता लगा था।

(घ) पुराने और घिसे हुए चूना कंकरीट को पटरी से तथा इसके आस-पास से हटाकर आवश्यक जल रोधक मिश्रण के साथ ताजा चूना कंकरीट के मिश्रण से पानी के रिसाव को बन्द कर दिया है।

महाराष्ट्र में टाकरी परियोजना की असंतोषजनक निर्माण गति

747. **श्री प्रकाश वी०** पाटिल : क्या **जल संसाधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि महाराष्ट्र में टाकरी परियोजना, जोकि एक

माध्यम श्रेणी की परियोजना है और इस क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कि निर्माण कार्य की गति काफी असंतोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन सी बातें जिम्मेदार हैं;

(ग) केन्द्र से कितनी सहायता मांगी गई है तथा केन्द्र ने कितनी सहायता दी है; और

(घ) कार्य की गति बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और यह कब तक पूरा हो जाएगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) महाराष्ट्र सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में जीवन रक्षक औषधियों का अभाव

748. **श्री प्रकाश वी० पाटिल**
श्री मानवेन्द्र सिंह } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में जीवन रक्षक औषधियों के अभाव के बारे 15 अक्तूबर, 1985 के हिन्दुतान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अन्य अस्पतालों में महत्वपूर्ण औषधियों की सप्लाई की स्थिति क्या है;

(ग) क्या ऐसा अभाव बार-बार होता है जिससे रोगियों को बड़ी कठिनाई होती है; और

(घ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए गहराई से जांच करेगी कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में औषध भन्डार में ढंग से कार्य चले और ऐसा अभाव बार-बार नहीं हो;

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने सूचित किया है कि इस संस्थान में जीवन-रक्षक औषधियों की कमी नहीं है जैसा कि सूची में बतलाया गया है। जैसे, अक्तूबर, 1985 के दौरान कुछ औषधियों की अस्थायी कमी हुई थी, लेकिन खुले बाजार से इन दवाइयों की खरीद करके इस कमी को दूर कर दिया गया था।

(ख) सभी अनिवार्य औषधियों दिल्ली के अन्य केंद्रीय सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

उत्तर प्रदेश के मस्तिष्क ज्वर से प्रभावित जिले और दवाइयों का आयात

749. **श्री प्रकाश वी० पाटिल**
श्रीमती किशोरी सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के कम से कम तीन जिले बड़े पैमाने पर मस्तिष्क ज्वर से प्रभावित हैं;

(ख) क्या देश में अन्य क्षेत्र भी इससे प्रभावित है;

(ग) यदि हां, तो इस घातक बीमारी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या इस बीमारी से लड़ने के लिए भारत को जापान/अन्य देशों से दवाइयों का आयात करना पड़ता है अथवा भारत इसके इलाज में आत्म निर्भर है; और

(ङ) पिछले एक वर्ष के दौरान मस्तिष्क ज्वर से कितनी मौतें हुई ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में एन्सेपेलाइटिस की घटनाओं में वृद्धि हुई है ।

(ग) राज्य सरकारों को आवश्यक सलाह तथा सहायता देने के लिए राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली और अखिल भारतीय स्वास्थ्य विभाग एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता का एक-एक दल क्रमशः उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में भेजा गया था ।

दोनों राज्य सरकारों ने रोकथाम के आवश्यक उपाय कर लिए हैं जिसमें कीटनाशी दवाइयों का छिड़काव, स्वास्थ्य शिक्षा, प्रचार कार्य और रोगियों का इलाज शामिल है । ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय रोग की घटनाओं में कमी आ गई है ।

(घ) आमतौर पर जापानी एन्सेपेलाइटिस के रोगियों को लाक्षणिक उपचार देने की जरूरत होती है । भारत में ये दवाइयां काफी मात्रा में हैं और वह जापान तथा अन्य किसी देश से इन दवाइयों को आयात नहीं कर रही है । वैसे, जब कभी जापानी एन्सेपेलाइटस का अधिक व्यक्तियों को हो जाने का खतरा हो तो इसकी रोकथाम के लिए जापान से वैक्सीन आयात की जाती है ।

(ङ) 1984 के दौरान जापानी एन्सेफ्लाइटिस के कारण 1390 मौतें (आंकड़े अनन्तिम) हुईं।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाढ़ नियंत्रण के लिए तैयार किया गया "मास्टर प्लान"

750. **श्री जैनूल बशर** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए व्यापक "मास्टर प्लान" तैयार किया है और उसे उनके मन्त्रालय को वित्तीय सहायता के लिए भेजा है;

(ख) यदि हां, तो योजना पर कुल कितना व्यय होगा और केन्द्रीय सरकार से कितनी सहायता की मांग की गई है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाढ़ों के नियंत्रण के लिए ऐसी कोई व्यापक मास्टर प्लान अनुमोदन और वित्तीय सहायता के लिए मंत्रालय को नहीं भेजी गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

सतुलज-यमुना लिंक नहर पर कार्य

751. **श्री धर्मपा लसिंह मालिक**
श्री काली प्रसाद पाण्डेय
श्री सुभाष यादव
श्रीविष्णु मोदी
श्री वी० तुलसी राम
श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतुलज-यमुना लिंक नहर का निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है;

(ख) क्या इस परियोजना के लिए धनराशि का अभाव है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस परियोजना के पूरा होने के लिए और अधिक धनराशि देने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : जी, हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) 4 अक्तूबर, 1985 को इस मन्त्रालय में हुई बैठक में यह सहमति हुई थी कि परियोजना के लिए निधियों की तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत सरकार, हरियाणा सरकार तथा पंजाब सरकार द्वारा क्रमशः 30 करोड़ रुपये, 10 करोड़ रुपए, और 4 करोड़ रुपय रिलीज किए जाएंगे। केन्द्र सरकार तथा हरियाणा सरकार ने पहले ही धनराशि रिलीज कर दी है और पंजाब सरकार द्वारा राशि शीघ्र रिलीज किए जाने की संभावना है।

(घ) इस परियोजना के पन्द्रह अगस्त, 1986 तक पूरा किए जाने की सम्भावना है।

तेलगू-गंगा परियोजना पर कार्य

752. **श्री धर्मपाल सिंह मालिक**
श्री सुभाष यादव : क्या **जल संसाधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में तेलगू-गंगा परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारण कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है;

(ख) यदि हां तो इस परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, वे तेलगू गंगा परियोजना पर 1983-84 से व्यय कर रहे हैं तथा उन्होंने 15 जुलाई, 1985 तक 62.58 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। चूंकि योजना आयोग ने परियजना को स्वीकृति नहीं दी है, अतः परियोजना कब तक पूर्ण हो जाएगी, यह प्रश्न नहीं उठता।

बोइंग विमानों के स्थान पर एयरबस की खरीद

753. **श्री यशवन्तराव पाटिल** : क्या **परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन एयरलाइन्स के लिए बोइंग विमानों की खरीद के बारे में अपने पहले निर्णय को रद्द कर दिया है और इसके स्थान पर बेड़े के आधुनिकीकरण के लिए एयर बस प्राप्त करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) सरकार के अनुमोदन के अधीन 12 बोइंग-757 विमान की खरीद के लिए, मैसर्स बोइंग कम्पनी को इंडियन एयरलाइन्स द्वारा पहले ही एक पत्र जारी किया जा चुका था। इसे अब रद्द कर दिया गया है और ए-320 विमान की खरीद के लिए मैसर्स एयरबस इंडस्ट्रीज को एक नया आशय-पत्र जारी किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया था कि एयरबस ए-320 विमान से तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभकारी था।

रेलवे कुलियों के लिए सामूहिक बीमा योजना

754. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के कुलियों के लिए सामूहिक बीमा योजना लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब लागू की जाएगी ?

परिवहन मंत्री (श्री बंशी लाल) : (क) जी हां,

(ख) नेशनल फेडरेशन आफ सेलवे पोटर्स एण्ड वेयरर्स को यह सुझाव दिया था कि इस योजना को चलाने का कार्य प्रशानिक कार्यों के साथ-साथ उन्हें सौंपा जा सकता है। फैडरेशन से उत्तर प्राप्त न होने के कारण इस मामले में आगे कोई विनिश्चय नहीं किया जा सका है।

जन्म-दर

755. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में राष्ट्रीय औसत से अधिक दर की जन्म दर है; और

(ख) इन राज्यों में परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री-(श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जन्म दर के वार्षिक अनुमान भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीयन पद्धति द्वारा उपलब्ध किऐ जाते हैं। नवीनतम उपलब्ध अर्थात् 1983 की अनुमाति जन्म दरों के आधार पर निम्नलिखित राज्यों ने राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले अधिक जन्म दर दर्शाई है ;

असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्कम, और उत्तर प्रदेश।

(ख) देश में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए मंत्रालय द्वारा एक कार्य योजना तैयार की गई। इस कार्य योजना की मुख्य बातें है; अधिक से अधिक लोगों की सह-भागीदारी, नई संचार-नीति, उपयुक्त प्रोत्साहनों की व्यवस्था, कार्यक्रम प्रबन्ध में सुधार तथा उपयुक्त अनुसंधान एवं मूल्यांकन।

[हिन्दी]

सातवीं योजना के दौरान नई दिल्ली रेलवे लाइनें

756. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या **परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां सातवीं पंचवर्षीय योजना में नई रेलवे लाइनें बिछाई जाएंगी;

(ख) इन नई रेलवे लाइनों पर कितनी धनराशि व्यय की जायगी; और

(ग) ब्यौरे सहित उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां नई रेलवे लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित किया जाएगा ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग) 1985-86 के बजट प्रलेखों में उल्लिखित 47 नयी लाइन परियोजना तथा 18 आमान परिवर्तन परियोजनाओं की यथा सम्भव सीमा तक प्रगति की जायेगी, जो सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान वर्षानुवर्ष के आधार पर उपलब्ध कराये जाने वाले संसाधनों पर निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

बांधों के निर्माण के लिए सोवियत प्रौद्योगिकी का उपयोग

757. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **जल संसाधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बांधों का डिजाइन तैयार करने और उसके निर्माण के लिए सोवियत संघ प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के बारे में विचार किया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में हाल ही में सोवियत संघ में विशेषज्ञों के साथ कोई विचार विमर्श किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द). (क) जल संसाधनों के विकास के क्षेत्र में

तकनीकी सहयोग के लिए भारत और सोवियत संघ के बीच हस्ताक्षरित नयाचार के तहत, सहयोग के लिए पता लगाई गई मदों में से बांधों का डिजाइन तैयार करना और उनका निर्माण करना एक है।

(ख) से (घ) सितम्बर-अक्तूबर, 1985 में एक भारतीय विशेषज्ञ दल ने सोवियत संघ का दौरा किया और इस बारे में सोवियत विशेषज्ञों से विचार-विमर्श किया। प्रतिनिधि मंडल ने सोवियत बांधों के डिजायन और उनके निर्माण में कुछ बातों का पता लगाया जिन्हें भारत में जहां कहीं लागू हो, अपनाया जा सकता है। इसमें ये शामिल हैं।

(1) बांधों की नींव जिनमें जल में घुलनशील जिप्सम लैस हो, उनका निवारण।

(2) विशेष प्रकार के ऊर्जा छितराव प्रबन्ध।

(3) तटबन्ध बांधों के ऊपर लहर विक्षेपक।

(4) बांध के प्रतिप्रवाह भाग पर पत्थर-भराव के स्थान पर प्रबलित कंकरी पैनल्स।

(5) यात्रा तन्त्र द्वारा एक नियामक के पार मछली ढुलाई प्रणाली।

बेकार घोषित किए गए भाप से चलने वाले इंजन और बन्द किये गये शेड

758. **श्री मोहन भाई पटेल**
श्री अमर सिंह राठवा : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिवर्ष काफी संख्या में भाप इंजन बेकार घोषित किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में उनकी संख्या क्षेत्र-वार क्या थी;

(ग) क्या यह सच है कि भाप चालित इंजनों को बेकार घोषित किए जाने के कारण बहुत से शेडस बन्द कर दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो पश्चिम क्षेत्र में अब तक कितने शेड्स बन्द किए हैं और उनका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि बहुत सी रेल गाड़ियां रद्द कर दी गई हैं, यदि हां, तो वर्ष 1984-85 के दौरान कितनी रेलगाड़ियां रद्द की गई हैं;

(च) क्या सरकार का विचार उन लाइनों पर, जहां से भाप चलित इंजन हटाये गये हैं, भाप चलित इंजन के स्थान पर डीजल इंजन प्रतिस्थापित करने का है; और

(छ) बेकार घोषित किये गये भाप चालित इंजनों का किस प्रकार निपटारा किया जा रहा है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंशी लाल) : (क) जी हां ।

(ख) विवरण संलग्न है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) पश्चिम रेलवे में केवल गोधरा भाप इंजन शेड बन्द किया गया है, लेकिन कर्षण के बदलाव के कारण ।

(ङ) जी नहीं । 1984-85 में भाप रेल इंजनों को नाकारा घोषित करने के कारण कोई गाड़ी रद्द नहीं की गई है ।

(च) जब कभी भाप रेल इन्जन हटाये जाते हैं, उनके स्थान पर डीजल रेल इन्जन सहित कर्षण के वैकल्पिक साधनों के बारे में विचार किया जाता है ।

(छ) अधिकतर सार्वजनिक नीलामी के द्वारा बिक्री करके ।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान नाकारा घोषित किये गये रेल इंजनों की संख्या

म०रे०	पू०रे०	उ०रे०	पू०रे०	पूर्वो०सो०रे०	द०रे०द०प०रे०	द०पू०रे०	प०रे०	जोड़
				1982-83				
114	200	170	24	58	75 67	75	153	936
				1983-84				
—	16	14	26	9	9 1	75	6	156
				1984-85				
7	—	65	10	13	2 —	5	11	113

पूर्णतः सज्जित आयातित चलते-फिरते चिकित्सालयों का प्रयोग

759. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा वर्ष 1977-79 के दौरान आपरेशन करोड़ों रुपये का भारी व्यय करके थियेटर आदि सहित पूर्णतः सज्जित चलते-फिरते चिकित्सालयों का आयात किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इन चलते-फिरते चिकित्सालयों को किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है और उनमें से कितनों का वास्तव में उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) उनमें कितने अप्रयुक्त पड़े हैं और कब से ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) भारत सरकार द्वारा यू० के० सहायता कार्यक्रम के अधीन 318 गश्ती क्लिनिक प्राप्त किये गये थे। ग्रामीण और अर्द्ध ग्रामीण जनसंख्या को स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रत्येक चिकित्सा कालेज को तीन गश्ती क्लिनिक दिये गये थे। इन गश्ती क्लिनिकों के उपयोग के बारे में स्थिति भिन्न-भिन्न संथाओं में भिन्न-भिन्न है, जो अनेक बातों जैसे भूभाग, मौजूदा ग्रामिण स्वास्थ्य सेवाओं की प्रकृति तथा पूरक संसाधनों की उपलब्धता, आदि पर निर्भर करती है। जहां भी संभव होता है, इन क्लिनिकों को अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। सरकार इन क्लिनिकों के उपयोग पर निरन्तर निगरानी रखे हुये है।

विश्व प्रतियोगिताओं के लिए टीमों को समय पर मंजूरी देना

760. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के लिए टीमों को मंजूरी के संबंध में कोई निर्धारित नियम, कसौटी अथवा मानदण्ड है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोवे विश्वविद्यालय में विश्व जूनियर हाकी तथा कुश्ती चैम्पियशिप और सिंगापुर टेबिल टेनिस प्रतियोगिता आदि के लिए टीमों को मंजुरी देने में उपरोक्त नियमो, कसौटियों अथवा मानदण्डों का पालन किया गया था; और

(ग) क्या उक्त नियमों, कसौटियों अथवा मानदण्डों के फलस्वरूप टीमों खिलाड़ियों अथवा टीमों के प्रबन्धकों को समय पर मंजूरी देने में विलम्ब हुआ है ?

युवक कार्यक्रम और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां। वस्तुतः कुश्ती टीम टोक्यो गई थी और न कि कोवे।

(ग) जी, नहीं।

औरंगाबाद में खेल-कूद काम्प्लेक्स की स्थापना

761. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या **मानव संसाधन विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में औरंगाबाद में खेल-कूद काम्प्लेक्स स्थापित करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रक्रिया है ?

युवक कार्यक्रम और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने हमें औरंगाबाद में खेल परिसर के निर्माण के लिए औरंगाबाद नगर निगम से प्रस्ताव प्रेषित किया था और अनुदान के लिए इसकी सिफारिश की थी।

(ख) परियोजना केन्द्रीय अनुदान के लिए सामान्य शर्तों में स्वीकृत की गई है।

बोइंग 747 विमान में पाई गई असामान्यताएं

762. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि जापानी एयरलाइन्स द्वारा उड़ाये जाने वाले अनेक बोइंग 747 जम्बो जेट-लाइनर्स के पिछले भाग में विशेष जांच के दौरान असामान्यतायें पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया ने भी अपने विमानों की इसी प्रकार की जांच की है; और

(ग) यदि हां तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इन्डियन एयरलाइन्स के विमान-बेड़े में बोइंग-747 शामिल नहीं है। तथापि, एयर इन्डिया ने अपने बोइंग-747 विमानों के पुच्छ भाग का विशेष निरीक्षण पूरा कर लिया है। निरीक्षण के दौरान कोई बड़ी खराबी नहीं पाई गई है। फिर भी एयर इन्डिया से अपने विमानों के पुच्छ भाग फिन, रडर और पुच्छ के पास दाब सुरक्षा व्यवधान की नियमित रूप से अधिक जांच करने के लिए कहा गया है।

देश के प्रत्येक जिले में केन्द्रीय विद्यालय

763. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्रत्येक जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गये हैं;

(ग) आगामी वर्ष के दौरान कितने जिलों में केन्द्रीय विद्यालय खोले जायेंगे; और

(घ) सभी जिलों में कब तक केन्द्रीय विद्यालय खोल दिए जायेंगे ?

शिक्षा तथा संसकृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) देश में प्रत्येक जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय (माडल स्कूल से भिन्न) खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

कुआरपूत्ति कड़प्पाडा बहु-उद्देशीय परियोजना के सिंचाई वाले भाग को क्रियान्वित करने पर आपत्ति

764. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कुआरपूत्ति कड़प्पाड़ा बहु-उद्देशीय परियोजना के सिंचाई वाले भाग को क्रियान्वित करने पर कोई आपत्ति की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या आपत्ति की गई है;

(ग) क्या सरकार इस परियोजना के सिंचाई भाग के सम्बन्ध में स्थिति की पुनरीक्षा कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) परियोजना को पर्यावणिक दृष्टि से स्वीकार्य नहीं पाया गया है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वे परिकल्पित क्षेत्र की सिंचाई के लिए जल के वैकल्पिक साधनों का परीक्षण कर रहे हैं।

मलेरिया पैरासाइट की औषधियों के प्रति प्रतिरोध की समस्या और जड़ी-बूटियों से बनी "क्विनधाओं" दवाइयों का उपयोग

765. **श्री चिन्ता मोहन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय उपलब्ध औषधियों में मलेरिया पैरासाइट के प्रतिरोध की समस्या ने गंभीर रूप ग्रहण कर लिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अब उपलब्ध मलेरिया-विरोधी औषधियों से बाद में गंभीर परिणाम निकलते हैं;

(ग) क्या सरकार को चीन से जड़ी बूटी से बनी औषधि "क्विनधाओं" के प्रभावी उपयोग का पता है जैसाकि दिनांक 15 अक्तूबर, 1985 के समाचार में प्रसारित हुआ था;

(घ) क्या देश में इस प्रकार के देशी परम्परागत जड़ी-बूटी के पौधे उपलब्ध हैं और उनका केन्द्रीय औषध अनुसंधान, लखनऊ तथा अन्य प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षण किया गया है; और

(ङ) क्या सरकार को मलेरिया-विरोधी टीके और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद आदि द्वारा देशी औषधियों के विकास के लिए चिकित्सा अनुसंधान और विकास द्वारा उपेक्षा करने की जानकारी है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी नहीं। देश के कुछ हिस्सों में पी० फल्सीपरम परजीवी में क्लोरोक्वीन, मलेरिया के इलाज के लिए प्रयोग की जा रही पारस्परिक दवा को कुछ हद तक हजम करने की शक्ति देखी गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार "क्विनघासु" बहुत पुराने समय से चीन में प्रयुक्त हो रही जड़ी-बूटी से बनी दवा, कार्डरल मलेरिया के उपचार में बहुत गुणकारी है। भारत में भी "आगुष-64" तथा रिगरिल जैसी स्वदेशी आयुर्वेदिक दवाओं पर केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ तथा राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली में परीक्षण किए गऐ हैं। एनिमल माडल पर "आयुष" के परीक्षण अभी पूरे नहीं हुए हैं।

(ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद गांधी रीगन साइंस टैक्नोलाजी इनिशिएटिव के अधीन देश में मलेरिया वैक्सीन के परीक्षण करने के काम में सक्रिय रूप से लगा हुआ है।

मणिपुर में चल रही सिंचाई परियोजनाएं

766. **श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मणिपुर में चल रही सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं और उनके संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या इम्फाल के संसाधनों और मणिपुर में इरिल नदियों के संबध में सिंचाई परियोजनाओं के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार सिंचाई परियोजनाओं के लिए मणिपुर में कोई सर्वेक्षण नहीं कर रही है। राज्य सरकार इरिल सहित विभिन्न नदियों पर 17 सिंचाई परियोजनाओं का सर्वेक्षण कर रही है जिसमें से 5 परियोजनाओं का कार्य उन्नत अवस्था में है।

विवरण

मणिपुर में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति

(करोड़ रुपए में)

क्र०सं०	परियोजना का नाम	अद्यतन अनुमानित लागत	मार्च, 1985 तक किया गया प्रत्याशित व्यय
	सातवीं योजना से पहले की परियोजनाएं		
	(क) बृहद परियोजनाएं		
	1. सिंगदा सिंचाई	9.08	7.41
	2. थौबल	80·00	11·86
	3. लोकताक लिफ्ट सिंचाई स्कीम	23·53	21·36
	4. खुगा	34·00	14·19
	(ख) मध्यम परियोजनाएं		
	1. खौपाम बांध	2·98	2·75
	2. इम्फाल बराज	5·28	4·75
	3. सैकमई बराज	6·64	5·57

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षा के एक समान स्तर के लिए उपाय

767. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश भर में विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के एक समान स्तर सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या आयोग द्वारा शिक्षा के स्तर में एकरूपता की कमी के मुख्य कारणों का तथा उसके उपचारात्मक उपायों का पता लगाने के लिए इस संबंध में कोई विशेष सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किए गए शिक्षा के स्तरों में तुलनात्मक माप को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों द्वारा बी० ए०/बी० एस० सी०/बी० काम डिग्रियां प्रदान करने के लिए अनुदेश के न्यूनतम स्तरों का विशेष रूप से उल्लेख करने वाले विनियमों को निर्धारित किया है। इन विनियमों में यह उल्लिखित है कि एक शैक्षिक वर्ष में वास्तविक शिक्षण दिवसों की संख्या 180 से कम नहीं होनी चाहिए; विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों को अपनाना चाहिए; उन अध्यापकों को, जो आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं पूरी नहीं करते, शिक्षण पदों पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए; और यह कि अध्यापकों का कार्यभार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। आयोग ने कनिष्ठ अनुसंधान शिक्षावृत्तियां प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय परीक्षा आयोजित करने का भी निश्चय किया है। यह परीक्षा यह सुनिश्चित करने के इरादे से है कि इसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्नातकों के, जिन्हें शिक्षावृत्तियां प्रदान की जाती हैं, निष्पादन स्तरों में तुलनात्मकता की एक माप हो।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उपनगरीय रेलवे के लिए पदों के सृजन पर लगे प्रतिबन्ध को हटाना

768. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपनगरीय रेलवे अधिकारियों ने कलकत्ता में उपनगरीय रेलवे के लिए पदों के सृजन पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने के रेल विभाग से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) कलकत्ता में उपनगरीय रेल चलाने तथा उसके रख-रखाव के लिए कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है;

(घ) उपनगरीय रेलवे के लिए पदों के सृजन पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने के प्रस्ताव के संबंध में सरकार का क्या विचार है; और

(ङ) कलकत्ता में उपनगरीय रेलवे के रख-रखाव इंजीनियरी सुरक्षा, इलैक्ट्रिकल और अन्य विभागों के लिए उपयुक्त कर्मचारियों के चयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अभी तक खोले गए एस्पलेनेड—भवानीपुर तथा दम-दम—बेलगछिया खंडों के लिए 317 कर्मचारी तथा 7 अधिकारी तैनात किये गये हैं। और खंड खोले जाने पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कर्मचारी तथा अधिकारी तैनात किए जायेंगे।

(घ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मेट्रो रेलवे अनुरक्षण तथा परिचालन के लिये अपेक्षित पदों को रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार भर रही है। इन दिशा-निर्देशों में बुकिंग क्लर्क, टिकट कलेक्टर आदि जैसे पदों के भरे जाने की व्यवस्था है जो रेलवे द्वारा सुविधाजनक तथा न्यायसंगत समझे गये तरीके से क्षेत्रीय रेलों से लिए गए वर्ग 'ग' और 'घ' के कर्मचारियों तथा मेट्रो रेलवे के नैमित्तिक श्रमिकों में से भरे जा रहे हैं। अनुरक्षण तथा परिचालन के पदों के लिए इन कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लिया जाना अन्य बातों के साथ-साथ पात्रता और स्क्रीलिंग अथवा प्रवरण, जैसा भी मामला हो, के अधीन होगा। ड्राइवरों, सहायक स्टेशन मास्टरों, खंड नियंत्रकों आदि जैसे विशेषज्ञता वाले पदों को क्षेत्रीय रेलों से उपयुक्त कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त करके भरा जा रहा है।

[हिन्दी]

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रेल लाइनों का विद्युतीकरण

769. **श्री शांति धारीवाल :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ रेल लाइनों का विद्युतीकरण करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अवधि के दौरान दिल्ली-जयपुर, दिल्ली-जोधपुर तथा दिल्ली-बीकानेर रेल लाइनों का भी विद्युतीकरण करने का विचार है;

(ग) यदि हाँ, तो उन पर विद्युतीकरण का कार्य कब तक शुरू करने का विचार है, और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) रेलों का विद्युतीकरण एक गहन पूंजी निवेश वाला कार्य है और खर्च उच्च याता-

यात घनत्व वाले खंडों पर अग्रता के आधार पर किया जाता है ताकि लगायी गयी पूंजी पर अधिकतम और शीघ्रतम प्रतिफल प्राप्त किया जा सके। विद्युतीकरण की वर्तमान अग्रताओं में महानगरों को जोड़ने वाले ट्रंक मार्ग अर्थात् दिल्ली-बम्बई, कलकत्ता-बम्बई और दिल्ली-मद्रास तथा कोयले और लौह अयस्क आदि के संचालन के लिए अन्य महत्वपूर्ण मार्ग शामिल हैं। ट्रंक मार्गों के विद्युतीकरण के लिए अग्रताओं और संसाधनों को तंगी को देखते हुए तथा साथ ही इन खंडों पर कम यातायात घनत्व के कारण दिल्ली-जयपुर, दिल्ली-जोधपुर और दिल्ली-बीकानेर रेल लाइनों के विद्युतीकरण को सातवीं पंचवर्षीय योजना में रेलवे के विद्युतीकरण कार्यक्रम में शामिल करने के लिए व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

मध्य प्रदेश में बिलासपुर अथवा जबलपुर में जोनल कार्यालय खोलना

770. **श्री सुभाष यादव** : क्या **परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग मध्य प्रदेश में बिलासपुर या जबलपुर में रेल का एक जोनल कार्यालय खोलने पर विचार कर रहा है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) अब तक ऐसे जोनल केन्द्र न खोलने के क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंशी लाल) : (क) जी हां। इस मंत्रालय द्वारा एक नये जोन अर्थात् पूर्व मध्य जोन के गठन को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। तथापि, इस जोन के वास्तविक गठन को धनराशि की तंगी के कारण आस्थगित रखा गया है।

[अनुवाद]

कुलानुकोंडा (दक्षिण मध्य रेलवे) में पीरियोडिकल ओवर हालिंग वर्कशाप (सामयिक मरम्मत कार्यशाला) की स्थापना

771. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बहुत से विशेषज्ञों ने 20 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण-मध्य रेलवे पर विजयवाड़ा के निकट कुलानुकोंडा में सामयिक मरम्मत कार्यशाला (पी० ओ० एच०) स्थापित करने का सुझाव दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलवे प्रशासकन ने इसके लिए कालानुकोंडा में पहले ही 30 एकड़ भूमि निर्धारित को है; और

(ग) कालानुकोंडा में (पी० ओ० एच०) कार्यशाला स्थापित करने में कितनी प्रगति हो चुकी है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) सरकार दक्षिण-मध्य रेलवे के कोलानुकोंडा में आवधिक ओवरहाल कारखाना स्थापित करने के लिए किसी विशेषज्ञ दल का सुझाव या सिफारिश प्राप्त होने की जानकारी नहीं है। तथापि, विजयवाडा के निकट गुंतुपल्ली में 26·50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बड़ी लाइन का एक नया माल डिब्बा मरम्मत कारखाना स्थापित किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नही उठते।

भारतीय रेलों द्वारा चलाए जा रहे होटल

772. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों ने होटल चलाने का काम भी शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रेलों द्वारा चलाए जा रहे होटलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन होटलों द्वारा कितना लाभ कमाया गया और उक्त अवधि के दौरान इन होटलों में ठहरे लोगों की प्रतिशतता क्या है;

(घ) क्या रेलों का विचार नए होटल चलाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग) रेलें दो होटल चला रही हैं, एक उड़ीसा के पुरी शहर में तथा दूसरा बिहार के रांची शहर में। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन होटलों से हुआ लाभ और उनके अधिभोग को नीचे दिखाया गया है :—

होटल	वर्ष	अधिभोग अनुपात	लाख (रुपयों में)
पुरी	1982-83	49%	437942
	1983-84	41.7%	335000
	1984-85	24%	178650
रांची	1982-83	57.4%	129310
	1983-84	41.6%	96000
	1984-85	25%	65850

(घ) और (ङ) फिलहाल किसी नए होटल को चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

नयी रेल गाड़ियां चलाना

773. श्री सी० माधव रेड्डी
श्री एम० रघुआ रेड्डी } : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1984 के बाद से बेड़े में कितने यात्री डिब्बे (श्रेणी-वार) और रेल इंजन (किस्म-वार अर्थात् ब्राडगेज, मीटर गेज, बिजली/डीजल) जोड़े गए हैं;

(ख) नयी रेल गाड़ियों को चलाने के बारे में सरकार के पास लम्बित पड़े आवेदन पत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार आवेदन पत्रों में की गई मांगों कों कब तक पूरा करने की आशा रखती है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) विवरण एक संलग्न है जिसमें 1984-85 के दौरान किए गए परिवर्धन दर्शाए गए हैं।

(ख) संलग्न विवरण-दो में एक सूची दी गई है जिसमें कुछ लम्बित पड़ी मांगें दी गयी हैं।

(ग) कोई निर्धारित समय नहीं बताया जा सकता। ऐसी मांगें जो कि न्यायोचित और व्यावहारिक होगी उन पर विचार किया जायेगा बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों;

विवरण-एक

1-4-84 को इंजनों की संख्या

इंजन	डीजल		
व०ला०	1-4-84 को सं०	1-4-85 को	बेड़े में परिवर्धन
1	2	3	4
डब्ल्यू डी एम 1	97	95	(—) 2
डब्ल्यू डी एम 2	1562	1608	(+) 46
डब्ल्यू डी एम 4	71	71	—
डब्ल्यू डी एम 6	2	2	—
डब्ल्यू डी एस 1	11	11	—
डब्ल्यू डी एस 5	21	21	—
डब्ल्यू डी एस 5	37	40	(+)3
डब्ल्यू डी एस 2	29	29	—

1	2	3	4
डब्ल्यू डी एस 4+4 वी	351	362	(+)11
डब्ल्यू डी एस 4डी	—	2	(+) 2
डब्ल्यू डी एस 3	8	8	—
जोड़	2189	2249	(+)60
ब० ला०			
डीजल			
मी० ला०			
वाई डी एम 3	30	30	—
वाई डी एम 4	39	393	(+)24
वाई डी एम 4ए	66	65	(—)1
वाई डी एम 5	25	25	—
वाई डी एम 1	20	20	—
शन्टर (फाउलर)	9	9	—
जोड़ मी० ला०	519	542	(+)23
जोड़ ब० ला०+मी० ला०	2708	2791	(+)83

बिजली

ब०ला०	1·4·84 को सं०	1·4·4·85 को सं०	बेड़े में परिवर्धन
डब्ल्यू ए एम 1	96	94	(—) 2
डब्ल्यू ए एम 2	32	32	—
डब्ल्यू ए एम 3	2	2	—
डब्ल्यू ए एम 4	493	490	(—) 3
डब्ल्यू ए जी 1	103	101	(—) 2
डब्ल्यू ए जी 2	39	39	—

1	2	3	4
डब्ल्यू ए जी 3	10	10	—
डब्ल्यू ए जी 4	172	172	—
डब्ल्यू ए जी 5ए+बी	58	112	(+)54
डब्ल्यू ए पी 1	4	5	(—) 1
डब्ल्यू जी एम 1	7	7	—
डब्ल्यू सी एम 2	12	12	—
डब्ल्यू सी एम 3	3	3	—
डब्ल्यू सी एम 4	7	7	—
डब्ल्यू सी एम 5	20	20	—
डब्ल्यू सी जी 1	19	19	—
डब्ल्यू सी जी 2	57	57	—
डब्ल्यू सी एस 1	1	—	(—)1
डब्ल्यू सी ए एम 1	53	52	(—)1
जोड़ ब०ला०	1188	1234	(+)46
मी०ला० बिजली			
वाई ए एम 1	20	20	—
जोड़ ब०ला०+मी०ला०	1208	1254	(+)46

सवारी डिब्बे किस्म	ब०ला० 1-4-84 को सं०	1-4-85 को सं०	बेड़े में परिवर्धन	मी०ला० 1-4-84 को सं०	1-4-85 को सं०	बेड़े में परिवर्धन
1	2	3	4	5	6	7
1. वातानुकूलित पहला दर्जा	123	107	(—)16	—	—	—
2. वातानुकूलित कुर्सीयान	92	61	(—) 1	—	—	—
3. वातानुकूलित 2 टीयर	247	297	(+)50	10	10	—

1	2	3	4	5	6	7
4. पहला दर्जा	1286	1268	(—)20	588	574	(—)14
5. जनरल दूसरा	6584	7111	(+)527	4818	4698	(—)120
6. जनरल दूसरा शयनयान	4401	4509	(+)108	1310	1314	(+) 4
7. अन्य	4016	4081	(+) 65	2599	2501	(—) 98
जोड़ पी० सी० वी०	16,749	17,464	(+)715	9,325	9,097	(—)228
जोड़ ओ० सी० वी०	4,698	4,726	(+)28	2,874	2,900	(+) 26
जोड़ सवारी डिब्बे	21,447	22,190	(+)743	12,199	11,097	(—)202

विवरण-दो

नयी गाड़ियां चलाये जाने के बारे में लम्बित पड़ी कुछ मांगों का विवरण

1	2
1. पटना-मद्रास सेन्ट्रल	12. बम्बई-लखनऊ
2. पटना बम्बई	13. बम्बई-कानपुर
3. दिल्ली-राँची बरास्ता फैजाबाद/ लखनऊ	14. भुसावल-जबलपुर
4. दिल्ली-बम्बई बरास्ता नागदा	15. बीकानेर-काचीगुडा बरास्ता जोधपुर
5. भटिण्डा-हरिद्वार	16. दिल्ली-मनमाड
6. इलाहाबाद-राजकोट/हापा	17. बम्बई-नागपुर
7. न्यू वोगाईगांव-बम्बई	18. दिल्ली-पुणे
8. बम्बई वी० टी०-गोरखपुर	19. हावड़ा-पुणे
9. हावड़ा-द्वारका	20. भोपाल-वाराणसी
10. विशाखापत्तनम-अहमदाबाद	21. दिल्ली-नागपुर
11. दुर्ग-तिरुवनन्तपुरम	22. कोटा-मद्रास/तिरुवनन्तपुरम

1	2
23. हावड़ा-हापा	38. हावड़ा-हैदराबाद
24. हापा-हैदराबाद	39. सिकन्दराबाद-तिरुवनन्तपुरम
25. हापा-बैंगलूर	40. मचिलीपटनम-हैदराबाद
26. जोधपुर-हैदराबाद	41. बारंगल-हैदराबाद
27. हावड़ा-पुरी	42. गुन्टूर-गुन्तकुल/बैंगलूर
28. वाराणसी-कलकत्ता	43. गोरखपुर-सियालदह
29. हावड़ा-आणंद	44. हिसार-जम्मूतवी
30. दिल्ली-माल्दा टाउन	45. चंडीगढ़-लखनऊ
21. काटपाडी-बैंगलूर	46. दिल्ली-हैदराबाद
32. वर्धा-बम्बई	47. हैदरावाद-बैंगलूर
33. अहमदाबाद-बैंगलूरु बरास्ता गुंतकुल	48. काजीपेट-वाल्टेयर
34. अदिलाबाद-मुखखेड़/सिकन्दराबाद	49. बैंगलूर-शीलापुर
35. अहमदावाद-हैदराबाद	50. हैदराबाद-पटना
36. शीलापुर-बैंगलूरु	51. वाल्टेयर-दिल्ली
37. मिरज-बम्बई	

मानसिक रोगी और राज्य-वार अस्पताल

774. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मानसिक रोगियों का सर्वेक्षण किया है, और

(ख) यदि हां, तो देश में मानसिक अस्पतालों का ब्यौरा क्या है और राज्य-वार उनमें से प्रत्येक अस्पताल में कितने रोगी हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) देश में मानसिक रोगियों के बारे में कोई देशव्यापी सर्वेक्षण नहीं किया गया है । वैसे, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने 1975-1979 के दौरान देश के चार केन्द्रों अर्थात् बंगलौर, बड़ौदा, कलकत्ता

और पटियाला में तीव्र मानसिक विकारों पर एक सर्वेक्षण किया है। मानसिक रोगियों के लिए विशिष्ट इलाज की सुविधाओं वाले अस्पतालों/संस्थानों की एक सूची संलग्न विवरण-एक में दी गई है। विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के विशिष्ट मानसिक अस्पतालों में उपचार किए गए रोगियों की संख्या का ब्यौरा विवरण-दो में दिया गया है।

विवरण-एक

मानसिक रोगियों को विशिष्ट उपचार सुविधाएं प्रदान करने वाले अस्पतालों/संस्थाओं की सूची।

1. अधीक्षक,
   सरकारी मानसिक परिचर्या अस्पताल,
   विशाखापटनम।

2. अधीक्षक,
   सरकारी मानसिक परिचर्या अस्पताल,
   हैदराबाद।

3. अधीक्षक,
   मानसिक अस्पताल, तेजपुर असम।

4. अधीक्षक,
   रांची मानसिक आरोग्यशाला, कांके, रांची

5. निदेशक, एवं प्रो०
   केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान कांके, रांची।

6. अधीक्षक,
   डेविस तंत्रिका-मनश्चिकित्सा संस्थान,
   बोरेआरोड, रांची।

7. अधीक्षक,
   मानसिक अस्पताल,
   दिल्ली गेट के बाहर, अहमदाबाद।

8. अधीक्षक,
   मानसिक अस्पताल, करेली बाग, बड़ौदा।

9. अधीक्षक,
   मानसिक अस्पताल जामनगर, गुजरात।

10. अधीक्षक,
मानसिक अस्पताल, भुज-कक्ष, गुजरात ।

11. अधीक्षक,
कस्तूरबा मानसिक अस्पताल,
मरोली, ताल, नाबासारी, वलसाड, गुजरात ।

12. तानसिक संस्थान,
कलवाडा राजकोट, गुजरात ।

13. चिकित्सा अधीक्षक,
सरकारी मनश्चिकित्सा अस्पताल,
जम्मू ।

14. चिकित्सा अधीक्षक,
मनश्चिकित्सा अस्पताल
श्रीनगर ।

15. निदेशक,
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और
तंत्रिका विज्ञान, संस्थान, बंगलौर ।

16. अधीक्षक,
मानसिक अस्पताल, धारावाड़ ।

17. अधीक्षक,
सरकारी मानसिक अस्पताल, त्रिवेन्द्रम ।

18. अधीक्षक,
सरकारी मानसिक अस्पताल, त्रिचूर ।

19. अधीक्षक,
सरकारी मानसिक अस्पताल, कालीकट ।

20. मनश्चिकित्सक,
मानसिक अस्पताल, इन्दौर ।

21. मनश्चिकित्सक,
मानसिक अस्पताल, ग्वालियर ।

22. अधीक्षक,
केन्द्रीय मानसिक अस्पताल, यरवदा, पुणे ।

23. अधीक्षक,
एम० एम० मेंटल अस्पताल, थाना
महाराष्ट्रा ।

24. चिकित्सा अधीक्षक,
मानसिक अस्पताल, नागपुर ।

25. अधीक्षक,
मानसिक अस्पताल, रतनागिरी ।

26. मानसिक स्वास्थ्य संस्थान मिराज,
महाराष्ट्र ।

27. अधीक्षक,
मानसिक अस्पताल, कोहिमा ।

28. अतिरिक्त अधीक्षक,
मानसिक स्वास्थ्य संस्थान,
एस० सी० बी० मेडिकल कालेज, कटक ।

29. चिकित्सा अधीक्षक,
पंजाब मानसिक अस्पताल, अमृतसर ।

30. अधीक्षक,
मानसिक अस्पताल, जयपुर ।

31. अधीक्षक,
मानसिक अस्पताल, जोधपुर ।

32. अधीक्षक,
मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, किलपाक,
मद्रास ।

33. वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक,
मानसिक अस्पताल, आगरा ।

34. वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक,
मानसिक अस्पताल, बरेली ।

35. अधीक्षक,
मानसिक अस्पताल, वाराणसी ।

36 क्लीनिकल डायरेक्टर,
नूर मंजिल मनश्चिकित्सा केन्द्र, लखनऊ।

37. अधीक्षक,
मानसिक पर्यवेक्षण वार्ड,
भवानीपुर, कलकत्ता।

38. मानसिक रोग अस्पताल, कलकत्ता।

39. प्रशासक,
लुम्बिनी पार्क मानसिक अस्पताल,
कलकत्ता।

40. अधीक्षक,
दत्त नगर मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र,
कलकत्ता।

41. मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
मानसिक अस्पताल, हुगली।

42. अधीक्षक,
सरकारपोल मानसिक अस्पताल,
24-परगना, पश्चिमी बंगाल।

43. अधीक्षक,
लाल गोला स्पेशल जेल,
मुर्शिदाबाद। पश्चिम बंगाल।

44 अधीक्षक,
मानसिक अस्पताल, मुर्शिदाबाद।

45. चिकित्सा अधीक्षक,
एवं वरिष्ठि मनश्चिकित्सक
मानसिक रोग अस्पताल दिल्ली।

46. चिकित्सा अधीक्षक,
मानसिक अस्पताल, पणजी।
गोआ, दमन व द्वीप।

विवरण-दो

1982-83 और 1984 के दौरान विशिष्ट मानसिक अस्पतालों में उपचार किए गए मानसिक रोगियों की संख्या

क्र० सं०	राज्य और संघ शासित क्षेत्र का नाम	मानसिक अस्पतालों की संख्या	पलंगों की कुल संख्या	1982			सूचित किए गए अस्पतालों की संख्या
				दाखिल	डिस्चार्ज	मृतक	
1.	आंध्र प्रदेश	2	900	1425	1460	11	1
2.	असम	1	640	1621	1624	42	1
3.	बिहार	3	247	8919	8752	248	2
4.	गुजरात	6	768	874	809	27	5
5.	जम्मू व कश्मीर	2	175	1121	1099	7	2 2
6.	कर्नाटक	2	1160	5202	5174	36	2
7.	केरल	3	1356	5623	5804	59	2
8.	मध्य प्रदेश	2	368	1008	987	71	2
9.	महाराष्ट्र	5	5875	8997	11337	251	5
10.	नागालैंड	1	50	30	23	9	1
11.	उड़ीसा	1	60	1275	1279	2	1
12.	पंजाब	1	811	393	397	28	1
13.	राजस्थान	2	385	1050	1020	6	1
14.	तमिलनाडु	1	1800	1939	1947	60	1
15.	उत्तर प्रदेश	4	1502	2223	2129	74	4
16.	पश्चिम बंगाल	8	1560	1812	1814	61	5
17.	दिल्ली	1	578	690	543	19	1
18.	गोवा दमन व दीव	1	272	1971	1981	2	1
	योग	46	21033	46480	48179	1013	38

क्र० सं०	राज्य संघ शासित क्षेत्रों का नाम	1983 दाखिला	डिस्चार्ज	मृतक	सूचित किए गए अस्पतालों की संख्या	1984 दाखिल	डिस्चार्ज	मृतक	सूचित किए गए अस्पतालों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1298	1297	13	1	1349	1298	10	1
2.	असम	1425	1380	79	1	2028	2027	60	1
3.	बिहार	8798	8722	149	2	8040	8012	270	2
4.	गुजरात	783	775	31	5	423	302	27	3
5.	जम्मू व कश्मीर	1150	1201	7	2	651	647	3	1
6.	कर्नाटक	5006	4906	41	2	4525	4499	38	2
7.	केरल	9333	7969	113	3	5133	4546	53	2
8.	मध्य प्रदेश	1002	924	69	2	979	978	58	2
9.	महाराष्ट्र	9329	9200	194	4	9845	9431	280	5
10.	नागालैंड	66	46	1	1	58	49	—	1
11.	उड़ीसा	1324	1315	4	1	+	+	+	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	पंजाब	374	350	30	1	298	306	33	1
13.	राजस्थान	+	+	+	—	1186	1180	5	1
14.	तमिलनाडु	1977	1887	63	1	2057	2010	43	1
15.	उत्तर प्रदेश	809	798	51	3	718	679	46	3
16.	पश्चिम बंगाल	1688	1554	12	3	256	236	—	2
17.	दिल्ली	616	576	24	1	+	+	+	—
18.	गोवा दमन व दीव	2255	2266	7	1	2370	2363	6	1
	योग :	47173	45166	888	34	39920	45563	932	29

[हिन्दी]

उत्तर रेलवे में 1 एम० एल० और 2 एफ० बी० एल० रेल गाड़ियों का विलम्ब से चलना

775. **श्री निर्मल खत्री** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग को उत्तर रेलवे में 1-एस० एम० और 2-एफ० बी० एल रेल गाड़ियों के विलम्ब से चलने के बारे में शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां ।

(ख) लखनऊ-मुगलसराय खंड पर गाड़ियों के देर से चलने के प्रमुख कारण भारी मात्रा में जंजीर का खींचा जाना तथा होज पाइपों को अलग करना है जिसके परिणामस्वरूप गाड़ियां लेट हो जाती हैं । इस बुराई को दूर करने के लिए राज्य पुलिस के समन्वय से जांच की जा रही हैं । अब इन गाड़ियों के चालन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ।

[अनुवाद]

पारादीप पत्तन की गहरायी की स्थिति

776. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पारादीप पत्तन में कितने ड्रेजर उलट गए थे;

(ख) इसके क्या कारण थे,

(ग) क्या पारादीप पत्तन में आने वाले बड़े पोतों को दूसरे पत्तनों में भेजा जा रहा है क्योंकि 37 फीट या उससे अधिक पर पत्तन की गहराई स्थिर हो जाने के कारण वे पत्तन में प्रवेश नहीं कर पाते हैं और इसलिए लौह और अन्य अयस्कों का निर्यात नहीं किया जा सकता जिससे खनिज और धातु व्यापार निगम को भारी नुकसान हुआ है;

(घ) क्या पत्तन के अधिकारी खनिज और धातु व्यापार निगम को पत्तन की गहराई की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) पहला 1980 में और दूसरा 1985 में ।

(ख) 1980 में ड्रेजर, गंदे मौसम और स्टाफ की गलती के कारण उलट गया था । 1985 में ड्रेजर के उलटने के कारणों की जांच की जा रही है ।

(ग) सरकार को, जहाजों के दूसरे पत्तन पर जाने की कोई जानकारी नहीं है। तथापि, ड्रेजरों की ग्राउंडिंग के कारण परादीप पत्तन प्राधिकारियों ने, इस पत्तन पर पहुंचने वाले जहाजों की सम्पूर्ण डुबाव और लम्बाई को सीमित कर दिया है।

(घ) पारादीप पत्तन प्राधिकारी खनिज एवं धातु व्यापार निगम तथा परादीप पत्तन के अन्य प्रयोक्ताओं को, इस पत्तन पर आने वाले जहाजों की गहराई और उन पर लगने वाली पाबंदियों के बारे में समय-समय पर सूचित करते हैं। सामान्य सूचना के लिए इन पाबंदियों को परादीप पत्तन के गजट में भी प्रकाशित किया जाता है।

(ङ) उक्त (घ) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

परिवार नियोजन के लक्ष्य

777. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के लिए परिवार नियोजन के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) अब तक की उपलब्धियां क्या हैं; और

(ग) उड़ीसा के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और अब तक की उपलब्धि क्या है?

परिवार कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्ण-कुमार): (क) और (ख) वर्ष 1985-86 के दौरान परिवार नियोजन के सम्बन्ध में देश के लिए निर्धारित किए गए तरीकेवार लक्ष्य और राज्यों से अब तक मिली कार्य-निष्पादन की रिपोर्टों पर आधारित उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :

तरीका	वार्षिक लक्ष्य 1985-86	उपलब्धियां (अप्रैल से सितम्बर, 1985 तक)
नसबन्दी	5,560,300	1,523,741
आई० यू० डी०	3,243,650	1,185,994
प्रचलित गर्भनिरोधक उपयोगकर्ता	9,514,650	5,029,382 ×
खाई जाने वाली गोलियों के उपयोगकर्ता	960,250	563,907 ×

×आंकड़े अप्रैल से अगस्त, 1985 की अवधि से सम्बन्धित हैं।

(ग) परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत 1985-86 के तरीके-वार लक्ष्य और उड़ीसा राज्य के बारे में अब तक सूचित की गई उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :

तरीका	वार्षिक लक्ष्य (1985-86)	उपलब्धियां (अप्रैल से सितम्बर 1985 तक)
नसबन्दी	210,000	52,513
आई० यू० डी०	100,000	41,438
प्रचलित गर्भ निरोधकों के उपयोगकर्ता	157,000	99,750×
खाई जाने वाली गोलियों के उपयोगकर्ता	36,000	15,456×

×ये आंकड़े अप्रैल से अगस्त, 1985 की अवधि से सम्बन्धित हैं।

संस्कृति के विकास में स्वयं सेवी संस्थाओं का शामिल होना

778. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संस्कृति के विकास के लिए भारी राशि व्यय करने का है, यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारत तथा विदेशों में संस्कृति के संवर्धन के लिए कुछ स्वयं सेवी संस्थाओं को भी शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए स्वयंसेवी संगठनों के चयन का मापदण्ड क्या है; और

(ग) सरकार का निकट भविष्य में किन-किन देशों में सांस्कृतिक मेले लगाने का विचार है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) संस्कृति की प्रोन्नति और प्रसार के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय बढ़ाया जा रहा है। भारत में संस्कृति की प्रोन्नति, प्रचार और प्रसार में कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है। भारतीय संस्कृति की प्रोन्नति के लिए विदेशों में भारत विदेश मैत्री सोसायटियों को भी वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ख) राज्य सरकार या राज्य अकादमियों तथा विशेषज्ञ समितियों, की सिफारिशों के आधार

पर उन प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संगठनों को विकृतीय सहायता दी जाती है, जो विशिष्ट क्षेत्रों में कार्यरत हैं, बशर्ते कि वे सम्बन्धित सहायता की योजना की शर्तों को पूरा करते हों।

(ग) सरकार निकट भविष्य में सोवियत संघ में एक सांस्कृतिक समारोह आयोजित करने का विचार कर रही है।

अतिरिक्त बसों का चलना

779. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या **परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि राजधानी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बस सेवा बहुत असन्तोषजनक है और बसों की संख्या कम होने के कारण महिलाओं और बच्चों के लिए बसों में चढ़ना बहुत कठिन हो जाता है;

(ख) क्या सरकार को यह मालूम है कि "कम भीड़ भाड़ वाला समय समय" दिल्ली जैसे फैले हुए बड़े शहर के लिए एक मिथ्यानाम है क्योंकि बसों को फरीदाबाद, गाजियाबाद, नौएडा आदि जैसे दूर-दूर के स्थानों तक जाना पड़ता है और दोपहर बाद में छात्रों की भीड़ हो जाती है, और

(ग) यदि हां, तो सरकार को दोपहर बाद विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, दूर के स्थानों के लिए अतिरिक्त बसें चलाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है।

जल-भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) विशेषज्ञ दल द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर दिल्ली परिवहन निगम की 5409 (1385 प्राइवेट आपरेटेड) बसों के बेड़े की मौजूदा सेवा, दिल्ली परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी जाती है। जहां तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा० रा० क्षे) की परिवहन आवश्यकता का क्षेत्र (रा० रा० क्षे) का प्रस्ताव है, इस मसले पर शहरी विकास मन्त्रालय के अधीन कार्य करने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को विचार करना है। राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले क्षेत्रों के व्यक्तियों को परिवहन सुविधाएं देने की जिम्मेदारी इस समय सम्बद्ध राज्यों के परिवहन प्राधिकरणों की है।

(ख) और (ग) सरकारी कार्यालयों और वाणिज्यिक स्थापनाओं तथा कुछ स्कूलों और कालेजों के कार्य घंटों के आधार पर यातायात का स्तर सुबह और शाम के समय बढ़ जाता है। इसके बाद का समय कुछ देर के लिए तुलनात्मक रूप से कम भीड़ भाड़ वाला समय रहता है। तथापि परिवहन आवश्यकताओं की नियमित रूप से समीक्षा और मूल्यांकन किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर, जहां तक सम्भव होता है, फालतू बसें लगाई जाती हैं। फरीदाबाद और गाजियाबाद को अन्तर्राज्य सेवाओं से जोड़ा गया है। नौएडा को दिल्ली परिवहन निगम की नगर की बस सेवा पर्याप्त रूप से दी गई है।

राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई बढ़ाने का विचार

780. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 के पश्चात् बनाए गए राष्ट्रीय राज मार्गों की (राज्य-वार) लम्बाई कितनी है;

(ख) क्या राष्ट्रीय राज मार्गों की लम्बाई बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि बिहार राज्य के भीतर पड़ने वाले राष्ट्रीय राज्य मार्गों की हालत बहुत खराब है और उनकी तत्काल सरम्मत किए जाने की आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी तत्काल मरम्मत के लिए सरकार क्या उपाय करने जा रही है ?

जल-भूतल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) वर्ष 1980 के बाद राष्ट्रीयकृत राजमार्गों में कुल 2687 किलोमीटर की लम्बाई जोड़ी गई जिसका विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग सामान्यतः यातायात के लायक हैं। प्रत्येक कार्य की आन्तरिक प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत प्रक्रिया है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य	रा० रा० सं०	1980 के बाद रा० रा० में जोड़ी गई लम्बाई कि०मी० में
1	2	3	4
1.	अरुणाचल प्रदेश प्रदेश	52 और 52ए	330
2.	असम	31सी 51, 52, 52ए, 53, 54	810
3.	मणिपुर	53	220
4.	मध्य प्रदेश	12	54

1 2	3	4
5. महाराष्ट्र	4बी	27
6. मेघालय	51	127
7. मिजोरम	54	240
8. पांडिचेरी	45ए	23
9. राजस्थान	12	412
10. उत्तर प्रदेश	56	285
11. तमिलनाडु	45ए	17
12. पश्चिम बंगाल	31सी	142
		कुल : 2687 कि० मी०

बम्बई पटना सीधी विमान सेवा

781. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने नागर विमानन विभाग से एक सीधी विमान सेवा से पटना को बम्बई के साथ जोड़ने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं। हाल ही में ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ·

पूर्णिया के लिए विमान सेवा

782. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार में राज्य में पूर्णिया के लिए विमान सेवा की व्यवस्था करने का विचार है;

(ख) क्या इसके लिए कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (घ) से (ग) विमान क्षमता उपलब्ध होने पर तथा आधारभूत सुविधाओं के विकास और प्रचालनों के आर्थिक रूप से व्यवहारिक होने पर वायुदूत की चालू वित्तीय वर्ष में पूर्णिया को विमान सेवा से जोड़ने की योजनाएं हैं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय जल-विज्ञानी सर्वेक्षण

783. **श्री प्रों० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा आरम्भ किये गये जल विज्ञानों सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला है;

(ख) क्या देश के विभिन्न भागों में जल संसाधनों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफ नेटवर्क स्टेशन स्थापित किए गए हैं और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में उपलब्ध भू-जल संसाधन की कितनी मात्रा का उपयोग किये जाने की आशा है; और

(घ) राजस्थान की शुल्क भूमि में किए गये सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकलता है तथा राजस्थान में कितनी वर्गमीटर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाया जाएगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) (क) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने देश के 32.88 लाख वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र में से अब तक 20.32 लाख वर्ग किलो मीटर क्षेत्र का जल भू-विज्ञानी सर्वेक्षण पूरा किया है। इन सर्वेक्षणों से संभावित भू-जल स्रोतों के अस्तित्व, उनके जल की गुणवत्ता, विकास की सम्भावनाओं तथा आपूरण स्रोतों के अनुमानों का पता चला है।

(ख) भू-जल स्रोतों में परिवर्तनों को मानीटर करने के लिए देशभर में अब तक 5357 राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण नेट वर्क स्टेशन स्थापित किये जा चुके हैं।

(ग) सातवीं योजना के दौरान 6.69 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई की क्षमता सृजित करने के लिए भू-जल स्रोतों के उपयोग किए जाने की संभावना है।

(घ) रास्थान में किये गये सर्वेक्षण से पता चला है कि सातवीं योजना के दौरान उपलब्ध भू-जल से 0.14 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित होने की संभावना है।

दिल्ली उदयपुर सीधी विमान सेवा

784. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस तथ्य के बावजूद कि दिल्ली से अधिकतम विदेशी पर्यटक उदयपुर जाते हैं, उदयपुर के लिए कोई सीधी विमान सेवा नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कभी-कभी लोगों को वहां जाने हेतु विमान टिकट प्राप्त करने के लिए कई दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ग) क्या पहले उदयपुर के लिए सीधी विमान सेवा थी जिसे अब बन्द कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां, तथापि, इण्डियन एयरलान्स दिल्ली-जयपुर-जोधपुर उदयपुर, बम्बई और वापसी मार्ग पर एक दैनिक बोइंग 737 सेवा चलाती है और इस प्रकार यह उदयपुर और दिल्ली के बीच प्रतिदिन एक विमान सेवा की व्यवस्था करती है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) इन्डियन एयरलाइन्स ने नवम्बर, 1984 से 31 मई, 1985 तक दिल्ली उदयपुर, औरंगाबाद, बम्बई मार्ग पर एक बोइन्ग 737 सेवा चलाई थी । तथापि, इण्डियन एयर-लाइन्स में बोइन्ग 737 क्षमता की भारी कमी के कारण, उनके लिए यह संभव है कि वे चालू शीतकालीन अनुसूची में इस सेवा को जारी रख सकें ।

[अनुवाद]

रेल परियोजनाओं का उद्घाटन

785. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन रेल परियोजना पर हमारे प्रधानमंत्री द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान उद्घाटन किया गया है उनका ब्यौरा क्या है ?

(ख) उनमें से कितनी निर्धारित समय सीमा में पूरी हो गई और उन पर कितनी लागत आई है;

(ग) उपर्युक्त में से कितने मामलों में लागत में वृद्धि हुई और कितनी वृद्धि हुई;

(घ) कितने मामलों में परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा से पीछे हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) प्रत्येक परियोजना के पूरा होने पर लगभग कितनी लागत आयेगी और प्रत्येक परियोजना के कब तक पूरी होने की आशा है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंशी लाल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा जिन रेल परियोजनाओं की आधार शिला रखी गयी है वह नीचे दी गई है :

क्रमांक	परियोजना का नाम	प्रधानमंत्री द्वारा आधारशिला रखने की तिथि	अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)
1.	जम्मू से जयपुर तक बड़ी लाइन रेल सम्पर्क का विस्तार	14-4-1983	60.00
2.	जोगीघोपा से गुवाहाटी तक बड़ी रेल लाइन के साथ-साथ ब्रह्मपुत्र नदी पर 'नर नारायण सेतु, रेल-ए वे-सड़क पुल का निर्माण	11-11-1983	निक्षेप 87.73 पूंजी 29.61 117.34
3.	सतना-रीवां (58 कि०मी० नयी बड़ी लाइन का निर्माण)	31-5-1984	46.13
4.	कपूरथला में सवारी डिब्बा कारखाना	6-8-1985	180.00

(ख) सतना-रीवा नयी लाइन को छोड़कर, जिसके लिए योजना आयोग को स्वीकृति की प्रतीक्षा है, उपर्युक्त सभी परियोजनाएं प्रगति के भिन्न-भिन्न चरणों में है ।

(ग) उनके संशोधित अनुमान तैयार नहीं किये गये हैं ।

(घ) संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार, जिनको बहुत तंगी है, निर्माण कार्यों की प्रगति की जा रही है ।

(ङ) इन परियोजनाओं का पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा । उनकी कार्य समाप्ति की लागत उनके पूरा होने की अवधि तथा परियोजनाओं के निर्माण के दौरान प्रचलित दरों पर निर्भर करेंगी ।

[हिन्दी]

विद्यार्थियों को विदेशी छात्रवृत्तियां

786. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 के दौरन विदेशी छात्रवृत्तियां देकर भेजे गये 50 विद्यार्थियों को किन विषयों के लिए भेजा गया और किन-किन देशों में भेजा गया है;

(ख) क्या वर्ष 1985 में भी कुछ विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए विदेशों में भेजा गया और उन्हें छात्रवृत्तियां प्रदान की गई थीं;

(ग) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या है; और

(घ) उनके चयन के लिए क्या मानदंड अपनाए गए ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) 1985 के दौरान प्रदान की गई 50 छात्रवृत्तियों में से 40 छात्रों को विदेश में अध्ययन के लिए छात्र वृत्ति योजना के अंतर्गत उच्च अध्ययन के लिए अभी तक भेजा गया है देश-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(i) अमरीका	29
(ii) कनाडा	5
(iii) इंग्लैण्ड	7
(iv) फ्रांस	1

(घ) उम्मीदवारों का चयन इस उद्देश्य के लिए गठित चयन समिति द्वारा लिए गए साक्षात्कार के माध्यम से निर्धारित उनकी योग्यता के आधार पर किया जाता है।

विवरण

विदेश में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 1984 के दौरान चुने गये 50 अध्येताओं में से 36 छात्रों ने छात्रवृत्तियों का लाभ उठाया उनका विषय बार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

विषय	छात्रवृत्तियों की संख्या
1	2
इतिहास	1
पेपर टेकनालाजी	4
रसायन शास्त्र	4

1	2
संगणक विज्ञान	1
प्रबन्ध	1
जीव विज्ञान	4
जीव रसायन शास्त्र	2
जननिक	2
गणित	2
प्राणी विज्ञान	4
नौसैतिक वास्तुकला	1
पर्यावणात्मक विज्ञान	1
पुरातत्व विज्ञान	1
मनोविज्ञान	2
मुद्रण प्रौद्योगिकी	2
धातुकर्मीय इंजीनियरी	1
यांत्रिकी इंजीनियरी	1
भू-विज्ञान	1
वस्त्र प्रौद्यगिकी	1
2. इन 36 छात्रवृत्तियों का देश वार ब्यौरा इस प्रकार।	
अमरीका	25
कनाडा	1
इंग्लैन्ड	6
ज० ज० ग०	1
आस्ट्रेलिया	2
जापान	1

वर्ष 1984 और 1985 के दौरान दिल्ली परिवहन निगम की बसों से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को मुआवजे की अदायगी

787. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984 और 1985 के दौरान दिल्ली परिवहन निगम की बसों से पृथक-पृथक कितने व्यक्ति मारे गए और गम्भीर रूप से घायल हुए तथा उनकी अदा किए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : सूचना निम्नानुसार है:—

वर्ष	कुल बसें	मृत व्यक्तियों की संख्या ×	घायल व्यक्तियों की संख्या ×	दिल्ली परिवहन नि० द्वारा दी गई राशि (रुपये में)
1984	4004	242	1442	25, 03, 069.85
1985	4031	229	1300	41, 80, 460.29

×नगर और अन्तर-राज्य मार्गों पर चलने वाली बसों सहित ।

[अनुवाद]

मोटरयान अधिनियम में संशोधन का विचार

788. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मोटरयान अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या कदम उठाए गए है?

जल भूतल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) और (ख) मोटर यान अधिनियम, 1839 के उपबन्धों की समीक्षा करने के लिए एक कार्य दल गठित किया गया है । यह कार्य-दल इस अधिनियम के स्थान पर अद्यतन बनाने अथवा मौजूदा आवश्कताओं की पूर्ति के लिए मौजूदा अधिनियम के स्थान पर कोई दूसरा ठोस और सुसंगत विधेयक बनाने का सुझाव देगा ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में रेलवे लाइन का नवीकरण

789 **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में कितने किलोमीटर लम्बी रेलवे लाइनों के नवीकरण का प्रस्ताव है;

(ख) उक्त नवीकरण पर कितनी लागत जाएगी; और

(ग) 1985-86 के दौरान गुजरात में कुल कितने क्षेत्र में रेलवे लाइनों का नवीकरण किया जाएगा और उस पर कितनी लागत आएगी ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग) रेल पथ नवीकरण योजना अखिल भारतीय आधार पर बनायी जाती है। रेल पथ नवीकरण के बकाया काम का विवरण क्षेत्रीय रेलवे आधार पर रखा जाता है, राज्य के आधार पर नहीं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 151.10 करोड़ रुपये की लागत पर गुजरात में लगभग 860.5 कि० मी० रेल पथ पर नवीनकरण करने का प्रस्ताव है। 1985-86 के दौरान गुजरात में 50 करोड़ रुपये की लागत से 290 कि० मी० लम्बे रेल पथ का नवीनकरण करने का प्रस्ताव है।

सातवीं योजना के लिए परिवार नियोजन का लक्ष्य

790. **श्री कांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना में परिवार नियोजन के लिए राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या नए कदम उठाए गए हैं?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) समूची सातवीं योजना के लिए राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं। वैसे, सातवीं योजना के प्रथम वर्ष 198-58 के लिए राज्य-वार तथा तरीकेवार लक्ष्य संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) देश में जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखने के लिए मंत्रालय ने एक कार्य योजना बनाई है। इस कार्य योजना के मुख्य घटक हैं – अधिक लोगों की सहभागीदारी, नई संचार नीति, उपयुक्त प्रोत्साहनों की व्यवस्था, कार्यक्रम प्रबन्ध में सुधार तथा उपयुक्त अनुसंधान एवं मूल्यांकन।

विवरण

परिवार कल्याण के लक्ष्य 1985-86

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र/एजेंसी	नसबन्दी	आई०यू०डी०	प्रचलित गर्भ-निरोधक उपयोगकर्त्ता	खाई जाने वाली गोलियों के उपयोगकर्त्ता
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	530,000	140,000	300,000	80,000
2.	असम	180,000	24,000	40,000	10,000

1 2	3	4	5	6
3. बिहार	571,000	174,000	150,000	50,000
4. गुजरात	300,000	250,000	472,000	74,000
5. हरियाणा	100,000	145,000	350,000	25,000
6. हिमाचल प्रदेश	38,000	21,000	23,000	9,000
7. जम्मू और कश्मीर	40,000	17,000	15,000	4,000
8. कर्नाटक	336,000	160,000	200,000	63 000
9. केरल	215,000	55,000	75,000	35,000
10. मध्य प्रदेश	425,000	200,000	500,000	100,000
11. महाराष्ट्र	565,000	600,000	600,000	148,000
12. उड़ीसा	210,000	100,000	157,000	36,000
13. पंजाब	120,000	207,000	290,000	28,000
14. राजस्थान	285,000	85,000	160,000	31,000
15. तमिलनाडु	575,000	168,000	200,000	76,000
16. उत्तर प्रदेश	600,000	665,300	690,000	90,000
17. पश्चिम बंगाल	450,000	108,000	260,000	82,000
18. मणिपुर	6,400	6,200	6,000	900
19. मेघालय	600	500	2,200	600
20. नागालैण्ड	400	200	1,000	600
21. सिक्किम	700	1,000	400	1,400
22. त्रिपुरा	10,000	4,000	3,000	2,000
23. अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह	1,400	800	500	200
24. अरुणाचल प्रदेश	400	1,400	500	600
25. चण्डीगढ़	3,300	10,000	10,000	800

1	2	3	4	5
26. दादरा और नगर हवेली	1,000	150	550	100
27. दिल्ली	30,000	64,000	174,000	2,200
28. गोवा दमन और द्वीप	5,000	1,5000	8,300	1,600
29. लक्षद्वीप	100	200	200	50
30. मिजोरम	3,000	2,000	3,500	700
31. पांडिचेरी	7,000	3,600	4,900	1,600
32. मेडिकल/अधिकारी डिपेन्टर	203,000	12,000	59,000	3,600
33. मेडिकल अधिकारी रेलवे	28,000	16,800	288,000	2,400
34. वाणिज्यिक वितरण	—	—	4,500,000	—
अखिल भारत	5,560,300	3,243,650	9,514,650	960,250

केरल में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्ग

791. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में इस वर्ष के दौरान बाढ़ के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग किस सीमा तक क्षतिग्रस्त हुआ ।

(ख) सरकार द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ग) क्या कोई ऐसा वैज्ञानिक तरीका ढूढ़ने हेतु अध्ययन किया गया है जिससे केरल में राष्ट्रीय राजरागों को बार-बार बाढ़ों का सामना करने हेतु अधिक प्रतिरोधक बनाया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) और (ख) इस वर्ष भारी वर्षा के कारण केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 47 और 17 दोनों को ही क्षति पहुंची है ।

क्षति का अनुमान लगा लिया गया है और तत्काल आवश्यक मरम्मत कार्यों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को 25 लाख रुपए तदर्थ रूप में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। राष्ट्री राजमार्ग इस प्रकार बनाए जाते हैं कि उन पर बाढ़ का कोई असर नहीं हो।

केन्द्रीय विद्यालयों में अध्यापन के स्तर में गिरावट

792. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालयों में अध्यापन के सामान्य स्तर में धीरे-धीरे गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्तर में सुधार के लिए क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्रीय विद्यालयों (सेन्ट्रल स्कूलों) के शिक्षण के स्तर को परखने का एक तरीका, बोर्ड की परीक्षाओं में केन्द्रीय विद्यालयों के छात्रों के निष्पादन की तुलना, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऐसी परीक्षाओं में बैठने वाले सभी छात्रों के समग्र निष्पादन के साथ करना हो सकता है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध सभी स्कूलों की तुलना में केन्द्रीय विद्यालयों का अन्तर, x और xii की बोर्ड परीक्षाओं में उत्तीर्ण घोषित छात्रों की प्रतिशतता के अनुसार नीचे दिया गया है :—

वर्ष	कक्षा x	कक्षा xii
1981	0·5	7·1
1982	7·3	8·3
1983	6·7	11·2
1984	6·6	11·1
1985	5·9	10·2

इससे पता चलता है कि केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षण का स्तर सामान्यतः गिर नहीं रहा है

(ग) यद्यपि केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षण का स्तर गिरता मालूम नहीं होता, केन्द्रीय

विद्यालय संगठन अपने स्कूलों में शिक्षण के स्तर को और सुधारने के लिए सतत आधार पर कदम उठा रहा है। इस प्रयोजन के लिए अध्यापकों को व्यावसायिक योग्यता को स्तरोन्नत करने के लिए और अधिक सतर्क शैक्षणिक पर्यवेक्षण तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है।

वायुदूत सेवाओं के लिए डारनियर विमानों का इंजन

793. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वायुदूत सेवाओं के लिए और डारनियर विमान प्राप्त करना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों को अब वायुदूत सेवा से जोड़ा जाना है;

(ग) क्या केरल के किसी स्थान को इस सेवा के अन्तर्गत लाया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) किसी स्थान को वायुदूत सेवा से जोड़ने हेतु क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) विमान क्षमता की उपलब्धता, आधारभूत सुविधाओं के विकास और प्रचालनों की आर्थिक साध्यता के आधार पर, वायुदूत की निकट भविष्य में नीचे दिए गए स्टेशनों को विमान सेवा से जोड़ने की योजनाएं हैं :—

पठानकोट, जम्मू, पूंछ, राजौरी, किस्तवाड़, भटिण्डा, पटियाला, भोपाल, दमन और दीव, अहमदाबाद, कोल्हापुर, मद्रास, मंगलौर, कालीकट, धनबाद, पटना, पूर्णिमा, गया, गोपालपुर, जयपोर, अगरतला, एजवल, लीलाबाड़ी, जेरो, डिपारिको, डिबरुगढ़, पासीघाट, तूतीकोरी, रायचूर, हुबली, बरेली और तन्जौर।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) वायुदूत द्वारा नए टेस्शनों को विमान सेवा से जोड़ने के मानदण्ड निम्न प्रकार हैं :—

(1) प्रचालनों की आर्थिक साध्यता।

(2) भौगोलिक क्षेत्र।

(3) स्थान की पर्यटन और औद्योगिक सक्षमता।

(4) आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता ।

(5) मुख्य मार्गों की सेवाओं के लिए पर्याप्त संख्या में यात्री प्रदान करने की क्षमता ।

(6) नए स्टेशनों का बेस से और क्षेत्र के अन्य स्टेशनों से निकट संबंध ।

उत्तरी केरल से विमान में यात्रा करने वालों के लिए कन्नानोर या मालाबार क्षेत्र में बुकिंग कार्यालय खोलना

794. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन विभाग का केरल के मालाबार क्षेत्र में किसी स्थान पर इंडियन एयरलाइन्स सेवाओं के लिए अपना कोई अलग बुकिंग कार्यालय है;

(ख) क्या परिवहन मंत्रालय को उत्तरी केरल से बढ़ती हुई संख्या में विमान यात्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कन्नानोर अथवा मालाबार में किसी स्थान पर बुकिंग कार्यालय खोलने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं । मालाबार क्षेत्र के यात्रियों की सुविधा के लिए कालीकट में 3 बिक्री-एजेन्टों की नियुक्ति की गई है जो इंडियन एयरलाइन्स के टिकट रखते हैं ।

(ख) और (ग) हाल ही में ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

पानी से उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट

795. **डा० जी विजय रामाराव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में अधिकांश रोग पानी से उत्पन्न होते हैं; यदि हां, तो ऐसे रोगों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले सामने आये;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक क्या उपचारात्मक उपाय किए गए और उनके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन रोगों से पीड़ित लोगों की संख्या संरक्षित जल आपूर्ति शहरों/कस्बों में भी बढ़ रही है; और यदि हां, तो उसके क्या-क्या कारण हैं; और

(घ) क्या गंगा नदी के किनारे स्थित कस्बों/नगरों में पानी से उत्पन्न होने वाले रोगों की संख्या कम करने में गंगा-प्रदूषण परियोजना से सहायता मिलेगी और यदि हां, तो भावी योजना का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) यह सही है कि भारत में होने वाली बहुत-सी बीमारियां पानी से होती हैं। इनका वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है :—

1. हैजा।
2. जठरान्त्रशोथ।
3. पेचिश।
4. वाइरल हेपाटाइटिस।
5. नेहरूआ।

देश के विभिन्न भागों से वर्ष 1982-83 और 1984 में इस रोग के होने की जिन घटनाओं के बारे में सूचना मिली, वह इस प्रकार है :—

	रोगी		
	1982	1983	1984
हैजा	4696	8542	2603
जेठरान्त्रशोथ	1015175	1071822	1218996
पेचिश	8995226	7897763	8798153
वाइरल हेपाइटिस	173760	138890	152321
नेहरूआ	25032	27640	14583

रोकथाम के जो उपाय किए गए हैं, उनमें सुरक्षित पेय जल की व्यवस्था, स्वास्थ्य-शिक्षा, ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी का प्रचार और केन्द्रीय तथा राज्य-स्तर की संस्थाओं के माध्यम से रोगों पर ध्यान-पूर्वक निगरानी रखना शामिल है।

(ङ) आशा की जाती है कि इस गंगा परियोजना से पानी से होने वाली बीमारियां काफी हद तक कम हो जाएंगी क्योंकि इस परियोजना के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि गंगा नदी में शहरी गंदा पानी (सीवेज), जिसके कारण बीमारियां होती हैं और फैलती हैं, नहीं बहने दिया जाएगा।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में रेलवे लाइनों का बदला जाना

796. **श्री राजकुमार राय** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किन रेलवे लाइनों को (बड़ी लाइन में) बदलने का विचार है;

(ख) क्या जिला आजमगढ़ में दोहरीघाट इंदारा जंक्शन (पूर्वोत्तर रेलवे) रेलवे लाइन को भी बदला जाना है; और

(ग) इंदारा जंक्शन से शाहगंज जंक्शन (पूर्वोत्तर रेलवे) सेक्शन पर कार्य कब से आरम्भ किया जाएगा ?

परिवहन मंत्री (श्री बंशी लाल) : (क) सातवीं योजना के दौरान उपलब्ध कराए गए संसाधनों के अनुसार निम्नलिखित चालू आमान परिवर्तन परियोजनाओं पर यथासंभव प्रगति जारी रखी जाएगी :—

(i) मुरादाबाद-रामनगर

(ii) वाराणसी-भटनी

(ख) जी नहीं । फिलहाल नहीं ।

(ग) इस समय मऊ-शाहगंज मीटर लाइन खंड के बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने के कार्य को शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, मऊ-इंदारा खंड वाराणसी-भटनी आमान परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत पहले ही शामिल है ।

[अनुवाद]

लोअर दामोदर और अमता नहरों को पुनः उपयोगी बनाने की योजना

797. **श्री हन्नान मोहल्लाह** : क्या **संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोअर दामोदर और अमता नहरों को पुनः उपयोगी बनाने की योजना पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है; और

(घ) इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है।

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) (क) से (घ) अमता नहर प्रणालीकीरण के लिए लोअर दामोदर क्षेत्रों में निकास प्रणाली के सुधार हेतु स्कीम का चरण-एक लगभग पूरा हो चूका है। 14.49 करोड़ रुपए की लागत के चरण-दो तथा चरण-तीन के लिए संशोधित स्कीम पर योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति जुलाई, 1985 में विचार किया गया था जबकि कुछ और सूचना प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की गई थी जिसकी अभी प्रतीक्षा है। राज्य सरकार द्वारा इसका क्रियान्वयन अनुमोदित योजनागत स्कीमों के लिए निधियों की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा।

मोरेग्राम स्थित रेल फाटक पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 पर सड़क ऊपरि पुल

798. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे में मोरेग्राम स्थिति रेल फाटक पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 पर सड़क ऊपरि पुल के निर्माण के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) उक्त योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंशी लाल) : (क) इस कार्य को 1986-87 के रेलवे निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव है। नक्शे/आरेख तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ख) प्रस्तावित ऊपरी सड़क पुल 7·5 मीटर चौड़ा होगा जिसमें यातायात की दो लेन होंगी। इनके अवावा दोनों ओर 1.5 मीटर चौड़ा पैदल पथ होगा।

(ग) इसका पूरा होना धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

भारतीय पोतों के माध्यम से फास्फोरिक एसिड का आयात

799. **श्री जायनल अबेदिन**
श्री अनिल बसु : } : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन कम्पनियों को जिसके पास एसिड की ढुलाई करने की व्यवस्था है, माल प्राप्त करने के लिए काफी प्रयत्न करना पड़ता है जबकि भारत फास्फोरिक एसिड का सबसे बड़े आयातकताओं में से एक है;

(ख) क्या विदेशी पोत देश द्वारा आयात किये गये एसिड से भरे माल लेकर आते रहते हैं;

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रीय पोतों को भी कुल माल देने से इन्कार किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या भविष्य में इस प्रक्रिया में संशोधन किया जायेगा, और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

जल-भूतल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) अभी भारतीय कम्पनियों के पास केवल दो फास्फोरिक एसिड कैरियर हैं और भारत के लिए फास्फोरिक एसिड के वाहन के लिए इन्हें नियमित रूप से नियोजित किया जा रहा है। तथापि इसकी खरीद लागत व भाड़ा के आधार पर की जाती है अतः भारतीय पोत मालिकों को माल के आटबंन के लिए विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं पर निर्भय रहना पड़ता है।

(ख) सभी जलयान, चाहे वह भारती हो या विदेशी, उपलब्ध मात्रा और डिस्चार्जिंग आवश्यकता के अनुसार माल लादते हैं।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के संदर्भ में प्रश्न नहीं होता।

(घ) ओर (ङ) यह भारतीय जहाजों को प्रथम वरीयता देने की प्रक्रिया है। फास्फोरिक एसिड के आयात के सम्बन्ध में प्रयास, भारतीय टनेज का सम्भावित उच्चतम सीमा तक उपयोग करना है।

ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज करपोरेशन का कलकत्ते से अपनी उड़ानें बन्द करने का निर्णय

800. **श्री अजित कुमार साहा**
श्री रेणुपद दास
श्री सैफुद्दीन चौधरी } : क्या **परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि ब्रिटिश एयरवेज। दिसम्बर, 1985 से कलकत्ता से अपनी उड़ानें बन्द कर रहा है;

(ख) क्या सरकार को संसद सदस्यों से उस आशय का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें कलकत्ता से विमान सेवाएं बन्द न करने के बारे में ब्रिटिश एयरवेज से बातचीत करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है;

(घ) संसद सदस्यों द्वारा भेजे गये ज्ञापन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) जी, हां। प्रधान मन्त्रीजी को सम्बोधित 73 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह इस सम्बन्ध में हस्क्षेप करके ब्रिटिश एयरवेज से आग्रह करें कि वे कलकत्ता से अपनी उड़ानों को न हटायें।

(घ) और (ङ) क्योंकि विमान सेवाएं वाणिज्यिक लाभों को ध्यान में रख कर प्रचालित की जाती हैं, अत: सरकार किसी विदेशी एयरलाइन को अपेक्षित केन्द्रों/मार्गों पर विमान सेवाएं प्रचारित करने के लिए निदेश नहीं दे सकती।

भूमि कटाव के कारण फरक्का की फीडर नहर को खतरा

801. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** : क्या **जल संसाधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि कटाव से फरक्का की फीडर नहर को भारी खतरा पैदा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो भूमि कटाव को रोकने के लिए सरकार का क्या तत्काल प्रभावी कदम उठाने का विचार है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) गंगा नदी के दायें तट पर कुछ स्थानों पर कटाव हो रहा है। फरक्का बराज परियोजना संगठन परियोजना काम्प्लेक्स के लिए अपेक्षित संरक्षण कार्यकर रहा है।

भारतीय नाविकों की बेरोजगारी के सम्बन्ध में नन्दा समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन

802. **श्री सुधीर राय** : क्या **परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय नाविकों में बेरोजगारी सम्बन्धी नन्दा समिति की सिफारिशों का पूरी तरह से कार्यान्वयन किया गया है, और

(ख) क्या उन नाविकों को, जिन्हें वर्षों तक नौकरियां मिलती हैं बेरोजगारी सहायता दी जा रही है?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) नन्दा समिति द्वारा प्रस्तुत अपनी भाग I रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर भिन्न-भिन्न चरणों में कार्रवाई की जा रही है। संलग्न विवरण में कुछ प्रमुख सिफारिशों और उन पर की गई कार्रवाई का उल्लेख किया गया है।

(ख) संलग्न विवरण के क्रम सं० 4 पर दी गई सिफारिश में शामिल है।

विवरण

क्रम सं०	सिफारिश	की गई कार्रवाई
1	2	3
1.	प्रतीक्षारत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की पूर्णरूपेण रोजगार मिलने तक कोई भी नई नियुक्ति और प्रशिक्षण न दी जाय।	1. सभी तीनों प्रशिक्षण स्थापनाओं में पूर्व-समुद्र प्रशिक्षण स्थगित कर दिया गया है।
2.	लगातार दो काल नोटिस के बावजूद कोई नाविक नहीं आता है तो उसे अप्रभावकारी मान लिया जाए और उनके पंजीकरण को रद्द किये जाने के बारे में कारण बताओं नोटिस भेजी जाय।	2. नौवहन महानिदेशक द्वारा निदेशक नाविक राजगार कार्यालय, बंबई और कलकत्ता को जारी अनुदेशों के मुताविक प्रथम काल नोटिस स्वयं ही कारण बताओं नोटिस के रूप में होता है और यदि नाविक इसका उत्तर नहीं देता है तब उसे निदेशक, नाविक रोजगार कार्यालय को 30 दिनों के भीतर संतोषप्रद और पर्याप्त कारण बताना पड़ता है।
3.	नाविकों की मौजूदा सेवा निवृत्ति की 60 वर्ष की आयु को घटाकर 58 वर्ष कर दी जाय।	3. 1-7-1982 को इसके बाद पंजीकृत नाविकों के लिए घटाई हुई आयु को लागू करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।
4.	बेरोजगार नाविकों को वित्तीय सहायता सम्बन्धी एक स्कीम बनायी जाय और उसे कार्यान्वित की जाय।	4. शिपओनर्स और सीफेयर्स की विभिन्न बैठकों में इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई परन्तु किसी स्वीकार स्कीम को अभी तक कोई अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका।
5.	शिपिंग मास्टरों के सतत डिस्चार्ज प्रमाणपत्र जारी किये जाने को केवल कलकत्ता और बम्बई में ही प्रतिबंधित रखी जाए।	5. कलकत्ता और बम्बई में ही सी० डी० सी० के जारी किये जाने को प्रतिबन्धित करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं।

1	2	3
	6. नाविकों के लिए पूर्व प्रवेश चिकित्सा स्तर की समीक्षा की जाए।	6. रक्षा मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद यह अनुभव किया गया कि मौजूदा चिकित्सा स्तर पर्याप्त है।
	7. प्रवेश पूर्व योग्यता को आठवीं (पास) से बढ़ाकर दसवीं पास की जाए।	7. चूंकि समुद्र-पूर्व प्रशिक्षण स्थगित कर लिया गया है अत: प्रशिक्षणार्थियों को लेने के लिए विज्ञापन जारी किए जाने के समय संशोधन शैक्षणिक योग्यता के बारे में लिया जाएगा।

कर्नाटक में रेलवे लाइन के लिए बजट आबंटन

803. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या **परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक को कम बजट आबंटन करने के कारण सभी रेल विस्तार कार्य और बंगलौर-गनताकल शेष निर्माण कार्य, बंगलौर-मैसूर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य, मंगलौर-कारवाड़े-कोकन रेलवे मे कृष्णराजपुरम तथा व्हाइट फील्ड के बीच रेलवे पटरी को दोहरी करना आदि, जैसी परिवर्तन परियोजनाएं रुक गई हैं और लगभग 20,000 दैनिक वेतन कर्मचारियों को बेरोजगार होने का खतरा पैदा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो समस्या का हल करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंशी लाल) : (क) और (ख) रेल परियोजनाओं के लिए धनराशि का आबंटन किसी राज्य में उसकी स्थिति के आधार पर नही किया जाता बल्कि उसकी प्राथमिकता प्रगति के चरण तथा संसाधनों की उपलब्धता पर किया जाता है ताकि निवेशों से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके।

मैसूर-बंगलूर आमान परिवर्तन के लिए 1985-86 में धनराशि के आबंटन की 50 लाख रुपये के मूल बजट परिव्यय से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया गया है। कृष्णराजपुरम् और व्हाइट फील्ड के बीच दोहरी लाइन बिछाने के लिए बजट आबंटन 16 लाख रुपये है और अनुदान की पूरक मांगों के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि आबंटित करने पर विचार किया जा रहा है। मंगलौर करवाड़ लाइन का निर्माण एक अनुमोदित परियोजना नहीं है। इसके अलावा बड़ी परियोजनाओं, जैसे पहिया एवं धुरा संयंत्र, बैंगलूरू, बैंगलूर-गुन्तकल आमान परिवर्तन, मंगलौर-हसन मीटर लाइन आदि परियोजनाओं के अवशिष्ट कार्यों के लिए उपयुक्त धनराशि आबंटित की गई है।

सिकन्दराबाद गुंतकल रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

804. **श्री एम० सुब्बा रेड्डी** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिकन्दराबाद से गुंतकल तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंशी लाल) : (क) और (ख) द्रोणाचलम से गुन्तूर तक अमान परिवर्तन सहित गुन्तकल से टाउन तक समान्तर बड़ी लाइन, के लिए अनुमानित लागत, यातायात में प्रतिशत वृद्धि और परियोजना की वित्तीय लाभप्रदता का आंकलन करने के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण शुरू किया गया है। कर्नूल से सिकन्दराबाद तक समानान्तर बड़ी लाइन के लिए एक अन्य सर्वेक्षण भी अनुमोदित हो चुका है।

पश्चिम बंगाल में वायुदूत सेवा

805. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में डिघा, जलपाईगुड़ी, मालदा आदि जैसे महत्वपूर्ण जिला केन्द्रों और पर्यटन स्थलों में वायुदूत सेवाएं आरम्भ करने की सम्भावनाओं का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे प्रस्तावों पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) जी, हां। वायुदूत द्वारा मालदा, पश्चिम दीनाजपुर और जलपाईगुड़ी के किए गए यातायात सर्वेक्षण के परिणामों से यह पता चलता है कि इन सेंटेशनों को आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हवाई सेवा का प्रचालन करने के लिए पर्याप्त यातायात नहीं होगा।

कलकत्ता नगर निगम को बकाया राशियों का भुगतान

806. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हावड़ा नगर निगम का किराया तथा अन्य शीर्षों के अन्तर्गत बहुत बड़ी धनराशि लम्बी अवधि से बकाया पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो बकाया धनराशि कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने धनराशि के भुगतान की कोई व्यवस्था की है; और

(घ) यदि हां, तो उनका भुगतान कब तक कर दिया जाएगा ?

परिवहन मंत्री (श्री बंशी लाल) : (क) और (ख) बढ़ी हुई दर मांगने के कारण 1983 से भूमि का किराया बकाया है । मामले पर पत्र व्यवहार चल रहा है । अन्य शीर्षों के सम्बन्ध में हावड़ा नगर निगम के मेयर ने पूर्व तथा दक्षिण पूर्व रेलों से सेवा प्रभारों के लिए क्रमशः 28,26 730.88 रुपये और 7,76,489.96 की मांग की है ।

(ग) पूर्व रेलवे के मामले में, पूर्व रेलवे और हावड़ा नगर निगम के बीच विवाद होने के कारण 1969-70 और इसके बाद सेवा प्रभारों के बिल निगम से प्राप्त नहीं हुए हैं । दक्षिण पूर्व रेलवे के मामले में हावड़ा नगर निगम से कहा गया है कि वह सेवा प्रभारों की परिगणना का विस्तृत ब्यौरा भेजें ।

(घ) मामले का निपटारा होने पर प्रभारों का तत्काल भुगतान कर दिया जायेगा ।

साहित्य अकादमी की पुस्तकों की उपलब्धता

807. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **मानव संसाधन विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को यह जानकारी है कि साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित मनिक बंदोपध्याय की 'दो पप्पेट्स टल" और "दो बेटमैन आफ पदमा" पुस्तकों का अंग्रेजी अनुवाद काफी लम्बे समय से छप नहीं रहा है;

(ख) क्या इन पुस्तकों के शीघ्र प्रकाशित करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो कब तक और तत्संबन्धी ब्यौरा है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) साहित्य अकादमी ने मनिक बंदोपाध्याय के बंगाली उपान्यास पुटल नाचेर इतिकथा का अंग्रेजी रूपान्तर "दि पिपेट्स टेल" शीर्षक से प्रकाशित किया है और यह पुस्तक बाजार में उपलब्ध है; अकादमी ने "दि बोट मैन आफ पदमा" प्रकाशित नहीं किया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पान की तुरंत बुकिंग और ढुलाई की व्यवस्था

808. **श्री पूर्णचन्द्र मलिक** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे ने पान की तुरन्त बुकिंग और ढुलाई को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या प्रबन्ध किए हैं;

(ख) उन प्रमुख रेल स्टेशनों के नाम क्या हैं जहां पान रेलगाड़ियों पर लादा और उतारा जाता है; और

(ग) भारतीय रेल को पान की बुकिंग और ढुलाई से कितनी आय होती है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंशी लाल) : (क) पान के पत्तों को जब कभी प्रस्तुत किया जाता है, बुकिंग के लिए स्वीकार किया जाता है और सबसे पहले उपलब्ध डाक/एक्सप्रेस या खण्डीय यात्री गाड़ियों के ब्रेक-यान से भेज दिया जाता है इस यातायात के लदान को और अधिक विनियमित करने के लिए कुछ स्टेशनों पर कुछ गाड़ियों द्वारा लदान के लिए विशिष्ट कोटे निर्धारित किये गये हैं ।

(ख) पान के पत्तों के यातायात को सम्हालने वाले मुख्य लदान/उतराई रेलवे स्टेशनों के नाम रेलवे-वार संलग्न विवरण में दर्शाये गये हैं ।

(ग) सभी पण्यों के लिए पण्य-वार आमदनी का ब्यौरा नहीं रखा जाता और पान के पत्ते भी उनमें से एक ऐसी वस्तु है जिसके लिए आमदनी के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं ।

विवरण

रेलवे	मुख्य लदान स्टेशन	मुख्य उतराई स्टेशन
1	2	3
मध्य	दादर, पुणे, हरपालपुर, आंतरी, महोबा, ललितपुर, जाखलौन, मैहर, सोहागपुर	बम्बई, वी० टी० दादर, इटारसी, होशंगाबाद, भोपाल, झांसी, ग्वालियर, आगरा कैंट, मथुरा जं०, कटनी, सागर
दक्षिण	रानी, बैन्नूर, सवनूर, तिरूर, कालीकट	बेंगलूरु सिटी, मद्रास, एर्णाकुलम, आम्बूर, वाणियमबाडि, कुंभकोणम्, तंजावूर

1		2
उत्तर	वाराणसी, दिल्ली और नई दिल्ली	अमृतसर, जालन्धर सिटी जं०, जालन्धर कैंट जं०, फिरोजपुर, दिल्ली जं० नई दिल्ली मेरठ सिटी, जगाधरी, सहारनपुर, अम्बाला, कैंट चंडीगढ़, राजपुरा जं०, पटियाला, निजामुद्दीन, गाजियाबाद, भटिन्डा, चुनार, मिरजापुर, मुन्डारोड, मेजा रोड, इलाहाबाद, खागा, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, शिकोहाबाद, टूंडला, हाथरस, अलीगढ़ जं०, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, शाहजहांपुर, देहरादून, लखनऊ, बाराबंकी, शाहगंज, जौनपुर बीकानेर, चूरू, सरदारगढ़, सरदार शहर, सादुलपुर, श्री गंगा नगर, हनुमानगढ़ जं०, रतनगढ़ जोधपुर, सुजानगढ़ डीड-वाना, मकराना, सांभरलेक, कुचामन सिटी, मेड़ता सिटी, फुलौडी, जैसलमेर लुधयाना जं०
पश्चिम	पार्सल डिपो, ग्रांट रोड, बेसील रोड, पालन्दर, झालावाड रोड, चोरवाड़ रोड, मालिया हाटीना, अहमदाबाद	आगरा फोर्ट, राजकोर्ट, हाणा, सूरत, बडोदरा, सवाई माधोपुर, अणांद, नडियाद, अहमदाबा, अजमेर, जयपुर, पालनपुर. भाव नगर, वेरावल, बीकानेर, जूनागढ़
दक्षिण मध्य	विजयवाड़ा, नेल्लौर तूनी, निडुब्रोला, कुड्डापाह, नदियाल कमलापुरम्, रायचूर काचीगुड़ा, हैदराबाद, रायबाग	लखनऊ, झांसी नई दिल्ली, बम्बई, कोल्हापुर, पुणे हुबली, बासर, जालना, धर्माबाद, किनवाट, हिमालय नगर, नांदेड़, मुडखेड, मुसाबल, हरभनी, सैलू, अकोला, मनमाड़, परतून, बोकार, मानवत रोड, औरंगाबाद, हिंगोली, वाशिम, अकोट, बारसी टाउन' परली वैजनाथ, मिरज।
पूर्वोत्तर—	महेश खुंट, पसराहा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर जंक्शन	काठ गोदाम, बरेली सिटी, पीलीभील, पूरन पुर, राम नगर, कासगंज, हाथरस सिटी, फतेहगढ़, फरूखाबाद, कन्नौज,

1	2	3
		लखनऊ जंक्शन, लखनऊ सिटी, कर्नलगंज गौंडा जं०, बहराइच, नाजपाड़ा, तिकुलिया बलरामपुर, तुलसीपुर, बढ़नी, शोहरतगढ़, नौगढ़, आनन्द नगर, नौतनवा पलिया कलां, मैलानी, गोला गोकरणनाथ, सिद्धौली, वक्सी का तालाब, बिसवान, बस्ती, बांभनान, खलीलाबाद, गोरखपुर, छपरा, सिवान, देवरिया सदर, बलिया गाजीपुर सिटी, वाराणसी सिटी, इलाहाबाद सिटी, पहुरौनी बरौनी जंगशन, बेगूसराय, खगरिया, समस्तीपुर, दरभंगा सकरी, निर्मली, जयनगर, रक्सौल, नरकटियागंज, बेतिया, मोतीहारी, मधुबनी, सीतामढ़ी, बैरगनियां; जनक पुर रोड, घोड़ासहन, सिक्ता, दौराम माधेपुरा, लखीमपुर खीरी, सीतापुर।
दक्षिण पूर्व—	हवड़ा, उलबेरिया, वागनवान, मचेदा, पांचकुड़ा, खडगपुर, जलेश्वर, सखी गोपाग, बेहरामपुर, छत्रपुमर, भुवनेश्वर,पुरी,	खड़गपुर, टाटानगर, राउरकेला, झारसुगुडा रायगढ़, चम्पा, बिलासपुर, भाटापाड़ा, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव डोंगर गढ़, गोंदिया वालतेरू, विजयनगरम्, भंडारा रोड, कम्पटी, नागपुर
पूर्वोत्तर	टांगला, अलीपुर द्वार जं०	डिब्रूगढ़ टाउन, तिनसुकिया, मरि[illegible]नी जं०,
सीमा—	गोरेश्वर, कामाख्यागुड़ी, अबुआबारी रोड।	सिमली गुडी जं०, दीमापुर, लमडिंग जं०, चापरमुख जं०, गुवाहाटी, बदरपुर जं०, करीमगंज जं०, सिलचर, धर्मनगर, टांगला, कामाख्यागुड़ी, अलीपुर द्वार जं० सिलीगुड़ी जं०, किशनगंज, होजई, कटिहार जं०
पूर्वरेलवे—	हावड़ा, सियालदाह, श्री रामपुर, बर्दवान,	दिल्ली और बरास्ता, इलाहाबाद और बकास्ता, आगरा फोर्ट और

1	2	3
	आसनसोल, गोमो, बेगमपुर।	बरास्ता, आगरा कैंट और बरास्ता, जबलपुर, सतना, सुलतानपुर, साहगंज बाराबंकी, लखनऊ और बरास्ता, प्रतापगंज, फैजाबाद, जौनतुर, वाराणसी, बरेली, मिर्जापुर, जोधपुर, बीकानेर, गोरखपुर, समस्तीपुर, और बरास्ता न्यूजलपाइगुड़ी और बरास्ता, गुवाहटी और बरास्ता गया, पटना, मधुपुर लखीसराय, भागलपुर और साइत्रगंज।

विदेशी विमान सेवाओं द्वारा कलकत्ता के लिए अपनी उड़ानें रद्द करना

809. **श्री मतिलाल हंसदा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी एयरलाइन का ब्यौरा क्या है। जिन्होंने अप्रैल, 1982 से आज तक कलकत्ता से अपनी उड़ाने रद्द कर दी हैं और उन्हें दिल्ली और बम्बई में स्थानान्तरित कर दिया है;

(ख) इन विदेशी एयरलाइनों ने किस आधर पर अथवा किन आधारों पर अपना कार्य व्यापार कलकत्ता से बन्द कर अन्य हवाई अड्डों को स्थानान्तरित कर दिया है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं कि विदेशी एयरलाइन अपनी कलकत्ता की उड़ानें रद्द नहीं करती हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) स्कैंडेनिवियन एयरलाइन्स सिस्टम (एस ए एस) ही केवल एक ऐसी विदेशी एयरलाइन है जिसने 3 फरवरी, 1985 से कलकत्ता के लिए अपनी उड़ानों को रद्द करते हुए भारत के लिए/से अपने प्रचालनों को बन्द कर दिया था। ऐसा प्रतीत होता कि स्कैंडेनिवियन एयरलाइन्स सिस्टम ने अपने प्रचालनों के असंतोषजनक परिणामों के कारण इन प्रचालनों को हटा दिया था।

(ग) सरकार यद्यपि कलकत्ता को बढ़ावा देने के इच्छुक है, परन्तु सरकार किसी विदेशी एयरलान्स को किसी विशेष स्थान के लिए प्रचालन करने का निदेश नहीं दे सकती क्योंकि अवतरण स्थलों का चयन एयरलाइनों के वाणिज्यिक दृष्टिकोण के आधार पर किया जाता है।

रेल लाइनों का दोहरा किया जाना

810. **श्री आई० रामा राय** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कि गत तीन वर्षों के दौरान रेल लाइनों को दोहरा किये जाने के बारे में कितनी प्रगति हुई ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : मुख्य लाइन के 466 कि० मी० रेल पर दोहरी लाइन बिछा दी गयी है और 1982-83 से यातायात के लिए खोल दी गयी है। इसमें चालू वर्ष 1985-86 में यातायात के लिए खोला गया 86 कि० मी० शामिल है।

हवाई अड्डों का निर्माण

811. **श्री आई० रामा राय** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हवाई परिवहन के बहुत बढ़ जाने के कारण क्या सरकार का विचार विभिन्न महत्वपूर्ण और विकासशील शहरों/नगरों, जहां इस समय हवाई यात्रा की सुविधा नहीं है, के निकट उपलब्ध खाली भूमि को भविष्य में हवाई अड्डों के निर्माण के लिए प्रयोग में लाने का है।

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र ने उन राज्यों से जहां खाली भूमि उपलब्ध है, प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) सभी ऐसे महत्पूर्ण और विकासशील शहरों/नगरों के निकट खाली पड़ी भूमि को, जहां फिलहाल हवाई यात्रा की सुविधा नहीं है, भविष्य में हवाई अड्डों का निर्माण करने के लिए उपयोग में लाने की सरकार की कोई योजना नहीं है। केवल उन्हीं विनिर्दिष्ट नगरों और शहरों के निकट भूमि का अधिग्रहण किया जाता है और उसका विकास किया जाता है, जहां अनुसूचित एयरलाइनों द्वारा निर्धारित अवधि में अपने प्रचालन शुरू करने का प्रस्ताव।

खेल कम्पलैक्स खोलना

812. **श्री आई० रामा राय** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विभिन्न खेलों को उभारने के लिए क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में खेल कम्पलैक्स खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो केरल में इसके लिए किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(ग) क्या कासरगोडे में, जो राज्य का एक पिछड़ा जिला है और जहां से काफी बड़ी संख्या में खिलाडी आ रहे हैं; एक खेल कम्पलैक्स खोलने का विचार है?

युवक कार्यक्रम और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) सरकार की पहले ही राज्या खेल परिषदों आदि को उपयुक्त स्थानों पर खेल परिसरों

के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देने की योजना है। खेल परिसरों के निर्माण के लिए उपलब्ध केन्द्रीय वित्तीय सहायता की सीमा हाल ही में 5 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक बढ़ाई गई है ?

(ख) और (ग) उपरोक्त योजना के अंतर्गत खेल परिसरों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता संबंधित राज्य द्वारा प्रेषित और शिफारिश किए गए प्रस्तावों के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। केरल राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोनार्थ किसी भी स्थान की सिफारिश नहीं की गई है। कासारगोडे में खेल परिसर के निर्माण के लिए राज्य सरकार से कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। यदि ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ तो इस पर उपरोक्त योजना के नियमों के अनुसार यथोचित विचार किया जायेगा।

संतति-निग्रह के लिए लगाये जाने वाला नया गर्भ-निरोधक

813. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि डेनमार्क के वैज्ञानिकों ने एक नए गर्भ-निरोधक का विकास किया है जिससे महिला एक बार में 4 वर्ष तक गर्भ धारण नहीं करेगी;

(ख) यदि हां, तो हालैंड की ओरगानान कम्पनी ने, जो 1988 तक "मेंटल स्टिक साइज" के इस गर्भ निरोधक का वाणिज्यिक उत्पादन करने की आशा करती है, कोई पूछताछ की गयी है;

(ग) यदि हां, तो इस कम्पनी से क्या उत्तर प्राप्त हुआ है, और

(घ) क्या देश में इस नयी युक्ति का कोई परीक्षण और अध्ययन किया गया है अथवा किया जाएगा और यदि हां, तो कब तथा कहां पर ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ख) डेनमार्क के वैज्ञानिक त्वचा के नीचे लगाने के एक गर्भनिरोधक पर कार्य कर रहे हैं जिससे 4 वर्ष के लिए गर्भधारण के प्रति बचाव हो सकेगा। यह गर्भनिरोधक अभी इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि मनुष्यों पर इसके क्लिनिकी प्रयोग अभी किए जाने हैं। भारत में इस नई युक्ति की जांच करने की बात पर तभी विचार किया जा सकता है जब इस की क्लिनिकल उपयोगिता और विश्वासनीयत प्रमाणित हो जायेगी।

खड़गपुर में व्यापरियों के लिए अभिग्रहण शुल्क बढ़ाना

814. **श्री नारायण चौबे** : क्या **परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि खड़गपुर में अधिकारी व्यापारियों के लिए अभिग्रहण शुल्क में 200 से 300 प्रतिशत तक वृद्धि करने का प्रयत्न कर रहे हैं ?

(ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि रेल मंत्री ने 1983 में खड़गपुर के लोगों से सार्वजनिक रूप से वादा किया था कि अभिग्रहण शुल्क इतनी तेजी से नहीं बढ़ने दिया जायेगा और 25 से 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं होने दी जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो रेल मंत्री द्वारा किये गये वादे को लागू करने के लिए रेल प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : जी हां, । सरकार को इस बात की जानकारी है कि खड़गपुर में लाइसेंस पर दी गई रेलवे भूमि के लाइसेंस-शुल्क में प्रचालित नियमों के अनुसार वृद्धि कर दी गई है ।

(ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि 1983 में रेल मंत्री ने यह कहा था कि लाइसेंस शुल्क में असाधारण वृद्धि नहीं होगी और युक्तिसंगत मार्ग-निदेशों पर आधारित होगी ।

(ग) रेलवे प्लाटों के लिए लाइसेंस शुल्क का निर्धारण रेल विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये नीति संबंधी अनुदेशों के आधार पर किया जाना है। लाइसेंस शुल्क का निर्धारण भूमि के बाजार-मूल्य, वाणिज्यिक उपयोग की किस्म पर किया जाता है तथा उसे उचित और बाजार में प्रचलित किराये से तुल्नात्मक स्तर पर रखा जाता है ।

रेलवे वर्कशापों में विकलांग कर्मचारी

815. **श्री के० रामचन्द्र** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेलवे वर्कशापों के नाम क्या हैं और इनमें कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन वर्कशापों में विकलांग व्यक्तियों को भी नौकरी दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक वर्कशाप में नियुक्त विकलांग व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर दी जाएगी ।

बिहार में विभिन्न रेलवे स्टेशनों में बिना लाइसेंस वाले हथियारों और गोला बारूद सहित बक्सों का प्राप्त किया जाना

816. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या परिहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि 70 से अधिक बक्सों को जिनमें बिना लाइसेंस के हथियार और गोला बारूद थी बिहार के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से प्राप्त किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की ब्यौरे सहित संख्या क्या है तथा सरकार द्वारा इस विषय में अब क्या कदम उठाये गए हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता।

सिंचाई परियोजनाओं के लिए आसान शर्तों पर ऋण

817. **श्री के० एल० राव** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों को सिंचाई परियोजओं के निर्माण के लिए आसान शर्तों पर ऋण देने का है और यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्यों पर गैर सरकारी संगठनों या विदेशों की सरकारों से, यदि वे वस्तुविनिमय के लिए सहमत है, ऋण लेने पर कोई प्रतिबन्ध है; और

(ग) क्या इस प्रकार के ऋण लेने के कोई मामले हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) (क) : जी, नही।

(ख) जी हां, । निजी संगठनों तथा विदेशी सरकारों से ऋण प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों को भारत सरकार से सम्पर्क करना होता है। वस्तु विनिमय भुगतान-ऋण की अदायगी की शर्त से संबंधित होता है और ऐसे मामलों मे राज्य पर संविधानिक प्रतिबन्ध का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ग) ऐसे कोई मामले नहीं हुए है।

[हिन्दी]

स्वर्णरेखा परियोजना का आदिवासियों पर प्रतिकूल प्रभाव

818. **श्री काली प्रसाद पांडे** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना का आदिवासियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आदिवासियों के सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक हितों के संरक्षण हेतु परियोजना को छोड़ देने की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) अन्तर्राज्यीय सुवर्ण-रेखा बहु-

प्रयोजनी परियोजना के क्रियान्वयन से बिहार में 53,000 की कुल जनसंख्या सहित कुल 141 गांव (40 पूर्ण रूप से तथा 101 आंशिक रूप से) और उड़ीसा में 33,000 की जनसंख्या सहित 13 गांव (1 पुर्ण रूप से तथा 12 आंशिक रूप से) प्रभावित होने की सम्भावना है। प्रभावित परिवारों के सन्तोषजनक पुनर्वास के लिए बिहार सरकार आदिवासी कल्याण विभाग के परामर्श से एक पुनर्वास मास्टर प्लान तैयार कर रही है तथा परियोजना के निर्माण-कार्यों, सामाजिक वन-विद्या एवं अन्य क्षेत्रों में रोजगार पाने के लिए प्रशिक्षण देने की भी योजनाएं हैं। इस प्रयोजन के लिए परियोजना में आवश्यक वित्तीय प्रावधान किए जाएंगे।

[अनुवाद]

कर्नाटक में रेलों के विकास के लिए धनराशि

819. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे डेवलपमेंट-कंस्ट्रक्शन एक्शन कमेटी, कर्नाटक के प्रेजीडेन्ट ने माननीय मंत्री से कर्नाटक राज्य के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित करने का अनुरोध किया है क्योंकि धन की कमी के कारण सभी रेलों सम्बन्धी विकास कार्य ठप्प पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाई की गई है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) इस मन्त्रालय में ऐसा कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चल सके कि "रेलवे डेवलपमेंट कन्सट्रक्शन" कमेटी कर्नाटक के अध्यक्ष से पर्याप्त धनराशि के आबंटन हेतु कोई आवेदन प्राप्त हुआ था तथापि, कर्नाटक में विकास कार्यों के लिए अधिक धन के आबंटन के सम्बन्ध में रेल विभाग में विभिन्न क्षेत्रों से, मांगें प्राप्त हुई हैं। रेल परियोजनाओं के लिए धनराशि का आबंटन किसी राज्य में उसकी स्थिति के आधार पर नहीं किया जाता बल्कि उसकी प्राथमिकता, प्रगति के चरण तथा संसाधनों की उपलब्धता पर किया जाता है। ताकि निवेशों से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। मैसूर-बंगलूरु आमान परिवर्तन के लिए 1985-86 में धनराशि के आबंटन को 50 लाख रुपये के मूल बजट परिव्यय से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया गया है। कृष्णराजपुरम और व्हाइट फील्ड के बीच दोहरी लाइन बिछाने के लिए बजट आबंटन 16 लाख रुपये है और अनुदान की पूरक मांगों के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि आबंटित करने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा, बड़ी परियोजनाओं जैसे पहिया एवं धुरा संयंत्र, बैंगलूरु, बेंगलूरु-गुन्तकुल आमान परिवर्तन मंगलोर-हसन मीटर लाइन आदि परियोजनाओं के अवशिष्ट कार्यों के लिए उपयुक्त धनराशि आबंटित की गई है।

सभी प्रकार की 3-आयामी दृश्य सामग्री पर प्रतिबन्ध

820. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3-आयामी फिल्मों, 3-आयामी कथा साहित्य और 3-आयामी चश्मों से आंखों को भारी नुकसान पहुंचता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सभी प्रकार की 3-आयामी दृश्य सामग्री पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करेगी ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

हाइड्रालिक रैम स्थापित करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता

821. **श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियार** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पानी निकालने के लिए हाइड्रालिक रैम, पवन चक्की पम्पों से अधिक उपयुक्त है;

(ख) यदि हां, तो हाइड्रालिक रैम विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने हाइड्रालिक रैम लगाने में पहल की है और उनमें प्रत्येक द्वारा कितने हाइड्रालिक रैम स्थापित किए गए हैं;

(घ) क्या उन राज्यों को अपने राज्यों में हाइड्रालिक रैम लगाने के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रकार की वित्तीय सहायता किस सीमा तक दी जाएगी और उन्हें यह कब तक उपलब्ध कराई जाएगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ङ) पानी निकालने के लिए द्रवचालित रैमों और पवन-चक्कियों की उपयुक्तता उस स्थान की परिस्थितियों पर निर्भर करती है जहां से पानी निकाला जाना है। छठी योजना के दौरान, जल संसाधन मंत्रालय ने एक केन्द्र प्रायोजित योजना शुरू की थी जिसके तहत ऊर्जा तथा जल बचाने के विभिन्न तरीकों, जिसमें द्रवचालित रेम भी शामिल हैं, के माध्यम से सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों को 20 से 50 प्रतिशत तक राज सहायता उपलब्ध कराई जाती थी। इस योजना के अधीन तीन राज्यों को द्रवचालित रैमों के विकास के लिए रिलीज की गई सहायता इस प्रकार है :—

राज्य का नाम	द्रवचालित रैमों की संख्या जिसके लिए सहायता रिलीज की गई
बिहार	2
कर्नाटक	2
मध्य प्रदेश	10

उपर्युक्त स्कीम को सातवीं योजना के दौरान जारी रखे जाने का प्रस्ताव है। विभिन्न राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी है, यह विभिन्न राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों पर निर्भर करेगा।

जौनपुर को बाढ़ से बचाने की योजना

822. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 अक्तूबर, 1985 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "फीयर आफ ऐपीडेमिक स्टावस जौनपुर" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि जौनपुर को बाढ़ से बचाने के लिए तैयार की गई एक विस्तृत योजना काफी समय से योजना आयोग के पास लम्बित पड़ी है;

(ग) यदि हां, तो योजना की मंजूरी के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) क्या नदी से गाद निकालने से बाढ़ रोकने में सहायता मिलेगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जौनपुर नगर सुरक्षा स्कीम योजना आयोग को तकनीकी सलाहकार समिति के विचारार्थ मार्च 1985 में भेजी गई थी और इस पर समिति की अगली बैठक में विचार-विमर्श किए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई स्कीम में नदी तल में से गाद निकालने की परिकल्पना नहीं है।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी खड़े हुए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय:—आपका नोटिस मैंने पढ़ा है, उसमें है नहीं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मुझे मामला उठाने दिजिये।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर):—यह बहुत ही गंभीर मामला है। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते:—हमें पता चलना चाहिए कि वह क्या मामला उठा रहे हैं। सभा को बताया जाए कि···(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : आप उन्हें अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय—क्योंकि मैंने उसकी अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय:—मैंने अनुमति नहीं दी है···मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने किस बात की अनुमति नहीं दी है।

अध्यक्ष महोदय : उनके स्थगन प्रस्ताव की।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : सभा को भी पता चलने दीजिए कि अपने किस बात की अनुमति नहीं दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपका स्थागन प्रस्ताव स्वीकार कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त:—आपने अभी कहा था कि आपने इसे अस्वीकार कर दिया है क्योंकि इसका संबंध कांग्रेस पार्टी से है। मुद्दा यह है कि सरकारी एजेन्सी का इस्तेमाल किया गया है।··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय:—नहीं यह कुछ नहीं चलेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय:—आप यह आरोप व्यर्थ में क्यों लगा रहे हैं? हम लोग आपको अनुमति भी

दे सकते हैं। मैंने हमेशा संसद सदस्यों को अनुमति दी है। उन्हें भी हमेशा अनुमति दी जाती रहेगी। कोई समस्या नही है···कोई भेद भाव नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : यह बहुत गंभीर मामला है। यह भविष्य में एक उदारण बन जाएगा। सभा को भी पता चलने दीजिये कि आप क्या कह रहे हैं। पूरी सभा को इसके बारे में पता चलने दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : आप सभा का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हम गुट-निरपेक्ष आन्दोलन युवा सम्मेलन के आयोजन के किसी भी प्रयत्न का स्वागत करते हैं किन्तु वास्तव में हुआ यह था कि युवा कांग्रेस (इ) ने गुट-निरपेक्ष युवा सम्मेलन का आयोजन किया था और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों का उपयोग विदेशी सरकारों से शिष्ट मंडल बुलाने के लिये किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : अनेक शिष्ट मंडल आ रहे हैं।···कृपया बैठ जाइये। निरर्थक जोश में न आइये। कोई भी बात नहीं है। मुझे जानकारी है। बात करने से पहले मैं जानकारी अवश्य ही प्राप्त कर लेता हूं। आपने मुझे स्थागन पत्र दिया था। मैंने उनसे पूछ-ताछ की थी। मैंने उसे अस्वीकृत कर दिया है क्योंकि सरकार ने मुझे बताया है कि उनका इससे कोई संबंध नहीं है। उनका संबंध केवल कानून और व्यवस्था बनाये रखने से है। वे लोग आपके साथ भी सहयोग करने के लिए तैयार होंगे।आपका भी स्वागत है। आप भी सौध का उपयोग कर सकते हैं, मैं आपको अनुमति दे दूंगा मैं हमेशा अनुमति देता रहा हूं। यह कोई समस्या नहीं है।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : विदेशों में भारतीय मिशनों का दुरुपयोग किया गया है···

(व्यवधान)

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : यह सरासर गलत अरोप है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप मुझे पूर्ण ब्यौरा दें।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आप से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं सरकारी तंत्र तथा विदेशों में स्थित मिशनों का दुरुपयोग दल के हित में किया गया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, मैं आप से पूछता हूं कि अगर कोई चीज आपके पास है, तो आप मुझे दो, मैं तहकीकात करवाता हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं यह सिद्ध करूंगा कि सम्मेलन में प्रतिनिधि लाने के लिये विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों का दुरुपयोग किया गया है । मैं सभा की एक समिति द्वारा जांच कराये जाने की मांग करता हूं । मैं अपना अरोप सिद्ध करूगा । (व्यवधान) यदि मैं सिद्ध न कर सका तो मैं उसका परिणाम भुगत लूंगा ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे दीजिए, आप घबराते क्यों हैं । इसमें इतने गरम होने की क्या बात है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अलाऊ कर दूंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं—बिना मतलब के गरम होने की क्या आवश्यकता है । आपको कुछ हो गया, तो मुझे चिन्ता हो जाएगी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिये । अगर कोई बात है तो आप मुझे दीजिए, मैं पड़ताल करवा लेता हूं । जो मैंने जांच करवाई है, उनमें कुछ नहीं है । अगर जांच करवाने की कोई चीज आपके पास है तो मुझे दे दीजियेगा । मैं और कहना चाहता हूं,

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर):—सभा को सूचित किया जाना चाहिये था ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय:—अमल दत्त जी, आपको मैंने पहले भी कहा—

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कोई हर्ज नहीं है ।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी:—मैं कल संसदीय सौध में गया था और मैंने देखा की युवा कांग्रेस जन 'वाकी-टाकी' का इस्ताल कर रहे थे जिससे पुसिल वाले इस्तेमाल करते हैं ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, तो क्या हो गया ?

[अनुवाद]

श्री गुलाम नबी आजाद :— इन सब बातों से उनका क्या संबंध है ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय:—मि० रेड्डी, आप घबराते क्यों है ?

[अनुवाद]

मैं आपको भी अनुमति दे दूंगा ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० मधु दंतवते:—घबराते नहीं,

[अनुवाद]

सरकार और दल के भेद को समाप्त किया गया है और विदेशी मिशनों का उपयोग दलगत हित में किया रहा है । यह बहुत ही आपत्तिजनक है ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप करिये, कोई दिक्कत नहीं है । पहले भी होते रहे हैं, दूसरे देशों के भी आते रहे हैं : आपके रिजीम में भी होते रहे हैं ।

[अनुवाद]

कोई समस्या नहीं है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों बोल रहे हैं बीच में ?

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त:—यदि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, तो आप इस पर चर्चा करने की अनुमति क्यों नहीं देते ? आपको को इस बात पर क्या आपत्ति है ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय:—कुछ हो तो करेंगे ना ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं कहते। मैं कहता हूं; आपके पास कोई चीज है तो दो, मैं इन्क्वारी करवा देता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : फिर वही बात आप कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त:—वे लोग अरोपों का खंडन क्यों नहीं करते हैं?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप पार्टी मीटिंग कीजिए, आपको भी इजाजत है।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : उन्हें सभा में इनके आरोपों का खंडन करना चाहिये।

श्री० एस० जयपाल रेड्डी : विदेशों में स्थित मशीनों का उपयोग युवा कांग्रेस (इ) के लिये किया जा रहा है। यह बहुत ही आपत्तिजनक है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त:—उन्हें कल एक वक्तव्य देने दीजिए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अमलदत्त जी, आप तो बहुत समझदार आदमी हैं, मतलब की बात कहा करो। क्यों वक्त जाया करते रहते हैं ?

[आनुवाद]

श्री अमल दत्त : महोदय, क्या आपने आज का अखबार पढ़ा है ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय:--मैंने पढ़ा है। कृपा बैठ जाइये।

श्री अमल दत्त:—आप, कृपया हमें बताये···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय:—मैं इन्क्वारी करवा लूंगा।

[अनुवाद[

कानून अपना काम करेगा। मेरा उससे संबंध नहीं है।

श्री अमल दत्ता : आपको कुछ नहीं करना होगा। आप केवल ध्यानाकर्षण की अनुमति दे दें। इतना ही पर्याप्त है।

अध्यक्ष महोदय:—इस पर ध्यानाकर्षण कैसे रखा जा सकता है? इसके बारे में कुछ भी नहीं है। आप मुझे लिखित में दीजिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मेरे प्रस्ताव के बारे में क्या रहा ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव की कोई बात ही नहीं है। यह बिल्कुल फिजूल है।

[हिन्दी]

आप इसकी बेइज्जती कर रहे हैं; एडजार्नमेंट मोशन की।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : क्यों ? मैं कैसे ?

[अनुवाद]

श्री अमलदत्त : महोदय, आप मेरी बात पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पर्चा दे देंगे।

[अनुवाद]

श्री अमलदत्त : उप पुलिस अधीक्षक के साथ पुलिस वाले जाते हैं और पिटाई करते हैं··· **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं थानेदार बनकर जाऊंगा क्या ?

[अनुवाद]

कानून को अपना कार्य करने दो।

श्री अमलदत्त : मंत्री महोदय को इसका उत्तर देना चाहिए। पुलिस ने यह किया है। किसी और ने नहीं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : और भी चीजें होंगी, बड़े अफसर भी होंगे। यह क्या कोई थाना है ? क्या बात करते हैं आप ?

[अनुवाद]

श्री अमलदत्त : यह काफी गंभीर मामला है। इसमें पुलिस द्वारा ज्यादती की गई है—यह मामला चर्चा करने योग्य है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप तो वकील हैं। फिर क्यों नहीं देखते इस बात को ?

[अनुवाद]

श्री अमलदत्त : यह एक ऐसा मामला है जिसमें सरकार और पुलिस जिम्मेवार है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह मैं करूंगा क्या। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री जनार्दन पुजारी।

12.07½ म०प०

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड, नई दिल्ली का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड, नई दिल्ली, के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1461/85]

आयकर अधिनियम, 1961, सीमा, शुल्क अधिनियम, 1962 और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के अंतर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) का० आ० 4996, जो 2 नवम्बर, 1985 को भारत के रातपत्र में प्रकाशित हुआ

था और जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "दि एसोसिएटेड चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री आफ इण्डिया" को कर-निर्धारण वर्षों 1985-86 और 1987-88 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(दो) का०आ० 4997 जो 2 नवम्बर, 1985 को भारत के राज-पत्र में प्रकाशित हुआ था और जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया" को कर-निर्धारण वर्षों 1982-83 और 1984-85 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए छूट के बारे में है।

(तीन) का० आ० 4998, जो नवम्बर, 1985 को भारत के राज-पत्र में प्रकाशित हुआ था और जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट, बम्बई" को कर-निर्धारण वर्षों 1984-85 और 1986-87 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चार) का०आ० 4999, जो 2 नवम्बर, 1985 को भारत के राज-पत्र में प्रकाशित हुआ था और जो आय-कर अधिनियम; 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "कस्तूरबा गांधी नेशनल मैमोरियल ट्रस्ट, कस्तूरबाग्राम, इंदौर" को कर-निर्धारण वर्षों 1985-86 और 1987-88 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पांच) का०आ० 5000, जो 2 नवम्बर, 1985 को भारत के राज-पत्र में प्रकाशित हुआ था और जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत "आर्गेनाइजेशन आफ फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूससं आफ इंडिया" को कर-निर्धारण वर्षों 1985-86 और 1987-88 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छः का० आ० 5001, जो 2 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "दि म्यूजिक अकादमी, मद्रास" को कर-निर्धारण वर्षों 1986-87 और 1988-89 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सात) का०आ० 5002, जो 2 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "सेंटर फार पब्लिक सैक्टर स्टडीज, नई दिल्ली" को कर-निर्धारण वर्षों 1985-86 और 1987-88 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(आठ) का० आ० 5003, जो 2 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1861 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "फिरोजशाह, गोडरेज फाउंडेशन, बम्बई" को कर-निर्धारण वर्षों 1985-86 और 1987-88 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(नौ) का० आ० 5004 जो 2 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "भारतीय संसदीय दल" को कर-निर्धारण वर्षों 1987-88 और 1989-90 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(दस) का०आ०5005, जो 2 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "(क) मुख्य मंत्री राजस्थान का अस्पताल विकास कोष,; (ख) मुख्य मंत्री राजस्थान का सामान्य राहत कोष; (ग) मुख्य मंत्री राजस्थान का सूखा और बाढ़ राहत कोष; और (घ) मुख्य मंत्री राजस्थान का रक्षा सेवा कल्याण कोष" को कर-निर्धारण वर्षों 1985-86 और 1987-88 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(ग्यारह) का० आ० 5006, जो 2 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "बिहार आफ योग" को कर-निर्धारण वर्षों 1983-84 और 1986-87 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बारह) का०आ० 5007, जो 2 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र मेंप्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "इंस्टिट्यूट आफ कंपनी सेक्रेटरीज आफ इंडिया" को कर-निर्धारण वर्षों 1983-84 और 1986-87 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तेरह) का०आ० 5008, जो 2 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "इंडिया लिटरेरी हाऊस, लखनऊ" को कर निर्धारण वर्षों 8985-86 और 1987-88 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

[**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1462/85**]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा०का०नि० 681 (अ), जो 26 अगस्त, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 1 जुलाई, 1985 की अधिसूचना संख्या 212/85—सी०शु० के अधिलंघन में आस्ट्रिया के शिलिंगों और डुयूशे मार्कों को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को उपर्युक्त मुद्राओं में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय-दरों के बारे में है।

(दो) सा०का०नि० 697 (अ), जो 30 अगस्त, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 2 अगस्त, 1976 की अधिसूचना संख्या 333-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि निर्यात के प्रयोजनार्थ परिसाधित चमड़े की पहचान के लिए आई० एस० : 8170—1981 के स्थान पर आई० एस० : 8170 - 1979 रखा जा सके।

(तीन) सा० का० नि० 706 (ध) और 707(अ), जो 2 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो शैक्षिक सामग्री से भरे वीडियो कैसेटों और वीडियो टेपों को उन पर उद्ग्रहणीय मूल अतिरिक्त और उपसंगी सीमाशुल्क से उस स्थिति में पूर्ण छूट देने के बारे में है, जब उनका आयात भारत में विश्व विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जाये।

(चार) सा०का०नि० 708 (अ) और 709 (अ), जो 2 सितम्बर 1985 को भारत, के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो औषधियों दवाइयों तथा चिकित्सा उपस्करों को उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल, अतिरिक्त और उपसंगी सीमाशुल्क से उस स्थिति में छूट देने के बारे में है, जब उनका आयात भारत में भोपाल गैस विभीषिका के शिकार हुए व्यक्तियों के इलाज के लिए किया जाए।

(पांच) सा०का०नि० 735 (अ), जो 12 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 16 जुलाई, 1985 की अधिसूचना संख्या 232-सी शु० के अधिलंघन में रूसी रूबल का भारतीय करेंसी में और भारतीय करेंसी का रूसी रूबल में संपरिवर्तन करने की पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे में है।

(छः) सा०का०नि० 740 (अ) और 741 (अ), जो 19 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित किए जाने वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रस्तुतीकरण की विशेषयोजना के अन्तर्गत शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सप्लाई करने के लिए कतिपय विनिर्दिष्ट उपकरणों के निर्माण के लिए आयातित कच्ची सामग्री,

संघटक और समुच्चयन को, उन पर उद्ग्रहणीय मूल सीमा शुल्क के उतने भाग से, जो मूल्यानुसार 25 प्रतिशत से अधिक है, और सम्पूर्ण उपसंगी तथा अतिरिक्त शुल्क में छूट देने के बारे में है।

(सात) सा०का०नि० 753 (अ) और 754 (अ), जो 4 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो विश्वविद्यालय अथवा उच्चतर अथवा प्रोन्नत तकनीकी शैक्षणिक कार्यक्रमों से भरे हुए वीडियो कैसेटों और वीडियो टेपों को, उन पर उद्ग्रहणीय मूल, अतिरिक्त और उपसंगी सीमाशुल्क से उस स्थिति में पूर्ण छूट देने के बारे में है, जब उनका आयात भारत में किसी विश्वविद्यालय अथवा किसी अनुसंधान संस्थान द्वारा किया जाए।

(आठ) सा०का०नि० 755 (अ) और 756 (अ), जो 24 सितम्बर, 1982 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यान ज्ञापन, जो उद्भासित और विकसित फिल्म सीटों को, जो पुस्तकों पत्रिकाओं, सावधि पत्रिकाओं, समाचार-पत्रों और ऐसी सामग्री के मुद्रण अथवा पुनरुत्पादन के लिए अपेक्षित हैं, उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल, अतिरिक्त और उपसंगी सीमा शुल्क से स्थिति में छूट देने के बारे में है, जब उनका आयात भारत में किया जाए।

(नौ) सा० का० नि० 776 (अ), जो 1 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 1 जुलाई, 1985 की अधिसूचना सं० 212/85-सी० शु० के अधिलंघन में कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की पुनरीक्षित विनिमय-दरों के बारे में है।

(दस) सा०का०नि० 784 (अ) और 785 (अ), जो 8 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो विश्वविद्यालय अथवा उच्चतर अथवा प्रोन्नत तकनीकी शैक्षिक कार्यक्रमों से भरे हुए वीडियो कैसेटों और वीडियो टेपों को, जब उनका भारत में आयात किसी शोध विद्यार्थी द्वारा किया जाए, उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल, अतिरिक्त और उपसंगी सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(ग्यारह) सा० का० नि० 828(अ), जो 5 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 4 मार्च, 1985 की अधिसूचना संख्या 52/85-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि तकनीकी विकास महानिदेशालय से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने की शर्त हटाई जा सके।

(बारह) सा० का० नि० 830 (अ), जो 6 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 17 मार्च, 1985 की अधिसूचना संख्या 70/85-सी०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि उसमें विनिर्दिष्ट कुछ श्रेणियों की बाल बेयरिंग तथा रोलर बेयरिंग के लिए विद्यमान मूल्यानुसार दरों के अलावा शुल्क की विशिष्ट दरें निर्धारित की जा सकें।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1463/85]

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा०का०नि० 747 (अ), जो 20 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 2 सितम्बर, 1985 की अधिसूचना सं० 201/85-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि खुदरा बिक्री के लिए पैक किए गए सिगरेटों के पैकेटों के सतह-डिजाइन की अनुमति निरीक्षण तथा लेखा परीक्षा (सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) निदेशालय के निदेशक (लेखापरीक्षा) से ली जाए, ताकि अधिसूचना में निर्धारित उत्पाद शुल्क की प्रभावी दरें लागू की जा सकें।

(दो) सा० का० नि० 729 (अ), 25 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 30 अप्रैल, 1984 की अधिसूचना सं० 99/84- के उ० शु० की वैधता की अवधि 31 मार्च, 1986 तक बढ़ाई गई है।

(तीन) सा० का० नि० 774 (अ), जो 1 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो एन्टीसेप्टिक सुगंधित क्रीमों को मूल्यानुसार 13 प्रतिशत से अधिक उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(चार) सा० का० नि० 775 (अ), जो 1 अक्तूबर, 1975 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो तांबे के पाइपों और ट्यूबों को मूल्यानुसार 9 प्रतिशत से अधिक उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(पांच) सा० का० नि० 779 (अ), जो 3 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो नेपथोलो और पक्के रंजक क्षारकों को मूल उत्पाद शुल्क के उतने भाग से छूट देने के बारे में है, जो मूल्यानुसार 15 प्रतिशत से अधिक है।

(छः) सा० का० नि० 786 (अ), जो 9 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो पेटेंट अथवा स्वत्वाधिकार वाली ऐसी औषधियों को उन पर उदग्रहणीय उत्पादन शुल्क से छूट देने के बारे है, जिसमें मैट्रोनिडेजोल बैंजोएट अथवा मैट्रोडेनिजोल ओक्सालेट सक्रिय अवयव के रूप में शामिल हों।

(सात) सा० का० नि० 797 (अ), जो 16 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो धोवन जल में मौजूद ओलीगोमरों की बहुलीकरण की क्रिया से निर्मित केप्रोलेक्टम को, उस पर उदग्रहणीय उत्पाद शुल्क से इस शर्त के अधीन छूट देने के बारे में है।

(आठ) सा० का० नि० 801 (अ), जो 16 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 17 मार्च, 1985 की अधिसूचना संख्या 59/85 के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गयाहै, ताकि फ्लैट ग्लास पर उदग्रहणीय उत्पादक शुल्क की प्रभावी दरें प्रत्येक मि० मि० मोटाई या उसके भाग पर लगाई जा सकें।

(नौ) सा० का० नि० 609 (अ), जो 25 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो ऐसे कार्बनिक सतह सक्रिय कारकों (साबुन के अलावा) जिनका सामान्यतः चमड़ा उद्योग द्वारा चर्म शोधन कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, को मूल्यानुसार 12 प्रतिशत से अधिक उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(दस) सा० कास नि० 810 (अ), जो 25 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 27 अगस्त, 1969 की अधिसूचना संख्या 208/69 के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि ऐसे सार्वजनिक सतह सक्रिया कारकों (साबुन के अलावा) अथवा सतह सक्रिया निर्मितियों (चाहे उनमें साबून हो या नहीं) को उसमें दी गई छूट के क्षत्र से निकाला जा सके।

(ग्यारह) सा० का० नि० 822 (अ), जो 30 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 1 मार्च, 1984 को अधिसूचना संख्या 70/84 के० उ० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि विस्कोस फाइबर के निर्माण में इस्तेमाल किये जाने वाले सेलुलोस जेन्थेट को उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट दी जा सके।

(बारह) सा० का० नि० 826 (अ), जो 5 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 30 जून, 1982 की अधिसूचना संख्या 199/82 के० उ० को विखंडित किया गया है।

(तेरह) सा० का० नि० 827 (अ), जो 5 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 1 नवम्बर, 1982 की अधिसूचना संख्या 234/82-के० उ० में कतिपय संशोधन किया गया है।

(चौदह) सा० का० नि० 833 (अ), जो 8 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा टायर निर्माताओं को अनुमति दी गई है कि वे अपने बाहरी एकक में निर्मित मध्यवर्ती माल को, टायर का निर्माण करने वाले अपनी फैक्ट्री में स्थानान्तरित कर सकते हैं, ताकिवे 4 जून, 1979 की अधिसूचना संख्या 201/79-के० उ० के अन्तर्गत मध्यवर्ती माल के निर्माण में इस्तेमाल किये जाने वाले अन्तर्गामी माल पर शुल्क के मुज्रे का लाभ उठा सकें।

(पन्द्रह) सा० का० नि० 834 (अ), जो 8 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा टायर निर्माताओं को अनुमति दी गई है कि वे अपने बाहरी एकक में निर्मित मध्यवर्ती माल को टायर का निर्माण करने वाली अपनी फैक्ट्री में स्थानान्तरित कर सकते हैं ताकि वे 1 मार्च, 1983 की अधिसूचना संख्या 95/83 के० उ० के अन्तर्गत मध्यवर्ती माल के निर्माण में इस्तेमाल किये जाने वाले अन्तर्गामी माल पर शुल्क के मुजरे का लाभ उठा सकें।

(सोलह) सा० का० नि० 841 (अ) जो 14 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मत ज्ञापन, जो ट्रेड रबड़ और कैमल बैक को देशी उपभोग के लिए उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1464/85]

12.08 म० प०

प्राक्कलन समिति

तेरहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चिन्ताणि पाणिग्रही : (भुवनेश्वर) मैं गृह मंत्रालय अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध

में प्राक्कलन समिति (सातवीं लोक सभा) के 77 वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में उक्त समिति का तेरहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12-8½ म० प०

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

86वें, 98वें और 100वें प्रतिवेदनों संबंधी विवरण

[अनुवाद]

श्री के० राममूर्ति (कृष्णगिरी) . मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (सातवीं लोक सभा) के 86वें, 98वें और 100वें प्रतिवेदनों के अध्याय पांच के बारे में दिये गये अन्तिम उत्तरों का विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.0½ म० प०

फतुहा-इस्लामपुर लाइट रेल लाइन (राष्ट्रीयकरण) विधेयक*

[अनुवाद]

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि फतुहा-इस्लामपुर लाइट रेल लाइन के संबंध में फतुहा-इस्लामपुर लाइट रेलवे कम्पनी लिमिटेड के उपक्रमों के लोकहित में अर्जन का और उससे सम्बन्धित या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि फतुहा-इलामपुर लाइट रेल लाइन के सम्बन्ध में फतुहा इस्लामपुर लाइट रेलवे कम्पनी लिमिटेड के उपक्रमों के लोकहित में अर्जन का और उससे सम्बन्धित या उससे आनुषंगिक विषयों का उबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री बंसी लाल : मैं विधेयक पुरस्थापित** करता हूं।

---

*दिनांक 21-11-1985 के भारत सरकार के असाधारण राजपत्र, भाग के खन्ड 2 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की शिफारिश से पुरस्थापित।

[अनुवाद]

श्री अमलदत्त (डायमंड हार्बर) : यह सभा के लिए है कि वह इस पर विचार करें···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठते क्यों नहीं हैं ? आप बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां, बिल्कुल दूंगा । पहले भी देता हूं । हर एक चीज

[अनुवाद]

जोकि संसद सदस्यों से सम्बन्धित है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : अगर कोई विशेष दल संस्दीय सौध में सम्मेलन करना चाहे तो आप क्या उसकी अनुमति देगें ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं सब को एलाऊ करता हूं । गुप्ता जी, आप यह देख लीजिए, मैं पार्टीज को भी देता रहा हूं ।

श्री इन्द्रीजीत गुप्त : अलग-अलग ?

[अनुवाद]

मैं संयुक्त सम्मेलन को तो ठीक समझ सकता हूं लेकिन कोई एक दल में सौध सम्मेलन करना चाहे तो क्या आप उसकी अनुमति देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : हम इसकी अनुमति देते रहे हैं ।

[हिन्दी]

आप देखिए न, में सारी पार्टीज को देता रहा हूं ।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं नहीं जानता । कुछ सेमिनार आदि होते रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि किसी दल के सम्मेलन के लिए अनुमति दी गई है ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सेमिनार ही नहीं, मीटिंग भी करते रहे हैं । सारे लोग करते रहे हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अच्छा देखा जाएगा । आप से इजाजत मांगेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : देख लिजिएगा । इनके लिए देंगे तो आपके लिए क्यों नहीं देंगे ?

[अनुवाद]

मैं आपको अनुमति न देने का साहस कैसे कर सकता हूं ?

श्री अमल दत्त : अब ऐसा किया गया है । हम सबको यह सुविधा प्रदान की जानी चाहिए ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं सारा देख कर करता हूं । ऐसी कोई गलत बात हम नहीं करते हैं क्यों कि ऐसा नहीं करेंगे तो कल को मेरे गले में रस्सी पड़ेगी ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पार्लियामेंट्री के नाम पर भी ?

अध्यक्ष महोदय : हां, पार्लियामेंट्री पार्टी के नाम पर भी ।

श्री राम सिंह यादव ।

12.12 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

* (एक) मथुरा-अलवर बड़ी रेल लाइन परियोजना के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : मथुरा-अलवर बड़ी रेल लाइन परियोजना की स्वीकृति योजना आयोग ने दे दी है । 1985-86 के बजट अनुमानों (रेल) में इसके लिए 1 करोड़ 31 लाख 84 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है ।

मथुरा-अलवर बड़ी लाइन नई लाइन के निर्माण पर, जिसकी लम्बाई 119.75 किलो मीटर है, कुल 34,74,90,000 रुपये खर्च आएगा । इस परियोजना का निर्माण कार्य दोनों ओर से अर्थात् एक तरफ मथुरा से और दूसरी ओर अलवर से शुरू किया जाना है । मथुरा की ओर से हो रहा निर्माण कार्य संतोषजनक ढ़ग से चल रहा है और मिट्टी की खुदाई आदि का काम चल रहा है किंतु अलवर की ओर से किए जा रहे काम की प्रगति बहुत धीमी है ।

मैं रेल मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि इस परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लायी जाये ।

[हिन्दी]

(दो) जीवन रक्षक औषधियों के निर्माण में प्रयोग की जा रही जड़ी-बूटियों के विकास और उचित उपयोग के लिए एक स्वतन्त्र विभाग की आवश्यकता

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : भारत में विशेष रूप से हिमालय जड़ी-बूटियों का खजाना था, परन्तू हमारे देश की इन अनेक प्रणदायिनी जड़ी-बूटी वनस्पतियों को बहुत ही कम कीमत पर विदेशों में भेजा जा रहा है और उनसे वे विदेशी जीवनदायिनी दवायें बनाकर हमारे देश में काफी कीमतों पर बेचते हैं। जंगलों के कटान के साथ-साथ इन जड़ी-बूटियों का भी निरन्तर ह्रास हो रहा है। दमा, खासी, रक्तचाप आदि के उपचार में आने वाली जड़ी-बूटियां प्रायः लुप्त सी हो गयी हैं। प्राचीन काल से हमारे पूर्वज इन जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल मानव कल्याण के लिए करते रहे। विदेशी हुकूमत ने इसे समाप्त कर दिया परन्तु हमारी स्वतन्त्रता के बाद भी स्वास्थ्यकारी, लाभकारी देशी जड़ी-बूटियां जो स्वास्थ्य रक्षक हैं, उनके विकास पर कोई ध्यान सरकार ने नहीं दिया बल्कि विदेशी निगमों,पूंजीपतियों द्वारा इनका दोहन हो रहा है। हमारे देश में आर्युवेदिक दवा कारखाने के निर्माण की योजना खटाई में पड़ गई है। अतः सरकार जड़ी-बूटियों के विकास एवं समुचित उपयोग हेतु एक स्वतन्त्र विभाग की स्थापना करे। इसके शोषण को रोकने का हर सम्भव प्रयास करें ताकि एलोपैथिक दवाओं के बढ़ते कुप्रभावओं को रोका जा सके। इधर एलोपैथिक दवाओं की कम कीमत होने के कारण घटियां दवाईयां प्रयोग में लायी जा रही हैं और अधिक कीमत होने से आर्युवेदिक दवाइयां आम जनता खरीद नहीं पा रही है। अतः सरकार इस ओर ध्यान दे ताकि गरीब लोग, आम जनता इसका समूचित रूप से लाभ उठा सके और साथ ही साथ हमारा देश विदेशी मूद्रा अर्जित कर सके। दवाइयों में गुणात्मक वृद्धि हो और कीमती जड़ी-बूटीयों का दुरुपयोग रुक सके।

[अनुवाद]

(तीन) लेह के लिए वायु सेवाओं की बारम्बारिता में वृद्धि करने की आवश्यकता

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : 15 नवम्बर, 1885 से श्री नगर लेह मार्ग सर्दी के महीने के लिए बंद हो गया है। और पूरा लद्दाख क्षेत्र 6 महिने से अधिक की अवधि के लिए देश के शेष भागों से कटा रहेगा। इसका देश के अन्य भागों से सम्पर्क केवल इंडियन एयर लाइन्स द्वारा सप्ताह में 5 दिन चलाई जाने वाली सेवाओं द्वारा रहेगा। पिछले भी लेह-चडीगढ़ और लेह-श्रीनगर दोनों मार्गों पर यात्रियों की बहुत भीड़ रहती है और यात्रियों को विशेष रूप से सर्दो के मौसम में इन विमानों में सीटें उपलब्ध न होने के कारण बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लद्दाख प्रदेश की जनता नागर विमानन विभाग से निवेदन करते रहे है कि चन्डीगढ़-लेह और श्रीनर-लेह मार्गों पर प्रतिदिन एक और विमाग सेवा शुरू की जाए किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः मैं नागर विमानन मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि चूंकि यह क्षेत्र सर्दी के महीनों में

देश के अन्य भागों से कट जाता है, अतः इसे ध्यान में रखते हुए लेह के लिए विमान सेवाओं में वृद्धि की जानी चाहिए ।

[हिन्दी]

(चार) परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कोटा, के दो एककों द्वारा कार्य आरंभ किए जाने तक, राजस्थान को सिंगरौली वृहद ताप-विद्युत संयंत्र से बिजली की आपूर्ति करने की आवश्यकता

श्री बुद्धि चन्द्र जैन (बाडमेर) : राजस्थान प्रदेश विद्युत संकट के दौर से गुजर रहा है । प्रदेश की दोनों अणु बिजली घर कोटा की इकाइयां बन्द हैं । किसानों को चार घंटे से अधिक विद्युत उपलब्ध नहीं होती । बाडमेर जिले के करीब दो हजार किसानों ने कुओं की सिंचाई के लिए विद्युत कनेक्शन मांगे हैं, उनमें से सिर्फ 200 विद्युत कनेक्शन दिए जा रहे हैं । अकाल की भयंकर स्थिति के कारण किसान रबी फसल एवं हरे चारे के उगाने को प्राथमिकता दे रहे हैं, परन्तु विद्युत न मिलने से उनमें भारी निराशा है । वे रबी फसल भी पैदा नहीं कर सकेंगे और अकाल से भयंकर प्रभावित होंगे । लघु उद्योगों पर कटौती किए जाने के कारण लघु उद्योग रुग्ण हो रहे हैं और उद्यमियों को बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है । पीने के पानी की ग्रामीण जलप्रदाय योजनायें जो विद्युत से सम्बन्धित हैं, विद्युत बराबर समय पर प्राप्त न होने से ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी का संकट पैदा हो गया है ।

अतः केन्द्र सरकार से निवेदन है कि अणु बिजलीघर कोटा की दोनों इकाइयां युद्ध स्तर पर ठीक करावें । जब तक इकाइयां ठीक नहीं होती हैं सिंगरौली सुपर बिजलीघर से अपने रिजर्व की बिजली राजस्थान को फ्री सप्लाई करे ताकि किसानों को 8 घंटे बिजली दी जा सके और उद्योगों की कटौती समाप्त की जा सके और पीने के पानी की सुचारू रूप से व्यवस्था हो ।

(पांच) सिन्दरी उर्वरक कारखाने तक कोयले की ढुलाई और वहां से यूरिया तथा फ्लाई ऐश की ढुलाई के लिए पर्याप्त संख्या में खुले डिब्बे उपलब्ध कराने की आवश्यकता

श्री सरफराज अहमद (गिरिडीह) : सिन्दरी खाद कारखाने को कोयले की ढुलाई ट्रक से हो रही है और माफिया के प्रभाव के कारण यह ढुलाई 8 रुपए 70 पैसे टन प्रति कि० मी० की दर से बढ़कर 18 रुपए प्रति टन प्रति कि० मी० हो गई है, विभाग इस ओर चेता है किन्तु माफिया के प्रभाव के कारण कोई भी ढुलाई करने की स्थिति में नहीं है । सरकार को चाहिए कि कोयला ढुलाई के लिए कुछ रैक तत्काल बढावे अन्यथा सिन्दरी की खाद भविष्य में भी किसानों को उपलब्ध हो सकेगी, इसमें सन्देह रहेगा ।

ठीक इसी प्रकार की स्थिति यूरिया के बारे में होने और फ्लाइ ऐश के ढोने से भी बनी हुई है ।

यूरिया की ढुलाई 33 पैसे टन प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ कर 71 पैसे प्रति टन प्रति किलो मीटर हो गई है तथा फ्लाई ऐश की ढुलाई भी तीन गुना बढ़ गई है।

मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार तत्काल इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाए अन्यथा बिहार में जनता की चुनी हुई सरकार का शासन न होकर माफिया का ही शासन हो जायेगा और फिर उस स्थिति को संभाल पाना किसी के लिए भी कठिन होगा।

[अनुवाद]

(छः) कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा-विवाद के बारे में महाजन आयोग की रिपोर्ट को तुरन्त लागू करने की आवश्यकता

डा० वी० वेंकटेश (कोलार) : कई वर्ष पहले महाजन आयोग ने कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के बीच सीमा विवाद के बारे में अपना प्रतिवेदन दिया था। यह दुर्भाग्य की बात है कि केन्द्र सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। इन दिनों, हम देखते हैं कि इन सीमावर्ती क्षेत्रों में कई आंदोलन हुए हैं। प्रधान मन्त्री के हाल ही के वक्तव्य से कर्नाटक के लोगों के मन में यह संदेह पैदा हो गया है कि महाजन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। यदि ऐसा हुआ अथवा इस प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही न की गई तो कर्नाटक राज्य के प्रत्येक हिस्से में आंदोलन शुरू हो सकता है।

12.22 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

महाजन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में विलम्ब होने के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रगति रुक गई है। ये क्षेत्र आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ गए हैं। औद्योगिक विकास और अन्य बड़ी परियोजनए अब स्वप्न की बात हो गई हैं।

अतः केन्द्र सरकार को कर्नाटक के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की रक्षा के लिए तुरन्त इस ओर ध्यान देना चाहिए। मैं सरकार से विनम्र अनुरोध करता हूं कि महाजन आयोग की सिफारशों को तुरन्त कार्यान्वित किया जाए और कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के हितों की रक्षा की जाए।

(सात) आंध्र प्रदेश में काजीपेट में एक इलैक्ट्रिक लोको शैड का निर्माण करने की मांग

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) आंध्र प्रदेश में काजीपेट रेलवे जंक्शन एक मध्यवर्ती स्थान पर स्थिति है। यह दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार है। दक्षिण भारत की ओर जाने वाली प्रत्येक

गाड़ी को काजीपेट से होकर गुजरना पड़ता है। काजीपेट, विजयवाड़ा, मद्रास, हैदराबाद और बालारशाह आदि के बीच रेल लाइन का विद्युतीकरण निकट भविष्य में पूरा होने वाला है। इसे ध्यान में रखते हुए रेलवे विभाग ने काजीपेट में एक विद्युत लोकोशेड बनाने का निर्णय लिया है जो उप मध्य रेलवे में आया है। विभाग ने इसके लिए भूमि खरीद ली है किन्तु लोकोशेड पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। इसलिए यह आवश्यक है कि काजीपेट में विद्युत चालित इंजनों के लिए मरम्मत की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। अतः रेलवे विभाग से मेरा अनुरोध है कि वह उपर्युक्त रेलवे लाइन का विद्युतीकरण पूरा होने से पहले तुरन्त इस लोकोशेड का निर्माण करने के लिए कदम उठाएं।

———

12.23 म० प०

रुग्ण औद्योगि कंपनी (विशेष उपबन्ध) विधेयक-जारी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा अब 20 नवम्बर, 1985 को श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे और विचार करेगी अर्थात्—

> "कि लोक हित में औद्योगिक उपक्रमों का स्वामित्व रखने वाली रुग्ण कम्पनियों और संभाव्य रुग्ण कम्पनियों का ठीक समय पर पता लगाना, विशेषज्ञ बोर्ड द्वारा ऐसे निवारक, सुधारात्मक, उपचारी और अन्य उपायों का, जिनका ऐसी कम्पनियों की बाबत किया जाना आवश्यक है, शीघ्र अवधारण और इस प्रकार अवधारित उपायों का शीघ्र प्रवर्तन सुनिश्चित करने की दृष्टि से तथा उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का विशेष उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

डॉ० गौरीशंकर राज हंस अपना भाषण जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय जैसा कि मैं कल कह रहा था कि सिक इन्डस्ट्री ब्राइड-बनिंग की तरह है। कहा जाता है, दान लो दहेज लो और बहू को जला दो। फिर दूसरी बहू लाओ, फिर दान-दहेज लो और बहू को जला दो। सिक इन्डस्ट्री बिल्कुल उसी तरह से है। एक इन्डस्ट्री खड़ी करो, फाइनैंशियल इन्स्टीचूशन्स से पैसा लो, होशियारी से सबका पैसा निकाल कर खुद रख लो और इन्डस्ट्री को सिक कर दो, फिर सरकार की सिरदर्दी है इन्डस्ट्री को चलाना। दूसरी इन्डस्ट्री को खड़ा करो और उससे भी पैसा लो, इन्डस्ट्री को सिक कर दो और फिर सरकार की सिरदर्दी है इन्डस्ट्री को चलना। इससे अच्छा बिजनैस इस देश के अन्दर और क्या हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस देश के अन्दर कई बड़ी कंपनियों में सीनियर एक्जिक्यूटिव के पद

पर काम कर चुका हूं। मैं आप को अपने अनुभव से बताना चाहता हूं कि इन्डस्ट्री सिक कैसे होती है। कलकत्ता की एक बहुत बड़ी कम्पनी थी, अंग्रेजों के समय की थी, लेकिन अब वह खत्म हो गई है, जब वह हिन्दुस्तानियों के हाथ में आई, तो सिक हो गई। धनबाद में एक कुमार-धोबी जगह है, जहां पर एक बड़ी फैक्ट्री है। वहां पेपर प्रोड्यूसिंग और सीमेंट मैन्यफेक्चरिंग मशीनें बनती थीं, वह सिक हो गई। सिक कैसे हो गई? जिसको वे माल सप्लाई करते थे, फैक्ट्री के मालिक उस से मिल गए और वहां से एक कम्पलेन करवा दी कि आपकी मशीन बिल्कुल खराब हो गई है। यहा से इंजीनियर उस फैक्ट्री को देखने के लिए जाते हैं, वे तो बेचारे नौकर होते हैं; वे मालिक को रिपोर्ट दे देते हैं कि सपैसिफिकेशन के मुताबिक वह मशीन नहीं बनी थी, इसलिए वह मशीन बेकार है। मशीन की कीमत 20 लाख रुपए होती है और वह स्क्रेप के भाव आठ-दस हजार रुपए में चली जाती है। यह सिलसिला जारी रहा है और मजदूर लोग जान नहीं पाते हैं और इन्डस्ट्री सिक हो जाती है। अब यह राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है कि उस इन्डस्ट्री को चलावे। पैसा निकालने वाले लोग बड़ी होशियारी से पैसा निकाल लेते हैं। किसी को कोई सन्देह नहीं होता। उसी कम्पनी की कुमार धोबी में दूसरी बहुत बड़ी फैक्टरी है, जो एशिया की सब से बड़ी फेक्टरी है, कुमार धोबी फायर क्ले एण्ड सिलिका वर्कस। मुझे नाम लेना चाहिए था और मैंने गलती कर दी। खैर कोई भी फैक्टरी है और बिहार में ही है। तो वहां पर जो रिफ्रेक्टरी बनती है। बहुत से सदस्य शायद रिफेक्टरी को नहीं समझते होंगे, वह एक तरह की ईट होती है, जो स्टील प्लान्ट में फरनेस में काम आती है और उस एक एक ईट का दाम कई हजार रुपये होता है। तो वह इटें उन्होंने बनाई और उन्हें पंजाब की एक पार्टी को सप्लाई किया। एक ट्रक में जितना माल जाता है, वह 8-10 लाख रुपये का होता है। उन्होंने पार्टी से एक चिठ्ठी मंगा ली कि पास मे जो विक्म मंगाई थीं, वे स्पेसीफिकेशन के मुताबिक नहीं है और आप इंजीनियर को भेजो। इंजीनियर यहां से जाता है और उस ने आ कर रिपोर्ट दे दी कि उस में क्रेक आ गया था और वे सारी बेकार हैं और उन को स्क्रेप कर दो। अब उन इटों को स्क्रेप में भी नहीं बेच सकते और वह मिट्टी हो जाती है। इस तरह से बात खत्म हो जाती है। लाखों रुपया इस तरह से निकाल लिया और आज वह फैक्टरी सिक होने के कगारी पर खड़ी है और उस ने बिहार गवर्नमेंट को एप्लाई किया है कि हम सिक हो जाएंगे और आप हमारी पैसे मदद करो।

मैं एक ऐसी कम्पनी को जानता हूं जो एशिया कि सबसे बड़ी सीमेंट मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी है और वह रास्थान में है। वे क्या करते हैं कि माल दिल्ली को भेजते हैं और बीच में किसी को माल बेच दिया और वह दिया कि ट्रक जा रहा था और बारिश हो गई। मार्च-अप्रैल के महीने में बारिश हो गई, यह वे कहते हैं और मार्च-अप्रैल मे बारिश कितनी होती है, यह आप सब जानते हैं। इस तरह से वे यह दिखाते हैं कि सारा सीमेंट पत्थर हो गया। ट्रक में में माल न गया और न आया और ऐसे ही वे दिखा देते हैं और जाली परचे बना लिये और लाखों और करोड़ों रुपया हड़प कर गये। वह पैसा किस का गया? वह पैसा फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन्स का गया और आज वह कम्पनी गवनमेंट के मेनेजमेंट में है। उस से बहुत ज्यादा पैसा निकाल लिया है और गवर्नमेंट भी क्या करे। मेरे कहने का अर्थ यह है कि यह सिक इन्डस्ट्री का जो विजनैस है,

यह बहुत प्रोफिटएबिल बिजनैस है। कुछ लोग लोगों की आंखों में धूल झोंककर पैसा निकाल लेते हैं और लोगों को पता नहीं चलता। मैं आप को सच्ची बात बताऊं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। दो सेठों के बीच में आदस में शादी की बात हो रही थी और बीच में एक ब्रोकर था। उस ब्रोकर ने कहा कि लड़की वाले बहुत बड़ी पार्टी है। इन के घर पर 3-4 बार इन्कम टैक्स का रेड हो चुका है। लड़के वाले ने कहा, अच्छा, इसका मतलब यह है कि इनके पास काफी पैसा है। 3-4 बार रेड हो चुका है, इस से वह प्रभावित नहीं हुए। तब उस ने कहा कि इन्होंने 3-4 इंडस्ट्रीज को सिक किया है। उससे वे प्राविभत हो गये और कहा कि यह मालदार पार्टी है। मेरे कहने का मतलब यह कि सिक इन्डस्ट्री का बिजनैस है, यह बहुत अच्छा बिजनैस है और इस में आप किसी को पकड़ भी नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, उसकी इन्डस्ट्री ले लेगें। मैं एक मुख्य मंत्री को जानता हूं जो बराबर इन्डस्ट्रिलिस्ट्स को धमकी देते थे कि हम तुम्हारी इन्डस्ट्री को नेशनेलाइज कर देंगें। इन्डस्ट्रियलिस्ट ने कहा कि कल करते हो, तो आज ही कर दो। हमारी इन्डस्ट्री में अब रखा ही क्या है ? तो यह एक बहुत ही भयानक समस्या है।

एक दिलचस्प वाक्या बिहार में हुआ। एक बड़ी इन्डस्ट्री सिक हो गई, जिस के 30 हजार मजदूर बेकार हो गये। उस इन्डस्ट्री कम्पलैक्स के अन्दर चीनी के दो मिले थे। उस इन्डस्ट्री के मालिक ने बिहार सरकार को कहा कि बाकी आप ले लीजिए लेकिन क्योंकि चीनी के दाम बढ़ गये है, इसलिए चीनी की मिलें हम वापस कर दीजिए। हम लोगों ने, कई संसद सदस्यों ने मुख्य मंत्री जी से कहा कि ऐसा न कीजिए। मुख्य मंत्री जी हमारी बात मान गये। मेरे कहने का मतलब यह है कि सिक इन्डस्ट्री का प्राब्लक ही सीरियस है

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही 15 मिनट ले चुके हैं।

डा० गौरी शंकर राजहंस : मैं सिर्फ एक और लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसे और भी सदस्य हैं, जो बोलना चाहते है।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : पहले चेतावनी की घंटी बजायी जानी चाहिए और फिर अन्ति घन्टी।

डा० गौरी शंकर राजहंस : मैं एक अनुवभी व्यक्ति हूं। कृपया मुझे समय दीजिए। मैं इस बारे में बताऊंगा।

[हिन्दी]

एक बात और कहना चाहता हूं। आप ने जो बोर्ड बनाया है पेज 4 पर, उस में आप कहते हैं कि चयरमेन और दूसरे जो लोग होंगे, वे हाई कोर्ट के जज होंगे और टेक्नोलाजी के एक्सपर्ट होंगे, इकनोमिक्स में एक्सपर्ट होंगे। मैं इसमें एक ही बात कहूंगा कि आप इसमें बीस साल का

अनुभव मत रखिये, पांच साल का अनुभव रखिये। क्योंकि इन्डस्ट्रीज में या बिजनस में नये नये लोग आ रहे हैं और उनको ढोल की पोल मालूम है, वह आपको बता देंगे कि कहां कहां पर चोरी होती है।

दूसरी बात आपने कही कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, या मवर्नमेंट के सेक्रेटरी रह चुके हैं, वे इसके बोर्ड में रहेंगे। मैं कहूंगा कि आप इसमें इन्डस्ट्रीज या बिजनस में काम करने वाले लोगों को ही रखिये और यह जो आपने ऊपरी एज लिमिट 65 वर्ष रख दी है इस लिमिट को मत रखिये। क्योंकि प्राइवेट इन्डस्ट्रीज वाले जो लोग 65 साल मे रिटायर हो जाते हैं ऐसे लोगों को रि-एम्पलाय कर लेते हैं। इसलिए एज लिमिट नहीं रखी जानी चाहिए।

एक बात आपने यह कही कि स्टेट बैंक या रिजर्व बैंक कहे तभी आप उसको सिक इन्डस्ट्री मानेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि यदि कोई स्माल शेअर होल्डर भी निवेदन करे तो भी बोर्ड को मामले को टेक-अप करना चाहिए।

अन्त में मैं एक बात कहूंगा कि हमारी प्राइवेट इन्डस्ट्रीज में एक अच्छी बात चलती है कि यदि कोई अनोनिमस लेटर भी लिख देता है तो उस पर भी कार्यवाही होती है। यदि आपकी कोई आदमी अनोनिमस लेटर दे कि इन्डस्ट्री सिक हो रही है तो उस पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। जैसे कि मेरे विचार में इन्टरनेशनल ला में यह परमीशिवल है कि यदि कोई आपको इत्तिला दे कि पड़ोसी देश लड़ाई की तैयारी कर रहा है तो आप उसके इंस्टालेशन को बर्बाद कर दे सकते हैं प्रिएम्पटिव एक्शन ले कर। इसी तरह से यह भी जस्टिफाई होगा अगर कोई आदमी या कोई छोटा शेअर होल्डर आपको कांफिडेंस में ले कर यह कह दे कि फलां इन्डस्ट्री से माल निकाला जा रहा है और उनकों सिक बनाया जा रहा है तो आप उसकी इत्तिला पर प्रिएम्पटिव एक्शन लें।

पूरी सिक इन्डस्ट्रीज की एक बहुत बड़ी समस्या है और इसके बारे में आपको बहुत ही सीरियसली सोचना। मैं यह भी कहूंगा कि जो लोग बिजनस में लगे हुए हैं उनके एक्सपीरियस का भी पूरा लाभ उठाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : औद्योगिक रुग्णता की बात 15 वर्ष से भी अधिक समय से चलती आ रही है। वास्तव में हम सभी अत्यंत चिन्तित हैं विशेषकर देश के पूर्वी भाग में, जहां का मैं हूं और जिस क्षेत्र का मैं सातवें दशक के आरंभ से प्रतिनिधित्व कर रहा हूं औद्योगिक रुग्णता का अधिक प्रभाव है क्योंकि इसने हमें देश के अन्य भागों की अपेक्षा सबसे पहले प्रभावित किया था। यही एक कारण है कि अभी तक सरकार द्वारा मात्र एक संस्था संभवत: कलकत्ता में स्थापित की गई है—क्योंकि उस समय यह औद्योगिक रुग्णता का केन्द्र रहा है। उस समय से रुग्णता का रोग पूरे भारत वर्ष में फैल चुका है। नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र राज्य में पश्चिम बंगाल राज्य से अधिक राशि रुग्ण उद्योगों में फंसी पड़ी है। अत: जिस प्रकार वह औद्योगिक उत्पादन तथा अन्य मामलों में हमसे आगे बढ़ गये हैं उसी प्रकार वह रुग्णता में हमसे आगे बढ़ गये हैं।

हमें जिस बात की अत्यन्त चिन्ता है वह यह है कि कोई उचित कार्य करें और व्याप्त रुग्णता का स्थायी हल निकालने के लिए कोई प्रयास करें। किन्तु दुर्भाग्य से अभी तक कोई मोटा कार्य नहीं किया गया है।

जहां तक ऊन उद्योगों का सम्बन्ध है जो पहले ही रुग्ण हो चुके हैं, यदि आप वर्तमान में बड़े, मध्य तथा लघु उद्योगों की बात करें, उनकी संख्या अब 85 हजारे से अधिक है। कर्मचारियों की संख्या लाखों में है। और फंसी हुई राशि की रकम तीन हजार रुपये से अधिक है। किन्तु वे आंकड़े भी उस समय पुराने पड़ चुके होते हैं जब वे प्रकाशित होते हैं क्योंकि वे हमेशा तीन या छः महीने के विलम्ब से प्रकाशित होते हैं।

रुग्णता की समस्या का हल दो स्तरों पर करना है। एक यह कि उन उद्योगों को पुनरुज्जीवित करने के लिए अत्यन्त कठोर कदम उठाए जाने हैं जो पहले ही रुग्ण हो गये हैं, ताकि उन लोगों की आजीविका न छिन जाए जो वहां काम करते हैं। चूंकि यह सरकार जनवरी में बनाई गई है, पर इसने इस बारे में निश्चित मार्गदर्शी सिद्धान्त नहीं रखे हैं कि वह उन उद्योगों के विषय में क्या करेंगे जो पूर्व ही रुग्ण हो चुके हैं। हमने सरकार को अनेक रुग्ण उद्योगों के सम्बन्ध में आवेदन दिए हैं किन्तु दुर्भाग्यवश यह उसी नीति पर चल रहे हैं जिस पर पुरानी सरकार चलती थी, अर्थात्, मजदूरों को उन उद्योगों में केवल उनकी मजदूरी देकर अनुदान पर रखें और उन्हें पर्याप्त काम न देकर और काम चलाने के लिए भी धनराशि न दें। मैं अपना मुद्दा स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण देता हूं। कलकत्ता में एक उद्योग—संयोगवश यह हमारे माननीय वित्त मंत्री, श्री ए० के० सेन के चुनाव क्षेत्र में है—बंगाल पोट्रीज लि० को, जहां इस समय चार हजार मजदूर नियुक्त हैं—आरंभ में जितने मजदूर नियुक्त थे उससे एक हजार कम पिछले साढ़े तीन वर्ष से सरकार का अपनी संस्था भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक द्वारा दिए जा रहे अनुदान पर रखा जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप वह यह कह सकते हैं कि इस कम्पनी को हानि हो रही है और इस हानि में प्रति वर्ष वृद्धि ही होती है। हम जनवरी से सरकार को अभ्यावेदन देते रहे हैं कि वह कार्यकारी पूंजी उपलब्ध करें ताकि कम्पनी बिना लाभ-हानि के कार्य करे जैसे इसने 1981-82 तक किया जब तक कि कार्यकारी पूंजी उपलब्ध कराई जाती रही। उसके बाद इसे कभी उपलब्ध नहीं कराया गया। केवल मजदूरों को मजदूरी तथा वेतन दिया जाता है। सरकार केवल इतना ही दे देती है। अतः कार्यकारी पूंजी के बिना कम्पनी जीवित नहीं रह सकती है। यदि सरकार का यही रवैया है कि मजदूरों को थोड़े समय के लिए रखा जाएगा ताकि वे आन्दोलन न करें और उन्हें एक प्रकार का संतोष बना रहे—निस्सन्देह, उन्हें हर छः मास के पश्चात् आता है और अधिग्रहण की अवधि को बढ़ाने की अनुमति सरकार से लेनी होती है – तो इस विधेयक से कोई लाभ नहीं हो सकता है। विधेयक में इस सम्बन्ध में भी कोई उल्लेख नहीं है कि उन उद्योगों का क्या होगा जो पूर्व हीरुग्ण हैं। विधेयक के आमुख में उल्लेख है कि यह रुग्ण तथा सम्भवतः रुग्ण हो जाने वाले उद्योगों का समय पर पता चलाने तथा तत्सम्बन्धी कुछ उपाय करने के लिए है किन्तु इसमें इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि क्या यह उन कम्पनियों को भी अपनी परिधि में ले लेंगे जो पहले ही रुग्ण हो चुके हैं, जिनका केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी न किसी रूप में प्रबन्ध ग्रहण किया जा

चुका है। उस सम्बन्ध में किसी बात का भी उल्लेख नहीं किया गया है। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि यदि उन्हें विधेयक की परिधि में लाया जाता है, तो इस संविधि में प्रस्तावित बोर्ड की स्थापना होते ही वह देखेंगे कि ये सभी कम्पनियां व्यवहार्य नहीं हैं। वह केवल रुग्ण ही नहीं हैं, उन्हें व्यवहार्य भी नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि सरकार ने इन कम्पनियों में वर्षों तक कोई पूंजी नहीं लगाई है। इधर इस बात का उल्लेख कहां है कि सरकार का रवैया बदलने वाला है ? यदि आपका रवैया बदलता है तो रुग्णता का केवल जल्दी पता लगाने से कुछ नहीं होगा। सरकार ने पहले भी रुग्णता का शीघ्र पता लगाने की प्रणालियां स्थापित करने के प्रयास किए हैं। उन्होंने अपने तत्वावधान के अन्तर्गत अथवा भारतीय रिजर्व बैंक समेत विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के तत्वावधान के अन्तर्गत औद्योगिक रुग्णता का पता लगाने के लिए अनेक संस्थाओं की व्यवस्था की। ये सभी औद्योगिक रुग्णता को रोकने में व्यापक भूमिका निभाने में असमर्थ रही हैं। मुझे नहीं मालूम कि क्या वह रुग्णता की पूर्व चेतावनी दे सकते हैं अथवा उसका पहले पता लगाने में सफल हुए हैं, किन्तु यदि ये संस्थाएं उन मामलों की खोज तथा सरकार को समय पर चेतावनी देने में सफल भी रही हैं तो भी सरकार इस पूर्व चेतावनी अथवा रुग्णता का पता चलने पर मामले में कार्यवाही करने में असमर्थ रही है।

यह "राजनीतिक दृढ़ इच्छा" होने का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि क्या सरकार रुग्ण उद्योगों को पुनरुज्जीवित करना चाहती है। अथवा नहीं। यदि वह इन्हें पुनरुज्जीवित करना चाहती है तो वह किस रूप में पुनरुज्जीवित करना चाहती है ? क्या वह इसे पर्याप्त पूंजी लगाकर पुनरुज्जीवित करना चाहती है। क्या वह इसे आवश्यक तकनीकी वृद्धि आदि करके पुनरुज्जीवित करना चाहती है ? क्या वह इस बात की ओर ध्यान देगी कि मजदूरों के हितों की रक्षा हो रही है ? इस का उल्लेख नहीं किया गया है। विधेयक में केवल इस बात का उल्लेख है वह यह है—सभी सम्बद्ध लोगों, मजदूर, राज्य सरकार, प्रत्येक को बलिदान देना होगा। वह केवल इतना ही कहते हैं। किन्तु जहां तक केन्द्रीय सरकार का संबंध है, उन्होंने अनधिकार रूप से सभी औद्योगिक अधिकार सभी वित्तीय अधिकार अपने हाथों में ले लिए हैं। अतः सरकार को उद्योग को पुनरुज्जीवित करने की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिये इसे उन मजदूरों के पुनरुद्धार की पूरी जिम्मेवारी अपने हाथ में लेनी चाहिए जिन्हें औद्योगिक कारखानों की रुग्णता से प्रभावित हुए हैं। इस के बाद, इस विधेयक में जिसकी चर्चा हम इस समय कर रहे हैं, इस बात के संबंध में कोई संकेत नहीं कि वर्तमान रुग्ण उद्योगों के संबंध में सरकार के क्या इरादे हैं। जो कुछ उन्होंने कहा है वह केवल यह है निश्चय करना है वह यह है कि क्या इसे करता है कि कोई उद्योग रुग्ण है, दूसरी बात जिसका इसे कि इस विधेयक में प्रस्तावित बोर्ड यह व्यवहार्य बनाया जा सकता है अथवा नहीं। यदि वह देखते हैं कि इसे व्यवहार नहीं बनाया जा सकता है, तो इसे परिसमापन के लिए न्यायालय में भेज दिया जाएगा। यह सामान्य कानून बन जाएगा। जिसका अर्थ यह है कि उन की आजीविका छिन जाएगी सरकार का वास्तविक इरादा भी यही लगता है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अमल दत्त कृपया समाप्त कीजिए

श्री अमल दत्त : मेरे लिए कितने मिनट हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : 12 मिनट

श्री अमल दत्त : ऐसी स्थिति में मैं भाषण नहीं कर सकता हूं; मैं अब बैठ जाता हूं। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। हम इससे काफी चिन्तित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक व्यक्ति को इस में रुचि है। प्रत्येक व्यक्ति चर्चा करना चाहता है। समय निर्धारित किया हुआ है और मैं उसी के अनुसार चलता हूं। आप की पार्टी को 12 अथवा 13 मिनट मिलेंगे।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी (कुरनूल) : केवल निर्धारित समय के आधार पर चलना उचित नहीं है जब कोई सदस्य वाद-विवाद में योगदान कर रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अन्यथा हम एक विधेयक पर दो या तीन दिन भी लगा सकते हैं। हमें यह विधेयक पारित करना है।

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अगदीश टाईटलर) : आप पांच मिनट से तर्क दे रहे हैं।

श्री अमल दत्त : इस बोर्ड के सम्बन्ध में जो विधेयक में प्रस्तावित हैं, मुझे कुछ कहना है।

सबसे पहले मैं प्रथम मुद्दे को पूरा करता हूं जो मैंने उठाया है। महोदय, इस विधेयक से सरकार ने केवल उल्टी बात करने का प्रयत्न किया है। इसने उन कम्पनियों के विषय में कुछ नहीं किया है जो रुग्ण हैं जिसके कारण 3000 करोड़ रुपये से अधिक की औद्योगिक सम्पत्ति रुकी हुई है और बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के ऋण रुके हुए हैं। लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। सरकार नहीं बता रही है कि वह इस सम्बन्ध में क्या कर रही है। इस विधेयक में इस संबंध में कोई संकेत नहीं है। मजदूर सीधे तौर पर अपनी रोजी खोने जा रहे हैं।

और मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि जहां तक प्रबंध व्यवस्था का सम्बन्ध है, सरकार ने पथभ्रष्ट प्रबन्धकों को जीवित रखने तथा उसका पोषण करने की अनुमति दे रखी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि 50 प्रतिशत से अधिक रुग्ण उद्योग प्रबन्धकों द्वारा धन-राशि के दुरुपयोग के कारण रुग्ण हुए हैं। मेरा प्रश्न यह है : वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों (स्वयं केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनाए हुए) ने अभी तक इन प्रबन्धकों को पूर्ण रूप से बच निकलने तथा साफ छूट जाने से रोकने के लिए क्या किया है? जब ऋण दिए जाते हैं तो इन सभी लोगों को एक निजी प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करने होते हैं और अपनी निजी सम्पत्ति का समानान्तर ब्यौरा देना है, कम से कम इन कम्पनियों के प्रवर्तकों को देना पड़ता है। मैंने एक मामला भी ऐसा नहीं देखा है जिसमें सरकारी वित्तीय संस्था ने इन प्रवर्तकों की अपनी निजी सम्पत्ति से क्षतिपूर्ति की हो जिनकी निजी गारंटी पर तथा जिस सम्पत्ति या निजी बांड के आधार पर ऋण दिया गया था जैसा मेरे मित्र श्री राजहंस ने कहा है उन्होंने इसे बेईमान व्यापारियों के लिए अत्यन्त लाभकारी व्यवसाय बनने दिया है और यह बेईमान व्यापारी

धीरे-धीरे उन सभी लोगों को निकाल रहे हैं जो ईमानदारी से व्यापार करना चाहते हैं।

रुग्णता के पहले चिन्ह उस समय दिखाई देते हैं जब कम्पनियां नियमित रूप से मजदूरी नहीं दे पाती हैं, जब वह बोनस भविष्य-निधि तथा अन्य सांविधिक शुल्क नहीं देती हैं। इस विधेयक में यह संकेत कहां मिलता है कि श्रमिकों का भी इसमें भाग होगा और श्रमिकों को यह बताने का अधिकार प्राप्त होगा कि कोई कम्पनी रुग्ण हो रही है? इसका प्रभाव मजदूरों पर ही पड़ता है और उन्हें आरंभ से ही मालूम होता है कि कम्पनी रुग्ण हो रही है। किन्तु इस विधेयक में मजदूरों को सूचना देने के अधिकार देने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

दूसरा मुद्दा यह है कि सूचना देने का अधिकार वित्तीय संस्थाओं को दिया गया है। जहां तक बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं का संबंध है, जब भी कोई कम्पनी ब्याज अथवा मूल राशि देने में अथवा जो भी देय हो चूक गई हों तो यह बैंक अथवा संस्था का कृत्य होना चाहिए कि बोर्ड को तुरन्त सूचित करें। यही सूचना आपको सबसे पहले मिलेगी और आपको दो वर्ष से अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। लेखा वर्ष की समाप्ति के छः महीने के अन्दर अन्दर किसी कम्पनी के लेखे तैयार नहीं किए जाते हैं। किन्तु हो सकता है कि लेखा-वर्ष के आरंभिक भाग में कम्पनी सरकार की संस्थाओं को अपने ऋण की राशि चुकाने में असफल रहे, अतः ऋण-दाताओं को भी सूचित करने का अधिकार दिया जाये। केवल उसी स्थिति में, रुग्णता को रोकने के लिए पर्याप्त पूर्व सूचना प्राप्त की जा सकेगी जब कंपनी की रुग्णता को दूर किया जा सकता है, और उस स्थिति में नहीं जब यह सचमुच ही मृत हो चुकी हो।

विधेयक में कुछ श्रम-विरोधी उपबन्ध हैं। न्यूनतम मजदूरी के सम्बन्ध में जरूरी व्यवस्था समाप्त हो गई है। श्रमिकों को हड़ताल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस श्रम-विरोधी उपबन्धों को छोड़ दिया जाना चाहिए। क्या सरकार इस विधेयक को श्रमिकों के कल्याण में वृद्धि करने के लिए ला रही है अथवा वह इस विधेयक को इसलिए ला रहे हैं कि उन पथभ्रष्ट व्यापारियों के हाथों में अधिक धन चला जाए जो इस औद्योगिक रुग्णता के लिए जिम्मेदार हैं। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक 1970 से काम कर रहा है और बेईमान व्यवसायियों को पैसा दे रहा है। अगर वित्त मन्त्री महोदय उक्त बैंक के इतिहास को देखें तो पाएंगे कि पिछले दो-तीन सालों से भी, जबसे उन्होंने स्वयं कार्यभार संभाला है, ये बैंक ऐसे उद्योगों को पैसा दे रहे हैं जो रुग्ण नहीं हैं लेकिन आरंभिक रुग्णता के लिए निर्धारित मार्गनिर्देशों के आधार पर पैसा ले रहे हैं। इसका पता क्यों नहीं लगाया जा सकता तथा महज बेईमान व्यवसायियों को पैसा देने के बजाय सारी योजना को श्रमिकों के लिए कुछ करने की इच्छा से वास्तव में व्यवसायिक सक्षमता तथा ईमानदारी से लागू क्यों नहीं किया जा सकता?

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : महोदय, मैं सदन के समक्ष रखे गए रुग्ण औद्योगिक-कम्पनियों (विशेष उपबन्ध) विधेयक 1985 का समर्थन करता हूं। औद्योगिक रुग्णता का मामला बरसों से चिंता का विषय रहा है और सरकार इस समस्या से तटस्थ नहीं रह सकती। यदि रिजर्व

बैंक की रिपोर्ट पर विचार किया जाए तो देश में 1983 में बड़ी मध्य और छोटी रुग्ण इकाईयों की संख्या 66,000 थी। इनकी संख्या समय समय पर बढ़ती रही है। हाल के आंकड़े दर्शाते हैं कि दिसम्बर, 1983 में रुग्ण इकाइयों की संख्या 80,110 थी और 1984 के अन्त तक इनकी संख्या बढ़कर लगभग एक लाख हो गई। आज उनमें और अधिक वृद्धि हो गई होगी। बकाया बैंक अग्रिमों के आंकड़ों पर विचार करें तो आंकड़ें स्तब्ध करने वाले हैं। दिसम्बर 1982 तक रुग्ण इकाईयों के सम्बन्ध में बकाया बैंक अग्रिम की राशि 2585 करोड़ रुपए थी। जून 1983 में यह बढ़कर 2,793 करोड़ रुपये हो गई और साल के अन्त तक ये बढ़कर 3,101 करोड़ रु० हो गई। इस स्थिति पर विचार करें तो इस दिशा में कुछ कदम उठाना नितांत आवश्यक है। माननीय वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण में की गई टिप्पणी का मैं स्मरण करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था :

> "रुग्णता का दायित्व स्वयं इकाईयों के प्रबन्ध वर्ग पर होगा। अगर कम्पनी की 50% निवल सम्पत्ति समाप्त हो जाती है तो उन्हें अपने शेयर धारकों से नए आदेश प्राप्त करने होंगे। और जब कम्पनी अपनी सारी निवल सम्पति गंवा देती है तो मौजूदा प्रबन्ध वर्ग और मालिक की इकाई का प्रबन्ध कार्य चलाने में कोई भूमिका नहीं रहेगी।"

मेरे ख्याल से वर्तमान विधेयक इस दिशा में एक प्रयास है, इसलिए मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

इस विधेयक का स्वागत तथा समर्थन करते हुए मैं इसकी कुछ कमियों का भी उल्लेख करूंगा। सबसे पहले तो, मेरे हिसाब से यह विधेयक केवल सामूहिक निकायों तक ही सीमित रखा गया है। ऐसी बहुत सी कम्पनियां हैं जो रुग्ण इकाई हैं और जिन्हें साझेदार फर्मों द्वारा चलाया जा रहा है। जहां तक बम्बई का सम्बन्ध है मैं ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूं, जहां बड़ी-बड़ी मिलें भी साझेदार फर्मों द्वारा चलाई जा रही हैं। वे न तो प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां हैं और न ही पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां। इसलिए अगर हम इन उपबन्धों को केवल सामूहिक निकायों तक ही सीमित करेंगे तो मेरे विचार से बहुत सी कम्पनियां इसके अन्तर्गत नहीं आएंगी। उन पर ये उपबंध लागू नहीं होंगे। साझेदारी के आधार पर चलाई जा रही बड़ी इकाइयों में भी यह व्याधि व्याप्त है। अतः उन्हें भी इसके अन्तर्गत लाना नितांत आवश्यक है। मेरे विचार से इस विधेयक के द्वारा शुरूआत हुई है और कुछ उपायों का पता लगाया जाएगा ताकि साझेदारी के आधार पर चलाई जा रही रुग्ण कम्पनियों पर भी इस विधेयक में उल्लिखित कुछ उपाय लागू हों।

जहां तक निर्धारित प्रक्रिया का सम्बन्ध है, मेरे विचार से यह बहुत ही विलम्बकारी प्रक्रियाएं हैं। उदाहरण के लिए लेखों को अन्तिम रूप देने के 60 दिन के अन्दर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस मामले में "लेखो को अन्तिम रूप देना" का मतलब भी संदेहास्पद प्रमेय है। क्या इसका यह तात्पर्य है कि इन लेखों को अन्तिम रूप तब दिया जाता है जब महासभा उन्हें पारित कर देती है या क्या उन्हें अन्तिम रूप तब दिया जाता है जब उनकी लेखा परीक्षा हो जाती है और उन्हें निदेशक मण्डल के समक्ष रखा जाता है ये विसंगतियां पैदा होंगी। अतः इन शंकाओं को दूर

करना पड़ेगा। इसके अलावा यह प्रक्रिया एक लम्बी प्रक्रिया है—60 दिन रिपोर्ट के लिए और 60 दिन जांच के लिए दिए गए हैं। उसके बाद योजना पेश की जाएगी तथा उपाय किए जाएंगे। जो लोग इस कानून के फन्दों से बचना चाहते हैं, वे इस अवधि का बहुत ही दुरुपयोग करेंगे। अतः मेरा निवेदन है कि ये उपाय तत्परतापूर्ण होने चाहिए। प्रबन्ध वर्ग को धोखेबाजी और कानून की गिरफ्त से निकलने के लिए समय नहीं देना चाहिए। कुछ उपलब्धियों की समीक्षा करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए जांच शुरू होते ही वसूली के लिए स्थगन की व्यवस्था है। धारा-22 में व्यवस्था है कि सभी वसूलियां स्थगित कर दी जाए। यह स्पष्ट नहीं है कि तथा सभी श्रमिकों की वसूलियां भी स्थिगित हो जाएगी। कतिपय बकाया राशि की वसूली के मामले श्रम-न्यायालय, मजदूरी-भुगतान के न्यायालयों में विचाराधीन हैं उ का क्या होगा? क्योंकि निदेशक द्वारा रिपोर्ट पेश करने या सरकार या अन्य वित्तीय एजेंसियों द्वारा रुग्णता का पता लगते ही जांच शुरू हो जाएगी। अतः, श्रम की दृष्टि से इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए ताकि श्रमिकों की बकाया राशि की वसूली को इससे मुक्त किया जाए और उन्हें मामले में आगे कार्यवाही करने की अनुमति दी जाए।

जहां तक उन योजनाओं का सम्बन्ध है, जो योजनाए पुनर्वास या सुधार अथवा प्रबन्ध ग्रहण के लिए तैयार की जाती हैं वे श्रमिकों के लिए नहीं हैं। श्रमिकों का क्या होगा? उनका क्या होगा—क्या उनकी छंटनी की जाएगी। यदि छंटनी की जाएगी तो उनका क्या होगा? उन्हें कहीं और रोजगार दिलाने के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? ये प्रावधान उन योजनाओं में भी करने होंगे, जो उन रुग्ण मिलों या रुग्ण इकाईयों जिनका कि पता लगाया जाएगा, जिनको समाविष्ट किया जाएगा या जिनकी जांच की जाएगी, में किसी प्रकार का सुधार करने हेतु स्वामित्व के हस्तांतरण निमित्त बनाई या तैयार की जायेंगी। इस विचार से भी कुछ ध्यान देना पड़ेगा।

प्रसन्नता की बात यह है कि कुछ प्रावधान ऐसा भी किया जाए कि इन इकाईयों का किसी अन्य कम्पनी में स्थानांतरण करते समय कर्मचारियों को सभी विकल्प प्रदान किया जाए। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि इस पर जोर दिया जाना चाहिए और उनको विकल्प में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। किसी यूनिट के बन्द होने या स्थानांतरित होने पर, उसका प्रबन्ध ग्रहण सबसे पहले कर्मचारियों की उन सहकारी समितियों को सौंपा जाना चाहिए जो इन कम्पनियों के प्रबन्ध कार्य चलाने की चुनौती को स्वीकार करने के लिए आगे आयें।

मैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दे का उल्लेख करूंगा। यह विधेयक वास्तव में समस्या की जड़ में प्रहार नहीं करता अर्थात गलती करने वाले प्रबन्ध वर्ग को कहीं भी दण्डित नहीं किया जाएगा। उन्हें क्या नुकसान होगा? उन्हें निदेशक पद छोड़ना पड़ेगा। उन्हें कम्पनी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने पैसा तो पहले ही निकाल लिया होगा और वे किसी अन्य कम्पनी में लगा देंगे। इसके लिए उनको किस सजा की व्यवस्था है?

वित्त मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में इसका भी उल्लेख किया था, लेकिन इस विधेयक को तैयार करते समय उन्होंने इसका उपयोग नहीं किया। उन्होंने कहा था कि बुरे सिक्कों को प्रचलन से

हटना होगा। लेकिन इसके लिए इस विधेयक में जरा भी व्यवस्था नहीं की गई है। इस विधेयक में उन योजनाओं की व्यवस्था है, जिनके माध्यम से प्रबन्ध ग्रहण किया जा सकता है। लेकिन इन बुरे सिक्कों को चलन से पूरी तरह हटाने के लिए सजा या जुर्माने की व्यवस्था नहीं है। सरकार ने सुझाव भी दिया था और घोषणा की थी कि ऐसे मामलों में उन्हें आगे व्यवसाय करने के लिए ऋण नहीं दिया जाएगा। इन उपबन्धों की व्यवस्था विधेयक में नहीं की गई है। इस दृष्टि से यह अपूर्व नजर आता है। इनकी व्यवस्था की जानी चाहिए क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस सम्मेलन के उद्घाटन के समय हमारे प्रधानमन्त्री महोदय ने भी इसकी घोषणा की थी। उस समय उन्होंने यह भी कहा था कि हम उस प्रबन्ध वर्ग के खिलाफ ठोस कदम उठाने की भी सोच रहे हैं, जो इन कम्पनियों में रुग्णता ला रहे हैं। और अपने फायदे के लिए वहां से पैसा निकाल रहे हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। सजा की व्यवस्था नहीं है। इन बुरे सिक्कों को नहीं हटाया गया है और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि उन्हें कोई और कम्पनी खोलने के लिए पैसा नहीं मिले। अगर इनकी व्यवस्था की जाए तो मेरे विचार से यह एक पूर्ण उपाय होगा और जहां तक औद्योगिक रुग्णता का सम्बन्ध है यह एक अच्छा उपाय हो सकता है।

1.01 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.0 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर सात मिनट म० प० पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) विधेयक—जारी

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय और सरकार को, इस विधेयक को लाने के लिए बधाई देता हूं, जो कि भारत के रुग्ण उद्योगों की सहायता तथा कामगारों की तकलीफों को कम करने के लिए है। यह सच है कि इस विधेयक में बहुत से अच्छे विचार और व्यवस्थायें हैं तो साथ ही साथ कुछ समस्यायें भी हैं। अतः माननीय सदस्यों की यही दलील है कि भविष्य में पैदा होने वाली इन अस्पष्टताओं से बचने के

लिए इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा जाना चाहिए, इसी के साथ ही, हर कोई सहमत होगा कि अगर इसमें अधिक समय लगेगा तो कामगारों के मूल हितों को हानि हो सकती है। अतः शुरू में ही मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों के दौरान इस विधेयक के सम्बन्ध में जो विभिन्न मुद्दे उठाये हैं उन्हें विधेयक में शामिल करने पर विचार किया जाये ताकि रुग्ण इकाईयों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जा सकें, अन्यथा ये मिलें तत्काल न्यायालय में जाकर स्थगन आदेश प्राप्त करने का लाभ उठायेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं हावड़ा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जिसने कभी भारत को औद्योगिक आधारभूत संरचना को नेतृत्व प्रदान किया था। कभी इसकी तुलना ब्रिटेन शौफिल्ड तथा बर्मिघम से की जाती थी।

अब, दुर्भाग्य से मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रत्येक 10वां सदस्य औद्योगिक रुग्णता का शिकार है और यदि यह रुग्णता निरन्तर जारी रहती है तो मैं भी रुग्ण हो जाऊंगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मेरे उन सुझावों पर विचार किया जाए जो मैं आज उनके सामने इस वाद-विवाद के दौरान रखूंगा।

महोदय, वित्तीय संस्थाओं द्वारा रुग्ण इकाइयों को दी गई कुल ऋण राशि में 91 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दिसम्बर, 1979 में यह राशि 1623 करोड़ रुपये थी जो कि दिसम्बर, 1983 में बढ़कर 3100 करोड़ रु० हो गयी। जहां तक मैं समझता हूं, इस समय एक वस्तुतः जो कुल धन आया वह लगभग 4000 करोड़ रुपया बैठता है जो एक विशेष राज्य की पूरी पंचवर्षीय योजना के आबंटित राशि के समान है। अतः स्थिति चिन्ताजनक है और इसके साथ ही मजदूरों के दुःख बढ़ते जा रहे हैं। मैं कई समाचारपत्रों को उद्धृत कर सकता हूं तथा मैं प्रामाणिक रिपोर्ट दे सकता हूं कि पिछले 10 वर्षों में पश्चिम बंगाल में विभिन्न कारखानों के कम से कम 100 मजदूर या तो भुखमरी से मर जाते हैं या अपने को फांसी लगा लेते हैं। इसका कारण यह है कि उद्योग बन्द हो गये थे इसलिये उनके पास काम नहीं था। मजदूरों की यह दशा है।

मैं विस्तार से स्पष्ट करने नहीं जा रहा हूं कि रुग्णता क्यों आती है। मैं केवल कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि रुग्णता से किस प्रकार बचा जा सकता है। मैं वर्तमान स्थिति से अवगत हूं क्योंकि इस तरह की इकाईयों की नित्यप्रति समस्याओं से मैं बहुत जुड़ा हुआ हूं। मूल समस्या मजदूरों पर नहीं है। तीन मूल समस्यायें हैं जिनसे इकाई रुग्ण होती है। पहली समस्या व्यावसायिक प्रबन्ध कुशलता का अभाव तथा उस बैंक का इस इकाई पर वित्तीय नियंत्रण का अभाव हैं जिससे मशीनरी बंधक रखी है या ऋण दिया है। उदाहरण के लिए एक इकाई की प्रतिदिन की क्षमता 10 टन की है जहां 30 मजदूर काम करते हैं। मैं जानता हूं कि देश में बेरोजगारी है। दबाव तथा कई अन्य बातों के कारण नियोक्ता मजदूरों की संख्या में बढ़ोत्तरी करता है और इसमें 200 या 300 मजदूर हो जाते हैं जिसकी आवश्यकता भी न हो। बैंक उसकी जांच नहीं करता है, वित्तीय संस्थायें भी समय-समय पर उसको नहीं देखती हैं तथा एक सुबह यह पता चलता है कि इकाई रुग्ण हो गई है।

यह एक कारण है। फिर कुछ नियोक्ता जान बूझकर ऐसा करते हैं और अग्रिम के रूप में प्राप्त धन सहित सभी धन की हेराफेरी करते हैं और इकाई को रुग्ण कर देते हैं तथा वे धन को अन्य उद्योगों में लगते हैं। उदाहरण के लिए, बेनानी मेटल्स नामक हमारे राज्य में एक बहुत महत्वपूर्ण धातु उद्योग था। प्रबन्धक ने इकाई को बन्द कर दिया तथा उसका स्थानान्तरण बम्बई कर दिया और कुछ अन्य कार्यों में अपना पूरा पैसा लगाया। सम्बन्धित व्यक्ति को गिरफ्तार या दण्डित नहीं किया गया है।

दूसरा कारण वित्तीय संस्थाओं का है। उन वित्तीय संस्थाओं, जो ऋण देती हैं, के पास प्रत्येक उद्योग को देखने के लिए तकनीकी व्यावसायिक विशेषज्ञ नहीं होते हैं। चाय उद्योग की समस्यायें वस्त्र, पटसन या इंजीनियरी उद्योगों की समस्यायें नहीं हैं। लेकिन वित्तीय संस्थाओं में, वही अधिकारी या कर्मचारी निदेशक किसी एक उद्योग के गुणावगुणों को देखे बिना सामान्य रूप से समूची औद्योगिक स्थिति को देखता है। मैं वित्त मन्त्री जी को अभी हाल ही का उदाहरण पेश करता हूं। यूनियन बैंक आफ इण्डिया में हाल ही में नियुक्त किए गए चेयरमैन ने बंगाल चाय उद्योग की पृष्ठभूमि में जाए बिना यह कहना शुरू कर दिया है : 'मैं यहां चाय उद्योग की स्थिति को सुधारने नहीं आया हूं; आपने बैंक से जो कुछ भी लिया है उसे पहले आप वापस करें और तब मैं अन्य बातों का देखूंगा।" ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। यह न तो उनका पैसा है, न ही बैंक का, या चाय बागानों का पैसा। यह लोगों का पैसा है और लोगों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। इस प्रकार का रवैया अपनाया जाना चाहिए।

तीसरा बहुत महत्वपूर्ण और अनिवार्य कारण है। इस सदन में, श्रीमती इन्दिरा गांधी के समय के दौरान पांचवीं लोकसभा में पहला साहसपूर्ण कदम उठाया गया था यदि उद्योगों को पुनरुज्जीवित किया जाता है तो युवा बहुत खुशी महसूस करेंगे। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम नामका पहला विधेयक पेश किया गया। रवैया बहुत अच्छा था; यह नेक रवैया था। और यह मुझे कहना चाहिए कि इससे सब को लाभ हुआ है। आई० आर० सी० आई० इकाइयों को बिना प्रबधकीय क्षमता से पैसा देना था। मेरा सुझाव है और मैं निरन्तर सुझाव देना चाहता हूं कि जब इस तरह के संगठन एक इकाई को पैसा देते हैं तो उन्हें केवल पैसा ही नहीं बल्कि अपनी ओर से व्यावसायिक प्रबन्धक भी देने चाहिए तथा साथ ही बाजार को अपने हाथ में रखना चाहिए। और यदि आप इन चीजों को दे सकते हैं तो केवल तभी इकाई चल सकती। इस सन्दर्भ में, मैं एक कम्पनी इण्डिया मशीनरी कम्पनी जो कोटा निर्माण करने वाली कम्पनी है, के नाम के उल्लेख करता हूं। आप इसकी जांच कर सकते हैं। तीन साल पहले आई० आर० सी० आई० द्वारा इस कम्पनी को अपने हाथ में लिया गया था और उसने व्यावसायिक प्रबन्ध की भी व्यवस्था की थी आई० आर० सी० आई० द्वारा व्यावसायिक प्रबन्ध की जब व्यवस्था की गई थी तो कम्पनी ने लाभ कमाया तथा इसने ऐवेरी इण्डिया को भी कांटा मशीनरी के मामले में मात किया और उस क्षण उन्होंने अपने लोगों को वापस लिया तथा कहा कि वे अब और अधिक जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं,तो इसमें फिर से घाटा शुरू हो गया क्योंकि पुराने लोग वापस आ गए थे। यह समस्या है जब आप ऐसा करना पसन्द करें। रुग्णता से हानि उठाने वाली औद्योगिक इकाईयों की संख्या लगभग एक लाख है। मैं

समझता हूं कि बंगाल और महाराष्ट्र में इनकी संख्या बहुत है, बंगाल में इंजीनियरिंग उद्योग तथा महाराष्ट्र में शायद वस्त्र उद्योग बहुत है। हालांकि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे बहुत अच्छे हैं, बंगाल कर्मकारों द्वारा इन्जीनियरिंग उद्योग में जुटाई गई प्रवीणता पूरे देश में सर्वोत्तम उपलब्ध संभावित देशी कौशल है। दलाईखाना, अतिसूक्ष्म मशीनें बनाने वाले उद्योग तथा मशीन टूल्स में वे दक्ष हैं। आप उनकी उत्कृष्टता की जापान के साथ तुलना कर सकते हैं। जब मैं यह पाता हूं कि एक इकाई के बाद दूसरी इकाई में वे बेकार हैं। केवल उस दिन का इन्तजार कर रहे हैं जब उनको कुछ भविष्य निधि की राशि आदि मिल जाएगी और वापस चले जायेंगे मुझे उन पर वास्तव में तरस आता है। मानव शक्ति पूर्णयता बेकार जा रही है जिसके बारे में हमारे माननीय प्रधान मंत्री रोज जोर दे रहे है।

मेरा केवल एक अनुरोध है यदि आप यह महसूस करते हैं कि यह आर्थिक दृष्टि से समक्ष नहीं है। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी यदि आप इकाई को बन्द करते हैं। लेकिन आप तीन श्रेणियां बनाइए। पहली श्रेणी में आप रुग्ण औद्योगिक एककों के मजदूरों के लिए एक नियमित रोजगार ब्यूरो बनाइए। इससे आप पता लगा सकते हैं कि उनमें से कितने लोग कुशल श्रमिक हैं। और उनमें से कितने फोरमैन हैं। उनमें से कितने सांचे बनाने वाले या करघा परिचालक या रबड़ प्रौद्योगिकीविद आदि हैं। इस प्रकार आप अपने मजदूरों का एक कोष बनाते हैं। मुझे कोई आपत्ति नही है यदि आप महसूस करते हैं कि आप रबड़ फैक्टरी में इतने अधिक करोड़ रुपये निवेश नहीं कर सकते हैं। आपको गारंटी या आश्वासन देना चाहिये कि जब कभी एक रबड़ फैक्टरी लगेगी तो उस समय सर्वोच्च प्राथमिकता उन लोगों को खपाने के लिए हो जाये केवल तभी आप मजदूरों को आश्वासन दे सकते हैं कि आप उनकी देखभाल कर रहे हैं। आप साधारणतया यह नहीं कह सकते हैं कि अर्थक्षम न होने के कारण आप निवेश नहीं कर सकते हैं। यदि यह अर्थक्षम नहीं है तो यह प्रबन्धक या बैंक की असफलता है। लेकिन यह लोग क्या करेंगे ? क्या वे बर्निंग घाट जायेंगे ? मजदूर मर जायेंगे और लोकतंत्रीय देश में कोई जिम्मेदार सरकार इस तरह ही नीति की रक्षा नहीं कर सकती है। आपको रुग्ण उद्योगों के मजदूरों का सरक्षण करना है जिसको आप संरक्षण दे सकते दे सकते हो। जिनको आप संरक्षण नही दे सकते हो कृपया उन्हें आप एक गारंटी दें कि उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिक जवानों को नौकरी देने या भूमि प्राप्त करने में प्राथमिकता दी जाती है सेवानिवृत्त लोगों को अध्यक्ष की नौकरी मिलती है। लेकिन समक्ष कुशल मजदूर बेकार रहते हैं और उन्हें फांसी पर लटकाया रहा है। देश की किसी जिम्मेदार सरकार या किसी जिम्मेदारी संसद द्वारा इस तरह की नीति की रक्षा नही की जा सकती है। देश में यही हो रहा है। यह वास्तव में शक्ति को व्यर्थ करना है इसलिए में अनुरोध करता हूं कि आप इन मजदूरों के संबंध में भी वह प्रक्रिया बनाए रखें।

उदाहरण के लिए, मैं आपको इण्डिया रबड़ कम्पनी के बारे में बताता हूं। चार वर्ष पहले आपने इसको अनिधसूचित किया था आपने इसे अनधिसूचित क्यों किया ? आपको भावीदृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि कब और कैसे यह कम्पनी अर्थक्षम होगी। आपके पास वह दूरदर्शिता नहीं है यह कम्पनी टेनिस बाल बनाने में दक्ष है। वह रेल के रबड़ प्लेट बनाने में दक्ष है। रेलवे विभिन्न निजी एजेंसियों से कम से कम कुछ करोड़ रुपये की रबड़ की सामग्री प्रतिवर्ष खरीदती है। आप एक

दूसरी इकाई बनाने के लिए उस इकाई के कुशल मजदूरों को क्यों नहीं लाते। मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि इसका दूसरा नाम है। आप उन्हें रेलवे के साथ सम्बद्ध करने के लिए क्यों नहीं कहते जो आपके धन को बचाएगा। वे नई रकम के साथ भी शुरु कर सकते हैं। परन्तु आप इसे नहीं करते हो। क्योंकि वे अमुक कम्पनी बेनेट, आदि से संबंधित है, जब तक वह कम्पनी है तब तक उनके मजदूरों को हाथ नहीं लगाया जा सकता है सहायता करने का यह सिद्धांत नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं यह कहता हूं कि रुग्ण इकाइयों के सम्बन्ध में आप यह करें। सबसे पहले, यदि आप महसूस करते हैं कि इकाई 'क' स्वतंत्र रूप से अर्थक्षम नहीं है तो इस बात का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या संभावित संसाधनों के साथ एक शक्तिशाली इकाई के साथ इनको संबद्ध किया जा सकता है। अब आप बंगाल की मोटर मशीन कम्पनी ले। मैं कई दस्तावेजों से उद्धृत कर सकता हूं। बेल्स प्रधिकारी ने कहा कि यह एक अच्छी इकाई है और इसे उनकी कम्पनी के साथ जोड़ा जा सकता है। वित्त मन्त्री जी ने इसे उसके साथ मिलाने की अनुमति क्यों नही दी? इसको अनधि सूचित नहीं किया गया। पश्चिम बंगाल में इस तरह की कई बातें हो रही हैं। तब, विद्युत भी एक मानदण्ड है। दुर्भाग्य से हमारी पश्चिम बंगाल की सरकार छठी योजना में अच्छा काम नहीं कर सकी है। वह अपने सभी संसाधनों को खर्च नहीं कर सकी। वह योजना विकास बजट 1200 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर सकी। वह विद्युत आबंटन कार्यक्रम के लिए लगभग 300 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर सकी। इस रुग्णता को बढ़ाया जा रहा है तथा यह अलग बात है।

(व्यवधान)

मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। हमें सच्चाई का सामना करना है। मैं केवल आपके कार्य निष्पादन का स्वागत करता हूं। पूरे देश में, आपकी सरकार यह कहने में समर्थ हो सकी कि वह अपनी योजना आबंटन का दो-तिहाई भी खर्च नहीं कर सकी है और वह राज्य का दिवाला निकाल रही है। इस मामले में, मैं चार बातों के बारे में मंत्री जी से आग्रह करूंगा। पहले इन, इकाइयों में प्रबंध प्राधिकारी के रूप में जिस किसी को भी भेज दीजिए, जिस किसी को भी आप नाम निर्दिष्ट कर दीजिए, लेकिन कृपया यह देखिए कि वह सेवानिवृत्त व्यक्ति न हो। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दर्जनों सेवानिवृत्त लोग 'चेयरमैन' के रूप में काम कर रहे हैं। मैं चेतावनी नहीं दे रहा हूं। मैं केवल बता रहा हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में यदि आप तीन महीनों के भीतर कोई नियमित सक्षम व्यक्ति नहीं भेजते हैं तो मैं यह देखने के लिए अनशन करूंगा कि सेवानिवृत्त लोग अधिक लाभ न उठाए। उन्हें फैक्ट्री में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें राजनीति में शामिल होने दें, उन्हें चुनाव में अपना भाग्य आजमाने दें, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप असफल होते हैं तो आप राजनीतिज्ञों को दोष देंगे लेकिन जब वे असफल होते हैं तो आप उन्हें दोष नहीं देते हैं। इन इकाइयों में भ्रष्टाचार के लिए उन्हें सजा दी जाती है? मुझे खुशी है कि श्री अमल दत्त ने भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय प्रणाली के बारे में उल्लेख किया है। मैं उनके साथ पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्री को बता रहा हूं कि आप एक समिति का गठन करें जो आपकी अपनी छोटी समिति हो। आप बैंकों के अपने भूतपूर्व चेयरमैन, बैंकों के भूतपूर्व कार्यकारी निदेशक के धन का पता लगाइए जो औद्योगिक वित्तपोषण का काम कर रहे हैं और महोदय मैं आपको बताऊंगा कि देश के भीतर तथा बाहर उन्होंने जो धनराशि सिंचित की है, वह लोगों का पैसा है और उन्होंने इस इकाई को रुग्ण बनाया है तथा यहां वहां इन मालिकों को धनी तथा लोकप्रिय बनाया। यह हो रहा है। यह मेरा दूसरा सुझाव है।

तीसरा सुझाव यह है कि रुग्ण एकक के कामगारों को जनता द्वारा संसद द्वारा तथा मन्त्री महोदय द्वारा गारंटी तथा आश्वासन दिया जाना चाहिए कि उनकी विशेषज्ञता को समाप्त नहीं होने दिया जाएगा तथा उन्हें सरकार के परिपत्रों तथा निदेशों के अनुसार अल्पत्र खपाया जाएगा। ताकि ऐसा वातावरण पैदा हो जिससे उनका अहित न हो।

मेरा चौथा तथा अन्तिम सुझाव यह है कि ऐसे बोर्डों का गठन करते समय कृपया इस बात का ध्यान रखें कि बोर्ड में केवल ऐसे व्यक्ति ही रखे जायें जिनका उद्योग से तथा आर्थिक मामलों से सम्बन्ध है, यह नहीं कि किसी व्यक्ति को आप कृषि अथवा सिंचाई क्षेत्र से, अथवा किसी सेवा निवृत्त मजिस्ट्रेट को ले लें। कृपया ऐसा न करें। इससे कार्य सिद्ध नहीं होगा। इससे केवल वही समस्यायें पैदा होंगी जिनका आप पहले से सामना कर रहे हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं तथा मन्त्री महोदय का ध्यान महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल की ओर दिलाता हूं जहां उद्योग समाप्त हो रहे हैं, कृपया उन्हें बचायें।

वित्त मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं कहना चाहता हूं कि इस वाद-विवाद में कुछ सदस्यों ने महत्वपूर्ण बातें कही हैं तथा हम चाहते हैं कि भावी वाद-विवाद में हमें उनके विचारों से लाभ मिले।

कहा गया है कि प्रबन्ध में परिवर्तन करते समय कामगारों भागीदार बनाया जाये। यह बात हमारी नीति में है तथा कामगारों को भागीदार बनाने के लिए हम निर्देश देंगे।

दूसरी बात जो कही गई है और जिसकी मैं सभा में चर्चा करना चाहता हूं यह है कि धन गबन करने वाले व्यक्तियों को दण्ड दिया जाए। परन्तु जहां पर धन के हेर फेर तथा कुप्रबन्ध का स्पष्ट मामला है, वहां दण्ड दिया जाना चाहिए। मेरे वाक्य को बिना सन्दर्भ उद्धृत किया गया कि बैंक प्रबन्धकों के पास मुद्रा नहीं रहनी चाहिए। सरकार का यह मत नहीं है। एक बात में सभा को बताना चाहता हूं, कि इस विधेयक के अलावा भी हम सोच रहे हैं जिससे कि सरकार इन बातों का ध्यान रख सके। इसके साथ ही जब मैंने इस विधेयक के बारे में सोचा तथा इसे पेश किया, और मुझे उम्मीद है कि यह सभी बातें उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय नहीं जायेगी। हमें अध्यक्षपीठ तथा सभा का संरक्षण प्राप्त है। शुरू में मेरा यह भाव था जिसे मैंने विधेयक में रखा।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आप इसका ध्यान रखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कहना मेरा कर्त्तव्य है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मुझे बताया गया कि यदि हम इसे विधेयक में सम्मिलित करते तो विधेयक से सम्बन्धित सभी मुद्दों तथा उसके पीछे इरादों को स्पष्ट करना तथा कुप्रबन्ध तथा धन की हेराफेरी सिद्ध करना सरकार की जिम्मेवारी हो जाती क्योंकि कई अन्य बातें एक दूसरे से

सम्बद्ध हैं। खरीद-फरोख्त के मामले में सभी वाउचर न्यायालय में पेश किए जाते हैं ताकि धन की हेराफेरी न हो। वे कहेंगे ये वैध सौदे हैं। परन्तु सरकार इस मार्ग को सिद्ध करने की चेष्टा कर रही है रास्ता यह है कि जब एक बार निकाय को पता चल जाता है कि जानबूझकर कुप्रबन्ध किया जा रहा है तो सरकार सभी बैंकों, प्रशासनिक संस्थाओं को इन सौदों पर ध्यान देने के लिए कह सकती है। तब यह वादयोग्य नहीं बनता। महोदय, अतः मैंने सोचा कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ले जाने की बजाए यह अधिक प्रभावी प्रशासनिक उपाय होगा। मैं इस बारे में सभा की राय चाहता हूं। इस संबंध में मैं खुले विचारों का हूं। निश्चय ही हमारा इरादा यही है कि धन ही हेरा-फेरी करने वालों को सजा दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ कम्पनियां आप से ऋण लेकर धन को अन्यत्र लगाती हैं। तब वे कुछ सहायक कम्पनियां खोल लेती है।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : हमें न्यायालय से भयभीत नहीं होना चाहिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं बाद में उत्तर दूंगा। फिर भी यह एक विचार तो है ही। इस सम्बन्ध में मैं खुले विचारों का हूं। मैंने अपनी कोई राय नहीं बनाई है।

श्री सी० माधव रेड्डी : इसे विधेयक में भी सम्मिलित कर दें। (**व्यवधान**)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं अपने इन विचारों को सभा की लाभप्रद चर्चा बताना चाहता था ताकि वाद-विवाद लाभप्रद हो सके मैं कहना चाहता था कि हमारे इस बारे में मुक्त विचार हैं।

प्रो० मधुवत दण्डवते : हम इस निर्णय का समर्थन करते हैं। मन्त्री महोदय इसे अभी क्रियान्वित करें।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका हमारे विशेषाधिकारों पर प्रभाव नहीं पड़ता।

अब श्री षण्मुख।

***श्री ए० सी० षण्मुख** (बेल्लोर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 1985 का स्वागत करता हूं, जिसका उद्देश्य औद्योगिक कम्पनियों की रुग्णता का पता लगाना तथा देश में बार-बार हो रही औद्योगिक रुग्णता को रोकने के लिए कदम सुनिश्चित करने हैं। मैं यह कहने को बाध्य हूं कि यह विधान केवल बड़ी औद्योगिक कम्पनियों को ही बचायेगा। मन्त्री महोदय द्वारा उन बड़े उद्योगपतियों जो अपने एककों को सजा देने के बारे में जो अपने एककों को रुग्ण होने देते हैं, स्पष्टीकरण को सुनकर, मुझे प्रसन्नता हुई कि इससे देश में औद्योगिक रुग्णता के उन्मूलन में काफी सहायता मिलेगी। जहां पर मैं बताना चाहता हूं कि रुग्ण लघु उद्योगों को भी इस विधेयक की परिधि में लाया जाना चाहिए। ऐसे एककों के

*तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

बारे में हम 25 लाख रुपये अथवा 50 लाख रुपये के पूंजी निवेश की सीमा रख सकते हैं। जब तक वित्त मन्त्री भारी संख्या में रुग्ण लघु उद्योग एककों के पुनरुद्धार का प्रयास नहीं करते देश में औद्योगिक प्रगति की कोई उम्मीद नहीं है।

मुझे उम्मीद है कि उद्योग पति इस विधेयक का सहारा लेकर कामगरों को बदले की भावना से रुग्णता के नाम पर काम से नहीं हटायेंगे। सरकार को कामगारों को उद्योगपतियों के दुर्भाग्यपूर्ण कार्यवाही से बचाना चाहिए मेरा सुझाव है कि इस उद्देश्य के लिए पर्यवेक्षण अभिकरण होना चाहिए। मैं वित्त मन्त्री से निवेदन करता हूं कि इस पर ध्यान दें तथा उचित कार्यवाही करें मुझे खुशी है कि वित्त मन्त्री महोदय ने अपने स्पष्टीकरण में ऐसे एककों में श्रमिकों की भागीदारी की बात कही है।

महोदय जब तक हम देश का औद्योगीकरण नहीं करते हम आर्थिक विकास में प्रगति नहीं कर सकते। आर्थिक विकास के हित में हमें देश का उद्योगीकरण करना है। दूसरे युद्ध के बाद जापान बंजर भूमि रह गया था। थोड़े से समय में तथा देशी कच्चे माल की पूर्ति के बिना जापान ने अभूतपूर्व प्रगति की तथा आज विश्व के औद्योगिक मानचित्र में दूसरा अथवा तीसरा स्थान बना लिया है। इस मामले में हमें जापान के प्रयासों का अनुकरण करना होगा हमारे देश में कच्चे माल की कमी नहीं है वास्तव में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल है। यदि हम उसका लाभ उठायें तो हम औद्योगिक विश्व में शिखर स्थान प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु औद्योगिक रुग्णता को शीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस विधेयक से इस दिशा में कार्य होगा।

उपाध्यक्ष महोदय ने अभी-अभी बताया था कि कुछ उद्योगपति किसी विशेष उद्योग के लिए ऋण लेते हैं तथा बाद में उस धन का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए करते हैं। ऋणों का उन उद्देश्यों के लिएउपयोग नहीं हो पाता जिनके लिए वे लिए गये थे। वे ऐसे कुटिल उपायों का उपयोग करते हैं। वास्तव में वे ऐसे ऋणों का दुरुपयोग करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : थोड़े नहीं, बहुत से उद्योगपति ऐसा करते हैं।

श्री ए० सी० षण्डमुख : मेरा सुझाव है कि इन प्रश्नों पर विचार करने तथा उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जानी चाहिए ताकि देश से औद्योगिक रुग्णता सदा के लिए समाप्त की जा सके।

किसी एकक विशेष के लिए खरीदे गए संयंत्रों और उपकरणों का उपयोग किसी अन्य एकक के लिए किया जाता है। जब इस तरह का कुप्रबन्ध तथा दुरुपयोग होता है तब स्वभावत: औद्योगिक रुग्णता आती है। धन तथा संयन्त्रों तथा उपकरणों का दुरुपयोग होता है। मेरा सुझाव है कि धन का दुरुपयोग करने वाले उद्योगपतियों की परिसम्पत्तियां जब्त की जानी चाहिए उन्हें कारावास जैसा कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वित्त मन्त्री इस मामले में उपयुक्त कार्ययाही करेंगे।

औद्योगिक रुग्णता बिजली की कमी, अपर्याप्त धन बैंकों से समय पर मिलने आदि के ऋणों के कारण हो सकती है। बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने में विलम्ब को रोका जाना चाहिए। किसी परियोजना के लिए मंजूर किए गये आवश्यक धन की अदायगी उचित समय पर की जानी चाहिए धन के अभाव के कारण किसी उद्योग को रुग्ण नहीं होने दिया जाना चाहिए। मैं तो यह भी सुझाव दूंगा कि बैंकों को यदि उद्योग तथा कामगरों के हित में हो तो ऋण को वह खाते में भी डाल देना चाहिए, अगर उससे उद्योग का पुनरुद्धार होता हो। भारत सरकार ने कई राज्यों में कई रुग्ण उद्योगों को अधिकार में लिया है तथा वे सभी लाभ में चल रहे हैं तमिलनाडु कावेरी चीनी मिल को केन्द्रीय सरकार ने हाथ में लिया तथा एकक भली प्रकार चल रहा है। औद्योगिक रुग्णता, तथा उसके फलस्वरूप होने वाली बेरोजगारी का भय समाप्त हो गया है। मेरा सुझाव है कि सरकार पांडिचेरी की रोडियर मिल को अधिकार में ले ले। एक समाचार छपा था कि सरकार उसे हाथ में लेना चाहती है। इस मिल के कामगरों के 20 से 45 (लाख तक) परिवार कष्ट उठा रहे हैं। इस मिल के राष्ट्रीयकरण के शीघ्र उपाय किये जाने चाहिए। मद्रास की बी एण्ड सी मिल ने विस्तार तथा आधुनिकीकरण की योजना पेश की है। जब तक उसके विस्तार तथा आधुनिकीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी जाती तथा उसकी क्रियान्विति नहीं की जाती, मुझे भय है कि उक्त उद्योग रुग्ण हो जायेगा। मुख्यमन्त्री डा० एम० जी० आर० के नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार ने 9 औद्योगिक एककों को अपने अधिकार में लिया है। वे सभी अब लाभ पर चल रहे हैं। मेरा सुझाव है कि उन सभी उद्योगों को, जिनका प्रबन्ध भारत सरकार ने अपने हाथ में लिया था; वापिस भूतपूर्व प्रबन्धकों को नहीं सौंपा जाना चाहिए। मैं इस बात को दोहराऊंगा कि बैंकों की छोटी इकाइयों की वित्तीय आवश्यकताएं पूरी तरह और समय पर पूरी करनी चाहिए मेट्टूर टेक्सटाइल, मेट्टूर जोकि मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय के निर्वाचन क्षेत्र में है, कई महीनों से बन्द पड़ी है। हजारों कामगार बेकार हो गये हैं। एलेगजेन्डर थ्रेड मिल कई महीनों से बन्द पड़ी है। कामगरों के 15000 परिवार बेसहारा हैं। उद्योगपतियों के कुप्रबन्ध के कारण कामगारों को शिकार बनना पड़ता है। कामगरों के हित में सरकार को ऐसे बड़े एककों को अधिकार में लेना चाहिए और उसमें सुधार लाना चाहिए।

इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि सेलम इस्पात संयन्त्र में, जोकि वास्तव में एक रोलिंग मिल है, कामगरों की धीरे-धीरे छटनी की जा रही है। ऐसा भय है कि आगामी दो वर्षों में इस संयंत्र में केवल 200 कामगार ही रह जायेंगे। कामगरों पर बेरोजगारी का भय छाया हुआ है। जैसी कि मूल रूप में योजना थी रोलिंग मिल को इस्पत संयंत्र में बदला जाना चाहिए। तभी रोजगार के अवसर पैदा किये जा सकते हैं। यदि वित्त मन्त्री सेलम इस्पात संयन्त्र को रोलिंग शीटों के स्थान पर इस्पात उत्पादों के उत्पादन के लिए पर्याप्त धन का आंबंटन करे तो तमिलनाडु की जनता उनकी अत्यन्त आभारी होगी सरकारी प्रतिष्ठान,जैसे स्टील एथारिटी आफ इन्डिया, कोल इंडिया, एन० टी० पी० सी० इत्यादि प्रति वर्ष करोड़ों रुपया की हानि उठा रहे हैं। निजी क्षेत्र की जांच करने के पूर्व हमें अपने घर को सुधार लेना चाहिए। शीशे के घरों में बैठ कर हमें पत्थर नहीं फैंकने चाहिए। सरकारी क्षेत्र की कमियां दूर की जानी चाहिएं। इसका अध्ययन

करने तथा सरकारी क्षेत्र के एककों का पुनरुद्धार करने हेतु उपाय सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाना चाहिए। सरकारी प्रतिष्ठानों के एककों का प्रबन्ध पूरी तरह तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा किया जाना चाहिए।

जबकि हमने पूरे देश में समान बोनस की दर का निश्चय कर लिया है, हमें पूरे देश के लिए समान वेतन नीति तय करनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका (रावट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 1985 का पुरजोर समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और समर्थन करते हुए मैं शुरू में ही अपने वित्त मन्त्री जी को तथा अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि पिछले एक वर्ष से उत्तरोत्तर आर्थिक विकास के लिए एक के बाद एक कदम सरकार उठाती रही है और उन महत्वपूर्ण कदमों में से एक और कदम यह भी है जिसके सम्बन्ध में इधर के ही नहीं बल्कि विरोध पक्ष के लोग भी बराबर सिक मिलों के प्रश्न को लेकर यहां आवाज उठाते रहे हैं। मजदूरों के मानव दिवसों की हानि का जहां तक प्रश्न है, अगर देखा जाय तो हड़तालों के कारण बहुत कम मानव दिवसों की हानि हुई है। उसके बजाय सिक मिल, ले आफ और मिस मैनेजमैंट के कारण ज्यादा इसकी हानि हुई है। मुझे आज बड़ी खुशी है कि ऐसा एक सामयिक बिल आज आया है जो इसकी बहुत-सी कमियों को दूर करने जा रहा है। जैसा मैंने पहले कहा, पिछले एक वर्ष में, हमें याद है कि जब माननीय मन्त्री जी ने इंडस्ट्रियल पालिसी और बजट पेश किया था तो उधर के लोगों ने उसे बड़ी शंका की दृष्टि से देखा था। लेकिन जो आपने लिबरेशन दिया है इंडस्ट्रीज में उसका फल आज दिखाई दे रहा है। आपने देखा काफी पूंजी मार्केट में आई है। कितने लाइसेन्सज हमने ईश्यू किए और यही नहीं, जो नान-रेजीडेंट्स थे उनके लिए भी लाइससेज ईश्यू किए। अगर यह देखें तो उत्तरोत्तर ऐसी नीति हमारी सरकार ने अपनायी है और खास कर वित्त मंत्रालय ने अपनायी है जिससे कि वित्त व्यवस्था की जो कठिनाई थी वह धीरे धीरे दूर हो रही है।

अभी आपने देखा हाल ही में कि जो माननीय वित्त मन्त्री ने कहा था कि नान-प्लान में हम पांच प्रतिशत की कटौती करेंगे उसका कड़ाई से पालन किया गया और लगभग 800 करोड़ से ज्यादा इसमें बचत हो रही है। तो इन सारे कार्यक्रमों के बारे में एक के बाद एक कदम सरकार उठाती रही है। आज इसमें भी अमल दत्ता साहब ने कमजोरी देखने की कोशिश की और बुराई देखने की कोशिश की। उन्होंने यह नहीं देखा कि सदन की भावनाओं के अनुरूप यह बिल लाया गया है। इसलिए मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं; यह बात सही है कि आज जो सिक मिल्स हैं उसमें काफी मिस मैनेजमेंट के कारण है लेकिन उस पहलू को भी हमें देखना होगा कि जब हम किसी यूनिट को लाइसेंस देते हैं तो इसके लिए एलक्ट्रिसिटी की व्यवस्था होनी चाहिए, रा मैटीरियल की व्यवस्था होनी चाहिए और लेबर अनरेस्ट जो जाता है उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। सबसे ज्यादा ध्यान तो जो

मिस मैनेजमेंट है, जो गलत नीयत है हमारे मिल-ओनर्स की उसके ऊपर देने की आवश्यकता है। बंगाल में जूट मिलों और महाराष्ट्र में सूती मिलों की जो हालत हो रही है उसमें काफी वे तत्व हैं जो एक मिल का पैसा दूसरी मिल में लगाने की भावना से काम कर रहे हैं। इसलिए वह ज्यादा सिक हो रही हैं। सभी साथियों ने जैसा जिक्र किया और माननीय मंत्री जी ने ठीक ही क्लीअर कर दिया कि ऐसे इन तत्वों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए और जो दोषी मिल ओनर्स हैं उनके लिए दण्ड की व्यवस्था होगी। वह अलग से होगी। यह भी एक स्वागत योग्य बात है।

इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूं कि इसमें सिक यूनिट्स के बारे में जहां सेन्ट्रल गवर्नमेंट और इंस्टीव्यूशनल फाइनेंस वाले रिपोर्ट देंगे, वहां पर ट्रेड यूनियन का भी होना चाहिए। आम तौर पर होता क्या है कि आजकल के ब्यूरोक्रेटिक सेट अप में अधिकारियों से बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती कि इंडस्ट्रीज के बारे में वह शिकायत करेंगे। इसलिए उसमें जो हमारे श्रमिक काम करते हैं, उनकी यूनियन मान्यता प्राप्त हो या जो भी हो, वे अगर शिकायत करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कार्य हो रहा है, नम्बर दो का पैसा कमाने के लिए उसको खोखला किया जा रहा है तो उस पर ध्यान किया जा सके, इस प्रकार की व्यवस्था यदि आप इस बिल में दें तो बड़ी कृपा होगी।

एक व्यवस्था और भी होनी चाहिए। आजकल जहां तक फाइनेंसेज की बात है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, कोआपरेटिव सेक्टर हो या ज्वाइन्ट सेक्टर हो उनमें सारे फाइनेन्स का सोर्स वित्त मंत्रालय ही है और यह सारा पैसा जनता का है। आज हमारी बहुत सारी पब्लिक अण्डर्टेकिंग्ज चल रही है वहां पर भी अगर मैनेजमेंट गलत काम करता है तो उसके लिए भी चाहे आप अलग से बिल लावे या इसी बिल में इस बात की व्यवस्था करे क्योंकि पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज के हालात अच्छे नहीं है। साथ ही उनमें अभी एकरूपता नहीं है। विभिन्न मन्त्रालयों द्वारा पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज को चलाया जा रहा है। इस साल आपने पब्लिक सेक्टर अण्डर टेकिंग्ज के लिए एक अलग डिपार्टमेंट खोला है जोकि स्वागत योग्य है लेकिन दो ढ़ाई सौ पब्लिक अण्डर-टेकिंग्ज में से केवल 52 ही इण्डस्ट्रीज मिनिस्ट्री के अन्तर्गत आ रही है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि इनमें एकरूपता आए। जैसे स्टील है, पेट्रोलियम है और भी बहुत सी मिनिस्ट्रीज है जिनके अन्तर्गत बहुत-सी अण्डर टेकिंग्ज चल रही है और काफी घाटे में चल रही है। मेरा सुझाव यह है कि अर्थव्यवस्था में उत्तरोत्तर विकास के लिए जहां पर प्राइवेट सेक्टर पर कन्ट्रोल करें वही पब्लिक सेक्टर की अण्डर-टेकिंग्ज पर कट्रोल करने के लिए भी कोई न कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। मेरा निबेदन यह है कि आप कोई न कोई ऐसा प्रावधान करे जिससे कि दोनों सेक्टर्स कन्ट्रोल में आ जाए।

आपने इसमें दो बातें कही हैं। एक तो यह कि सिक मिलों को आप दुरुस्त करेंगे लेकिन एक बात बहुत जरूरी है। हमारी अर्थव्यवस्था उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है लेकिन अगर कहीं फूला है तो उसको भी दूर करना आवश्यक है। 1986 की हमारी इण्डस्ट्रियल पालिसी जो थी, ठीक है हमारी एक वेलफेयर स्टेट है, हम लेबर ती बात करते हैं, ठीक भी है कि श्रम शक्ति बेकार

न रहे और अभी हमारे दास मंत्री बोल रहे थे उन्होंने भी बतलाया कि टेक्निकल हैण्ड्स बेकार नहीं रहने चाहिए लेकिन हमारा तो उससे भी ऊंचा लक्ष्य है कि हमारी अर्थव्यवस्था उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, हमने केवल सिक यूनिट्स को रिवाइव करने का ही ठेका नहीं ले रखा है। यदि सिक यूनिट्स को रिवाइव करने से भविष्य में हमारी अर्थव्यवस्था के बिगड़ने की आशंका हो तो कोई जरूरत नहीं है कि सिक यूनिट्स को रिवाइव करे।

दूसरी बात यह है कि किसी भी सिक यूनिट्स में जो श्रमिक करते हैं वे स्वयं उसको लेकर चलाने के लिए तैयार हों, कम तनख्वाह लेकर उसको चलाना चाहते हों और वे उसको बन्द करने के पक्ष में हों तो इस बात पर विचार किया जाना चाहिए। जैसे कि अभी यहां पर डी० सी० एम० की बात आई कि लेबर उसको चलाने के लिए तैयार है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कम पैसे में फैक्टरी के मजदूर उस फैक्टरी को जिन्दा रख सकते हैं तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए और उनको मौका देना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री आर० जीवरत्नम** (आर्कोनम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 1985 का समर्थन करते हुए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

इस विधेयक के उपबंधों के माध्यम से सरकार औद्योगिक कंपनियों में रुग्णता का समय पर पता लगाने तथा ऐसी औद्योगिक एककों के पुनर्वास और उन्हें पुन: चालू करने के उपायों को निर्धारित करने के सम्बन्ध में विशेषज्ञों के एक बोर्ड का गठन करना चाहती है। इस प्रशंसनीय प्रयास का सर्वसम्मति से सदन द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए। बोर्ड के अलावा सरकार बोर्ड के निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए एक अपीलीय प्राधिकरण का भी गठन करना चाहती है। मैं इसका भी स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि उक्त बोर्ड तथा अपीलीय प्राधिकरण देश में औद्योगिक रुग्णता को दूर करेगा। मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है कि औद्योगिक रुग्णता गरीबी और बेरोजगारी की समस्याओं को दूर करने के राष्ट्रीय प्रयासों में बाधक है।

उद्योगों के रुग्ण होने पर न केवल सार्वजनिक धन का अपव्यय होता है बल्कि देश में बेरोजगारी भी बढ़ती है। जून, 1984 तक देश में रुग्ण लघु यूनिटों की संख्या 78,363 थीं। उन पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं का 4000 करोड़ रुपया बकाया था। बड़े औद्योगिक रुग्ण उपक्रमों की संख्या 513 थी। इनमें से प्रत्येक की निवेश पूंजी एक करोड़ सुपए या उससे अधिक थी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं पर 2600 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी। ये वित्तीय संस्थाएं नहीं जानती कि उन्हें अपना पैसा

*तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

कब वापिस मिलेगा। आप अनुमान लगा सकते हैं कि 6600 करोड़ रुपए की राशि पर कितने रुपए की ब्याज की हानि हो रही होगी। मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री इस बात से सहमत होंगे कि इससे अधिक सार्वजनिक धनराशि फंसी पड़ी है और इससे कोई लाभप्रद परिणाम नहीं निकल रहा है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया की वार्षिक रिपोर्ट से हमें मालूम हुआ है कि इस बात का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं कि ऐसी रुग्ण यूनिटों को अगर पुनः चालू किया जाए तो क्या वे अर्थक्षम हो सकती हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा की सिफारिशों के अनुसार ऐसी यूनिटों के पुनःस्थापन करने के लिए कदम उठायेंगे।

दुर्भाग्य से सर्वाधिक रुग्ण औद्योगिक यूनिटें तमिलनाडु में हैं। वहां लघु रुग्ण औद्योगिक यूनिटों की संख्या 16,955 हैं। इसी तरह 46 बड़ी औद्योगिक यूनिटें भी रुग्ण यूनिटों की सूची में शामिल हैं। मैं स्मरण कराना चाहूंगा कि जब हमारे उपराष्ट्रपति श्री आर० वेंकटरामन तमिलनाडु सरकार में उद्योग मंत्री थे तो उस समय औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में तमिलनाडु का स्थान पहले नम्बर पर था। वह तमिलनाडु में औद्योगिकीकरण के जनक हैं। उनके बाद जो सरकार वहां बनी उसने इतनी अकार्य कुशलता से काम किया कि वहां बड़े पैमाने पर उद्योग रुग्ण हो गए। माननीय मन्त्री से मेरा अनुरोध है कि वह सुनिश्चित करें कि लघु रुग्ण यूनिटों को भी प्रस्तावित विधेयक के अन्तर्गत लाया जाएगा। तभी देश में निश्चत तौर औद्योगिकीकरण हो सकता है।

बेरोजगारी की समस्या के अलावा, औद्योगिक रुग्णता से मूल्यवान संयंत्र तथा उपकरणों में जंग लग जाती है। राष्ट्रीय परिसम्पत्ति को नष्ट होने से बचाने के लिए तत्काल उपाय किए जाने चाहिए। मैं नहीं समझता कि इस मामले में प्रस्तावित बोर्ड कारगर सिद्ध होगा। हमारे यहां औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक है। लेकिन बड़े खेद की बात है कि इस बैंक द्वारा किसी भी रुग्ण औद्योगिक यूनिट का न तो पुनर्वास किया गया है, और नहीं उन्हें पुनः चालू किया गया है।

भूतपूर्व उद्योग मन्त्री ने औद्योगिक रुग्णता के प्रश्न पर विचार करने तथा औद्योगिक रुग्णता के निवारण के लिए उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की थी। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस समिति का गठन अभी तक नहीं किया गया है। मेरा सुझाव है कि इसका गठन अविलम्ब किया जाए।

भारत सरकार ने 1981 में रुग्ण औद्योगिक यूनिटों के पुनर्वास तथा उन्हें पुनः चालू करने के प्रश्न विशेष के संदर्भ में औद्योगिक नीति में रूपभेद किया था। जनवरी, 1984 तक 47 बड़ी औद्योगिक यूनिटों को अधिग्रहीत किया गया था तथा 1984 में ऐसी 17 यूनिटों का राष्ट्रीयकरण किया गया। मालूम नहीं शेष 30 बड़ी औद्योगिक यूनिटों का क्या हुआ। विभिन्न राज्य सरकारों ने 11 बड़ी यूनिटों का तथा केन्द्र सरकार ने ऐसी 6 बड़ी यूनिटों का राष्ट्रीयकरण किया है। देश में जिस तेजी से रुग्ण यूनिटों की संख्या बढ़ रही है उसे देखते हुए यह प्रयास भूखे हाथी के मुंह में मिश्री डालने के समान है। तमिलनाडु में सबसे बड़ी औद्योगिक यूनिट "मेटूर टेक्सटाइल्स" पिछले

पांच महीने से बन्द है। हजारों कामगार बेरोजगार हो गए हैं। उनके परिवार भूखों मर रहे हैं। देश में इस निरंतर बढ़ती औद्योगिक रुग्णता को रोकने के लिए कुछ गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए। मेरा सुझाव है कि इन सभी रुग्ण यूनिटों को, अगर जरूरी हो तो, कानून के अन्तर्गत अतिग्रहीत किया जाए और उनकी नीलामी कर दी जाए। इससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और वित्तीय संस्थाएं बकाया राशि की वसूली कर सकेंगी। इसका काले धन पर भी असर पड़ेगा। जंग लग रहे संयंत्रों और उपकरणों को उत्पादक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। निरन्तर औद्योगिक रुग्णता पर भी इसका अवश्य प्रभाव पड़ेगा। हमारे माननीय वित्त मन्त्री बहुत योग्य और सक्षम हैं। देश के वित्तीय प्रबन्ध में उन्होंने अनेक साहसिक कदम उठाए हैं। मुझे विश्वास है कि वह रुग्ण औद्योगिक यूनिटों के अधिग्रहण तथा उनकी नीलामी के सम्बन्ध में मेरे सुझाव पर विचार करेंगे और उस दिशा में उपयुक्त कार्यवाही करेंगे। मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मन्त्री अपने कार्य कुशल ढंग से ऐसे कदम उठाएंगे कि देश में इन बड़ी और छोटी रुग्ण औद्योगिक यूनिटों पर बकाया 6600 करोड़ रुपए की वसूली की जा सके।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं कहना चाहूंगा कि उद्योगों के नाम पर सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को लूटने का काम एक कला बन गया है। इस काम में बैंक अधिकारियों की उद्योगपतियों से सांठ-गांठ है। ये बैंक अधिकारी औद्योगिक परियोजनाओं की बारीकी से जांच नहीं करते हैं। वास्तव में वे उनकी बारीकी से जांच कर भी नहीं सकते। ऋण के वास्तविक रूप से दिए जाने से पूर्व उद्यमी को स्थायी परिसम्पत्तियों की गारंटी देनी होती है। बैंकों को इस शर्त का कड़ाई से पालन करना चाहिए। लेकिन लाखों रुपए का बैंक-ऋण मुख्तरी अधिकार के आधार पर ही दे दिया जाता है। उद्योगपति सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों से लिए गए करोड़ों रुपयों का विनियोजन करने के लिए अविलम्ब (काल मनी) की प्रणाली का दुरुपयोग कर रहे हैं। बैंक स्टाक के आधार पर अग्रिम देते हैं। लेकिन जिन गोदामों में स्टाक रखा होता है उसकी चाबी उद्योगपतियों के पास होती। स्टाक बिक जाता है लेकिन बैंकों को अपना पैसा वापिस नहीं मिलता। बैंक स्टाक-उत्पादन-बिक्री पर आवश्यक नियंत्रण नहीं रखते। इन तीनों के बीच परस्पर सम्बन्ध नहीं है। उद्योगपति सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों को धोखा देने के लिए अनेक अस्पष्ट गोलमाल उपाय करते हैं। माननीय वित्त मन्त्री को सुझाव दूंगा कि वह विशेषज्ञ समिति का गठन करें जो औद्योगिक परियोजनाओं को बैंकों द्वारा वित्त देने की प्रक्रिया की जांच करे और इन संकटों से बचने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव दे। अगर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक तथा वित्तीय संस्थायें ऐसे औद्योगिक रुग्णता से हमेशा के लिए बचा सकता है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : माननीय वित्त मन्त्री ने जिस उद्देश्य से इस विधेयक को पेश किया है उसमें मुझे सन्देह नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि यह विधेयक पूर्ण नहीं है। काश ! वह इसे संयुक्त प्रवर समिति के पास भेजने की बात मान लेते !

आज सुबह ही माननीय सदस्यों द्वारा दिए कुछ सुझावों को वित्त मन्त्री जी ने स्वीकार कर लिया है। बहुत से सदस्यों ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देकर वादविवाद में बहुत योगदान दिया है। मन्त्री जी ने सदस्यों के सुझाव को उसी समय स्वीकार कर लिया। निस्सन्देह मैं जानता हूं कि उन्होंने अपने आश्वासन को बनाए रखा है। अपने बजट भाषण के दौरान उन्होंने आश्वासन दिया था कि ऐसा ही विधेयक लाया जाएगा। लेकिन मेरे विचार से यह जल्दी में तैयार किया गया विधेयक है। वह महत्वपूर्ण वर्गों से, खासकर मजदूर संघ के प्रतिनिधियों से इस मामले में परामर्श करना भूल गए हैं। अच्छा होता अगर उन्हें भी विश्वास में ले लिया गया होता।

मुझे भय है कि यह विधेयक उत्पादकता—विरोधी है। इससे रुग्णता और बढ़ेगी। उद्योगों में रुग्णता न केवल सरकार बल्कि समाज के लिए भी गम्भीर चिंता का विषय है। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है इसमें कोई सन्देह नहीं कि सिद्धांततः मैं भी इस विधेयक के कुछ उपबन्धों से सहमत हूं। लेकिन इसे और अधिक सुस्पष्ट और कारगर बनाया जा सकता था।

एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसे माननीय मन्त्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है यह है, कि वह सभी स्तर पर श्रमिक को सम्बद्ध करना भूल गए हैं। मैं उनका ध्यान राष्ट्रीय कपड़ा निगम के एक प्रतिवेदन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसके बारे में मुझे विश्वास है कि वह अधिकांश सदस्यों को प्राप्त हो गई है। हमें गौरव है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने 125 रुग्ण मिलों का अधिग्रहण किया और उनमें से अधिकांश मिलें इस समय लाभ में चल रही हैं। इसका कारण बेहतर श्रम सम्बन्ध और बेहतर नियोजन है। इसलिए, यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि श्रम बल भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्रबंध मंडल द्वारा नकद धन का निवेश किया जाना। जब तक श्रम बल का विश्वास नहीं जीता जायेगा, जब तक श्रमिकों और प्रबंधकों के सम्बन्ध अच्छे नहीं होंगे तब तक उद्योग प्रगति नहीं कर सकता है।

मुझे विश्वास है कि उस सम्बन्ध में जो संशोधन लाए गए हैं, उन्हें आप स्वीकार करेंगे।

अभी अभी मैं यह बता रहा था कि मिल किस प्रकार रुग्ण हो जाते हैं। रुग्णता दो प्रकार की होती है। कुछ तो वास्तविक होती हैं। हर संभव प्रयत्न के बाद भी बिजली की कमी के कारण औद्योगिक संस्थान रुग्ण हो जाते हैं। मैं उसे तो मानता हूं। कुछ ऐसे प्रबंधक भी हैं, जो जानबूझकर रुग्ण बन जाते हैं। वस्तुतः सोते हुए व्यक्ति को तो जगाया जा सकता है किन्तु सोने का बहाना करने वाले को नहीं जगाया जा सकता है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण देता हूं। एक इलैक्ट्रोनिक उद्योग है। उसे बहुत अधिक लाभ हो रहा था। वहां 350 श्रमिक वे हैं जिनसे 95% महिलायें हैं। अनेक वर्षों से उन्हें लाभ हो रहा था किन्तु गत एक वर्ष से उसमें भारी घाटा दिखाया गया है।

इस उद्योग में कुछ मशीनों का आधुनिकीकरण किया गया है। अब उसमें से 250 कर्मचारियों की छंटनी करने का विचार है। कृपया ध्यान दें 350 कर्मचारियों में से 250 कर्मचारियों की छंटनी करने का इरादा है और आगे और भी कर्मचारियों की छंटनी करने का

विचार है। हमारे राज्य के मुख्य मन्त्री, श्रम मन्त्री और सरकार ने बात-चीत की है। मैंने भी अपने तरीके से बात-चीत की है। प्रबन्धकों का कहना है कि यदि श्रमिक 250 कर्मचारियों की छंटनी के लिए राजी हो तो वे उद्योग को चला सकते हैं। अब तालाबन्दी घोषित कर दी गई है और मुझे बताया गया है कि उन्होंने संस्था को बंद करने की अनुमति उच्च न्यायलय से ले ली है।

इसलिए, महोदय आप समझ सकते हैं कि ये प्रबन्धक कानून को किस प्रकार उलझाने की चेष्टा कर रहे हैं। इस विधेयक के द्वारा इन श्रमिकों की सुरक्षा किस प्रकार की जा सकेगी।

श्री प्रिय रंजना दास मुंशी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र का ऐसा ही उदाहरण दिया है। इसलिए, महोदय, मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक पर दुबारा ध्यान दें तथा इस बात का ध्यान रखें कि यह विधेयक पूर्णतः कारगार सिद्ध हो। यह विचार तो अच्छा है कि आप रुग्ण उद्योगों का पुनरोद्धार करने जा रहे हैं। प्रचालन एजेन्सी के माध्यम से रुग्ण एककों का पुनरोद्धार, पुनःजीवित करने तथा मिलाने अथवा अन्तरण करने का सुझाव देने के लिए बोर्ड है। अपहार्य हो जाने पर वे उसे परिमापन के लिए उच्च न्यायालय को भेजते हैं परिसमापन हो जाने की स्थिति में देखिए श्रमिकों को क्या-क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है?

अनेक सदस्य इसके बारे में बोल चुके हैं। अभी भी अधिक विलम्ब नहीं हुआ है। आप संशोधन पुरस्थापित कर सकते हैं और परिमापन के मामले में श्रमिकों की रक्षा कर सकते हैं।

माननीय वित्त मन्त्री ने अभी-अभी कम्पनियों द्वारा निधियों को इधर-उधर कर देने के बारे में कहा है। विधेयक में ही आप कठोर सजा की व्यवस्था करने के इच्छुक नहीं है। किन्तु, महोदय जब तक भय न होगा, तब तक प्रबन्धकों पर नियन्त्रण रखना बहुत कठिन है।

मैं माननीय सदस्य डा० दत्ता सामंत की यह बात सुनता रहा हूं कि बम्बई में कपड़ा एकक किस प्रकार अपनी निधियां समाप्त कर रहे हैं। और कपड़ा मिलों को बन्द कर रहे हैं। हमें उसके लिए कोई गुंजाइज नहीं छोड़नी चाहिए। श्रमिकों की सुरक्षा भली-भांति की जानी चाहिए। मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मन्त्री निश्चित रूप से सहमत होंगे तथा संशोधन को स्वीकार करेंगे।

इस सम्बन्ध में मैं जिस दूसरे महत्त्वपूर्ण मुद्दे का उल्लेख करना चाहता हूं वह यह है कि इस विधेयक का सम्बन्ध केवल औद्योगिक अधिनियम 1951 की अनुसूची 1 में दर्ज औद्योगिक संस्थानों से है। लघु क्षेत्र में भी अनेक उद्योग हैं और अनेक उद्योग भागीदारी में हैं। अनेक सदस्य पहले ही कह चुके हैं कि आपको इस विधेयक के अन्तर्गत उन उद्योगों को भी लाना होगा जिससे हजारों श्रमिकों की सुरक्षा हो सके।

माननीय वित्त मन्त्री महोदय मैं एक बात और ध्यान में रखने के लिए कहूंगा कि हमें दूसरों से अपना घर व्यवस्थित रखने के लिए कहने से पूर्व अपना घर व्यवस्थित रखना चाहिए।

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उद्योग भी रुग्ण हैं। महोदय, परसों ही हमारे माननीय उद्योग मन्त्री ने इस सभा में घोषणा की थी कि सार्वजनिक क्षेत्र के 205 उद्योगों में से 92 उद्योग रुग्ण उद्योगों की सूची में है और इन उद्योगों में समग्र घाटा 1534.37 करोड़ रुपए का है। यह किसका धन है, महोदय ? यह सार्वजनिक धन है। ध्यान दें अब तक 1534 करोड़ रुपए का व्यय है। इन उद्योगों के पुनरोद्धार के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ? सरकार को इस बात पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

मैं अपने राज्य का एक और उदाहरण दूंगा। आपने सुविख्यात विश्वेश्वरईया आयरन एण्ड स्टील लि० के बारे में अवश्य सुना होगा। इसकी स्थापना स्वर्गीय इंजीनियर राजनायिक सर एम० विश्वेश्वरईया ने की थी। इस उद्योग को हर महीने 2 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है।

3 म०.प०

कल ही श्रमिकों के प्रतिनिधि इस्पात मन्त्री से मिले थे। हर महीने 2 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। एक साल में कुल 25 करोड़ रुपये का घाटा है। कर्नाटक राज्य सरकार भारत सरकार से अनुरोध करती रही है कि वे लोग उनकी रक्षा करें तथा इस एकक का अधिग्रहण कर लें क्योंकि इसमें उनके 40 प्रतिशत शेयर हैं। राज्य सरकार के पास उद्योग को पुनः चलाने के लिए धन नहीं है। इसलिए भारत सरकार को उस उद्योग का अधिग्रहण करना चाहिए तथा उसका पुनरोद्धार करना चाहिए और उसे पुनर्जीवित करना चाहिए। श्रमिक भी अपना पूर्ण सहयोग देने को तैयार हैं। केवल 100 करोड़ रुपया व्यय करके आप उसे पुनर्जीवित कर सकते हैं। तथा पुनः स्वस्थ बना सकते हैं। वस्तुतः बिजली की कमी है किन्तु राज्य सरकार इस समस्या का समाधान करने को दृढ़ संकल्प है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मैं मन्त्री महोदय से एक बार पुनः अनुरोध करता हूं कि भागीदारी प्रबन्ध व्यवस्था में चल रहे सभी औद्योगिक संस्थान तथा लघु उद्योग इस विधेयक के दायरे मे लाये जायें।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मेरा विचार है कि पूरी सभा इस विधेयक का स्वागत करती है किन्तु इस रूप में आने के लिए इसे बहुत अधिक समय लगा।

स्वतन्त्रता प्राप्त करने से बहुत पहले, बहुत समय पूर्व ही हम लोग इन फैक्टरियों के मालिकों और प्रबंधकों द्वारा किए जा रहे कुप्रबन्ध के बारे की शिकायत करते आ रहे हैं। किन्तु अब, स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी, हम लोग सरकार को इस बात की चेतावनी देते हैं कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कोई ऐसा विधेयक लाना चाहिये जिससे कि ये उद्योगपति न केवल अपने शेयरधारकों और अपने श्रमिकों के साथ अपितु समग्र राष्ट्र के प्रति उचित भूमिका निभायें। बहुत समय के पश्चात् यह विधेयक लाया गया है।

किन्तु, साथ ही हम यह कैसे कह सकते हैं कि मेरे मित्र श्री मूल चन्द डागा ने इसे प्रवर इस समिति को सौंपने का जो सुझाव दिया है, वह गलत है। विधि मंत्रालय तथा संबंधित मंत्रालयों में इस सरकार के प्रारूप तैयार करने वाले विभाग तथा अन्य सम्बद्ध मन्त्रालयों की आम तौर पर यह

आदत हो गई है कि वे अपने विधेयक इस सभा में प्रस्तुत करा देते हैं, फिर समय की कमी के कारण समुचित विचार-विमर्श के बिना ही उन्हें पारित कराते हैं। हम सरकार को कई बार चेतावनी दे चुके हैं इससे पूर्व मैंने भी यही किया है। यह एक विस्तृत विधेयक है और यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय से सम्बन्धित है तथा इसमें 36 खण्ड हैं। मेरा अनुमान है कि आखिर तक सरकार इन विभिन्न खण्डों को अंतिम रूप देने के बारे में विचार कर रही थी निश्चित रूप से यही एक कारण है कि सरकार ने इसे परामर्शदात्री समिति के समक्ष उठाने की बात कभी सोची ही नहीं। क्या इसे परामर्शदात्री समिति के समक्ष रखा गया है? उन्हें ऐसी आदत नहीं है किन्तु भूतकाल में यह अच्छी प्रक्रिया अपनाई जाती रही थी। मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण विधेयत के समक्ष रखे जाने काहिये···

उपाध्यक्ष महोदय : इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हम धीरे-धीरे विभिन्न समितियों का गठन करने जा रहे हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : यह गलत तरीका है और जब सदस्यगण शिकायत करते हैं, तब यह कैसे कहा जा सकता है कि सदस्य गलती पर हैं। इसे अब लाया गया है और समय समिति है। सदस्यगण सुझाव देते हैं। मंत्री स्वीकार करने अथवा न करने के बारे में अथवा पूर्णतः स्वीकार करने अथवा अंशतः स्वीकार करने के बारे में विचार करते हैं किन्तु इतने बिलम्ब के बाद इस समय तक वह इस सभा में संशोधन का कोई सुझाव देने अथवा हम लोगों द्वारा प्रस्तावित किसी भी सुझाव को स्वीकार करने में पिछड़ जाते हैं। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया के पालन के लिये सरकार को गंभीरता पूर्वक विचार करना होगा।

इसके अलावा एक के बाद एक सदस्य यह सुझाव देते रहे हैं कि सरकार विभिन्न औद्योगिक संस्थानों का अधिग्रहण कर ले। क्या सरकार के पास ऐसी अपेक्षित व्यवस्था है जिससे इन औद्योगिक संस्थानों का प्रबन्ध निजी उद्योगपतियों की अपेक्षा अधिक कुशलता पूर्वक किया जा सके? उनके पास ऐसा कोई उपकरण नहीं है। उन्हें एक संवर्ग बनाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि जितने लोगों को वे नियुक्त करते हैं उन्हें आरक्षित रखा जाये तथा उन्हें समुचित प्रशिक्षण दिया जाये तथा समय-समय पर जब कभी ये मिल रुग्ण हो जाये तब उन्हें उन अधिकारियों और प्रबन्धकों के उस पूल से निकालकर लगाया जा सके जिन्हें प्रशिक्षण दिया जा चुका है और जो कार्य करने को तैयार हैं। रुग्ण मिलों का प्रबन्ध चलाने के लिए सरकार उस पूल में से व्यक्ति लगा सकती है। किन्तु सरकार के पास ऐसा प्रबन्ध नहीं है। मैं यह देखता हूं कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव भी नहीं है।

उन्होंने इस बोर्ड के बारे में विचार किया है। यह अच्छी बात है। किन्तु इसके सदस्य कौन होंगे? एक माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि सेवानिवृत व्यक्तियों को औद्योगिक संस्थानों का सदस्य नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। आपकी सरकार का दृष्टिकोण इस बारे में स्पष्ट नहीं है कि कब किसी अधिकारी को सेवा निवृत करना चाहिए। कुछ अधिकारियों को 53 वर्ष की अवस्था में सेवा निवृत कर दिया जाता है तो कुछ को 58 वर्ष की आयु में। उच्च न्यायालय

के न्यायाधीशों को 63 या 65 वर्ष की आयु तक भी ठीक समझा जाता है। मेरा विचार है कि इस प्रकार का कोई कठोर नियम नहीं होना चाहिये। इस बात को नियोक्ता अधिकारी के निर्णयाधीन छोड़ दिया जाना चाहिए कि किस व्यक्ति को प्रबन्धक अथवा बोर्ड का सदस्य नियुक्त करने के योग्य समझा जाये।

इसके अलावा क्या यह बोर्ड गैर-राजनैतिक होगा। इसे नितांत गैर-राजनैतिक बनाया जाना चाहिये। किन्तु क्या यह सम्भव हो सकेगा ? लोक तंत्र में जाने अथवा अनजाने में राजनीति की पैठ हर क्षेत्र में हो जाती है किन्तु यथासंभव इसे राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक अपीलीय प्राधिकरण भी होगा। यह अच्छी बात है। किन्तु अपीलीय प्राधिकारी कोई कार्यरत न्यायाधीश अथवा भूतपूर्व न्यायाधीश सरकारी सचिव होने चाहिये। सचिव भी अनेक प्रकार के हैं। कभी-कभी इतने योग्य सचिव होते हैं जो मंत्री को अपने सुझाव देने में सक्षम होते हैं।

[अनुवाद]

अगर किसी ऐसे व्यक्ति को वहां भेजा जायेगा तो कुछ कठिनाई हो सकती है। अतः वित्त मन्त्रालय तथा वित्त मंत्री के चरित्र पर इतना निर्भर करता है और मैं इसको उन्हीं पर छोड़ता हूं।

अब मैं इन लोगों की सजा के बारे में बात करूंगा। मन्त्रालय इसके बारे में कुछ अस्पष्ट है। 6 माह एक वर्ष तथा दो वर्ष की सजा का प्रावधान है, क्या दोषी व्यक्ति को दी गई प्रत्येक माह की सजा के लिए 1000 रुपये का जुर्माना काफी है ? प्रारूप तैयार करने वाला इसके प्रति बहुत ही लापरवाह लगता है। इन बातों पर बहुत ही कम ध्यान दिया गया है।

पहले जब एक माननीय सदस्य प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी की बात कर रहे थे तो मन्त्री महोदय ने एक आश्वासन दिया था। पहले श्रम मन्त्री ने भी आश्वासन दिया था कि श्रमिकों के हितों पर मुख्य रूप से विचार किया जायेगा। किसी मिल के परिसमापन होने के स्थिति में श्रमिकों की मजदूरी और उनकी भविष्यनिधि की राशि सर्वप्रथम दी जायेगी। यह एक अच्छी और स्वागत योग्य बात है। परन्तु क्या श्रमिकों की कुछ जिम्मेदारी नहीं है ? मेरे मित्र जापान में जो हो रहा है उसका हवाला दे रहे थे। जापान में श्रमिक इस प्रकार से व्यवहार नहीं करते हैं जैसा कि हमारे देश के श्रमिक करते हैं। वहां पर श्रमिक सर्वप्रथम देशभक्त होते हैं और उसके पश्चात् उनकी मजदूरी तथा वेतनों सम्बन्धी मांगों का नम्बर आता है। क्या हमारे मजदूर संघ के लोगों को इस पर कुछ विचार नहीं करना चाहिए ? वे प्रत्येक चीज का राष्ट्रीयकरण चाहते हैं। यह राष्ट्रीकरण का प्रश्न नहीं है। हमारे बहुत सारे सरकारी औद्योगिक कारखाने हैं। परिणाम क्या है ? हमारा अनुभव क्या है ? क्या वे पर्याप्त रूप से कुशलता से कार्य कर रहे हैं श्रमिक अपनी भूमिका इतनी कुशलता तथा देशभक्ति की भावना के साथ अदा नहीं कर रहे हैं जितनी की उन्हें करनी चाहिये। अतः हमारे औद्योगिक कारखाने अच्छे परिणाम दिखायें और हमारा राष्ट्र तेजी से

प्रगति करे इसके लिये उद्यमियों, पूंजीपतियों, शेयरहोल्डरों तथा हमारे विभिन्न सरकारी वित्तीय संस्थानों एवं श्रमिकों के प्रबन्ध आदि सभी को कुशलता और देश भक्ति की भावना के साथ अपनी भूमिका निभाने की कोशिश करनी चाहिये। अब सभा के सभी पक्षों, मजदूर नेताओं तथा राजनीतज्ञों एवं अन्य लोगों की इस बात को हृदयंगम करना चाहिये। जब हम इन विभिन्न इकाइयों को पुनः आरम्भ करते हैं तो क्या हमें उन्हें पहले वाले प्रबन्धकों को ही वापिस करना होगा, अगर हां तो किस वर्ग अथवा उस प्रबन्ध के किस वर्ग को, ऐसे लोगों को जिन्हें दोषी सिद्ध नहीं कर सकते अथवा न्यायालय से दोषी सिद्ध नहीं करा सकते, परन्तु उन्हें दोषी समझा जा सकता है और वे सकते, औद्योगिक इकाइयों के रुग्ण होने के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं, क्या आप उन लोगों के हाथों में इकाइयों को सौंपना मुनासिब समझेंगे? मैं निश्चित तौर पर यह महसूस करता हूं कि उन लोगों को फिर से उन उद्योगों और औद्योगिक कारखानों के प्रबन्ध में वापिस नहीं लिया जाना चाहिए जिनमें सुधार किया गया है। जिन लोगों को इस हद तक दोषी पाया जाये उन्हें काली सूची में दर्ज किया जाये। मेरे माननीय मित्र, वित्त मन्त्री महोदय ने वित्तीय संस्थान; क्या काम करें, के बारे में सलाह मांगी है। मैं बल्कि उनके एक सुझाव से सहमत हूं कि देश भर में जितने भी वित्तीय संस्थान हैं, जिन पर भारत सरकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियन्त्रण है अथवा प्रबन्ध प्राधिकार हैं, को सलाह दी जाए कि वे ऐसी कम्पनियों को कतई प्रत्यक्ष या अत्यक्ष रूप से ऋण न दें जिन पर काली सूची में दर्ज उद्योगपतियों का प्रत्यक्ष हित हो अथवा नियंत्रण हों। इस तरह से वे इस ढांचे पर कुछ नियंत्रण कर सकेंगे तथा उनमें कुछ अनुशासन ला सकेंगे।

इसके बाद, महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगा कि लघु उद्योगों के बारे में क्या किया जाए इस पर कुछ विचार करें। ये बहुत से हैं। अतः वह समझते हैं कि हम उन पर इसी समय निपटने की कोशिश नहीं कर सकते। इन लघु उद्योगों से निपटने के तरीकों एवं उपायों पर अध्ययन शुरू करने के लिए यह बहुत ही उपयुक्त समय है, उन्हें भी नियंत्रण के अधीन लाया जा सकता है। वह 6 माह या एक वर्ष या दो वर्ष का समय ले सकते हैं और उनके बाद आवश्यक, प्रशासनिक एवं विधायी प्रस्तावों को सभा में पेश कर सकते हैं ताकि हमें यह विश्वास करना संभव हो सके कि लघु उद्योगों के क्षेत्र में भी औद्योगिक सुधार हो जाएगा।

इसके अतिरिक्त, इन औद्योगिक कारखानों में श्रमिकों की भागीदारी के सम्बन्ध में, मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने पहले ही प्रबन्ध बोर्ड में उनकी सहभागिता तथा उनका सहयोग सुनिश्चित करने के लिए तथा पर्यवेक्षक अधिकारियों को यह पता लगाने में सहयोग करने के लिए कि कौन सी औद्योगिक कम्पनी में कुप्रबन्ध है तथा कौन से उद्योगपति धोखा दे रहे हैं, यथासंभव शीघ्र कदम उठाने का निर्णय लिया है। मैं नहीं चाहता कि किसी को तथा प्रत्येक को इन लोगों के खिलाफ शिकायत करने के अधिकार की अनुमति दी जाये क्योंकि जहां तक प्रबन्ध का प्रश्न है। इससे बहुत अधिक अनिश्चिता उत्पन्न होगी, परन्तु श्रमिकों, मजदूर संघों को, किसी भी मजदूर संघ या प्रत्येक मजदूर संघ को नहीं, बल्कि मान्यता प्राप्त मजदूर संघों को शिकायत करने के लिए

उत्तरदायी बनाया जाये और उन शिकायतों पर सरकार द्वारा अथवा उनमें से किसी वित्तीय संस्थान द्वारा, जिन्हें उद्योग को वित्त जुटाने के लिए जिम्मेदार बनाया गया है, गम्भीरता से विचार करना चाहिए। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, माननीय वित्त मन्त्री जी ने जैसा अपने बजट भाषण में कहा था कि उद्योगों रुग्णता को नियन्त्रित करने के लिए और जिनको दुरुस्त कर सकते हैं उनको दुरुस्त करने का प्रयत्न करेंगे, यह बिल उसी के अनुरूप लाया गया है। मैं समझता हूं प्रत्येक व्यक्ति इसका स्वागत करेगा। लेकिन रुग्णता की बात जब हम करते हैं तो उसमें हम एक चीज को समझने में असमर्थ हैं और वित्त मन्त्री जी इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। वह स्थिति उस समय पैदा होती है जब कोई व्यक्ति जानना चाहता है कि देश भर में कुल कितनी रुग्ण इण्डस्ट्रीज है और कितना ऐसा पैसा है जिसको वसूल नहीं किया जा सकता है। इस बात की कोई सही जानकारी नहीं होने के कारण परिस्थिति कितनी गम्भीर है उसका सही अन्दाजा हम नहीं कर पाते हैं। इन आंकड़ों के अभाव में रुग्णता को प्रदर्शित ही नहीं कर सकते हैं। इस बिल के माध्यम से रुग्णता को प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है लेकिन मैं नहीं समझता इससे जिस बात को आप चाहते हैं और जो आपकी मंशा है, जो आपकी सरकारी नीति है उसको आप ठीक से लागू कर सकेंगे। बहुधा देखने में आता है कि रुग्णता के लिए कई फैक्टर्स जिम्मेदार हो सकते हैं। उनमें से कुछ तो ऐसी बात हो सकती है जो कि उद्यमियों के द्वारा पैदा की गई हो, उनको जान-बूझकर पैदा करते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स हमारे नीतिगत निर्णयों के कारण भी पैदा हो सकते हैं। जिनके ऊपर औद्योगिकीकरण का दायित्व सौंपा गया है उनके द्वारा ठीक से सरकार की नीतियों को लागू न करने के कारण, उद्यमी को ठीक समय पर मदद न करने के कारण भी ऐसा हो सकता है। तो जहां कहीं ऐसी स्थिति हो कि उद्योग विभाग के लोग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स के लोग समय पर ठीक से उनकी मदद न कर रहे हों जिसके कोई उद्योग रुग्ण हो जाए तो उस हालत में अवश्य उनकी मदद की जाए।

3.16 म० प०

[श्री एन० वेंकट रत्नम पीठासीन हुए]

इसके साथ ही साथ कई बार ऐसा भी देखने में आता है, अखबारों के माध्यम से तथा पार्लियामेंट में भी आपके ध्यान में इस बात को लाया गया है। कि कई लोग जान-बूझकर रुग्ण करना चाहते हैं, ऐसे उद्यमी का उद्देश्य यह होता है कि एक उद्योग लगाकर एक निश्चित मात्रा में प्राफिट कमाने के बाद उसमें से पैसा निकालकर दूसरे उद्योग में लगा दिया जाए तथा उसको रुग्ण डिक्लेयर कर दिया जाए। कभी लेबर को हटाने के नाम पर और कभी दूसरे कारणों से उद्योग को रुग्ण कर देते हैं। मैं वित्त मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे मदद अवश्य करें लेकिन केवल बोर्ड बनाने से काम नहीं चलेगा। बोर्ड के पास

आखिर कौन-सी एजेन्सी होगी जिसके द्वारा वे एनालाइज कर सकेंगे कि कौन से कारण हैं जिनसे उद्योग रुग्ण हुआ है। मैं आग्रह करूंगा कि बोर्ड में इस प्रकार के लोगों को रप्रेन्टेशन दिया जाए जो ट्रड यूनियन से, लेबर से सम्बन्धित हों, जनप्रतिनिधियों को भी रखा जाए। साथ ही साथ जो उद्यमी इस बात के दोषी पाए जायें कि वे उद्योग को रुग्ण करते हैं तो उनको अवश्य दण्डित किया जाना चाहिए। जब तक आप उनको पेनलाइज नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं समझता मौजूदा स्थिति में आप जो सुधार लाना चाहते हैं वह आ सकेगा। इस समय सरकार का अरबों रुपया लगा हुआ है और एक लाख से भी ज्यादा बड़े और माध्यम ऐसे उद्योग हैं जोकि रुग्ण है। कई इण्डस्ट्रीज में तो सिकनेस की टेन्डेन्सी बन गई है तो ऐसे उद्योगों के प्रबन्धकों पर नियंत्रण लगाने की बड़ी आवश्यकता है। केवल पैसा दे देने से या कुछ और कर देने से ही काम नहीं चलेगा। मैं मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि इस बिल के द्वारा जहां आपने इतना अच्छा प्रावधान किया है वहां धन देने के साथ-साथ कड़ाई से नियन्त्रण करने का भी प्रावधान होना चाहिए।

श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि (राजकोट) : सभापति महोदय, आज सारे देश में सिक इन्डस्ट्री है। हमारे गुजरात में भी बहुत सिक इन्डस्ट्री हैं। सबसे पहले तो मैं वित्त मन्त्री महोदय को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने जो मिलें बन्द थीं, उनका राष्ट्रीयकरण करके अपना लिया है।

इसके साथ-साथ हमारे मत-विस्तार राजकोट जिले में जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में बताना चाहती हूं। इस बारे में पहले भी मैंने माननीय वित्त मन्त्री जी को बताया था। हमारे राजकोट जिले में डीजल इंजन के बारे में मंत्री जी ने जो कदम उठाया है, स्पेयर-पार्टस को एग्जैम्पशन दी है, वह तो ठीक है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अण्डर-चैप्टर : 10 के अन्दर जो प्रोसीजर है, वह इतना काम्पलीकेटेड है कि इसकी वजह से गांव में रहने वाले अनपढ़ कारीगर उसको न समझ सकते हैं और न जान सकते हैं। इस लम्बे प्रोसीजर से तंग आकर उन्होंने एग्जैम्पशन लेना छोड़ दिया है। मेरे विचार में तो यह गरीब किसानों के साथ खिलवाड़ किया गया है।

वित्त मंत्री (श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह) : अभी तो नोटिफिकेशन ही हुआ है, अभी अन्दाजा कैसे हो सकता है।

श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि : गुजरात में इस अकाल के वक्त में आप गरीब लोगों को रोजी देना चाहते हैं। आज नए राहत कार्य शुरू हुए हैं। लेकिन हमारे जिले में उससे तो 40-50 हजार लोग बेकार हो जायेंगे। इसके बारे में मंत्री महोदय को गम्भीरता से सोचना चाहिए। तीन हजार कारखाने हमारे ही जिले में और देश में कई राज्यों में यूनिटें बन्द हो रही हैं। वित्त मंत्री महोदय से अर्ज है कि मुक्ति का बहाना तले लम्बा प्रोसीजर है, उसको बन्द कर दिया जाए, जिससे गरीब और अनपढ़ कारीगरों की परेशानी दूर हो। मैं विनती करती हूं कि इस दिशा में कदम उठाकर गरीब लोगों को फिर से नया जन्म देने की कोशिश करें।

इस आशा के साथ सभापति महोदय मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

[अनुवाद]

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : महोदय, मैं इस सभा के सबसे पुराने सदस्य, प्रो० रंगा, द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों के प्रति विरोध प्रकट करने की अनुमति चाहता हूं। उन्होंने श्रमिकों की देशभक्ति पर सन्देह किया है। उन्होंने उनकी वफादारी पर उंगली उठायी है। मैं विरोध प्रकट करता हूं और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे श्रमिक देशभक्त हैं तथा वे उद्योगों के प्रति भी वफादार हैं।

श्री टी० वशीर (चिरयिंकिल) : उन्होंने यह नहीं कहा कि श्रमिक देशभक्त नहीं हैं।

श्री नारायण चौबे : श्रमिक देशभक्त हैं। वे वफादार भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिवेदन के आंकड़ों के अनुसार 65·5 प्रतिशत रुग्णता कुप्रबन्ध की वजह से है। वास्तव में, जून 1984 तक 83,597 कारखाने बन्द हुए हैं जिनमें 3274 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। इनमें से 513 बड़े एकक हैं और ये 513 एककों में 2113 करोड़ रुपए की राशि लगी हुई है।

यह एक अच्छी बात है कि उन्होंने यह विधेयक पेश किया है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि कुछ मित्रों ने कहा है कि लघु उद्योगों तथा सहायक उद्योगों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह मेरा प्रथम नम्र निवेदन है। यह भी एक अच्छी बात है कि खंड 2 में नीति निर्देशक सिद्धान्तों का भी उल्लेख है। इसको थोड़ा और अधिक व्यापक बनाना चाहिए ताकि सरकार को हमेशा यह स्मरण रहे कि हमारे संविधान में नीति 'निर्देशक सिद्धांतों' के नाम से एक चीज है जिनका सामान्य तौर पर हम अनुसरण नहीं करते हैं। यह केवल एक पैरा के रूप में नहीं होना चाहिए और मेरे विचार में इसका और विस्तार किया जाना चाहिए। खंड 4 में कहा गया है कि बोर्ड में 14 सदस्य होंगे। इस बोर्ड में, हमारा सुझाव है कि कम से कम, 14 या 10 जैसी भी स्थिति हो, मजदूर संघ द्वारा नामांकित व्यक्ति भी शामिल किए जाने चाहिए। क्योंकि मंत्री महोदय अच्छी तरह से जानते हैं कि इस रुग्णता के कारण प्रभावित लोगों में श्रमिक वर्ग ही सबसे अधिक प्रभावित हैं। क्योंकि जिस तन लागे सो तन जाने। स्वभावतः, मेरा सुझाव है कि उन्हें बोर्ड में होना चाहिए।

एक और बात जो विधेयक में है, आपने 2 या 3 या 4 व्यक्तियों को या जो भी आप समंजन कर सकते हैं, रखा है। जो लोग श्रमिक लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें भी बोर्ड में सम्मिलित किया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें समस्याओं का पता होता है। इसमें आपने कई लोगों को सम्मिलित किया है जिनमें से कुछ विशेषज्ञ हैं, यह अच्छी बात है। मेरा इस पर एतराज नहीं है। परन्तु जहां तक श्रमिक वर्ग का सम्बन्ध है वे सबसे अधिक प्रभावित हैं और प्रतिवेदन देते समय सरकार ने कहा है कि जिम्मेदारी अब रुग्ण होने वाली कम्पनी पर होगी। मैं इस पर एतराज नहीं

करता । परन्तु सरकार शुरू से जानती है कि जब मजदूरी अनियमित रूप से दी जाती है, मजदूरी रोकी जाती हैं, भविष्यनिधि, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, इत्यादि की राशि का भुगतान रोका जाता है तथा कर्जदारों का भुगतान रोका जाता है तो इससे सबसे पहले जिन लोगों को पता चलता है कि कम्पनी रुग्ण होने वाली है तो स्वभावतः, मैं चाहता हूं कि उन लोगों को उचित अधिकारियों को यह सूचना देने का अधिकार होना चाहिए कि यह कम्पनी अथवा कारखाना रुग्ण होने वाला है क्योंकि वे इस बात को बहुत पहले समझ जाते हैं । वर्तमान प्रक्रिया द्वारा इस बात का पता लगने में बहुत समय लगता है । आपकी प्रक्रिया से कम से कम 20 माह लगेंगे क्योंकि कोई भी कम्पनी दो माह में अपने लेखों को लेखा-परीक्षण नहीं करा सकती है । यह कम से कम छः माह लेती है । 12 जमा 6, 18 होते हैं । कुछ और उपाय यहां पर किया जाना चाहिए । परन्तु जब किसी श्रमिक को, चाहे वह बिहार अथवा उड़ीसा या बंगाल के कारखाने में कर रहा हो, वेतन नहीं मिलता अथवा कोई ऋणदाता जिसने धन दिया है । और उसका वह धन उसे वापिस नहीं दिया जाता है तो वे समझ जाते हैं कि कम्पनी रुग्ण होने वाली है अतः बहुत पहले सुरक्षा उपाय कर सकते हैं ।

एक और सुझाव यह है कि प्रत्येक कम्पनी अपने सांविधिक परीक्षक लेखा होने चाहिए क्योंकि जब वे लेखा परीक्षण करने जायें तो उन्हें वित्तीय स्थिति का पता चल जाए । अतः सरकार प्रतिवेदन तैयार करने वाले सांविधिक लेखा-परीक्षकों के लिए, यह अनिवार्य कर दे कि जब कभी उन्हें पता चले कि कम्पनी खराब हालत में चल रही है अथवा कोई गलत कार्य कर रही हैं तो इसको वे अपने प्रतिवेदन में सम्मिलित करें । अतः इन सांविधिक लेखा-परीक्षकों को रुग्णता की खबर देने वाले ढ़ांचे में, जैसा कि इस विधेयक में हैं, सम्मिलित करना महत्वपूर्ण है । ये हमारे सुझाव हैं ।

अन्तिम बात जिसका मैं निवेदन करना चाहता हूं है कि सरकार को इस विधेयक में ही सख्त सजा का प्रावधान करना चाहिए क्योंकि सरकार अच्छी तरह से जानती है कि उद्योग को रुग्ण बनाना स्वयं में एक उद्योग बन गया है, और उद्योग को रुग्ण बनाने वालों के लिए कोई भी सजा नहीं है । स्वभावतः ही अगर आप सख्त सजा का प्रावधान नहीं करते तो ये लोग, आप जो चाहे कर लीजिए, आप यहां बैठें या न बैठें, ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो मामलों को न्यायालयों में ले जायेंगे जब तक अनुच्छेद 226 और ऐसी वैसी बातें मौजूद रहेंगी ।

अतः आपको इसका सामना करना होगा । आप कब ऐका कदम उठाने जा रहे हैं । अपितु ऐसे लोगों को नियंत्रण में रखना असंभव है ।

इन बातों के साथ, मैं यह अनुरोध करता हूं कि आपका इरादा अच्छा है । किन्तु इस विधेयक के उपन्ध में ये सभी मत व्यक्त नहीं होते हैं । अतः आज आप यह विचार कीजिए, आप यह विधेयक पूरा नहीं कर सकते । आप कल कुछ संशोधन ला सकते हैं ताकि वे बातें जिनका उल्लेख किया गया है विधेयक में सम्मिलित की जा सकें ।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय,

[अनुवाद]

"समय पर सावधानी मुसीबत से बचाती है।"

[हिन्दी]

जब कपड़ा बिल्कुल जीर्ण हो चुका है, तो आप बिल ले कर आए हैं और अब कपड़े में थोड़ी जगहों पर टाके लगेंगे।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : तब भी अच्छी बात है।

श्री मूल चन्द डागा : तब भी अच्छी बात है। यू० ही० है, इसलिए अच्छी बात है। सीधा सवाल यह है कि आप की जो सिक यूनिट्स के बारे में पालिसी बनी, 1981 में बनी थी :

[अनुवाद]

यहां कहा गया है कि :

"औद्योगिक रुग्णता के संबंध में सरकार की रीति की घोषणा संसद में मई 1978 में की गई थी।"

इस पर 1981 में पुनः बल दिया गया। यहां यह भी कहा गया है :

"वित्तीय संस्थाओं को निगरानी व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के अनुदेश दिए गए हैं ताकि समय पर सुधारात्मक कार्यवाही की जा सके।"

[हिन्दी]

श्रीमन, आपने इस बिल को देखा होगा जिसमें लिखा है किसी भी इन्डस्ट्री को आप सात साल से पहले टच नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से 5 साल की योजना बताती है जब कि हमारे मंत्री जी कह रहे हैं कि यदि किसी इन्डस्ट्री ने लगातार दो साल घाटा उठाया हो और उसकी पूरी पूंजी का आधा हिस्सा घाटे में चला गया हो तो उसे टच किया जा सकता है। इसका कौन जिम्मेवार होगा? जब किसी फाइनेन्श्यल इन्सटीट्यूशन या बैंक ने उसको कर्जा दिया है तो उसका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह उड़ उस इन्डस्ट्री की प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देखे कि वह इन्डस्ट्री पनपेगी या नहीं विकास करेगी या नहीं। उसमें इन्डस्ट्री डिपार्टमैंन, बैंकिंग इन्सटीट्यूशन्स और फाइनैन्श्यल इन्सटीट्यूशन्स करते है, लेकिन आपने यह नहीं किया। आपने तो यह कर दिया कि उसको 7 सात का पीरियड दे दिया। मेरी आपसे प्रार्थना है कि महरबानी करके इस पीरियड को घटा दीजिए क्योंकि 7 साल के पिरियड में तो वह सारी पूंजी खत्म कर चुकेगी। आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि प्रतिवर्ष उसकी मौनीटरिंक हो सके। इसके अलावा आपने यह भी लिखा है कि :

[अनुवाद]

"वित्तीय संस्थाओं को निगरानी व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के अनुदेश दिए गए हैं ताकि समय पर सुधारात्मक कार्यवाही की जा सके"

[हिन्दी]

करैक्टिव मैयर्स लेने के लिए पहला कदम आपने यह उठाया है कि 7 साल का उसको समय दे दिया है

[अनुवाद]

समय पर सावधानी मुसीबत से बचाती है।

[हिन्दी]

यदि कम्पनी गलत काम करती है तो शायद पता चल जाएगा इसीलिए आपने यह प्रावधान यहां रखा प्रतीत होता है। लेकिन आपको देखना चाहिए कि उसमें आपका भी पैसा लगा हुआ है, जनता का पैसा भी लगा है, और नेशनेलाइज्ड बैंक्स का पैसा लगाया गया है, और किसी भी गलत बात को आप वहीं चैक कीजिए, उसको 7 साल का समय नहीं दिया जाना चाहिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : 7 साल का समय देने के पीछे कारण यही है कि जब भी कोई कम्पनी या फैक्टरी शुरू होती है तो शुरू के सालों में उसमें हमेशा लौस रहता है। फिर तो वह शुरू से ही सिक डिक्लेयर हो जाएगी। इस प्रावधान की वजह से अब वह शुरू से नहीं हो पाएगी।

श्री मूल चन्द डागा : मैं अपसे सहमत हूं लेकिन एक बात यहां ध्यान देने की जरूर है कि आपने जो पोलिसी निर्धारित की है, वह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। यहां पर एन० डी तिवारी सहाब, इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर को मौजूदा रहना चाहिए, उनके साथ-साथ प्लानिंगक मिनीस्टर सहाब को भी मौजूद रहना चाहिए क्यों कि आपने जगह-जगह जो स्टेटमैंट दिए हैं, वे अलग-अलग हैं। पहले मैं तिवारी जी के स्टेटमैंट की तरफ आपका ध्यान आर्षित करना चाहता हूं, वे कहते हैं :

[अनुवाद]

"लघु औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ती हुई रुग्णता सचमुच गम्भीर चिन्ता का विषय है।"

[हिन्दी]

वह अपनी बात कह रहे हैं :

[अनुवाद]

"अब एक लाख रुग्ण इकाइयां है (13 लाख पंजीकृत एककों में से) जिनमें 1000 करोड़ रुपये का बैंक ऋण लगा है, 7 वर्ष पूर्व 15 हजार इकाइयों में 250 करोड़ रुपया लगा हुआ था।"

[हिन्दी]

उनका कहना है कि हमारी इतनी इन्डस्ट्रीज बीमार हैं और उसमें हमारा इतना रुपया खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ, इनका कहना है कि इनके अन्दर हमको प्रतिवर्ष 4 हजार करोड़ रुपये का घाटा होता है और इतना माल उत्पादन हो सकता है। और आपके इन्डस्ट्रीज डिपार्टमैंट के सैक्रेटरी कह रहे हैं कि किसी इन्डस्ट्री को लिया नहीं जाएगा। अब आप ही बताइये जब पब्लिक सैक्टर से सम्बन्धित श्री हरबंस सिंह जी सैक्रेटरी पब्लिक एन्टरप्राइजेज, कहते हैं;

[अनुवाद]

"श्री सिंह, जो भारी घाटे में चल रहे उद्योगों के संबंध में प्रेस रिपोर्ट पर टिप्पणी कर रहे थे, ने कहा कि हम ऐसी किसी कम्पनी के संबंध में विचार नहीं करते हैं जो असुधार्य हो। ब्यरो 37 कम्पनियां चला रहा है जिसमें भारी कम्पनियों भी हैं"

उन्होंने यह भी कहा :

"इन कम्पनियों ने वर्ष 1984-85 के दौरान 43 करोड़ रुपये की शुद्ध हानि दिखायी।"

आपकी जो पब्लिक अन्डरटेकिंग्स रेगुलर घाटे में जा रही है उनके लिए आप क्या करेंगे। उनके लिए आपके सैक्रेट्री कहते हैं कि उनको बंद करने का इरादा नही रखते हैं। आपके इन्डस्ट्री मिनिस्टर कर रहे हैं, अन्य मिनिस्टर कह रहे हें कि हम उनको लेना नहीं चाहते हैं श्रीमन् यह बताइये आपने स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज को छोड़ दिया, अब आप पब्लिक सैक्टर को छोड़ना चाहते हैं, तो जो इण्डस्ट्रीज सिक हैं उनके लिए आपने क्या सोचा है। श्रीमन् मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूं कि जो अन्डरटेकिंग्स सालों से बराबर घाटा खा रही हैं और जिन्होंने हमारी जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ किया है, जिनमें 4 हजार करोड़ रुपया खत्म हो चुका है, इसके लिए किस की जिम्मेदारी होगी। आप एक आस्पेक्ट को तो छू रहे हैं, लेकिन दूसरे को छोड़ रहे हैं। जिन फायनेंश्यल इन्टीट्यूशस के अधिकारियों ने बैंक के अधिकारियों से मिलकर इन को पैसा दिलवाया है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है।

सभापति जी, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा जिन्होंने प्रौजैक्ट रिपोर्ट नहीं देखी और जिनके कारण इनको घाटा हुआ है जिनकी गलती के कारण बराबर लॉस होता जा रहा है, उनको आप क्यों टच नहीं करना चाहते हैं। इन्होंने नैशनलाइज्ड बैंक का पैसा बरबाद किया है, इसके लिए कौन अकाउन्टेबल होगा, यू आर अकाउन्टेबल फॉर दैट उनको आप मॉनिटरिंग करिए। आपका ये बिल केवल एक बात कहता है और आपने इसमें कितना लंबा समय दिया है, आप इसके ऊपर मेहरबानी कर के सोचिए, इस बिल को पढ़िए, यह बिल कब लागू होगा। में जानता हूं हमारे वित्त मंत्री महोदय बड़े काबिल आदमी हैं, काम करने में बड़ी तेजी दिखाते हैं पहले आपका बिल लागू होगा फिर रूलस-रेगुलेशन्स बनेंगे और सारे बिल में आपने जगह-जगह "एज प्रेस्क्राइब्ड" लिख दिया

है, अपाइन्टमेंट कैसी होगी-एज प्रैस्क्राइब्ड, इसी प्रकार से हर बात के लिए अपने एज प्रेस्क्राइब्ड लिख दिया है। इससे बात नहीं बनती है। क्योंकि आज जो सरस्या है इसका निराकरण तत्काल होना चाहिए लेकिन बिल लगू होने के बाद 5-6 महीने रूल्स फ्रेम होने में लग जाएंगे, तो समस्या का निराकरण तत्काल नहीं हो पाएगा। शायद विश्वाथ प्रताप सिंह जी बड़ी तेजी करेंगे तो एक महीने में रूल्स बन जाएं। लेकिन आपने इसमें रिपोर्ट करने के बाद इन्क्वायरी होने के लिए 60 डेज का टाइम दिया है किन्तु उसके बाद अपीलेट कोर्ट का कोई टाइम फिक्स नहीं किया है। इस प्रकार से बहुत ज्यादा समय आपने ससय आपने इसमें दे दिया है।

श्रीमन्, आज हालत यह है कि जो अच्छे वकील हैं वे हाई कोर्ट के जजेज बनना चाहते, ये जो आपने ट्रेब्युनल बनाने की की बात कही है, इसके लिए हाईकोर्ट जजेज कहां से आएगे, क्या आप उनको रेम्युनरेटिव पैसा देगें यदि नहीं, तो फिर लोग इसमें से भी पैसा खा जाएंगे। आजकल फायनेशनल इंस्टीट्यूशन्स में चेयरमैन ज्यादा मालदार नहीं होता है। फायनेंश्यल इंस्टीट्यूशन का मैम्बर ज्यादा मालदार हो जाता है और हम पीछे रह जाते हैं। आपने कह दिया कि हाईकोर्टस के जजेज हों, काबिल आदमी हों, एक्सपर्ट हों, पर आयेगा कौन ? आप पैसा क्या देंगे ? क्या आप महीने के 5 हजार रुपये देंगे ? आपने टोटल बजट तो 25 लाख का बनाया है, उसमें 2 से 14 आपने मेम्बर बना दिए तो इतने मेम्बर नहीं आ सकते। यह जो बोर्ड बनेगा, उसमे ईमानदार, निष्ठावान ओर कर्तव्यनिष्ठा लोग नहीं आयेगें। आप देखें कि चेयरमैन को 900 रुपये का बंगला, 3000 मोटर कार के और 4,4 नौकर फाइनेन्स की इंस्टीट्यशन्ज के मिल हैं। इस तरह से उनके काम चल रहे हैं।

आपके यहां तो आना ही बेकार है, आप किसी को चाय नहीं पिलाते। ऐसे मंत्री के यहां जाना बेकार है। एसे फाइनेन्स मिनिस्टर क्या जानते हैं कि क्या हालत चल रही है ? आप कह रहे हैं।

[अनुवाद]

हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करेंगे आप की सेवा कौन करेगा ?

[हिन्दी]

आपने बताया कि इतना रुपया देंगे। इसमें तो ईमानदार आदमी नहीं जायेंगे, न बोर्ड चलेगा और न अथौरिटी कायम होगी। इसमें इस बात की कमी है। आप इस बात पर निर्णय कर लीजिए कि इस पालिसी को कैसे चलाएंगे ? इतना लम्बा समय न दीजिए 60, 60 दिन का। उसके बाद आखिर में इंडस्ट्रीज का क्या होगा ? क्या वह हाईकोर्ट में दरख्वास्त करेंगे, सारा मैटीरियल लेजाकर रख देंगे कि इसको लिक्वडेटर को सौंप दीजिए। बाद मैं यह होगा कि इसको नीलाम कीजिए। वह कब तक होगा ? क्या आप लिक्वि डेशन की कार्यवाही से वाकिफ नहीं हैं ?

यह सिक इंडस्ट्रीज की योजना 1 71 में बन गई और वह कागजों में ही रही। आप बत दें कि मैनेजर्स के द्वारा किसको सजा दी गई ? या आप बता दें कि इतने लोगों को सजा होने वाली है। इस प्रकार यह योजना जो आप एक हिस्से के लिए बना रहे हैं, जो कम्पनी सील हो गई है, उसके लिए कब तक निर्णय हो जायेगा और कितने समय में आप उनको रिहैब्लीटेट कर देंगे। यह बड़ा लांग प्रोसीजर आपने कर दिया है।

मैं कहता हूं कि एक लिक्वीडेटर बैठ जाए तो एक डेढ़ साल लगायेगा। यह क्या प्रोसीजर है ? वह अपना हिस्सा निकालेगा। आप इस प्रोसीजर पर पुनर्विचार करें। एक बात यह बताइये, जहां पर सरकार गलती करती है वहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट्स पनिश किये जायेंगे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं अर्ज करूंगा कि इसका काम लिविवडेशन का नहीं है, रिहैब्लिटेशन के दायरे में रखना चाहते हैं।

श्री मूल चन्द्र डागा : यह कहकर बड़ी कृपा की है आपने। मैं चाहता हूं कि रिहैब्लीटेट कर दीजिये। अगर जय प्रकार नारायण की तरह चोरी को सुधारना चाहें तो जरूर सुधारिये। आपका धन्यवाद। जयप्राश बाबू ने कहा कि डाकुओं हमारे पास आओं अपना डाकूपन छोड़ दो। अगर आप कहेंगे कि तुम डाकूपन छोड़ दो तो वह छोड़ देगें ?

यह अच्छे सिद्धान्त की बात आपने कही है। डाकुओं को कहेंगें कि सुधार जाओ। तो इस तरह से तो वह सुधर गये। यह नई-नई बातें सुनने को मिली हैं, आदर्श की बातें हैं। मैं इन बातों से काफी खुश हूं।

आपने बताया कि जहां पर रिहैब्लीटेट नहीं होगा वहां उसको लिविवडेट कर देंगे। और हाईकोर्ट को कागजात पेश कर देंगे। वहां कौन से लिविवडेट एपाइन्ट कर रहे हैं कि नीलाम करो प्रापर्टी को। प्रापर्टी नीलाम करने के बाद जो सिक्योर्ड कैपिटल है, इस प्रोसीजर से आग का जो उद्देश्य है, जिस इरादे को लेकर आप सदन के सामने आएं हैं और आज जो यह बात चल रही है, उसके सम्बन्ध में तीन बातों की मांग कर रहा हूं कि पब्लिक सेक्टर जो कान्टीन्युअसली लास में चल रहे हैं जिन का कोई इलाज नहीं है उनको आप खत्म कीजिए करोड़ों रुपया जिन्होंने खत्म कर दिया और अब भी वह घाटे में हैं उनको खत्म कीजिए। लेकिन हमारे सेक्रेटरी साहब हरवंस सिंह जी स्टेटमेंट देते हैं कि हम उन को खत्म नहीं करेंगे। बड़ी अच्छी बात है सरदार साहब। इधर तिवारी जी कह रहे हैं कि जितनी सिक इंडस्ट्रीज हैं इन को किसी को खत्म नहीं किया जाएगा। क्या करेंगे आप ? कोई इलाज है ? इतना रुपया ब्लाक किया हुआ है। तो पहले तो आप का, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर का और पब्लिक अन्डरटेकिंग्स के मिनस्टर का एक दूसरे के साथ कोआपरेशन हो और फिर आप एक नयी बात देश के अन्दर रखिए कि ये सारे जो रुग्ण उद्योग हैं उन का इलाज यह होगा। आप ने शरीर के एक अंग को तो सुधार दिया लेकिन बीमारी तो पूरे शरीर में फैली हुई है। पब्लिक अन्डरटेकिंग्स में फैली हुई है, स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज में फैली हुई है और आप सुधार रहे हैं। कम्पनीज को मैं तो यह सोचता हूं कि माननीय मन्त्री जी

बैंक्स के मन्त्री हैं, वह यह कह रहे हैं मेरा पैसा जा रहा है, अपने पैसे को वसूल करो। मेरे दिमाग में यह बात आ रही है कि वित्त मन्त्री यह जो रख रहे हैं इस का कारण यही है कि वे इन्चार्ज हैं नेशनलाइज्ड बैंक के, इन्होंने सोचा कि मेरा पैसा डूब रहा है, मैं इस को निकालूं और···

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : सभी आपने कहा कि दुनियादारी से मुझको मतलब नहीं है।

श्री मूल चन्द्र डागा : अच्छा, मैं पकड़ा गया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यह तरीका किया क्यों ? मैं तो कहूंगा कि बैंक्स के इंचार्ज से कहिए कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखें, इन दि विगिनिंग वह देखें। ये सारी एप्पलायमेंट की स्कीम्स जो चल रही हैं मेहरबानी कर के देखिए, इस में जितना रुपया आपका जा रहा है बैंक्स से और फाइनेंशियल इंस्टीच्यूशंस से उससे कितने उद्योग लग गए ? आप बराबर इसको देखिए, मूल्यांकन देखिए। मूल्यांकन करना चाहिए।

आज टेक्नोलाजी के नाम पर एक बड़ी बीमारी यह चल रही है, मैंने देखा कि बड़े उद्योग जब यह कहते हैं कि यह चीज हिन्दुतान में पैदा होती है, इस की टेक्नोलाजी यहां मौजूद है तब भी न्यू टेक्नोलाजी इम्पोर्ट की जा रही है और उसके लिए लाएसेंस दिए जा रहे हैं। उसका नतीजा क्या हो रहा है कि इन्डस्ट्रीज हिंदुस्तान में काम कर रही है और अच्छा माल पैदा कर रही हैं वह पैदा करने नहीं पा रहीं हैं और बाहर से लोगों से सम्बन्ध जोड़कर उन सारी इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस के लिए कब कौन जिम्मेदार है ? कौन निर्णय करेगा कि टेक्नोलाजी न होने के कारण इसका इम्पोर्ट कर रहे हैं ? जहां पर जानबूझ कर आप यह कह रहे हैं···(व्यवधान)··· वह उद्योगों की रुग्णता का सवाल है। इस रोग को खत्म करने दीजिए। आप घंटी बजाते रहेंगे तो बीमारी खत्म नहीं होगी, रोग बना रहेगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : डागा जी को बोलने की जो पुरानी बीमारी है उसको तो सभापति जी, समझिए।

श्री मूल चन्द्र डागा : देख लीजिए, मेरे ऊपर हिट कर दिया। मैं तो अच्छी बात कह रहा हूं। टेक्नोलाजी का इम्पोर्ट आसान नहीं है।

यह भी एक बहुत बड़ी बात चलने लगी है कि इन्डिस्ट्रीज डिपार्टमेंट इन्डिजिनस के नाम पर एम० आर० टी० पी० सी० से भी ज्यादा अधिकार उनको दे रहा है। आपने इस बिल में क्या किया ?

इस बिल में एन्सिली इण्डस्ट्रीज को हटाया जाए। जो ऐन्सिलरी इण्डस्ट्रीज हैं, जो विकास कर रही हैं उनको आप टच न करें। वरना इसका प्रभाव अच्छा नहीं होगा। आज बड़े-बड़े अधिकारी जो होते हैं उनकी रंगीन शामें होती हैं, क्लबों में जाते हैं और इस तरह से लाइसेन्स दे देते हैं। इस तरह से इण्डस्ट्रीज बीमार होती है। तो बोर्ड में आप इसकी जांच की व्यवस्था भी रखिए।

यदि कोई प्रूव करता है कि किसी ने कोई गलत काम किया था, कोई लाइसेंस दे दिया गया जिससे इण्डस्ट्री को नुकसान पहुंचा तो उसकी जांच हो सके। आज टेक्नालाजी के नाम पर बड़ा घपला हो रहा है। आपने एम० आर० टी० पी० को बहुत बढ़ा दिया है। उन लोगों को आप बहुत ज्यादा मौका दे रहा है इसीलिए यह गड़बड़ है। (व्यवधान) मैं आपको बताता हूं;

[अनुवाद]

"वास्तव में देश में एक ऐसी विचारधारा बन गई थी कि अन्य देशों के निर्माताओं से उनके द्वारा फैंकी गई पुरानी मशीनें खरीदना आधुनिकीकरण और उपयोग का सर्वोत्तम तरीका है।"

[हिन्दी]

इस प्रकार की हालत हो रही है। (व्यवधान)

इसी तरह से आप देखें कि एन० टी० सी० में 359 करोड़ का घाटा है। कारण यह है कि कहीं ओवर-स्टाफिंग है और कहीं पर कोई और बात है। इस लिए आप मेहरबानी करके कुछ बड़े-बड़े लोगों को बुलाकर जो कि एक्सपर्ट हों, उनकी राय इस पर लें। इसीलिए मैंने कहा है कि एक महीने के लिए इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाए। वहां पर आप लोगों की राय ले ले। मैं तो चाहता हूं कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। जैसा कि दासमुंशी जी ने भी कहाहै हो सकता है आपके दिमाग में कुछ बातें हो तो उन पर भी सेलेक्ट कमेटी में बैठ कर विचार बिमर्श कर सकते हैं। वहां पर खुलकर बात चीत की जा सकती है और जो भी लूपहोल्स हैं जिससे उद्योग सुग्ण हो रहे है उनको मारने की बात सोची जा सकती है। अगर इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट के अधिकारियों की गलती हो तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही करने की बात हो सकती है। यही मैं कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : सभापति महोदय, मैं रुग्ण उद्योग कम्पनियां (विशेश उपबन्ध) विधेयक, 1985 का समर्थन करता हूं। मैं माननीय मन्त्री को उनके द्वारा बजट भाषण में किए गए एक वायदे को पूरा करते हुए इस प्रकार का बृहद कानून लाने के लिए बधाई देता हूं। यद्यपि इस देश ने स्वतन्त्रता के पश्चात् उद्योग के विकास में भारी प्रगति की है, आज उद्योग में रुग्णता इसके भावी विकास में एक खतरा बन गई है। यद्यपिउद्योग में रुग्णता के अनेक कारण हो सकते हैं, अनेक मामलों में कुप्रबन्ध ही निस्सन्देह रुग्णता का मूल कारण है। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य रुग्णता का समय पर पता लगाना तथा संभावित रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों को, अनके असुधार्य स्थिति पर पहुचने से पूर्व, पुनः चालू करने उनमें सुधार करने हेतु अविलम्ब कदम उठाना है जो वास्तव में प्रशंसनीय है और मुझे विश्वास है कि पूरे देश में सभी सुबुध लोग इसे स्वीकार करेंगे। फिर भी, इस विधेयक का समर्थन करते हुए

मैं कुछ बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा जिन पर मेरे विचार में विधेयक के अन्तिम रूप से पारित किए जाने से पूर्व गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाता है। धारा 3 (ख) में "कम्पनी" की परिभाषा दी गई है।

मुझे खेद है कि इसमें वे कम्पनियां शामिल नहीं हैं जिनका स्वामित्व सरकार के हाथ में है। इसी प्रकार लघु औद्योगिक उपक्रम इस विधेयक में शामिल नहीं हैं। महोदय, मैं केरल से हूं। नाम के लिए भी कोई उद्योग नहीं है। जो भी कोई उद्योग वहां है या तो वह सरकारी कम्पनी है अथवा लघु कम्पनी है और केरल में प्रत्येक कम्पनी रुग्ण है। मैं माननीय मन्त्री तथा सभा की सूचना के लिए एक दो उदाहरण देता हूं। मैं केरल की राजधानी त्रिवेन्द्रम से हूं वहां केवल कुछ लघु उद्योग हैं और वे सब बन्द हैं अथवा बन्द हो रहे हैं। एक उद्योग टी० के० केमिक्लज है, जो इलेक्ट्रोलाइट मैंगनीज डायोक्साइड का उत्पादन करने में लगी है जो एक असाधारण उद्योग है। इस का उपयोग ड्राइ बैटरी सैलों के निर्माण में किया जाता है। यदि इस उचित ढंग से चलाया जाता यह केरल में एक सम्पन्न उद्योग होता किंतु दुर्भाग्य बस जब यह प्रगति के रास्ते पर था, उस समय प्रबन्धकों ने लाख रुपये लिए और उस राशि को उद्योग में प्रयोग किये बिना ही उसका दुरुपयोग किया और इस बात की भी सूचना मिली है कि श्रमिकों की भविष्य निधि कटौती भी भविष्य निधि लेखे में जमा नहीं होती और उन्होंने भी इस का दुरुपयोग किया। इसके अतिरिक्त कुछ श्रमिकों ने कम्पनी द्वारा दी गई गारन्टी पर बैंक से निजी ऋण लिए और कम्पनी ने श्रमिकों से मासिक वसूली की परन्तु इस रकम का भुगतान बैंक में किया। प्रबन्धकों ने इसका भी दुरुपयोग किया और अन्त में सब कुछ खतम हो गया और कम्पनी बन्द हो गई। वहां मजदूरों की कोई हड़ताल नहीं हुई। मजदूरों द्वारा कोई असहयोग नहीं हुआ। प्रत्येक चीज का जान-बूझ कर कुप्रबन्ध किया गया और प्रबन्धकों ने उस राशि का दुरुपयोग किया जो अधिकतर उन्होंने सार्वजनिक संस्थाओं से लिया है। पिछले एक वर्ष में मैंने सब द्वार खटखटाए हैं। मैंने सभा में नियम 377 के इस मामले में प्रधान मन्त्री को हस्तक्षेप करने के लिए अनुरोध किया और मुझे आज दूर-भाष पर त्रिवेन्द्रम से कहा गया कि एक बैठक बुलाई गई है। यद्यपि मैं पिछले वर्ष से इस मामले में लगा हूं उसके बावजूद यही कुछ प्राप्त हुआ है। महोदय आप केल्ट्रॉन के बारे मे जानते हैं जो टी० वी० कैलकुलेटर तथा अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादन में लगी एक सरकारी कम्पनी है। कोई नहीं जानता है वहां क्या हो रहा है। आज निदेशक मण्डल किसी को नियुक्त करने का निर्णय लेगा। वे एक ऐसे पद का सृजन करेंगे जिसकी सभी योग्यताएं वही होंगी जो उस व्यक्ति विशेष की हैं और उस कम्पनी और सहायक कम्पनियों में सहस्रों श्रमिक तथा तकनिशियन हैं तथा विश्वासनीय स्रोतों से पता चला है कि उद्योग में संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है।

इस विधेयक की परिधि में वे उद्योग नहीं आएंगे जिनका उपर उल्लेख किया गया है। मैं इस विधेयक के उपबन्धों से पूरी तरह सहमत हूं। जिन भावनाओं के साथ इसे लाया गया है मैं उनकी प्रशंसा करता हूं किंतु फिर भी मैं निवेदन करता हूं कि यदि इन्हें सम्मिलित करना संभव नहीं है तो

इन कम्पनियों की देख भाल करने के लिए और कोई प्रणाली होनी चाहिए। सरकारी स्वामित्व की कम्पनियां, तथा लघु उद्योगों तथा सहकारी क्षेत्रों के लिए एक अलग कानून होना चाहिए। केरल में 70 के दशक में एक लघु औद्योगिक क्षेत्र नीति लाई गई थी और पूरे राज्य में लगभग 1000 इकाइयां आरम्भ की गई थीं और यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि ये सभी कुप्रबन्ध के कारण बन्द कर दी गई हैं। बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से इन इकाइयों को सार्वजनिक धनराशि दी गई है। बोर्ड के सदस्यों द्वारा इन सब का कुप्रबन्ध हुआ। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि इन कम्पनियों के लिए भी कोई उपबन्ध किया जाए अथवा कोई कानून लाए जाए। धारा 15 (1) बोर्ड के गठन से सम्बंधित है। बोर्ड को लेखापरीक्षित लेखे पूरा करने तथा इस मामले की सूचना देने के लिए 60 दिन का समय दिया जाता है किन्तु लेखाओं की लेखा परीक्षा के लिए कोई समयाविधि नहीं दी जाती है।

सभापति महोदय : आप कल अपना भाषण जारी रखेंगे।

4.00 म० प०

कृषि जिन्सों के मूल्यों में भारी गिरावट के बारे में चर्चा

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा अब नियम 193 के अन्तर्गत कपास, धान जूट, नारियल, आदि जैसे कृषि पदार्थों के मूल्यों में भारी गिरावट के सम्बन्ध में चर्चा करेगी। मैं श्री वी० सोमनाद्रीश्वर राव से चर्चा आरम्भ करने का अनुरोध करता हूं।

श्री वी० सोमनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे विभिन्न कृषि उत्पादों के मूल्यों में भारी गिरावट के सम्बन्ध में इस सभा को अवगत कराने का अवसर दिया है जिसके कारण कृषकों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। महोदय, देश के विभिन्न भागों में कपास उत्पादक भारी संकट का सामना कर रहे हैं। मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम चल रहा है और साथ ही व्यापारी तथा बिचौले कपास उत्पादकों का शोषण कर रहे हैं और दुर्भाग्यवश भारतीय कपास निगम देश के विभिन्न भागों में गहरी नींद से नहीं जागा है।

कपास बाजार में आ गई है; किन्तु कई स्थानों पर भारतीय कपास निगम ने अभी कार्य करना आरम्भ नहीं किया है। वास्तव में आंध्र प्रदेश में वारंगल, हैदराबाद जिलों में कपास उत्पादक गम्भीर संकट की स्थिति में हैं। हांलाकि, कल मेरे माननीय साथी ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मन्त्री के ध्यान में यह बात ला दी थी और इन पहलुओं में मुझे विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मन्त्री के उत्तर से मैं आश्चर्य चकित हूं कि अब भारतीय कपास निगम का दल आंध्र प्रदेश का दौरा करेगा और इस बात का पता लगाएगा कि किस दर

पर कपास की कितनी मात्रा खरीदी गई है। उन्होंने कहा कि अब एक दल जाएगा। महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। भारतीय कपास निगम तो है ही इसके पास सभी प्रकार का आवश्यक विशेषज्ञता या प्रशासनिक मशीनरी, बाजार तन्त्र तथा सब कुछ अपने हाथ में है और वास्तव में यह भारतीय कपास निगम का काम है। सरकार से कोई और आगे निर्देश दिए बिना उन्हें बाजार पर निगरानी रखनी चाहिए। उन्हें मालुम होना चाहिए कि बाजार में क्या दरें प्रचलित हैं और वस्तुतः न्यूनतम समर्थन स्तर से नीचे कीमतों में गिरावट आने से पहले भी भारतीय कपास निगम को यह देखने के लिए बाजार में उपस्थित होना चाहिए कि वे दरें प्रचलित होनी चाहिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊंची हैं। भारत कपास निगम को तो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए; लेकिन मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि यह अन्य रास्ते पर चल रहा है।

महोदय, वास्तविक रूप से कपास उत्पादकों को इस बात का ज्ञान नहीं होता। कि भारत सरकार इस वर्ष उन्हें विभिन्न वर्गों के लिए कितना कितना दे रही है। बदकिस्मती से इस सम्बन्ध में पर्याप्त प्रचार नहीं किया जाता है, जिससे किसानों को यह पता चल सके कि कपास की उस किस्म का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है जिसको उसने पैदा किया है। वह नहीं जानता है कि उसे किस भाव बेचा जाए। यदि वह इसे लाभ पर बेचने के काबिल नहीं है तो उस मामले में भारत कपास निगम को उसे विश्वास देना चाहिए तथा भारत कपास निगम को आगे आकर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उसे खरीदना चाहिए। बदकिस्मती से वह स्थिति आज नहीं आई है। और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कम से कम इस सम्बन्ध में तुरन्त कदम उठाए ताकि इस वर्ष के लिए कपास के मूल्यों को किसान जान पाए। कपास की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से बहुत कम हैं और कम से कम अब आगे और समय नष्ट किए बिना, भारतीय कपास निगम को उत्पादकों से खरीदना चाहिए।

4·6 बजे

[श्री शरद दिघे पठासीन हुए]

पिछली बार भारतीय कपास निगम ने उत्पादकों से बड़ी ही अलाभकारी कीमतों पर कपास खरीदा था। कपड़े के मूल्य के साथ उनका उचित अनुपात नहीं रखा गया था। मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि 1980 में मिल में बनी धोती का मूल्य 28 रुपए प्रति जोड़ा था जबकि आज उनका मूल्य 42 रुपए है। इसी तरह, मिल में बनी साड़ी 37 रुपए की बेची जा रही थी जबकि आज खुदरा बाजार में 57·59 रुपए बेची जा रही है। लेकिन कपास उत्पादकों को इस बढ़ोतरी का लाभ नहीं होता है तथा उसे तो हानि और कष्ट होता है।

कपास उत्पादकों द्वारा व्यक्त की गई राय तथा देश के विभिन्न भागों में उनके सहकारी महासंघों के सुझावों के विरुद्ध इस वर्ष भारत सरकार ने रुई की एक लाख गांठें आयात करने का निर्णय लिया है। सरकार कहती है कि वह केवल कुछ सावधानी बरत रही है ताकि वह बाजार को

प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करे । आपने वायदा किया है कि वित्त, वस्त्र तथा कृषि विभाग के सचिवों को मिलाकर एक दल बनाया जाएगा जिसमें ये तीनों निर्णय करेंगे कि कपास को बाजार में कब लाया जाना चाहिए । परन्तु दुर्भाग्यवश, हमारी यह सूचना है कि पहले से ही छोटे और मध्यम रेशे की आयातित रुई की एक लाख गांठें मिलों को दे दी गई हैं जिसके फलस्वरूप आकस्मिक उदासीनता छाई है और कपास के मूल्य को घटाने एवं नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है जो कपास उत्पादकों के हितों के विपरीत है । अतः हम अनुरोध करते हैं कि सरकार को इस प्रकार की बातें होने नहीं देनी चाहिए ।

कपास सलाहकार बोर्ड ने अनुमान लगाया है कि इस वर्ष हमारे पास लम्बे तथा अतिरिक्त लम्बे रेशे की रुई की 4.72 लाख गांठें अतिरिक्त होंगी और अभी तक महाराष्ट्र राज्य कपास सहकारी महासंघ तथा गुजरात राज्य कपास सहकारी महासंघ और आन्ध्र प्रदेश सरकार से भी कई सुझावों तथा कई मांगों के बावजूद अभी तक निर्यात कोटे की घोषणा नहीं की गई है । हम नहीं जानते हैं कि सरकार निर्यात कोटे की घोषणा क्यों नहीं कर रही है । यदि निर्यात कोटे की घोषणा की जाती है तो इसमें बाजार में वातावरण बनेगा और कीमतों में तेजी आएगी जिससे कपास के मूल्य बढ़ेगें तथा किसानों को वास्तविक लाभ होगा । इस सम्बन्ध में, पिछले वर्ष सरकार ने हमारी आंध्र प्रदेश मार्कफेड को लगभग 70,000 रुई की गाठों का निर्यात करने का अवसर दिया था । हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस वर्ष आन्ध्र प्रदेश मार्कफेड को निर्यात करने के लिए एक लाख गांठों का कोटा दे ।

जहां तक पटसन की बात है, इस वर्ष पटसन उत्पादकों की हालत बहुत खराब है । बद-किस्मती से जैसा कि मेरे एक साथी कह रहे थे, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के लाखों पटशन उत्पादकों के लिए यह दीपावली खुशी की दीपावली नहीं थी । गत वर्ष मूल्य 500 और 600 रुपए के बीच था । इस वर्ष खरीददारों ने 100 रुपए से अधिक नहीं दिए हांलाकि न्यूनतम समर्थन मूल्य 215 रुपए था । हम आपके माध्यम से यह जानने की मांग करते हैं कि पटसन निगम इस सारे समय क्या करता रहा है । क्या पटशन पैदा करने वाले किसानों की सहायता के लिए आगे आने का इसका दायित्व नहीं है । अन्यथा किस प्रयोजन के लिए तथा किस उद्देश्य के लिए इस पटसन निगम की स्थापना की गई है ? अतः हमें यह कहते हुए दुःख होता है कि भारतीय कपास निगम स्थिति के अनुरूप कार्य नहीं कर सका है और किसानों की सहायता करने आगे नहीं आया । बड़े आश्चर्य की बात है कि जबकि पटसन के बोरों की कीमतों में 1:0 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वहां पटसन के मूल्य में गत पांच वर्षों में 50 प्रतिशत वृद्धि भी नहीं हुई है । इस तरह के शोषण को तुरन्त रोकना चाहिए तथा सरकार को पटशन उत्पादकों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए ।

जहां तक धान का सम्बन्ध है, न्यूनतम समर्थन मूल्य 142 रुपए नियत किया गया है । धान बाजार में पहले से ही आ गया है । हम किसी अवसर पर पंजाब में थे तथा वापसी पर किसानों द्वारा हमें बताया गया कि उन्हें अपनी धान को बेचने के लिए कई दिनों तक बाजार के बाड़े में

रुकना पड़ा। हांलाकि, भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य राज्य एजेंसिया खरीददारी कर रही हैं परन्तु वहां पर भी कुछ सीमा तक शोषण ने स्थान ले लिया है। गत कुछ दिनों में आंध्र प्रदेश बाजारों में पूर्वी तथा पश्चिमी गोदावरी जिलों से धान आया है परन्तु जबकि साधारण किस्म के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 106·50 रुपए नियत किया है। यहां 75 किलोग्राम की प्रति बोरी को 100 से 103 रुपए की दर पर खरीदा जा रहा है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह भारतीय खाद्य निगम को बाजार में धान को खरीदने का आदेश दें। भारतीय खाद्यनिगम की उपस्थिति से ही निजी व्यापार तथा चावल के मिलों के मालिकों पर यह मानसिक दवाव पड़ेगा कि यदि वे उच्च कीमत पर नहीं खरीदते हैं तो भारतीय खाद्य निगम वहां स्टाक को खरीदने के लिए उपस्थित है। अतः हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि आन्ध्र प्रदेश में धान को खरीदने के लिए भारतीय खाद्य निगम को निदेश दें।

गत वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने पंजाब के गेहूं उत्पादकों को 5 रुपये बोनस देने की घोषणा की थी। हांलाकि अभी चुनाव होने थे और सरकार को पंजाब के किसानों के प्रति बहुत दया तथा सहानुभूति थी। हम सरकार से मांग करते हैं कि उनको धान उत्पादकों के साथ भी न्याय करना चाहिए। वे भी इस देश के किसान हैं। हम धान उत्पादकों के लिए भी इस तरह के बोनस को पारित करने का अनुरोध करते हैं।

महोदय, अब सरकार ने यह कहते हुए कि 34 लाख टन अनाज का बड़ा सुरक्षित भण्डार हमारे पास हैं, अन्य देशों को गेहूं निर्यात करने का निर्णय लिया है। गेहूं की तरह चावल का भी बहुत भंडार है और अन्य देशों को चावल के निर्यात के द्वारा हमारे देश को लाभ हो सकता है। फिलहाल केवल 'बासमती' किस्म के चावल के निर्यात की अनुमति दी जा रही है। इस देश के विभिन्न राज्यों में अच्छी और बहुत अच्छी किस्म के चावल का उत्पादन किया जाता है जो अन्य देशों से बहुत अच्छे दाम दिला सकता है तथा अप्रत्यक्ष रूप से इस देश का धान उत्पादकों को अच्छे मूल्य प्राप्त करने के लिए सहायता कर सकता है।

महोदय, मुझे कहते हुए दुख होता है कि कृषि लागत तथा मूल्य आयोग द्वारा सुझाए गए मूल्य किसी भी तरह से लाभकारी नहीं हैं। धान के मामले में अपने पूरे दायित्व तथा सूचना सहित कई राज्य सरकारों ने धान के अच्छे मूल्य देने का सुझाव दिया था लेकिन बदकिस्मती से सरकार ने केवल 142 रुपये ही मूल्य निर्धारित किया है। यह कृषि लागत तथा मूल्य आयोग की असफलता है। तीन वर्षों के लिए अर्थात् 1980-81,1981-82 तथा 1982-83 में गन्ने की न्यूनतम सांविधानिक कीमत 13 रुपये प्रति क्विंटल नियत की गयी थी। क्या इसका यह मतलब है कि इन तीन वर्षों की अवधि में उर्वरक, मजदूरी में कीटमार, तेल आदि जैसे खर्चे नहीं बढ़े? इनकी कीमतें अवश्य बढ़ी हैं। लेकिन बदकिस्मती से सरकार इस वस्तु के लिए संविधानिक न्यूनतम मूल्य बढ़ाने को ठीक नहीं समझती है।

गन्ने के मामले में यह कई वर्गों की सहायता कर रहा है। भारत सरकार को चीनी पर उत्पाद शुल्क के रूप में 400 करोड़ रुपये मिलता है। राज्य सरकारें भी राज्य उत्पाद के द्वारा

300 से 400 करोड़ रुपया प्राप्त करती है तथा भैषजिकी से संबंधित लोग मद्यसार को कम मूल्य पर प्राप्त करते हैं। बेकार खोई की भी जिसे निचोड़ने के बाद फैंक दिया जाता है, अधिक कीमत पर बेचा जाता है सांख्यिकीय पुस्तक से मैंने कुछ वस्तुओं के मूल्यों को पढ़ा है और मैंने पाया है कि 1980 में जलाने वाली लकड़ी का 23.24 रुपये प्रति 100 किलो ग्राम था और 1985 में यह 46.69 रुपये प्रति 100 किलोग्राम है। सोने के अण्डे देने वाली हुर हंसिनी मरने वाली है लेकिन अब गन्ने के लिए 16.5 रुपये प्रति क्विंटल देने के सरकार के निर्णय से इसे थोड़ी राहत मिली है। मैं सरकार को इसे 16.5 रुपये प्रति क्विंटल करने तथा वसूली दर के लिए 8.5 रुपये प्रति क्विंटल करने के निर्णय के लिए बधाई देता हूं जो स्वागत योग्य है। महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गन्ने की लागत में बढ़ोतरी को पूरा करने के लिए 40 पैसे प्रति किलो कर रहित चीनी में वृद्धि करके और उनके स्वतन्त्र बिक्री कोटा को बढ़ाने से मिलों को पर्याप्त लाभ हुआ अर्थात् 65 : 35 से 55 : 45 तक जिसके परिणामस्वरूप 10% अतिरिक्त चीनी दी गई जिसे स्वतन्त्र बाजार में बेचा जा सकता है। आप उन्हें इस वर्ष में और 200 करोड़ रुपये अधिक कमाने का अवसर दे रहे हो। मेरा सुझाव है कि गन्ने के सांविधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य को 16.5 रुपये से बढ़ाकर 18 रुपये प्रति क्विंटल करके उत्पादकों को लाभ देना चाहिए।

महोदय, इसी तरह, तम्बाकू के मामले में कर्नाटक में पहले से ही नीलामी शुरू हो गई है तथा किसानों को केवल 16 से 17 रुपये प्रति किलोग्राम ओसतन पर प्राप्त हो रहे हैं जबकि गत वर्ष में 21 रुपये प्रति किलोग्राम का भाव था। व्यापारी लोग तम्बाकू उत्पादकों का शोषण का प्रयास कर रहे हैं। अतः तम्बाकू बोर्ड को आगे आना चाहिए तथा तम्बाकू उत्पादकों से खरीदना चाहिए। निजी व्यापारी आयातित देशों के साथ सांठ गांठ करके उत्पादकों का शोषण कर रहे हैं। हमारी सरकार जिसके पास एफ० सी० आई०, जे० सी० आई०, सी० सी० आई० आदि जैसे बहुत सी एजेंसियां हैं, आयातित देशों के साथ बात क्यों नहीं करती है, देश के भीतर तम्बाकू क्यों नहीं खरीदती है और आयातित देशों को क्यों नही बेचती है ताकि तम्बाकू उत्पादकों को कुछ लाभ दिया जा सके ? इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन सभी मुद्दों पर विचार करें ताकि उत्पादकों के हित की रक्षा की जा सके।

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : कम से कम नीलामी की पद्धति के लिए आपको सरकार का धन्यवाद करना चाहिए।

श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव : निश्चित रूप से नीलाम पद्धति को शुरू करने के लिए हम सरकार को बधाई देते हैं तथा उसका समर्थन करते हैं। अन्यथा कोई गारंटी नहीं है कि किसानों को अपनी फसल के लिए उचित राशि मिल जाएगी।

महोदय, वस्तुतः मंडी के समीप गोदाम जैसी आधारभूत सुविधाओं की स्थापना से ही स्थायी हल निकल सकता है। गोदामों के अभाव में किसानों को कम मूल्य पर अपनी उपज को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है क्योंकि उसे अपनी अन्य आवश्यकताओं को पूरा करना होता

है। यदि गोदाम उपलब्ध हैं तो वह अपने उत्पादन को गोदाम में रख सकता है तथा अग्रिम के रूप में अपनी उपज का कुछ हिस्सा ले सकता है और जब मूल्य आकर्षक हों तो उसे बेचा जा सकता है इस संबंध में भी हम ग्रामीण विकास कार्यक्रम को लेने के लिए सरकार को बधाई देते हैं। हम इससे अवगत हैं परन्तु हमारा सुझाव है कि सरकार को उसके लिए और अधिक निवेश करना चाहिए तथा यह देखें कि सभी आवश्यक स्थानों पर गोदामों का निर्माण किया जाए।

इन कुछ शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं तथा मुझे समय देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्रीमती बसव राजेश्वरी (बेल्लारी) : सभापति महोदय, कपास, धान, पटसन आदि जैसे विभिन्न फसलों को मजबूरी में बेचे जाने के बारे में हो रही चर्चा में भाग लेते हुए मैं बहुत खुश हूं।

हमें मालूम है कि देश की पूरी अर्थव्यवस्था देश के कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है जो देश की जनसंख्या का 80 प्रतिशत है। पूरे देश की खाद्यान तथा कपड़े की आवश्यकता को कृषि क्षेत्र पूरा करता है इसलिए देश की अर्थव्यवस्था में वह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कृषि क्षेत्र के बने रहने का अर्थ है देश का बने रहना और यदि इस क्षेत्र में कुछ भी गड़बड होती है तो देश की अर्थव्यवस्था के पूरे आधार को ढह जाने की संभावना है।

इसको ध्यान में रखते हुए मैं कुछ शब्द कहना चाहती हूं कि इस वर्ष के दौरान मूल्यों में किस प्रकार गिरावट आई थी। मैं तुंगभद्रा नदी के क्षेत्र की रहने वाली हूं। पानी इसका कर्नाटक और आंध्रा प्रदेश दोनों में बहता है। इसमें चार जिले आते हैं अर्थात् रामचूर, वेल्लारी, अनन्तपुर और कुर्नूल। उसका अधिकतर क्षेत्र सूखी एवं गीली कृषि के लिए उपयुक्त बन गया है। बहुत कम क्षेत्र गीली कृषि के लिए उपयुक्त बन पाया है। इसके अलावा, यह बांध संरक्षण के लिए है न कि उत्पादक बांध। उन क्षेत्रों में प्रायः आकाल आते रहते थे इस बांध को बनाने का उद्देश्य ही यह था कि मौजूदा फसलों की सुरक्षा की जाए। उस दृष्टि से इस वर्ष किसानों ने कपास की खेती की थी।

लेकिन गत वर्ष से किसान मुसीबत में हैं क्योंकि कपास के मूल्य समर्थन मूल्य से बहुत नीचे गिर गए हैं। पिछले दो वर्षों से किसानों को अच्छा लाभ मिल रहा था। उन्होंने विभिन्न उपायों के उपयोग से उच्च प्रौद्योगिकी, मंहगी कीटनाशी दवाओं तथा पर्याप्त उर्वरक का उपयोग करके अधिक किया था। उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि उन्हें अच्छे लाभ मिल रहे थे और वे लाभकारी मूल्य प्राप्त कर रहे थे। इसी कारण अधिक सिंचित क्षेत्र को कपास के अन्तर्गत भी लाया गया।

जैसा कि आपको भली भांति मालूम है कि हमें अपने देश में मिस्र की कपास का उत्पादन करने का कभी भी पता नहीं था। जब मैं बच्ची थी तो, मैं सुना करती थी कि मिस्र की कपास विश्व में सबसे उत्तम कपास है तथा लोग इसके लेने के लिए लालायित रहते थे। लेकिन अब हमें

गर्व है कि हम अपने क्षेत्र में इस प्रकार की कपास पैदा कर रहे हैं। लम्बे और अधिक लम्बे रेशों वाली कपास को डी सी एच-4 या वरालक्ष्मी कहते हैं। हम अपने वैज्ञानिकों को धन्यवाद करते हैं कि हमने इस नई किस्म का विकास किया है। हमें गर्व है कि हम उतनी अच्छी किस्म पैदा कर रहें हैं जैसा कि विदेशी कृषक पैदा करता है। अब, किसानों का भविष्य क्या है जो कपास का उत्पादन कर रहे हैं? बाजार मूल्य बहुत गिर गये हैं। कोई भी कपास को नहीं खरीदता है। पूरा उत्पादन किसान के पास है। मध्यम वर्ग के अधिकतर किसान जो बहुत गरीब हैं, उनके पास कपास को रखने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है जिसे वे बजार में नहीं बेच सके। वे अपने घरों के बाहर खाना बनाते है तथा अन्दर कपास को रखते हैं। यह उन किसानों के बारे में चिन्ताजनक स्थिति है जिन्होंने गत वर्ष में कपास का उत्पादन किया। भारतीय कपास निगम ने कुछ मात्रा में कपास खरीदी है परन्तु पूरी तरह से उसने बजार में प्रवेश नहीं किया है। इसका कारण यह बताया गया था कि इस क्षेत्र में जो कपास पैदा की जाती है। वह 80 प्रतिशत काउंट से कुछ कम है। मैं इसके कारण नहीं जानती हूं। मैं पता लगा सकती हूं कि काउंट में इतनी कमी क्यों है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं जैसे उर्वरक का गलत प्रयोग या उसी क्षेत्र में निरन्तर कपास का उत्पादन आदि और कीटनाशी दवाओं का अत्यधिक उपयोग तथा मिलावटी बीजों का उपयोग।

सरदार बूटा सिंह : हो सकता है बीजों को बदला नहीं गया हो।

श्रीमती बसव राजेश्वरी : यह कुछ मिलावटी बीज के कारण भी हो सकता है। इन सभी कारणों से काउंट में कमी हो सकती है। किसान जिसे इन बातों का पता नहीं है उसे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यदि भारतीय कपास निगम ही इस काउंट के बारे में इतना आग्रह करती है तो फिर इन किसानों के बचे माल को कौन खरीदेगा? वे बहुत नाराज हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तुरन्त आगे आये और बाजार में प्रवेश करे तथा बची हुई सारी कपास को खरीदे। बाजार में नयी कपास आनी शुरू हो गई है।

इस क्षेत्र में अधिकतर काली मिट्टी है जो कपास के लिए उपयुक्त है। हम इसे काली कपास मिट्टी कहते हैं क्योंकि कपास के अतिरिक्त इस क्षेत्र में कोई अन्य फसल नहीं उगाई जा सकती। तथापि, जहाँ कहीं चीनी की फैक्ट्री हैं वहाँ हम गन्ने को ले रहे हैं और जहाँ कहीं तिलहन उगाए जा सकते हैं वहाँ इनका भी उत्पादन किया जाता है। फिर भी ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जो पूरी तरह से केवल कपास के लिए हैं।

लाभकारी मूल्य के अलावा मैं इस अवसर पर एक और सुझाव देना चाहती हूं। इस कपास की फसल में बहुत श्रमिक लगे होते हैं। कटाई के समय या जब कपास को चुनने के लिए आते हैं तो लाखों लोग इस फसल पर निर्भर करते हैं यह बड़ी संख्या में रोजगार मिलता है। इसको भी ध्यान में रखते हुए सरकार को इस बात पर सोचना चाहिए कि उन किसानों को संरक्षण कैसे दिया जाए जो इस कपास की खेती करते हैं।

इस महान सदन के सामने मैं कुछ सुझावों को पेश करना चाहती हूं। सबसे पहले, जो कुछ शेष बचा है उसके लिए भारतीय कपास निगम को बाजार में प्रवेश करना चाहिए तथा इसे खरीदना चाहिए। जहां तक नई फसल का संबंध है, उसके लिए कपास को खरीदने से संबन्धित पूरे राज्य में व्यवस्था करनी चाहिए। एक बार भारतीय कपास निगम बाजार में प्रवेश कर ले तो मैं समझती हूं कि व्यापारी भी कार्य में रुचि लेंगे। इस तरह बहुत अच्छे लाभकारी मूल्य देकर यह किसानों की सहायता करेगा। दूसरा, सरकार को भारी मात्रा में निर्यात की अनुमति देनी चाहिए। पहले ही कुछ सरकारी संस्थानों ने लम्बे तथा अतिरिक्त लम्बे रेशे की 10,000 गाँठों के निर्यात के लिए आवेदन किया है। लेकिन अभी तक अनुमति नहीं दी गई है। मुझे बताया गया है कि गडग कर्नाटक सहकारी निर्यात समिति ने लम्बे तथा अतिरिक्त लम्बे रेशे के कपास की 10,000 गाँठों को निर्यात करने के लिए अनुमति लेने हेतु आवेदन किया है। उन्हें अभी अनुमति नहीं दी गई है। इसलिए सरकार को इस प्रकार की समितियों को, जो कपास का निर्यात कर रही हैं प्रोत्साहन देने के लिए तुरन्त आगे आना चाहिए। हमारे राज्य तथा अन्यत्र भी कई कताई कारखाने हैं। इन कताई कारखानों का साधारण भाषा में नाम कपास उत्पादकों के कारखाने हैं। नाम अपने आपमें यह बताता है कि ये किसानों के साथ सीधे जुड़े हुए हैं। वे उत्पादकों से सीधे कपास लेते हैं तथा इसकी कताई करते हैं। नई कपड़ा नीति के कारण जिस धागे की उन्होंने कताई की है उसका भण्डारण नहीं किया जा रहा तथा कताई करखानों के पास अभी भी इसका भारी स्टाक है। इसलिए, इस सन्दर्भ में पूरी कपड़ा नीति का संशोधन करना होगा। कपड़ा नीति में भाग लेते समय मैंने कहा था कि यह कपास उत्पादकों को प्रभावित करती है। परन्तु कल माननीय मंत्री ने कहा था कि कोई समझौता करने का कुछ निर्णय लेने के लिए उतनी जल्दी नहीं की जा सकती। फिर भी कल और आज जो अधिकतर सदस्य बोले, उन सब की एक राय है कि कपड़ा नीति को तुरन्त संशोधित किया जाना चाहिए ताकि कपास उत्पादकों की सुरक्षा की जा सके। तथा चौथी बात गन्ने के बारे में यह है कि अभी हाल ही में सरकार ने मूल्यों में थोड़े से संशोधन की घोषणा की है। लेकिन चूंकि हमारे पहले के आंकड़ों के अनुसार हम चीनी की बहुत कमी का सामना कर रहे हैं इसलिए यह अधिक अच्छा है कि हमें उन्हें लाभकारी मूल्य देना चाहिए। धान की कीमतें पहले से ही समर्थन मूल्य से कम हो गई हैं यदि आप राज्य सरकार पर दवाब डालते हैं तो मैं नहीं समझती कि कोई भी राज्य सरकार पर्याप्त धन की व्यवस्था करेगी क्योंकि खुले बाजार में सामान को प्राप्त करने के लिए उनके पास पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो सकती है। कल, हमारे वित्त मंत्री जी ने कमजोर वर्गों को रियायती दरों पर खाद्यान्न का वितरण करने के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा की थी। मैं आशा करती हूं कि यदि यह योजना निरन्तर चलती है तो हमें खाद्यान्न की भारी मात्रा की आवश्यकता होगी। मैं सरकार से भारी मात्रा में भंडार इकट्ठा करने का आग्रह करती हूं चाहे यह चावल, ज्वार, धान या गेंहू या किसी और का ही क्यों न हो तथा यह देखने की कोशिश करनी चाहिए कि समाज के निर्धन लोगों को हमारी योजनाओं से लाभ मिलें।

इन शब्दों के साथ मैं सभापति महोदय का धन्यवाद करती हूं जिन्होंने मुझे इस अवसर पर बोलने का समय दिया।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानोर) : केरल के नारियल उत्पादकों की दयनीय स्थिति को इस महान सभा के सामने प्रस्तुत करने के लिए इस वर्ष मैं दूसरी बार उठा हूं। हांलाकि, मैं जानता हूं कि चर्चा का विषय कृषि उत्पाद मुल्यों में गिरावट है। मैं अपने को नारियल उत्पाद तथा नारियल के विषय तक सीमित रखता हूं चूंकि मेरा राज्य केरल सामाजिक तथा आर्थिक रूप से इस पर निर्भर करता है।

केरल में 30 लाख से अधिक परिवार नारियल से अपनी जीविका कमाते हैं। लेकिन बद-किस्मती से, उन पर एक के बाद एक विपत्ति दिखाई देती है क्योंकि 'रुट विल्ट' बीमारी के बाद मुख्य रूप से बम्बई के बड़े व्यापारी घरानों की साजिश के कारण मूल्यों में अभूतपूर्व गिरावट आई।

कोई भी जो केरल का दौरा करता है वह देख सकता है कि वहां की भूमि नारियल की खेती से ढकी हुई है। कोई कह सकता है कि पश्चिमी तट के साथ-साथ अन्य राज्यों कर्नाटक, महाराष्ट्र, तथा संघ शासित क्षेत्र गोवा में भी यही बात है लेकिन किसी अन्य राज्य की अर्थ-व्यवस्था नारियल के ऊपर इतनी निर्भर नहीं होगी जितनी की केरल में।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि नारियल के मूल्यों में गिरावट के लिए विभिन्न कारखाने जिम्मेदार हो सकते हैं लेकिन यह मेरा दृढ़ विस्वास है कि टाटा और हिन्दुस्तान लीवर्स जैसे बड़े व्यापारी गृहों के कारण मूल्यों में गिरावट आई है जो नारियल के तेल के मुख्य प्रयोक्ता हैं। ये व्यापारी चालाकी से नारियल के तेल की मांग को कम अधिक करने में सक्षम होते हैं जिसके परिणाम-स्वरूप मूल्यों में उतार चढ़ाव होता है।

यह बहुत ही दुख की बात है कि ये कम्पनियां नारियल का तेल तथा अन्य संश्लेषित तेलों का आयात करने में समर्थ होती हैं जिससे न सिर्फ घरेलू खोपरे की कीमतों पर असर पड़ता है अपितु देश की अर्थ-व्यवस्था भी प्रभावित होती है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार नारियलों की कीमतों में गिरावट आने से अकेले केरल को 500 करोड़ रुपये की हानि हुई है।

यह बात बहुत ही विरोधा-भासी है कि नारियल तेल के मूल्य दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं तथा नारियल तेल से बने उत्पाद जैसे कि साबुन तथा सुगन्धित तेलों आदि की कीमतें बढ़ती जा रही हैं।

इस संबंध में, यह मेरा विनम्र सुझाव है कि नारियल-तेल तथा इसके अन्य विकल्पों के आयात को एकदम बंद कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, सरकार को खोपरे तथा नारियल तेल के लिए उचित कीमत निश्चित करनी चाहिए। इस विषय में नारियल बोर्ड की सलाह ली जा सकती है।

यह अनुमान है कि देश में उत्पन्न 90 प्रतिशत खोपरा केरल से प्राप्त होता है। फिर भी यह देख कर दुख होता है कि इसकी भारी मात्रा पेषण एवं परिष्करण के लिए बम्बई भेजी जाती है। अगर स्थानीय पेषण एवं परिष्करण की व्यवस्था नारियल बोर्ड अथवा या किसी अन्य सरकारी

एजेन्सी द्वारा की जा सकती है और अगर खोपरे का विपणन इसी बोर्ड या राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जा सकता है तो नारियल के मूल्यों में स्थिरता लाई जा सकती है ।

मैं केरल में नारियल की खेती पर जोर दे रहा हूं अमीर भूमिपतियों की मांग के रूप में नहीं अपितु लघु एवं सीमान्त किसानों के परिश्रम की पुकार के रूप में कर रहा हूं यह ध्यान देने की बात है कि केरल में प्रत्येक परिवार के पास कुछ न कुछ नारियल के पेड़ हैं । अतः यह आवश्यक है कि छोटे नारियल कृषकों को आर्थिक सहायता देने के लिऐ सरकार नारियल बोर्ड या राज्य सरकार पर जोर डालें ।

इस संबंध में इस पुराने नारियल बोर्ड से अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने एवं अधिक अधिकारों से सम्पन्न होने की बात कही जानी चाहिये । इस बोर्ड की पुनः रचना करने की आवश्यकता है तथा अन्य बोर्डों जैसे कि काफी, इलायची, चाय तथा रबर बोर्ड आदि के बराबर ही इसे बनाया जाना चाहिये ।

केरल के लोगों को अस्थायी सहायता नहीं चाहिये । अपितु नारियल कृषकों द्वारा झेली जा रही समस्याओं का स्थायी हल चाहिए । इसके लिए प्रारम्भ में सरकार एक विशेषज्ञ समिति भेज सकती है, जिसमें अर्थ-शास्त्री तथा कृषि वैज्ञानिक हों तथा जो केरल में नारियल कृषकों की समस्या का गहराई से अध्ययन करें । इस समस्या पर तुरन्त ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है, हम 30 लाख परिवारों को अनिश्चित काल के लिए मुसीबत में नहीं डाल सकते ।

अन्त में मैं कृषि मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि वे विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए वैज्ञानिक तरीके से लागत विश्लेषण का कार्य शुरु करें ताकि सभी कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य निश्चित किये जा सकें ।

मैं एक बार फिर सारांश करते हुए इस बात पर बल देता हूं कि नारियल के तेल के आयात पर रोक लगाने की नारियल और खोपरे का न्यूनतम मूल्य निश्चित करने, नारियल बोर्ड को अधिक शक्ति देने की आवश्यकता है तथा बोर्ड को राज्य व्यापार निगम के माध्यम से नारियल और खोपरे के विपणन हेतु अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिये । तथा हजारों लाखों व्यक्तियों की समस्या को सुलझाने के लिए एक अध्ययन दल तुरन्त भेजना चाहिये, जिनके सपने तथा आशाएं नारियल की खेती पर ही निर्भर हैं ।

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : (नवद्वीप) महोदय, मैं अपनी मातृभाषा बंगाली में ही बोलूंगी ।

*माननीय सभापति महोदय, यह भारत के किसानों का बहुत ही कटु अनुभव है कि जब

* बंगाली में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपान्तर ।

भी औद्योगिक उत्पादनों के मूल्य सूचकांक में वृद्धि होती है तो कृषि उत्पादनों के मूल्य सूचकांक में गिरावट आ जाती है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसान जिन चीजों को खरीदता है उनका मूल्य अधिक होता है तथा जिन चीजों का बेचता है उनके दाम कम होते हैं। इस दोहरी प्रक्रिया से हमारे देश की 70 प्रतिशत आबादी जो कि कृषि पर निर्भर करती है तथा जिनकी संख्या लगभग 56 करोड़ है उनका शोषण किया जा रहा है, उन्हें कुचला जा रहा है। इन लोगों की जेब काटकर कुछेक दर्जन एकाधिकारी मिल मालिक तथा व्यापारी काफी मुनाफा कमा रहे हैं तथा इस घृणित कार्य को करने में केन्द्र सरकार उनकी सबसे ज्यादा आज्ञाकारी नौकर है।

इस संदर्भ में मुझे कुछ पुरानी घटनाएं याद आ रही हैं। सन् 1971-72 में सरकार ने इस सभा में चीनी मिल मालिकों के पत्र की वकालत की तथा विरोधी पक्ष द्वारा कड़ा विरोध करने के बावजूद भी चीनी पर से नियंत्रण हटा दिया था। इसके परिणामस्वरूप चीनी का मूल्य तीन महीने की अवधि के अन्दर ही 1.30 पैसे प्रति किलोग्राम से बढ़कर 4.60 पैसे प्रति किलो हो गया। इसके बाद के वर्षों में चीनी का मूल्य ऊंचा ही रहा यद्यपि उसका समझौता हो चुका था। मिल मालिकों से ऊंचे दामों पर चीनी खरीदने के कदम उठाये गये तथा उसी चीनी के लिए सरकार द्वारा करोड़ों रुपये वित्तीय सहायता के रूप में देकर इस चीनी का निर्यात बहुत ही सस्ते दर पर किया गया। परन्तु खेद इस बात का है कि गन्ना उत्पादकों के लिये गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य देना तो दूर की बात है यहां तक कि उन्हें लागत मूल्य भी नहीं दिया गया। उन्हें आज तक भी यह मूल्य नहीं मिल पा रहा है। कुछ 20 एक चीनी मिल मालिकों के घराने उपभोक्ताओं एवं गन्ना उत्पादकों दोनों की ही जेबें काटकर हजारों करोड़ रुपये का मुनाफा कमा रहे हैं। यह हम भी जानते हैं कि इस मुनाफे का कुछ हिस्सा कृतज्ञता के नाते सत्ताधारी पक्ष को चुनाव कोष के लिये दिया गया है।

सूती वस्त्र के मामले में भी यही बात हुई थी। 1973-74 में केन्द्र सरकार ने हमारे सख्त विरोध के बावजूद भी कपास सूत पर से नियन्त्रण हटा दिया। तथा एकाधिकार सूती वस्त्र मिल मालिकों को अपना मुनाफा द्विगुणित करने का अवसर प्रदान किया। सरकार ने हमारे कड़े विरोध पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। कपास सूत के दाम दोगुने हो गये तथा बुनकरों का सत्यानाश हो गया। तत्पश्चात हथकरघा वस्त्र के मूल्य में वृद्धि हुई तथा फिर मिल निर्मित वस्त्र के मूल्य में वृद्धि का बहाना ढूंढा गया इससे हथकरघा बुनकर तथा खरीददार दोनों ही बुरी तरह प्रभावित हुये। परन्तु क्या कपास उत्पादकों को उचित मूल्य मिला। उत्तर है नहीं। उन्हें उस वक्त भी उचित मूल्य नहीं मिलता था और अभी भी उन्हें मूल्य नहीं मिल रहा है। सरकार की नीति कुछ इस प्रकार की है कि उपभोक्ता बढ़ती हुई कीमतों से दबा कराहयेगा, कृषकों को उचित मूल्य दिलाने से वंचित रखा जायेगा तथा कुछ एक एकधिकारी, उद्योगपति तथा व्यापारी अपार धन का साम्राज्य स्थापित करेगें।

अब मैं पटसन के बारे में बताती हूं। महोदय, पटसन हमारे देश में विदेशी मुद्रा की आय का मुख्य स्त्रोत है। परन्तु आजादी के बाद के 38 वर्षों का हमारा इतिहास पटसन कृषकों के आसुओं, शोषण तथा उनकी उपेक्षा का इतिहास है। जब भारत का बटवारा हुआ तो स्थिति यह थी कि

पटसन की खेतीवाले क्षेत्र पूर्व बंगाल (पाकिस्तान) में थे तथा इसकी मिलें पश्चिमी बंगाल में थी। दिल्ली में नेता लोग हमारे नए-नए स्वतंत्र हुए देश के विदेश व्यापार को बचाने के लिये व्याकुल थे उन्होंने पश्चिमी बंगाल के किसानों का आह्वान किया और कहा "पश्चिमी बंगाल के किसानों अगर आप हमें एक सेर पटसन का देगें तो हम बदले में आपको दो सेर खाद्यान्न देगें।" पश्चिमी बंगाल के किसानों ने हमारे देश के नेताओं की पुकार को सुना तथा लाखों एकड़ धान की भूमि को पटसन के खेतों में बदल दिया तथा हमारे निर्यात व्यापार को बनाये रखने में मदद की। उन्होने अपनी देश भक्ति का सबूत दिया। परन्तु बदले में उनको क्या मिला ? उनके बलिदानों के बदले उन्हें मिल सिर्फ दुख, गरीबी, कर्जों का बोझ, निराशा, शोषण तथा उपेक्षा।

महोदय कृषि मूल्य आयोग वस्तुओं की कीमतें किस प्रकार निश्चित करता है। किस आधार पर न्यूनतम मूल्य निर्धारित किये जाते हैं उन गणनाओं को जन-हित में प्रकाशित करना होगा। मैं इसकी मांग करती हूं अंग्रेजी शासन के, दौरान यह निर्णय लिया गया था कि एक मन पटसन की कीमत तीन मन धान की कीमतों के बराबर होनी चाहिए। यह निर्णय इस आधार पर लिया गया था कि इतनी ही लागत निवेश एवं श्रम से तथा कठिनाई झेलकर आदि से धान पैदा किया जा सकता है यह तुलनात्मक अध्ययन उन्होने किया था। जिसके अनुसार, पटसन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 426 रुपये से 453 रुपये के बीच होना चाहिये। अगर हम आजादी के बाद के समय के प्राक्कलन का अंदाजा लगायें अर्थात 'कि एक मन पटसन दो मन खाद्यान्न के बराबर है' तो पटसन का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होना चाहिये इसके लिए हमें ज्यादा हिसाब लगाने की जरूरत नहीं है। आजादी के बाद इन गरीब कृषकों को इतना दाम भी नहीं मिलता था। 1977-78 में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ने अपने 8 वें प्रतिवेदन में यह सिफारिश की थी कि पटसन का मूल्य 447-64 पैसे प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाना चाहिये। समिति का कहना था कि किसान द्वारा किये गये खर्च का आंकलन करते समय, किसान तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा की गई मेहनत को ध्यान में नहीं रखा जाता है। यह घोर अन्याय है उत्पादन लागत निकालते समय इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। कृषि मूल्य आयोग द्वारा इस पर विचार नहीं किया जाता है। अगर किसान तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा की मेहनत का भी आंलकन किया जाता है तो किसी भी हालत में इसकी कीमत 215 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित नही की जा सकती। मैं मांग करती हूं कि इस सभा को यह बताया जाये कि किस आधार पर पटसन का मूल्य 215 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है; सरकारी उपक्रम संबंधी समिति ने 1977-78 में 447.64 रुपये प्रति क्विंटल थी सिफारिश की थी। आज मूल्य स्तर को दृष्टिगत रखते हुये क्या किसानों द्वारा 600 रुपये प्रति क्विंटल पटसन के समर्थन भाव की मांग उचित नहीं है।

40 लाख से अधिक किसान परिवार तथा 2½ लाख पटसन मिलों के श्रमिक परिवार सीधे ही पटसन की खेती पर निर्भर करते हैं। ये सभी लोग पीड़ित हैं तथा पटसन मिल-मालिकों के 10 या 12 परिवारों के हितों के संरक्षण के बल पर इनका शोषण किया जा रहा है। पिछले वर्ष पटसन कृषकों को उचित एवं लाभकारी मूल्य मिला क्योंकि बाजार मूल्य काफी ऊंचा हो गया था। यद्यपि जब भाव 1000 रु० या 1200 रु० रुपए तक पहुंच गए तो असली उत्पादकों के पास

पटसन का कोई अधिक स्टाक नहीं था जिससे कि उन्हें ऊंचे दामों का पूरा लाभ मिलता। ऊंचे मूल्यों का अधिकांश लाभ काला बाजारियों, जमाखोरों स्टाकिस्टों, एजेन्टों तथा बिचौलियों आदि को मिला। परन्तु उस समय भी यह महसूस किया गया था कि इस वर्ष भी पटसन की ज्यादा खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा क्योंकि पिछले वर्ष उन्हें पटसन के अच्छे दाम मिले थे। एक चेतावनी भी दी गई थी कि पटसन मिल-मालिक, एजेन्ट, बिचौलिये आदि सभी मिली-भगत और षडयन्त्र रच कर यह देखने की कोशिश करेंगे कि पटसन की कीमतें इस वर्ष न्यूनतम रहें। इस वर्ष ऐसा ही हुआ है। परन्तु विडम्बना यह है कि पटसन की कीमतों में भारी गिरावट के षड़यंत्र में सरकार भी शामिल है। जैसे ही जुलाई में पटसन की नई फसल आनी शुरू हुई तो पटसन की सस्ते दामों पर बिक्री की खबरें फैलना शुरू हो गईं। उत्तर बंगाल तथा बिहार में पटसन 180 रुपए तथा 200 रुपए प्रति क्विन्टल पर बेची जाने लगी। बिहार में कुछ स्थानों पर किसानों ने अपनी पटसन की फसल को जला डाला। इस सदन में 28 जुलाई को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में श्री बूटासिंह ने आश्वासन दिया था कि पटसन निगम पटसन खरीदने के लिए तुरन्त ही बाजार में आएगा तथा पटसन का सुरक्षित भण्डार भी बनाया जाएगा। भारतीय पटसन निगम पटसन की फसल का 33 प्रतिशत खरीदेगा। परन्तु सच तो यह है कि भारतीय पटसन निगम पटसन खरीदने के लिए सितम्बर से पहले बाजार में आया ही नहीं। मैं यह जानना चाहती हूं क्या यह सच है कि जुलाई में एक गुप्त परिपत्र विभाग द्वारा भारतीय पटसन निगम को जारी किया गया था, जिनमें लिखा कि सितम्बर से पहले पटसन न खरीदें? वास्तव में भारतीय पटसन निगम पटसन खरीदने के लिए सितम्बर से पहले बाजार में आया ही नहीं। 2 सितम्बर को बिहार के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री जगन्नाथ मिश्र, ने एक वक्तव्य में कहा था—मैं 3-9-85 के हिन्दुस्तान टाइम्स से उद्धृत कर रही हैं, उन्होंने कहा था "सरकारी एजेन्सियां तथा बिचौलियों ने किसानों को ठगने का एक षड़यन्त्र रचा था चूंकि व्यापार की शुरुआत 200 रुपए प्रति क्विंटल से शुरू हुई थी जोकि उत्पादन लागत से कहीं बहुत कम है।" किसानों द्वारा अपनी फसल जला देने का यही कारण है। इसी वजह से केरल के किसान अपनी नारियल की फसल को जला देते हैं। पटसन के दामों को बढ़ाने के लिए सम्पूर्ण ग्रामीण बंगाल में जुलाई तथा अगस्त के महीनों में किसानों द्वारा आन्दोलन किया गया था। उन्होंने 29 अगस्त को एकजुट होकर बंद का आह्वाहन किया। परन्तु उनकी मनोव्यथा की पुकार का केन्द्र सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। महोदय मैं नादिया जिले का रहने वाला हूं जोकि मूल रूप में पटसन उत्पादक क्षेत्र हैं। वहां पर किसानों को 200 रुपए से 250 रुपए प्रति बीघा नुक्सान हुआ है। इस वर्ष मेरे क्षेत्र में ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था पूरी तरह से (छिन्न-भिन्न) नष्ट हो गई है। किसानों ने बड़े दुख से बताया है कि उन्हें कम नुकसान उठाना पड़ता, अगर उन्होंने अपने पटसन के पौधों को सुखाकर ईंधन के रूप में बेच दिया होता तो, क्योंकि इंधन की लकड़ी 80 रुपए प्रति क्विंटल बिकती है। इससे पटसन उत्पादन में लिप्त कई जटिल प्रक्रियाओं तथा उसकी धुलाई एवं मजदूरी उत्पादन लागत आदि को तो बचाया जा सकता था। किसानों की इस दयनीय स्थिति के लिए केन्द्र सरकार पूरी तरह से एवं सीधे उत्तरदायी है।

महोदय, स्वतंत्रता से पहले पटसन द्वारा कमायी गई विदेशी मुद्रा बंगाल को ही मिलती

थी। 15 अगस्त 1947 के बाद 80 प्रतिशत आय केन्द्र द्वारा ले ली जाती है। एक महीने पश्चात ही उस आय का शत-प्रतिशत केन्द्र द्वारा छीन लिया गया। परन्तु इसके बदले में पटसन की खेती में सुधार लाने या पटसन कृषकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को कोई विशेष सहायता नहीं दी। मैं मांग करती हूं कि सभी पटसन उत्पादन करने वाले राज्यों को उनके उत्पादन के अनुपात में पर्याप्त सहायता दी जानी चाहिए।

आलू फसल का मौसम शुरू होने वाला है। नाफेड किसानों के हितों की रक्षा किस प्रकार करेगा ? मैं यह जानना चाहती हूं क्योंकि पिछले वर्ष का अनुभव अच्छा नहीं था। पिछले वर्ष सहकारी समितियों द्वारा केवल 60 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 60,000 क्विंटल आलू खरीदा गया था। पश्चिम बंगाल में सिर्फ 8000 क्विंटल की खरीद की गई थी परन्तु किसानों को क्या मिला ?

भारतीय तम्बाकू निगम सिर्फ आन्ध्र से ही तम्बाकू खरीदता है। बिहार तथा पश्चिम बंगाल में भी तम्बाकू पैदा होता है। भारतीय तम्बाकू निगम को इन राज्यों से भी तम्बाकू खरीदना चाहिए।

अन्त में, मैं कहूंगी कि सरकार की जो शीर्षस्थ संस्थाएं हैं कि जो कि भारतीय पटसन निगम, भारतीय कपास निगम, भारतीय तम्बाकू निगम, भारतीय खाद्य निगम, नाफेड आदि सभी अपने उद्देश्यों में बुरी तरह असफल रही हैं। किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने की बात तो दूर रही, ये किसानों को समर्थन मूल्य दिलाने में भी असफल रही हैं।

अन्त में, मैं निम्नलिखित मांगें रखती हूं :—

(i) कृषि उत्पाद का मूल्य निर्धारित करते समय किसान तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा किये गये परिश्रम को भी दृष्टिगत रखना चाहिए तथा सभी कृषि संबंधी वस्तुओं की कीमतें इस आधार को लेकर पुनः निर्धारित की जानी चाहिए। पटसन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 600 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाना चाहिए।

(ii) सरकार द्वारा निर्धारित सभी कृषि संबंधी फसलों के मूल्य उसे बोने से पहले घोषित कर दिए जाने चाहिए। पटसन की कीमत जनवरी में बता दी जानी चाहिए।

(iii) जे० सी० आई०, सी० सी० आई०, टी० सी० आई०, नाफेड आदि सभी एजेन्सियों को निर्देश दिये जाने चाहिए कि वे किसी भी फसल को तैयार होते ही उसे सीधे ही किसानों से खरीदें तथा इस उद्देश्य के लिए काफी बड़ी मात्रा में खरीद केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए।

(iv) उन सभी राज्यों का ब्याज-मुक्त कर्ज दिया जाना चाहिए जो कृषि उत्पाद के लिए

लाभकारी मूल्य देना चाहते हैं। विदेशी-व्यापार को बनाए रखने एवं उसके हित के पटसन उत्पादक राज्यों को उनकी फसल के अनुपात में विशेष सहायता दी जानी चाहिए।

(v) रोजमर्रा काम आने वाली 14 आवश्यक वस्तुओं के लिए राज्य व्यापार होना चाहिए जिसका हमने बार-बार जिक्र किया है। किसानों की रोजमर्रा की दुख-तकलीफ को कम करने के लिए पूरे देश में समान एवं उचित दरों पर चीजें उपलब्ध हों।

(vi) सभी पटसन मिलों, चीनी मिलों एवं कपड़ा मिलों का, जो कि निजी स्वामित्व के अधीन हैं राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बैनुल बसर (गाजीपुर) : सभापति जी हमारे देश में कृषि वैज्ञानिकों ने, किसानों ने और यहां बैठी हुई सरकार ने, तीनों ने मिलकर पिछले अनेक वर्षों में आजादी के बाद से जो मेहनत की है उससे कृषि का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ा है। आज किसान पहले की अपेक्षा बहुत अधिक उत्पादन कर रहा है, इसमें दो राय नहीं हैं। बल्कि हमारा देश कहीं अकाल से पीड़ित है, कहीं बाढ़ से पीड़ित है जिसके कारण फसलों का नुकसान होता है, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों की फसल का उत्पादन बहुत बढ़ा है, किन्तु इतना उत्पादन बढ़ने के बावजूद आज किसानों के चेहरों पर रोनक नहीं हैं और किसानों मायूसी और बेचैनी छाई हुई है, इसका क्या कारण है — इसका कारण यह है कि जो चीजें वे पैदा करते हैं उनके लाभकारी मूल्य उनको नहीं मिल पाते हैं।

गेहूं की रिकार्ड पैदावार बढ़ी है, सरकार का यह दावा सही है, लेकिन गेहूं की जो कीमत सरकार किसानों को दे रही है, क्या किसान उससे संतुष्ट हैं, गेहूं की जो कीमत आज किसानों को दी जा रही है क्या वह लाभकारी मूल्य है और क्या यह बात भी सही है कि जितना गेहूं पैदा होता है उस सबको खरीदने की क्षमता फूड कारपोरेशन आफ इंडिया रखता है ? निर्धारित मूल्य पर पूरा गेहूं खरीदने की क्षमता एफ० सी० आई० के पास नहीं है। जिसका नतीजा यह होता है किसानों को अपना गेहूं निर्धारित मूल्य से कम पर बाजार में बेचना पड़ता है।

आज धान की खरीद के लिए हाहाकार मचा हुआ है। एफ० सी० आई० बड़े पैमाने पर धान खरीदने के लिए आगे नहीं आ रहा है जिसके कारण उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में और पंजाब में धान के निर्धारित मूल्य रु० 142 प्रति क्विंटल से घटाकर किसानों को अपना धान खुले बाजार में 130 रु० प्रति क्विंटल पर बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कहीं-कहीं 110 रुपए क्विंटल के हिसाब से भी बिक रहा होगा, जैसा कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है, हो सकता है, यह कोई अजीब बात नहीं है। सरकार ने धान का मूल्य 142 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है जो कि वास्तविक खर्च के हिसाब से देखा जाए, तो कम है, लेकिन एफ० सी० आई० उसको इस निर्धारित

मूल्य पर खरीदने की क्षमता नहीं रखती है जिसके कारण बड़े पैमाने पर धान के भाव गिरते जा रहे हैं।

इस वर्ष कुछ वर्षा अच्छी हुई है जिसके कारण गेहूं की पैदावार अच्छी होने की पूर्ण सम्भावना है। यदि एफ० सी० आई० की यही हालत रही, तो हमें अगले सैक्शन में गेहूं के गिरते हुए भावों पर भी बहस करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

कपास के मूल्य के बारे में हम सुनते हैं कि मूल्य गिर रहे हैं, मूंगफली और जूट के भाव रोजाना गिरते जा रहे हैं। आज किसान के चेहरे पर मायूसी और परेशानी है। उनके चेहरे पर रोनक नहीं है जो अधिक भाव के कारण होनी चाहिए। इसका उत्तर किसके पास है ? इसका उत्तर बूटासिंह के पास तो है ही, पूरी सरकार के पास है। लेकिन मैं सरकार की दिक्कतों को भी समझता हूं।

एक तरफ सरकार को यह भी सुनिश्चित करना है कि आवश्यक वस्तुएं उपभोक्ताओं को कम दाम पर मिलें। इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि देश की काफी आबादी गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बिताती है। दूसरी तरफ सरकार को देखना है कि किसान को लाभकारी मूल्य मिले।

चाहे जो पैसा आप तय कर दें, गेहूं, कपास, जूट, नारियल आदि सभी वस्तुओं के लाभकारी मूल्य उनको मिल सकें। इन दोनों में सरकार को बैलेन्स करना है।

इस वर्ष दुःख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि सरकार इन दोनों कामों में विफल रही है। न तो दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की वस्तुएं सस्ती हुई हैं, बल्कि महंगी हुई हैं। और किसान की पैदावार का दैनिक भाव भी सस्ता हुआ है। एक तरफ तो इस देश के गरीब लोगों को पहले से अधिक महंगे दाम पर आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीदनी पड़ रही हैं और दूसरी तरफ किसानों को अपनी पैदावार बहुत ही सस्ते दामों पर बेचनी पड़ रही है। इसका उत्तर सरकार के पास है, क्या करे सरकार ?

सरकार ने एफ० सी० आई० बनाया, समर्थन मूल्य देने के लिए जिससे बाजार में मूल्य स्थिर रहें, किसान अधिक पैदावार करें और यह संस्था उस उपज की खरीद कर ले। इस तरह से बाजार में उसका मूल्य स्थिर हो जायेगा।

काटन और जूट के लिए सरकार ने काटन बोर्ड और जूट-बोर्ड बनाये, लेकिन ये संस्थाएं खरीद नहीं कर पाती हैं, यह विफलता है। अगर ये संस्थाएं, जितनी खरीद उनको करनी चाहिए, अगर उतना खरीद कर लें तो कम-से कम सरकार ने जो मूल्य निर्धारित किया है, उस पर किसान की पैदावार बिक सकती है। यह आगे की बहस होगी कि जो मूल्य निर्धारित किया है, मेरी समझ में बहुत से माननीय सदस्य इस राय के होंगे कि जो मूल्य निर्धारित किया है वह लाभकारी नहीं है, अलाभकारी है। लेकिन जो भी मूल्य निर्धारित किया है, कम-से कम उस मूल्य पर तो अधिक

से अधिक एफ० सी० आई० खरीद करे । श्री बूटासिंह जी एफ० सी० आई० के मन्त्री भी रह चुके हैं ।

सरदार बूटासिंह : एफ० सी० आई० का नहीं रहा हूं ।

श्री अंनुल बशर : पहले तो एग्रीकल्चर और फूड आपके पास था । अगर नहीं था, तो भी आपको मालूम होगा ।

आज जितने भी सार्वजनिक संस्थान हमारे देश में हैं उसमें भ्रष्टाचार में एफ० सी० आई० पहले नम्बर पर खड़ा है । अगर कोई ट्राफी आप देना चाहें तो इस बारे में उसे दे दें । श्री बूटासिंह जी कप-ट्राफी बहुत बांटते हैं । गेहूं का भाव उसी की वजह से कम होता है । धान में हाहाकार मचा हुआ है ।

आप पंजाब से आते हैं, पंजाब के बारे में आपको मालूम होगा । बहुत से सदस्य पंजाब से आये हैं, उनकी मालूम है । हमें दुःख है । हम भी उत्तर प्रदेश से आये हैं, हमारे यहां भी धान पैदा होता है । धान की कीमत कम रखी गई है ।

अगर एफ० सी० आई० को ठीक नहीं कर सकें तो कम-से-कम निर्धारित कीमत पर तो किसान को दाम मिलना चाहिये ।

काटन बोर्ड बना हुआ है । जहां कपास पैदा होती है, हमारे वहां के माननीय सदस्य चिल्ला रहे हैं । उनका सबसे बड़ा कहना यह है कि कपास बोर्ड पूरी खरीद नहीं कर पा रहा है । कम-से-कम सरकार की जो ऐजेन्सी इस काम के लिए बनी हैं उनको निर्धारित मूल्य पर माल खरीदना चाहिए ।

5 म० प०

कम से कम सरकार की जो एजेंसीज इस काम के लिए बनी हैं उनको तो यह काम करना चाहिए । अभी पिछले दिनों आलू का मूल्य बिलकुल नीचे चला गया । जो भी एजेंसी सरकार की थी उसने आलू खरीदा नहीं । जो मूल्य सरकार ने निर्धारित किया उससे बहुत कम मूल्य पर आलू बिका । नतीजा क्या हुआ कि बहुत सा आलू सड़ गया, बरबाद हो गया, खत्म हो गया ।

गन्ने के मूल्य का भी वही रोना है । गन्ने के मूल्य से किसान खुश नहीं है और चीनी के मूल्य से उपभोक्ता खुश नहीं हैं । दोनों नाखुश हैं । गन्ने का जितना मूल्य आपने बढ़ाया उससे अधिक चीनी की कीमत बढ़ा दी ? बीच का पैसा कहां जायगा ? बीच का जो मुनाफा होगा वह भी आप लेते रहेंगे । बनिया यदि ऐसा करे तो उसको हम क्या कहेंगे और सरकार ऐसा कर रही है तो उस को क्या कहें ? तो कम से कम जो सरकार के पास एजेन्सी हैं वह ठीक निर्धारित मूल्य पर खरीद करें तो भी बहुत कुछ हो सकता है ।

हमारे देश में 70 प्रतिशत किसान रहते हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है। सबको आप काम दे नहीं सकते। नयी टेक्नोलाजी आप भारत में ला रहे हैं। उससे जो लोग आज काम कर रहे हैं उनमें भी बेकारी बढ़ जायगी। तो यह सारा बोझा कहां जायगा? खेती पर जायगा, किसान पर जायगा। 70 प्रतिशत आबादी हमारी गांवों में रह रही है और वह देश की आबादी का बोझा उठा रहे हैं। और बेकारी बढ़ने से और बोझा खेती पर, कृषि पर बढ़ेगा। एक तरफ बोझा बढ़ेगा दूसरी तरफ कृषि की पैदावार का मूल्य घटेगा। तो इस देश में गरीबी हटाने का नारा खोखला रहेगा। कोई सुधार होने की गुंजाइश नहीं है।

एक और सुझाव मैं माननीय मन्त्री जी को देना चाहूंगा। वह कृपया इस बात को देखें कि विदेशों में एक्सपोर्ट करने की गुंजाइश जो हमारी कृषि की पैदावारें हैं उनमें कितनी है? इस वर्ष गेहूं एक्सपोर्ट हुआ है। यह बहुत अच्छी बात है। अभी और पैदावार बढ़ने की आशा है। तो गेहूं और दूसरी और भी चीजें जो इस तरह की हैं उनके एक्सपोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि काटन एक्सपोर्ट करने की इजाजत सरकार नहीं दे रही है। जब आपके पास भण्डारण नहीं है, स्टोरेज नहीं है चाहे वह गेहूं का हो, चाहे कपास का हो, चाहे जूट का हो चाहे धान का हो तो आप इजाजत दीजिए एक्सपोर्ट करने की अगर कोई बाहर भेजने को तैयार है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं—हमारे यहां कृषि पैदावारों के लिए स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम है। स्टोरेज कैपेसिटी युद्ध स्तर पर बढ़ायी जानी चाहिए, चाहे एफ०सी०आई० के द्वारा बढ़ाया जाय या और दूसरे जो माध्यम या एजेंसियां हैं उनके द्वारा बढ़ाया जाय ताकि वहां स्टोरेज किया जा सके और वक्त जरूरत पर उनको निकाला जा सके, अगर एक्सपोर्ट करने की आवश्यकता हो तो उनको एक्सपोर्ट किया जा सके।

इस वर्ष किसानों की पैदावार के मूल्य कुछ अधिक गिर गए हैं। मैं कृषि मन्त्री से निवेदन करूंगा कि आप किसानों की देखभाल करने वाले मन्त्रालय को देखते हैं, आप ही उनके संरक्षक हैं, आप कृपया ऐसी व्यवस्था कीजिए कि जो भी कृषि के उत्पादन हैं धान से लेकर कपास, मूंगफली, जूट और नारियल तक सब को लाभकारी मूल्य मिल सके। कम से कम जो सरकार ने निर्धारित किया है उतना उनको अवश्य मिल सके।

- **श्री टी० बशीर** (चिरायिंकिल): माननीय सभापति महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप में कृषि पर आधारित है। अतः जहां तक हमारे देश एवं लोगों का संबंध है; "कृषि संबंधी वस्तुओं की कीमतों में गिरावट" पर चर्चा बहुत ही महत्व-पूर्ण है।

माननीय सभापति महोदय, मुझे मालूम है कि मेरे पास बोलने के लिये समय सीमित है। अतः, मैं सभी कृषि संबंधी वस्तुओं के ब्यौरे में नहीं जाऊंगा। इस समय तो मैं हमारे राज्य में नारियल उत्पादकों की समस्याओं के बारे में आपको बताऊंगा।

श्री एच० ए० डोरा (श्री काकुलम) : आन्ध्रप्रदेश की भी ।

श्री टी० बशीर : विशेष रूप से केरल के बारे में वहां के गरीब नारियल कृषकों, उनके दुख दर्द के बारे में, मैं माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहूंगा ।

नारियल केरल की मुख्य फसल है । देश की 65 प्रतिशत नारियल फसल केरल में ही होती है ।

मैं कहूंगा कि यह वहां पर जनसाधारण की खेती है । नारियल की लगभग 90 प्रतिशत खेती एक एकड़ से भी कम भूमि पर की जाती है । इसका क्षेत्रफल एक एकड़ से पांच सेंट तक का होता है । हरेक जोत में आप 5 या 10 नारियल के पेड़ देख सकते हैं । कोई भी व्यक्ति कल्पना कर सकता है कि केरल की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से नारियल की खेती से परस्पर जुड़ी हुई है ।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि नारियल, जटा उद्योग तथा खोपरे के पेषण एवं पेराई उद्योग नारियल की खेती पर आधारित दो मुख्य परम्परागत उद्योग हैं । नारियल के मूल्य में इतनी ज्यादा गिरावट से नारियल कृषकों की जिन्दगी में घोर दुख व्याप्त हो गया है ।

5.08 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जा रहा हूं । 1984 में, एक नारियल की कीमत 4 रुपये थी अब इसकी कीमत 1.50 रुपये हो गयी है । आप इसकी कल्पना कर सकते हैं । यह 150 प्रतिशत गिरावट हुई है । अतः इससे हमारे देश में केरल के नारियल कृषकों की अर्थव्यवस्था पर गम्भीर प्रतिघात हुआ है ।

मैं सदन का ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं । कृषि संबंधी कच्चे माल यथा औजारों एवं मजूरी की कीमतों में वृद्धि होने से खेती संबंधी खर्चों में अत्यधिक वृद्धि हुई है । अतः इस समय स्थिति बहुत गम्भीर है । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे समझते हैं लोग परेशान हैं । इस बात को लेकर ये लोग पिछले 6 से 9 महीनों से काफी परेशान हैं । मुझे याद है कि बजट अधिवेशन के दौरान नारियल कृषकों की व्यथा के विषय पर इसी सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा चर्चा की गई थी तथा काफी सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया था और मुझे याद है कि तत्कालीन माननीय मंत्री जी ने कुछ आश्वासन दिया था मैं । कहना चाहूंगा कि मैं उनकी ईमानदारी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता । मैं जानता हूं कि वह ईमानदार एवं निष्ठावान व्यक्ति हैं । मुझे मालूम है कि सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं परन्तु उसका कोई परिणाम नहीं निकला । कोई प्रगति नहीं हो रही है उस अधिवेशन में, जब वे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि वे संबंधित दलों, संगठनों, नारियल बोर्ड तथा राज्य सरकारों की एक बैठक बुलायेंगे । परन्तु ऐसा कुछ नहीं

हुआ। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे इस तरह की बैठक जल्दी से जल्दी बुलाएं तथा इस देश में नारियल की खेती से संबंधित समस्याओं पर चर्चा करें।

इस अवसर पर मैं कुछ सुझाव एवं कुछ मांगें रखना चाहूंगा। मेरे विचार से ये आवश्यक बातें हैं तथा इससे नारियल कृषकों के दुख कुछ हद तक कम होंगे। मैं माननीय मंत्री एवं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे उन्हें उनके भाग्य के सहारे न छोड़ें अपितु कुछ कारगर एवं तुरन्त कदम उठायें। अन्यथा मैं नहीं जानता क्या होगा। केरल में बहुत ही गम्भीर समस्या बनी हुई है। बेचारे गरीब किसान उदास हैं वे तकलीफ में हैं। अतः मैं माननीय मंत्री जी तथा सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस स्थिति से निपटने के लिऐ वे आगे आयें।

सर्वप्रथम, जैसा कि सभी जानते हैं, मुख्य कारण है नारियल के तेल का आयात। ऐसा हो रहा है। पिछली दफे भी हमने मांग की थी कि उसे बन्द किया जाना चाहिये तथा हमें यह आश्वासन भी दिया गया था, कुछ हुआ भी था। परन्तु मुझे खेद है कि कुछेक औद्योगिक तेलों अथवा इसी तरह के नाम पर अभी भी नारियल तेल का आयात हो रहा है। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि सरकार सुस्पष्ट वक्तव्य दे कि नारियल के तेल का आयात किसी भी कीमत में नहीं किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में कोई कदम उठायें।

दूसरे मैं बताना चाहता हूं कि नारियल कृषकों की यह बहुत लम्बे समय से चली आ रही मांग है कि नारियल तथा खोपरे के लिये समर्थन मूल्य की घोषणा की जानी चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इसे आज ही करें। वह समस्या को अच्छी तरह से जानते हैं तथा मैं आशा करता हूं कि वह नारियल के लिये समर्थन मूल्य की घोषणा करेंगे।

जहां तक खरीद की बात है मेरे मित्र श्री रामचन्द्रन ने ठीक ही कहा है कि कृषकों की किस्मत एकाधिकारों, बम्बई मिल मालिकों तथा निजी व्यापारियों के हाथ में है। सरकार को इसके लिये कोई न कोई तंत्र ढूंढना चाहिये। नारियल की खरीद के लिए सरकारी एजेन्सी जैसे कि राज्य व्यापार निगम आदि को आगे आना चाहिये। ऐसा किया जाना चाहिये। अन्यथा इस समय की दर्शनीय स्थिति निरन्तर जारी रहेगी। गरीब नारियल उगाने वाले कृषक निरन्तर दुखी एवं प्रताड़ित होते रहेंगे।

मैं कहना चाहूंगा कि नारियल एवं इससे बनी चीजों का निर्यात किया जाना चाहिये। मैं जानता हूं कि हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, क्योंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों आदि पर निर्भर करता है। परन्तु इस समय इस मुश्किल स्थिति से निपटने के लिये सरकार को नारियल तथा इसके उत्पादों का निर्यात करने का निर्णय करना चाहिये।

मेरा अगला सुझाव है नारियल की खेती के लिये वित्तीय सहायता। माननीय मंत्री जी जानते हैं, सच तो यह सभी व्यक्ति जानते हैं कि नारियल के बागानों में एक गम्भीर बीमारी होती है जड़ों के कुम्हलाने की बीमारी (रुट विल्ट), इसके लिए प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। नारियल की खेती के लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या है। अतः नये पौधे लगाने हेतु सरकार को राज सहायता

तथा वित्तीय सहायता देने के लिए आगे आना चाहिए। कुछ योजनाओं को तुरन्त कार्यान्वित किया जाना चाहिये। महोदय अन्यथा यह बीमारी इस बेशकीमती खेती को खत्म कर देगी।

अगला मुद्दा है कि हम लम्बे समय से यह मांग करते रहे हैं कि नारियल को तिलहन की श्रेणी में रखा जाना चाहिये। इस वक्त यह तिलहन की श्रेणी में नहीं आता। मैं नहीं समझता ऐसा क्यों है। इस श्रेणी में अन्य तिलहन तो हैं परन्तु नारियल इसमें शामिल नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे नारियल को तिलहन के रूप में मानें। तभी हमें राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना से फायदा मिल सकता है। अतः मैं अनुरोध करूंगा कि यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण चीज है, बहुत गम्भीर बात है। सरकार को इस बात पर विश्वास करना चाहिये क्योंकि 95 प्रतिशत नारियल से तेल निकाला जाता है। अतः यह तेल निकालने के लिये बीज है। मैं समझता हूं कि सरकार को इस बात का विश्वास हो गया है तथा वह कुछ कदम उठायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : केरल के पांच और सदस्य नारियल पर बोलने वाले हैं। अतः आप अपना भाषण समाप्त करिये।

श्री टी० बशीर : एक बार फिर से मैं केरल के नारियल उत्पादकों की परेशानियों पर ध्यान देने के लिए आग्रह करता हूं तथा मुझे विश्वास है कि सरकार मेरे राज्य के निर्धन कृषकों को संरक्षण देने के लिए तुरन्त कोई कदम उठायेगी।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी वक्ताओं का पूरे हृदय से समर्थन करता हूं जिन्होंने कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य दिलवाने की बात कही है। महोदय, मैं अपने आप को कृषकों के उन दो वर्गों तक ही सीमित रखूंगा जिनके बारे में अभी तक किसी भी वक्ता ने कुछ नहीं कहा है।

इससे पहले मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि कृषि मूल्य आयोग किन आधारों पर और किस तरह से कीमतें निर्धारित करता है। महोदय, साधारण व्यक्ति की हैसियत से मैं समझता हूं कि कीमतें निर्धारित करने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। मैं जानना चाहूंगा क्या कीमतें निश्चित करते समय राज्यों को विश्वास में लिया जाता है? क्या इस प्रक्रिया में उत्पादकों की राय ली जाती है? महोदय, यह बहुत ही आवश्यक है। 15-16 वर्षों से विधायक होने के नाते मैं जानता हूं कि विधान-मण्डल तक में भी यह मांग की गई है कि कीमतें निश्चित करने की प्रक्रिया में राज्यों तथा कृषकों को शामिल किया जाना चाहिए।

महोदय, कृषि की उत्पादन लागत सभी जगह एक समान नहीं हो सकती। यह हर जगह भिन्न है। विशेष रूप से वहां जहां बहुत सी जगहों में सिंचित क्षेत्र हैं। निःसन्देह कई स्थानों पर सिंचाई नलकूपों तथा कुंओं (बोर वैल्स) पर निर्भर होती है। इसमें बहुत फर्क है। अतः मैं सरकार से जानना चाहता हूं किस आधार पर कीमतें निर्धारित की जाती हैं।

मजबूरन बिक्री तथा मूल्यों में गिरावट आने का कारण है कतिपय मामलों में सरकार की नीतियां। अभी-अभी केरल के हमारे मित्र ने नारियल के बारे में स्थिति स्पष्ट की है। जहां तक कपास का संबन्ध है कर्नाटक से हमारी सदस्या ने राज्य का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। मैं इस संबंध में कहना चाहूंगा कि सरकार की आयात-नीति से कृषकों पर कई मामलों में असर पड़ा है। महोदय, विशेष रूप में नारियल तेल के आयात के कारण नारियल की बिक्री प्रभावित हुई है।

एक और फसल है, शहतूत की खेती जिससे कृषि मन्त्रालय सीधे सम्बन्धित नहीं है। शहतूत उत्पादकों की हालत आप जानते हैं। कर्नाटक में 60 से 70 प्रतिशत रेशम का उत्पादन होता है। आपको शहतूत कृषकों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। वे संकटमयी स्थिति में है। चीन से रेशम के आयात की नीति के कारण कर्नाटक में रेशम उद्योग समाप्त होता जा रहा है तथा शहतूत उत्पादकों को अच्छे मूल्य नहीं मिल रहे हैं। इसी तरह से, मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे खाद्य तेलों के आयात को बढ़ावा देने की बजाय इसकी ज्यादा अच्छी खेती करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करें। इस सम्बन्ध में कर्नाटक सरकार ने एक योजना का सुझाव दिया है। आप ज्यादा क्षेत्र को तिलहन की खेती के अन्तर्गत लाईये तथा आप केन्द्र की ओर से उन्हें सहायता दिलाईये। वे इस कमी को स्थायी रूप से दूर कर देंगे।

सब्जी उगाने वाले किसानों की बात करें। हमारे यहां अधिकतर लोग सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं। मैं इस बात से भली-भांति परिचित हूं कि हमारे यहां के सब्जी उगाने वाले किसानों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। वे अत्यन्त शोषित हैं। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपनी आंखों से देखा है कि किसान अपने सिर पर सब्जियों का टोकरा लेकर आते हैं। उन्हें सिर्फ एक रुपया अथवा आठ आना दिया जाता है तथा बिचौलिये सारा मुनाफा हड़प जाते हैं। ऐसा दिल्ली में भी हो रहा है। सदस्यों ने यहां पर सब्जियों के मूल्यों में वृद्धि की भी शिकायत की परन्तु ये मूल्य वृद्धि के प्राप्त पैसे वास्तविक उत्पादकों को नहीं मिलते हैं। मैं जानता हूं कि यह अकेले केन्द्र की जिम्मेदारी नहीं है। परन्तु राज्य सरकार इस वर्ग को संरक्षण देने में पूरी तरह असफल रही है। इस वर्ग की हालत अत्यन्त खराब है। अगर कृषक खेती करने से मना कर दें और अगर आप उन्हे समर्थन मूल्य नहीं देते तो हमारे देश का भविष्य क्या होगा? मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इस बात का आश्वासन देगी कि वह ईमानदारी से उपाय करेगी तथा यहां बताई गई सभी वस्तुओं के उत्पादकों और विशेष रूप में कर्नाटक में कपास धान, नारियल तथा शहतूत के बारे में न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करेगी। हमारे यहां बहुत से बोर्ड एवं निगम हैं। इन बोर्डों को बनाने का मुख्य उद्देश्य है किसानों व उत्पादकों की सहायता करना। परन्तु हालत यह है कि उत्पादकों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है तथा जो लोग निर्मित उत्पादों को बनाने में लगे हैं, उन्हें लाभकारी मूल्य मिल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए।

इन राष्ट्रों के साथ मैं इस बात का पूरा समर्थन करता हूं कि सभी कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य होना चाहिए।

———

5.23 म० प०

सभा का कार्य

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों से जानना चाहता हूं। इस विषय पर चर्चा में समझता हूं काफी वक्त लगेगा, शायद छ. बजे से भी ज्यादा समय लग जाये। मेरे पास इसमें बोलने वाले सदस्यों की जो सूची है उसको देखते हुए 10 00 भी बज सकते हैं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि सदस्य समय-सीमा का ध्यान रखें तथा संक्षेप में अपनी बात कहें ताकि मन्त्री भी आज ही उत्तर दे सकें। अन्यथा किसी और दिन भी चर्चा करनी पड़ेगी।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम्) : महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। सामान्यतया राजनैतिक दलों को, उनकी सदस्य संख्या के हिसाब से समय दिया जाता है। निर्दलीय सदस्यों की बारी अन्त में आती है। अब मैं देख रहा हूं कि आप इस सामान्य प्रक्रिया से हट रहे हैं। मान्यता प्राप्त दलों को बोलने के लिए कहे बिना आप निर्दलीय सदस्य को किस प्रकार पहले बोलने के लिए कह सकते हैं। ऐसी बात पहले नहीं हुआ करती थी।

उपाध्यक्ष महोदय : वही तरीका अपनाया जा रहा है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो लिखित में दीजिये।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : वही तरीका नहीं अपनाया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया रिकार्ड को देखिये तथा इस बात की पुष्टि कीजिए।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : निर्दलीय सदस्यों को दलीय सदस्यों से पहले कभी भी बोलने के लिए नहीं बुलाया जाता है। मैं इस बात का विरोध करता हूं तथा मैं इस बात को लिखित में भी दूंगा।

[हिन्दी]

श्री काली प्रसाद पांडेय (गोपालगंज) : अभी एक माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए इंडीपेन्डैन्ट सदस्यों के बारे में कुछ कहा। इस सदन में ऐसी बहुत सी पार्टियां भी हैं जिनका केवल एक ही माननीय सदस्य चुनकर आया है, जबकि हम इंडीपेन्डैन्टस की संख्या 4 है। अब सवाल यह है कि इससे पहले भी इस सदन में रुग्ण उद्योगों के संबंध में चर्चा हो रही थी, मैं और दत्ता सामन्त जी कल से उस पर क्यू में हैं परन्तु हमको अभी तक समय नहीं दिया गया.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : महोदय, यह पूर्वोदाहरण एवं परिपाटी का प्रश्न है। आप जो परिपाटियां बनी हुई हैं उनसे दूर हट रहे हैं और अगर यह परिपाटियां नहीं हैं। तो आप तेलुगु देशम को पहले क्यों बुला रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप देखते हैं कि हम परिपार्टी से हट कर चल रहे हैं तो कृपया आप लिखित में दीजिये।

[हिन्दी]

श्री काली प्रसाद पांडेय : हम जब भी समय मांगने के लिये जाते हैं, तो हमसे कहा जाता है कि नीचे जाईये। हम कल से क्यू में हैं।

———

5.26 म० प०

कृषि जिन्सों के मूल्य में भारी गिरावट के बारे में चर्चा—(जारी)

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : हमारे देश में आजकल एक अजीब सी बात देखने में आ रही है कि कृषि उत्पादों के मूल्य तो गिरते जा रहे हैं परन्तु खुदरा एवं थोक दाम बढ़ते जा रहे हैं? यह एक अजीब सी बात है परन्तु हमारे देश में काफी समय से चली आ रही है कि जब कभी भी कृषि उत्पाद मन्डी में आते है तो कीमतें गिर जाती हैं और जब किसान अपनी फसल बेच देता है तो कीमतें बढ़ जाती हैं।

इस पृष्ठ भूमि में हम स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के आभारी हैं कि उन्होंने 1966 में कृषि मूल्य आयोग बनाया और बाद में जब यह महसूस किया गया कि कृषि लागत एवं मूल्यों सम्बन्धी विचार किया जाना चाहिए तो हमारे प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने इस पर विचार किया तथा इसे कृषि लागत और मूल्य आयोग में बदल दिया।

जिस विषय पर चर्चा हो रही है वह एकदम अलग है। जहां तक कृषि उत्पाद के मूल्यों का संबंध है; उस बारे में मुझे बहुत कुछ कहना है। परन्तु मैं अपने आपको आयोग द्वारा निर्धारित कृषि मूल्यों की वास्तविक क्रियान्विती तक ही सीमित रखूंगा। यह बहुत ही खेदजनक है कि यद्यपि अभी तक हम लोग कई कृषि उत्पादों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करते आये हैं परन्तु कोई ऐसी प्रभावी खरीद एजेन्सी देश में नहीं बना पाये जो कि कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित मूल्यों को देखे और उन्हें लागू करे। कृषि उत्पाद न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दामों में बेचे जा रहे हैं। चाहे वह उत्तर भारत में चावल; सोयाबीन अथवा ज्वार हो या फिर दक्षिण भारत में उत्पन्न नारियल या कोई अन्य चीज। कृषि मंत्रालय को इस बात की बारीकी से जांच करनी चाहिये।

किसानों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है तथा हमें यह सुनिश्चित करना है कि जब कभी सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किये जाते हैं तो किसानों को वह दाम मिलने ही चाहिये। यह केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों का ही उत्तरदायित्व है।

महोदय, मैं यह भी समझता हूं कि इन वस्तुओं की खरीद बड़ी मंडियों तक ही सीमित है जहां पर कृषक अपने उत्पाद लेकर आते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में अधिकतर कृषि संबंधी उत्पाद साप्ताहिक हाट में बेचे जाते हैं जहां पर खरीद एजेंसियां कार्य नहीं कर रही हैं। अतः जो लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य से फायदा उठा रहे हैं वे किसान नहीं हैं। ये बिचोलिये हैं जिन्हें फायदा हो रहा है। जिन्हें हम बिचौलिया कहते हैं, वे साप्ताहिक हाटों में जाते हैं तथा किसानों से सस्ते दामों पर धान खरीदते हैं। अतः मैं माननीय मंत्री जी सेअनुरोध करता हूं कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि साप्ताहिक बाजारों में कृषि उत्पादों के मूल्यों की जानकारी दी जाए ताकि असली किसान को न्यूनतम मूल्य होने का फायदा मिल सके। महोदय, उसके साथ ही वास्तविक क्रियान्विति पर काफी समय लगता है। धन की उपलब्धि, बोरियों तथा तोलने की मशीनों की व्यवस्था करने आदि सभी वस्तुओं पर काफी समय लगता है। बेशक राज्य सरकार वसूली शुरू करने के बारे में, निर्णय लेती है परन्तु मंडियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण कृषि उत्पादों के मूल्य घटते हैं तथा सरकार प्रभावी रूप से उनकी वसूली नहीं कर पाती। अतः किसानों की उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने हेतु सरकार को अग्रिम कार्यवाही करनी पड़ती है, कम से कम दो महीने पहले व्यवस्था करनी पड़ती है ताकि बोरियों, तोलने की मशीनें मंडियों में पहुंचाई जा सकें और वसूली की जा सके। निचले स्तर पर छोटी-छोटी चीजों के लिए भी विस्तृत आयोजन किये जाने की आवश्यकता है ताकि किसानों को लाभप्रद मूल्य मिल सके।

महोदय, मैं कुछ समय मध्य प्रदेश का कृषि मंत्री रहा था—मेरा यह अनुभव रहा है कि मध्य-प्रदेश जैसे राज्य के पास विकास कार्यों के लिए पहले से ही धन की कमी है तथा वसूली अभियान के लिए संसाधन भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने होते हैं। इससे राज्य सरकार को इतने बड़े कार्य के निष्पादन में सहायता मिलेगी। महोदय, मेरे राज्य में खरीफ के मौसम में धान, सोया-बीन, ज्वार आदि अनाज कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किये गये मूल्यों से भी कम मूल्य पर बिक रहे हैं। इन अनाजों के बारे में हमारा सुझाव है कि राज्य स्तर पर प्रबोधन की अतीव आवश्यकता है ताकि किसानों का अपने उत्पादों के लाभप्रद मूल्य मिल सकें। भारत सरकार को आगे बढ़कर वित्तीय सहायता तथा अन्य साधन उपलब्ध कराने चाहिये ताकि राज्य सरकारें शीघ्र प्रभावी रूप से समर्थन मूल्य को लागू कर सकें। इसके साथ ही यह अनुभव किया गया है कि भारत सरकार ने मोटेअनाज के मूल्यों की घोषणा की है। परन्तु सरकार अपने स्तर पर मोटे अनाज खरीद नहीं रही। अतः राज्य सरकारों को वित्तीय भार वहन करना पड़ रहा है, तथा मोटे अनाज, मक्की ज्वार आदि के समर्थन मूल्य के रूप में भारी धन देना पड़ रहा है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इन मोटे अनाजों के लिए समर्थन मूल्य देने हेतु इन्हें चावल गेंहू की श्रेणी में सम्मिलित किया जाये ताकि भारत सरकार द्वारा उनकी खरीद हो सके और उन्हें भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा बेचा जा सके।

महोदय, तिलहनों तथा दालों के मामले में जिनसे देश का आर्थिक हित संबद्ध है—इन्हें 20 सूत्री कार्यक्रम में भी सम्मिलित किया गया है—यह अनुभव किया गया है कि उनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जाता। मध्य प्रदेश जो देश में सबसे अधिक सोयाबीन उत्पन्न करता है, वहां पर पूरे देश के कुल सोयाबीन के उत्पादन का 80% मेरे राज्य में पैदा होता है। परन्तु दुर्भाग्य से सोयाबीन मेरे राज्य में 220 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है जबकि उसका निर्धारित मूल्य 275 रु० प्रति क्विंटल है। मैं बताना चाहता हूं कि यह हमारे राज्य के किसानों के हितों के बहुत विरुद्ध है। बेशक मेरा राज्य न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने के लिए भारी प्रयास कर रहा है, परन्तु वित्तीय बाधाओं के कारण उसे बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। भारत सरकार को राज्य सरकारों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। यदि किसानों को प्रोत्साहन तथा यदि उन्हें उत्पादों का लाभकारी मूल्य मिलेगा तो इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अधिकाधिक क्षेत्र में तिलहनों, दालों आदि का उत्पादन होगा। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि समर्थन मूल्य लागू करने के लिए राज्य सरकार को तुरन्त वित्तीय सहायता दी जाये।

महोदय, कपास की वसूली भारतीय कपास निगम द्वारा की जाती है। परन्तु वे बड़े व्यापारियों के साथ मिले हुए हैं, मैंने अनुभव किया है कि जब भी कपास भारी मात्रा में मंडियों में आती है, भारतीय कपास निगम किसी न किसी बहाने मंडियों से अनुपस्थित हो जाता है, और इसके फलस्वरूप मूल्य अचानक गिर जाते हैं। किसानों को विवशतापूर्वक अपने माल को सस्ते मूल्य पर बेचना पड़ता है। हमें इस पर ध्यान देना है। मध्य प्रदेश में, विशेषत खंडवा, खारगोन, धार और झाबुवा में, जहां पर आदिम जातियों के बहुत से लोग रहते हैं, कपास एक मुख्य फसल है। उन्हें साप्ताहिक बाजारों में अपनी फसल की बिक्री करनी पड़ती है। भारतीय कपास निगम को अपने किसी अभिकरण, चाहे वह विपणन संघ हो या कोई अन्य अभिकरण, द्वारा साप्ताहिक बाजारों से कपास की खरीद अवश्य करनी चाहिए, जहां आदम जातियों के लोग अपनी फसल को बेचते हैं।

अभी तक गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया गया। इसकी तुरन्त घोषणा की जानी चाहिए क्योंकि पिराई का मौसम पहले ही शुरू हो चुका है, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं, कि इस बारे में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनायें ताकि पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश तथा दक्षिण के राज्यों को वे उचित मूल्य मिल सकें जिनका वचन दिया गया था, अन्यथा किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य में विश्वास खो बैठेंगे जिसकी हम घोषणा करते हैं।

श्री एन० टोरबी सिंह (आंतरिक मणिपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, यह तथ्य भली प्रकार विदित है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था आज अत्यन्त विषम अवस्था में है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हमारी सामान्य अर्थ-व्यवस्था ने कोई प्रगति नहीं की है। हमने कृषि एवं बहुत से अन्य क्षेत्रों में प्रगति की हैं परन्तु एक गम्भीर बात जिसने हमारी अर्थ-व्यवस्था में विषमता पैदा की है, यह है कि जहां एक क्षेत्र में मूल्य वृद्धि के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं, वहां कृषि उत्पादों के मूल्य घटने तथा उनके मूल्यों में भारी गिरावट की शिकायतें मिली हैं। जब किसान अपने ही उत्पादों से

निर्मित वस्तुओं को खरीदने जाते हैं तो उन्हें बहुत ऊंचे मूल्य देने पड़ते हैं, जो कि वह दे नहीं सकता।

विचारणीय बात यह है कि इस संकट का कैसे सामना किया जाये जो कि बढ़ता ही जा रहा है।

मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता जिन्हें मेरे माननीय मित्र पहले कह चुके हैं। कपास, नारियल, पटसन इत्यादि के बारे में पहले ही विचार व्यक्त किए जा चुके हैं। अत: मैं उन्हीं बातों को लूंगा जिन्हें अभी तक नहीं लिया गया।

मेरे राज्य मणिपुर में मक्का की उपज काफी होती है। परन्तु यह उनका मुख्य खाद्य नहीं है अपितु यह तो महंगा खाना है। मक्का को वसूली करके उसे बाहर बेचना पड़ता है। मक्का की वसूली विशेषत: इसका भण्डारण कार्य बहुत कठिन है। स्वाभाविक रूप से बिचौलिए किसानों का शोषण करते हैं तथा उसका परिणाम यह होता है कि किसानों ने अधिक मक्का पैदा करना बंद कर दिया है।

महोदय, आप मणिपुर की विशेष स्थलाकृति के बारे में जानते हैं। इसके चारों तरफ धरती है। वहां पर कोई उद्योग नहीं हैं, रेलवे नहीं हैं। जहां पर भी फसलें पैदा हो सकती हैं उस भूमि का भरपूर लाभ उठाने के सभी प्रयास किये जाने चाहिएं, विशेष तौर पर मणिपुर की मक्का के बारे में ऐसा होना चाहिये। मैं जानता हूं कि नागालैंड और मेघालय के पड़ोसी क्षेत्रों में भी ऐसी ही समपयएं होंगी। परन्तु मुझे उनकी प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है। परन्तु जहां तक मेरे राज्य का सम्बन्ध है, हम काफी मक्का पैदा कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि मक्का हमारा मुख्य भोजन नहीं है, अत: इसे बाहर भेजा जाना चाहिए। वसूली का कार्य सरकार के माध्यम से होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक प्रश्न उठाया था। एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में मन्त्री महोदय ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य अभिकरण मोटा अनाज जैसे मक्का आदि नहीं खरीद सकते। महोदय, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि खरीद नीति विशेषतया मक्का जैसी फसलों की पुनरीक्षा की जाये, धान के बारे में मेरा कहना है कि हमारे लोग धान का सेवन करते हैं तथा चूंकि हमारे धान की किस्म बढ़िया है अत: हमारे लोग बढ़ते हुए मूल्यों के बावजूद इसका संग्रह करते हैं अत: इस मामले में सरकारी सहायता की जरूरत नहीं हैं। एक और फसल सूरजमुखी की बात मैं कहना चाहूंगा। सूरजमुखी की उपज हम कर सकते हैं। इसकी उपज बहुत होती है। इस फसल का लाभप्रद उपयोग करने के यत्न नहीं किये गये। अभी हाल ही में मणिपुर में ग्लुकोज फैक्टरी की स्थापना का प्रस्ताव था, परन्तु मैं नहीं जानता उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। यदि ऐसी कोई फैक्टरियां लगाई जाती हैं तो अधिकांश उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मिलेंगे। आई० सी० ए० आर० का एक एकक वहां पर है तथा वे वहां पर सर्वेक्षण कर रहे हैं। मक्का ऐसी फसल है जिसमें किसी कठिन प्रक्रिया की अपेक्षा नहीं है। उसकी पैदावार बिना विशेष प्रत्यत्न के, बिना उर्वरकों का उपयोग किये होती है क्योंकि प्राकृतिक वातावरण इसके अनुकूल है। अत: मेरा सुझाव है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा उद्योग मन्त्रालय के माध्यम से आपके अपने

प्रयासों से हमारे क्षेत्र में मक्का को लाभप्रद मूल्य मिलना चाहिये। मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा कि इन बातों पर आप विशेष ध्यान दें।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया (संगरूर) : आदरणीय सभापति जी, आज यह सदन खेती की उपज की वस्तुओं पर, उनकी कीमत गिरने पर, उनकी मनहाली पर विचार कर रहा है। जिस भी मैम्बर को मैं बोलते सुन रहा हूं, ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे वह आदरणीय सदस्य खेती की उपज की कीमतों के गिरने पर बहस नहीं कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। ऐसा क्यों है ? ऐसी ग्लूमी तस्वीर क्यों बन गई है ? इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। दुःख की बात यह है कि मैं पंजाब से हूं, सारे देश में पंजाब की तस्वीर, पंजाब के किसानों की अमीरी और अच्छी हालत की तस्वीर का जिक्र किया जाता है। मैं इस सदन को दुःखी मन से कहता हूं कि जिस दुर्दशा में, मनहाली में, पंजाब का किसान गुजर रहा है, वैसा ही हाल देश के और किसानों का है। किसान की उपज से जो चीजें बनती हैं उसकी कीमत सारे बेश में बढ़ रही है; लेकिन किसान की उपज की कीमत गिर रही है। हो क्या रहा है ? जो साधारण उपभोक्ता है, उसको लूटा जा रहा है। साधारण उपभोक्ता का भाई है किसान, उसको भी लूटाजा रहा है। और मैं एक ही नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस देश की सरकार में कुछ लोग, सभी तो मैं नहीं कह सकता हूं, कुछ लोग प्राइवेट ट्रेडर्स के साथ मिल गए हैं, वे स्टेड ट्रेडिंग को फेल करने के लिए यह काम कर रहे हैं। यह बहुत गम्भीर साजिश है। सारे देश में पूंजीपतियों को नाजायज ताकत देने के लिए इन लोगों का खून चूसा जा रहा है जिनका खून देश की तरक्की के लिए बह रहा है।

आप फूड कापोरेशन आफ इन्डिया की बात लीजिए। पंजाब में आपको जाकर देखना चाहिए था लेकिन दुःख की बात है कि बूटासिंह जी एक दफा भी इधर पंजाब नहीं गए। बीस दिन तक वहां कोई नही पहुंचा। (व्यवधान) इनको कौन मारता, मारते तो हमें हैं, ये तो सेफ हैं। तो मैं यह कह रहा था कि आप पंजाब में पैडी को लीजिए। पहली बात तो यह कि पैडी के मामले में कीमत ही एनाउन्स नहीं की गई। आप सुनिए सरकार ने क्या किया है। यह कह दिया कि हम किसानों से कहते है कि फर्स्ट अक्तूबर तक अपनी पैडी मत बेचें, घर में रखें। सात सितम्बर को पैडी खेत से बाहर आ गई लेकिन कहा जा रहा है कि पैडी को मत फरोख्त किया जाए। किसान कैसे पैडी रखेगा ? फिर उसकी कीमत एनाउन्स नहीं की गई। मेरे ख्याल में आजकल चावल की कीमत एनाउन्स नहीं की गई इसलिए राइस हलर्स पैडी पर्चेज नहीं कर रहे हैं। 25-30 दिन तक लोग अपनी पैडी लिए बैठे रहे मण्डियों में लेकिन कोई खरीदने के लिए नहीं आया। फूड कार्पोरेशन आफ इण्डिया मैं तो कहता हूं। फेड अप कार्पोरेशन आफ इण्डिया है। लोग बहुत दुखी हैं। अगर सबसे बुरा किसी का नाम है तो वह एफ० सी० आई० का है। डेढ़ रुपया फी बोरी कीमत एनाउन्स करने के लिए इंस्पेक्टर ले रहा है। मन्त्री जी को उसका पता है लेकिन कोई ऐक्शन नहीं होता है। मान लीजिए किसान सौ बोरी पैडी फरोक्त करने के लिए लाया तो इंस्पेक्टर उससे कहेगा कि कि डेढ सौ रुपया मुझे दो तभी मैं जायज कीमत एनाउन्स करूंगा, वरना आप बैठे रहिए। तो इतनी डिस्क्रीशन एक इंस्पेक्टर के पास है। सामने बैठकर किसान को लूटा जा रहा है (व्यवधान) मैं यह तो नहीं कहूंगा कि पैसा कांग्रेस में आता है लेकिन सरकार के किसी पुरजे में

जाता है। मैं कहूंगा कि आप देखिए केरल में यही पोजीशन है किसानों की, पंजाब और आंध्र में यही पोजीशन किसानों की है।

मैं कहना चाहूंगा कि सरकार किसानों के मसले के लिए साल के शुरू में विरोधी दलों के नेताओं की एक बड़ी कान्फ्रेन्स या मीटिंग बुला लिया करे जिससे डिस्कशन हो जाए कि हमें क्या ऐक्शन लेना है और उसी के मुताबिक कार्यवाही की जाए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप स्टेट्स को पावर्स दे दीजिए कि खेती के मामले में किसानों को बचाने के लिए वे जो कदम उठाना चाहें वह उठायें। लेकिन आप न तो पावर को डिसेन्ट्रलाइज करना चाहते हैं और न किसानों की मदद करना चाहते हैं। इससे तो देश की रीढ़ की हड्डी ही टूट जायेगी। इससे आपका भी नुकसान होगा, देश का नुकसान तो होगा ही। यहां पर बार-बार कहा गया कि पंजाब में कीमत पूरी नहीं दी जा रही है। पंजाब में तो यह दशा है कि दस रुपए कम रेट पर भी पैडी नहीं खरीदी जा रही है। ऐसी ही स्थिति काटन और शुगरकेन की भी है। पंजाब के किसानों ने खेतों और घरों में पैडी को जलाया और शुगरकेन में कैटल तो फीड किया जा रहा है।

इसलिए मैं बहुत जोरदार तरीके से कहना चाहता हूं कि देश के मसले साथ-साथ बहुत बड़ी गम्भीरता से विसाल तरीके से किसानों जिन्दा रखने के लिए, किसानों और मजदूरों की एकोनामिक कंडीशन को सेफगार्ड करने के लिए और उनका भविष्य बनाने के लिए किसान की जरूरतों के सम्बन्ध में जो भी शिकायतें हैं उनको दूर करने के लिए आपको अपोजीशन के सभी सदस्यों को साथ लाकर सोचना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो किसानों में जो बददिली बढ़ रही है उससे बहुत सी प्राब्लम्स क्रिएट होंगी।

इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सोम नाथ रथ (आसका) : पिछले सत्र में हमने चावल, चीनी, सब्जियों आदि के बढ़ते मूल्यों के बारे में चर्चा की थी। अब हम कृषि उत्पादों के मूल्यों में भारी गिरावट की बात कर रहे हैं। अतः मांग और पूर्ति के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों का सिद्धांत भी गलत सिद्ध हुआ है। मूल्यों में गिरावट का अर्थ है उत्पादन में वृद्धि और मांग न होना। यह विरोधाभास है।

भारत में, फसल की कटाई के समय मूल्यों में गिरावट आ जाती है। तब कृषकों का शोषण किया जाता है क्योंकि कृषकों के पास भंडारण क्षमता नहीं है। फसल की कटाई के बाद उन्हें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए अपने उत्पाद बेचने ही पड़ते हैं। उस समय न तो भारतीय खाद्य निगम, न सहकारी समितियां और न ही विभिन्न बोर्ड कृषकों के पास जाकर समर्थन मूल्य पर उनके उत्पाद खरीदते हैं। उस समय, केवल बिचौलिये और बेईमान लोग अपनी भूमिका निभाते हैं और कृषकों को बहुत कम मूल्यों पर अपने उत्पाद बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता है अर्थात् उन्हें दुखी: मन से अपने उत्पाद बेचने पड़ते हैं। अतः इस मामले की जांच की जानी चाहिए और कृषकों के लाभ के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए।

क्या भारतीय खाद्य निगम अथवा सहकारी समितियों ने, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता मिलती है और केन्द्र सरकार ने इस वर्ष खरीद शुरू कर दी है ? उन्होंने अभी खरीद शुरू नहीं की है। वे खरीद बाद में शुरू करेंगे, इस तरह वे कृषकों को जमाखोरों की दया पर छोड़ देते हैं। सरकार को इस स्थिति की ओर तुरन्त ध्यान देना चाहिए। दूसरे हम जानते हैं कि बासमती चावल का इसलिए निर्यात नहीं किया जा सकता क्योंकि बासमती जैसा ही दूसरा चावल इसमें मिला दिया जाता है। इस तरह से विदेशों में इस चावल की मांग नहीं रहती।

भारत सरकार इसलिए बधाई की पात्र है कि एक समय था जब भारत को चावल और गेहूं का आयात करना पड़ता था किंतु अब हम चावल और गेहूं का निर्यात करने में भी सक्षम हैं मैंने कनाडा और अमरीका की यात्रा भी की है। वहां भी यही समस्या है। अत्यधिक उत्पादन के कारण वहां के कृषकों को भी इसी समस्या का सामना करना पड़ता है। अब यह एक विश्वव्यापी दृष्टि-कोण बन गया है।

भारत के लिए यह संभव नहीं होगा कि वह गेहूं का भी निर्यात करे। इसे ध्यान में रखते हुए हमें अपनी नीति में परिवर्तन लाना होगा। यह देखा जाना चाहिए कि सरकार कितने अच्छे तरीके से कृषकों की सुरक्षा कर सकती है। इसी भांति जब गन्ने को कम मूल्य पर बेचा जा रहा है, तो हम चीनी विदेशों से क्यों मंगायें ? इसी समय चीनी की खरीद क्यों नहीं कर ली जाती ? तब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में चीनी इकठ्ठी हो सकती है। अतः सरकार को इन मामलों पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है।

यह देखा गया है कि सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली राज-सहायता किसानों को कभी भी नहीं मिलती। उदाहरण के लिए, कुछ राज्यों में यह योजना लागू की गई है कि चावल का अधिक उत्पादन किया जाए। जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है, सात खण्डों में, अधिक चावल उगाने की उनकी मुख्य परियोजना है। और सरकार की नीति यह रही है कि कृषकों को बीज, उर्वरक और खेती के काम आने वाले उपकरण कम मूल्यों पर दिलाने के लिए प्रत्येक खण्ड को करीब 10 लाख रुपये दिए जाते हैं और वह राज-सहायता कृषकों को ही दी जाती है। मैंने माननीय कृषि मन्त्री से एक प्रश्न पूछा था। उनका उत्तर यह है कि पिछले वर्ष मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दो खण्डों में से प्रत्येक पर 5 लाख रुपये खर्च नहीं किए गए थे। मेरा दूसरा प्रश्न था। उस राशि का क्या होगा। उन्होंने उत्तर दिया है कि यह राशि इस वर्ष दी जाने वाली राज सहायता में समायोजित कर दी जायेगी। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को राज सहायता देती है, किन्तु राज्य सरकारें कृषकों को खेती के उपकरण अथवा उर्वरक कम मूल्यों पर बेचकर राज सहायता दे सकती हैं और न ही उन्हें प्रोद्योगिकी का कोई प्रशिक्षण देती है, जिससे कृषकों का हानि उठानी पड़ती है। इसी तरह इस वर्ष, लघु कृषकों को 10 किलो, 5 किलो उर्वरक रियायती मूल्यों पर चाहिए किन्तु 50 किलोग्राम वजन के उर्वरक की थैलियां बेची जा रही हैं। सरकार ने केवल उड़ीसा में शीर्षस्थ विपणन समितियों को लाखों रुपये दिए हैं। अपितु अन्य राज्यों को भी, जहां ऐसी योजना शुरू की गई है, इस तरह की सहायता दी गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि उर्वरक

की खरीद बहुत पहले करके कृषकों को दे दी जाएं, किन्तु शीर्षस्थ विपणन समितियां यह देखने की कोशिश ही नहीं करतीं कि निर्धन कृषकों को, लघु कृषकों को छोटी थैलियों में उर्वरक मिल सके। पहले ऐसा किया जाता था किन्तु अब ऐसा नहीं है। अतः कृषक इकठ्ठा पचास किलोग्राम का उर्वरक का पैकट नहीं खरीद पाता। और थैली का वजन करने पर यह 47 किलो का ही होता है।

जहां तक अधिक चावल उगाओ योजना का सम्बन्ध है, यद्यपि भारत सरकार राज्यों को भारी धनराशि दे रही है किन्तु राज्य योजना को कार्यान्वित करते समय इस राज सहायता का दुरुपयोग करते हैं क्योंकि उड़ीसा की शीर्षस्थ विपणन समिति बहुत घाटे में चल रही है। अतः राज सहायता के एक हिस्से का उपयोग घाटे को पूरा करने के लिए किया जाता है।

मंत्री महोदय ने प्रत्येक राज्य में कृषि उद्योग निगम बनाने के बारे में कहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें मात्र बिक्री एजेंट होकर कमीशन लेने का ही काम नहीं करना चाहिए, उनके अपने कारखाने भी होने चाहिएं और उन्हें देखना चाहिए कि वे चीजें कृषकों को दी जायें। लेकिन उड़ीसा में क्या हो रहा है? इस निगम की कोई फैक्टरी नहीं है। छिड़काव उपकरण और खेती के काम आने वाले औजार नहीं हैं। वे आम आदमी की तरह उनकी खरीद करते हैं और उनकी सप्लाई कृषकों को करते हैं और राज सहायता का एक हिस्सा निगम को मिल जाता है। अतः कृषको को दी जाने वाली राज सहायता की पूरी राशि उन्हें नहीं मिल पाती। यह राज सहायता शत प्रतिशत केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है। न ही राज्य सरकार और न ही कोई दूसरी एजेंसी इसका लाभ उठा सकती है। न केवल जमाखोर और कृषि उद्योग निगम और कालाबाजार करने वाले अपितु सहकारी समितियां भी उनका शोषण करती हैं और वे बिचौलियों का काम कर रहे हैं और कृषकों को दी जाने वाली राजसहायता का दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, मैं अपनी बात दुबारा कहने के लिए क्षमा चाहता हूं, उन्हें कम ब्याज पर लाखों रुपए का ऋण दिया जाता है कि उर्वरक समय पर खरीदें जाएं और कृषकों को छोटी थैलियों में उनकी सप्लाई की जाए, लेकिन वे ऐसा नहीं करते। इन बातों की सरकार को जांच करनी चाहिए क्योंकि केन्द्र सरकार ही राज सहायता देती है। वे कृषि उत्पाद समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदते। फसलों की कटाई के समय इसकी खरीद समर्थन मूल्य पर की जानी चाहिए तथा बहुत पहले इस संबंध में कदम उठाये जाने चाहिएं। अन्यथा हम सभा में जो कुछ भी कहते रहें, वह निचले स्तर तक कार्यान्वित नहीं हो पायेगा।

केरल से मेरे एक सहयोगी ने कहा है कि किसी रोग के कारण नारियल के पेड़ नष्ट हो रहे हैं। लेकिन साक्षीगोपाल, उड़ीसा में नारियल के बीजों का परीक्षण किया गया है और यह पाया गया है कि इसमें रोग की प्रतिरोधी क्षमता है। भारत सरकार यह पता लगाने के लिए कदम क्यों नहीं उठाती कि इस समस्या के समाधान के लिए उड़ीसा, विशेषकर साक्षीगोपाल से नारियल के बीज भारत के विभिन्न भागों में भेजे जाएं।

6 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : शाम के 6 बजे हैं। हम कब तक अपनी चर्चा जारी रखें?

श्री वासुदेव आचार्य (बांकुरा) : हम चर्चा कल जारी रखेंगे। हम इसे अब स्थगित कर कल जारी रख सकते हैं।

श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव : हम चर्चा कल जारी रखेंगे।

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : वे कितनी देर बैठना चाहेंगे ? मेरे विचार से एक घंटा पर्याप्त होगा।

श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव : यदि वे इसे समाप्त करना चाहते तो अब तक समाप्त कर सकते थे।

श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी (कुरनूल) : हम इस पर चर्चा सोमवार को करेंगे।

श्री गुलाम नबी आजाद : सम चर्चा का समय 7 बजे तक बढ़ा सकते हैं और हम देखेंगे कि कितने लोग बोलेंगे। यह सब आप पर निर्भर करता है। यदि आप लम्बा भाषण देंगे तो ज्यादा समय तक चर्चा चल सकती है।

श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी : हम इस पर एक घंटा और चर्चा आज करेंगे और एक घंटा कल करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : कल कोई नहीं बैठेगा। कल शुक्रवार है।

श्री गुलाम नबी आजाद : हम इसे एक घंटा और बढ़ा सकते हैं और फिर देखेंगे। अब हम इसे एक घंटा और बढ़ायेंगे। फिर यदि आवश्यकता हुई तो हम यह चर्चा सोमवार को जारी रख सकते हैं।

श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव : सोमवार को ठीक रहेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिर हार) हम इस पर चर्चा सोमवार को कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय का क्या विचार है, वे एक घंटा और बैठना चाहते हैं।

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : यदि श्री गुलाम नबी आजाद रात का भोजन खिलाने के लिए तैयार हैं तो हम बैठ सकते हैं।

श्री गुलाम नबी आजाद : मुझे कोई एतराज नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह चाहते हैं कि आज की चर्चा का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाए और सोमवार को इसे समाप्त कर दिया जाए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि इस समय आप इसे एक घंटा अभी और बढ़ाएंगे तो कोई लाभ नहीं होगा । वह समय पर्याप्त नहीं होगा ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम चर्चा का समय एक घंटा और बढ़ाएंगे । शेष चर्चा हम सोमवार को कर सकते हैं । अतः यह निर्णय लिया ही गया है कि हम एक घंटा और बढ़ाएंगे ।

अब श्री भरत सिंह बोलेंगे ।

[हिन्दी]

श्री भरत सिंह (बाह्य दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, आज किसानों की फसल की पैदावार के बारे में सारे हाऊस में बहस हुई । यह तो सब जानते हैं और सभी ने किसानों की समस्या आपके सामने रखी कि किसानों की जो फसल की पैदावार होती है उसका पूरा पैसा किसान को नहीं मिल पाता । क्योंकि फसल की पैदावार जिस वक्त होती है उस वक्त एफ० सी० आई० की तरफ से खरीदने में ढील होती है । इसी तरह से मंडियों में व्यापारी लोग बिचौलियों की मार्फत सस्ते भाव पर किसानों की पैदावार को खरीद कर स्टोक कर लेते हैं । किसान को उसकी पैदावार की पूरी कीमत नहीं मिलती ।

इससे कंज्युमर को भी उसका कोई फायदा नहीं होता । अगर कंज्युमर को चीज सस्ती मिल जाए तो भी ठीक है क्योंकि कंज्युमर किसान का छोटा भाई है । अभी हाऊस में चर्चा हुई कि कपास का क्या रेट है और वह कितना डाऊन गया है । वह किसान अपने घर से या अपने खेत से पैदा करके मार्किट में कपास ले जायेगा और फिर उस कपास का कपड़ा बनेगा । वही कपड़ा किसान मंहगे रेट से मार्किट से खरीदता है । तो हम चाहेंगे कि किसान को भी उसकी फसल का, उसकी मेहनत का, उसकी पैदावार का उचित मूल्य मिलना चाहिए और कंज्यूमर्स को भी सस्ता गेहूं, चावल या नारियल या और कोई भी फसल हो, वह ठीक तरह से उचित मूल्य पर पहुंचनी चाहिए । इस बारे में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं ।

एफ०सी०आई०जिस वक्त गेहूं खरीदता है तो उसको गोदामों में रखता है । कई बार गोदामों में कम जगह होने की वजह से अनाज खराब हो जाता है, बारिश की वजह से खराब हो जाता है, सड़ जाता है; उसको फेयर प्राइस शोप्स पर बेच दिया जाता है । अगर हम कहते हैं कि नमूना ऐसा रखा हुआ है और सड़ हुआ गंदम, सड़ा हुआ चावल क्यों बेच रहे हैं तो कहते हैं कि हम गोदाम से लाए हैं । इस ओर हमारी सरकार को ध्यान देना होगा, ताकि कंजयुमर्स को ठीक रेट पर अच्छी चीज प्राप्त हो सके । हम चाहते हैं कि कंजयुमर्स को भी अच्छा अनाज खाने के लिए मिले और कास्तकार जो फसल बेचता है, उसको भी पूरा पैसा मिले । इसके साथ ही कास्तकार को जो औजार आवश्यक होते हैं, वे भी ठीक रेट से उसको मिलने चाहिएं । आपको पता होगा कि किसान का अनाज तो सरकारी रेट से खरीदा जाता है, लेकिन उसके काम में आने वाले जो औजार हैं, वे बाजार में बहुत महगें मिलते हैं । उनकी कीमत दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है । इस पर सरकार को रोक लगानी

चाहिए। मेरा यह भी सुझाव है कि फसल की कटाई से पहले सरकार को उसकी कीमत निर्धारित कर देनी चाहिए। जैसे आजकल कपास का शोर है, पहले गेहूं के भाव का शोर था, गन्ने का भी है, जब फसल आए, उससे पहले सरकार भाव तय कर दे और सरकार की तरफ से खरीदने वाले मार्केट में पहुंच जाएं तो किसान इतना परेशान नहीं होगा। हमें पता है कि सरकार जो रेट निकालती है अगर सरकार उस रेट पर अनाज को नहीं खरीदती है तो व्यापारी तबका, पैसे वाला तबका उस अनाज को सस्ते दामों में खरीद लेता है और स्टोर कर देता है और जो किसान पूरा साल परिवार सहित मेहनत करने के बाद प्राप्त नहीं कर पाता वह व्यापारी एक महीने के अंदर ही उतना पैसा प्राप्त कर लेता है।

आज चीनी की बहुत चर्चा हो रही है, चीनी महंगी है। चीनी महंगी क्यों हुई है। चीनी की पैदावार ईख से होती है और ईख की फसल मेरा खयाल है, उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है कि हर साल से फसल कमजोर है। उसका कारण यह है कि उसमें कीड़ा लगा हुआ है। अगर सरकार समय रहते इस ओर ध्यान देती तो फसल अच्छी हो सकती थी। बी०डी०ओ० का महकमा है और भी महकमे होंगे, अगर वे ईख में कीड़ा न लगने देते तो फसल अच्छी होती और चीनी काफी ताबाद में पैदा होती।

आपको पता है कि सरकार की तरफ से अच्छे-अच्छे बीज, अच्छी खाद और सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए जाते हैं और इससे पैदावार काफी बढ़ी है। हमें याद है कि जिस वक्त भारत की आबादी 30 करोड़ थी, उस वक्त हम अनाज बाहर से लाते थे और आज 75 करोड़ की आबादी है और हमारे गोदामों में अनाज की कोई कमी नहीं है। इसका कारण यही है कि अच्छे साधन सरकार ने उपलब्ध कराए हैं, बैंकों को नेशनलाइज किया है, अच्छे सिंचाई के साधन दिए, अच्छे बीजों ने पैदावार बढ़ाई है, लेकिन किसान को उस वक्त दुख होता है जिस वक्त अपनी फसल, खेत और फार्म पर पूरा पैसा और मेहनत लगाने पर भी उसको उचित भाव नहीं मिलता। इसलिए मैं चाहूंगा कि उनको उचित दाम मिलें और औजार उनको सस्ते मिलने चाहिए। जो ब्लाक पंचायतों में बी० डी० ओ० के आफिस हैं उनमें खाद, बीज व दवाइयां होनी चाहिएं। मिल वालों से कहा जाए कि वे ज्यादा से ज्यादा ईख की फसल खरीदें और ज्यादा से ज्यादा चीनी बनाएं। मैंने यह भी देखा है कि किसान कई-कई दिनों तक अपनी बैलगाड़ी व बुग्गी लेकर खड़े रहते हैं फिर भी उनका नम्बर नहीं आता है। कई-कई महीनों तक उनको पैसे भी नहीं मिलते हैं। सरकार को यह देखना है कि उनको ठीक तरह से पैसा भी मिल जाए और खेत से ही उनका माल उठाकर लाया जाए। आपने देखा होगा कि अरहर, मूंग, उड़द, राइस परमल, हल्दी और लाल मिर्च पिछले साल के मुकाबले इस साल सस्ती हैं। चाय का रेट सात रुपए कम हो गया है। इसी प्रकार साबुन-555 भी सस्ता हो गया है। चने की दाल, चीनी और वनस्पति घी की कीमतें बढ़ी हैं। वनस्पति घी के बारे में सरकार को सोचना है कि ज्यादा से ज्यादा तेलों वाली फसलें लगाई जाएं जिससे कि कीमतें और कम हो सकें। डी० डी० ए० की तरफ से सुपर बाजार की ब्रांचेज खोलने के लिए 15 दुकानें दी गई हैं जिससे कन्ज्युमर को सस्ता और अच्छा सामान मिल सके। हम किसान हैं लेकिन कन्ज्युमर का भी फायदा चाहते हैं। बिचौलिए जो हैं, वे आलू की फसल

खरीदकर कोल्ड स्टोरेज में रख लेते हैं और जितना पैसा किसान छह महीने में मेहनत करके कमाता है उतना पैसा वह लोग एकदम ही कमा लेते हैं। मैं तो यह समझता हूं कि वे दुगुना पैसा उस फसल से कमा लेते हैं। इसी तरह से कपास की बात है। कई जगह पर मैंने देखा है कि सोसायटियों में किसान 80 परसेंट रुपया ले लेते हैं। जब समय आता है तभी वह बेचता है। कुछ गरीब किसान ऐसे हैं जो नहीं रख सकते हैं। उन्हें शादियां करनी होती हैं या मकान बनाना होता है या और भी कई तरह के काम होते हैं। बहुत से किसान ऐसे हैं जो पहले ही कर्जा ले लेते हैं। उनको आधी कीमत पर अपनी फसल बेचनी पड़ती है जिसकी वजह से उनके सारे काम नहीं हो पाते हैं। देहात में 80 परसेंट आबादी है। इनकी तरक्की होगी तो कस्बों और शहरों की तरक्की होगी। इनकी तरक्की के बाद भारत की तरक्की होगी। हमारे युवा प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी जल्दी से जल्दी भारत में तरक्की करना चाहते हैं। लेकिन जो छोटी-मोटी दिक्कतें हैं, इन्हें आगे को दूर करना होगा जिससे हमारे भारतीय किसान तरक्की कर सकें और खुशहाल हो सकें। मेरा यह सुझाव है कि जो भी सामान किसान के खेत में पैदा हो, उनकी उसे ठीक कीमत मिलनी चाहिए। कुछ कन्ज्युमर ऐसे हैं जिनके आज तक राशन कार्ड नहीं बने हैं। उनके कार्ड भी बनने चाहिएं क्योंकि वे झुग्गी-झोंपड़ी में रहते हैं। 1985 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, कम से कम ऐसी पालिसी बना दी जाए जिससे उनके परिवार के राशन कार्ड बन जाएं और वे भी राशन की दुकानों से सस्ता सामान ले सकें। अपने मुझे समय दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

प्रो० जे० कुरियन (इदुक्की) : महोदय, सर्वप्रथम मैं मंत्री महोदय का ध्यान एक परस्पर विरोधी बात की ओर दिलाना चाहता हूं। विरोधाभास यह है कि उपभोक्ता मूल्य लगातार बढ़ रहे हैं किंतु कृषि उत्पादों के मूल्य घट रहे हैं। उपभोक्ता मूल्यों में हुई वृद्धि का फायदा कृषकों को नहीं मिलता। कृषि उत्पादों के मूल्यों में आई गिरावट का उपभोक्ता मूल्य पर कोई अन्तर नहीं पड़ता। इसका अर्थ यह है कि इस व्यवस्था में कुछ गड़बड़ है। बिचौलिये इसका फायदा उठा रहे हैं। मैंने दिल्ली के बाजारों में इसकी जांच की। एक नारियल का मूल्य चार रुपए है; केरल में इसका मूल्य एक रुपए से भी कम है। 300% का अन्तर है। यदि आप इसके ऊपर एक रुपया यातायात भाड़ा का भी जोड़ें तो अन्तर 200% है। यह पैसा कहां जाता है? मंत्री महोदय को इसकी जांच करनी चाहिए। हर क्षेत्र में अच्छे कार्य-निष्पादन के लिए पुरस्कार दिया जाता है। किंतु केवल कृषि क्षेत्र ही ऐसा है जहां अच्छे कार्य निष्पादन के लिए दंड दिया जाता है। जब हमारे कृषक अधिक उत्पादन करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो क्या होता है? उन्हें अपना उत्पाद बहुत सस्ते दामों पर बेचने के लिए बाध्य किया जाता है। वे बहुत कठिनाई में हैं। इस तरह की प्रणाली हमारी कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था के लिए बहुत हानिकारक है। सभी किसानों को न्यूनतम मूल्य दिये जाने का आश्वासन दिया जाना चाहिए ताकि वे अपनी आर्थिक दशा उसी आधार पर सुधार सकें। केवल तभी देश के हितों की रक्षा हो सकेगी; तभी किसानों के हितों की रक्षा होगी। इस समय सारी प्रणाली में कुछ गड़बड़ है। जब कृषक अधिक उत्पादन करते हैं तो वास्तव में वे और कठिनाई में पड़ जाते हैं। अतः सरकार को आर्थिक

व्यवस्था का पूर्ण अध्ययन करना चाहिए और मूल्यों के संबंध में एक नीति बनानी चाहिए जिससे किसानों को न्यूनतम स्थिर मूल्य मिल सकेंगे। उत्पादन लागत के आधार पर उन्हें लाभकारी मूल्य दिए जाने चाहिएं। अन्यथा किसानों के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाने का कोई अर्थ नहीं है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे और आवश्यक कदम उठायेगें।

नारियल के संबंध में माननीय सदस्य पहले ही बोल चुके हैं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। नारियल वास्तव में खाद्य तेल है जो खाना पकाने के काम आता है। लेकिन तिलहनों की सूची में इसका नाम नहीं है। तमिलनाडू, आंध्र प्रदेश और यहां तक कि देश के उत्तरी भाग के लोग भी खाना पकाने के लिए नारियल का तेल इस्तेमाल करते हैं। यद्यपि हमारे यहां नारियल का तेल जरूरत से भी अधिक मात्रा में है तब भी हम खाद्य तेलों का आयात करते हैं और इस पर करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च करते हैं। अतः मेरा सुझाव है कि नारियल का तेल रियायती दरों पर बेचा जाये। और यह उपभोक्ताओं के लिए पैकट में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। केरल में सब लोग किसी अन्य तेल की बजाय नारियल के तेल को प्राथमिकता देते हैं। पिछले वर्ष केरल में 50,000 टन ताड़ के तेल का इस्तेमाल हुआ जिसे दुर्लभ विदेशी मुद्रा खर्च कर आयात किया गया था। मेरा सुझाव है कि आप नारियल का तेल रियायती दरों पर बेच सकते हैं और इसे छोटे पैकटों में उपलब्ध कराया जाए और 50000 टन नारियल का तेल केरल में ही खप जाएगा और इससे हमारी बहुत मात्रा में विदेशी मुद्रा की बचत होगी। अतः इस मामले के इस पहलू की जांच की जानी चाहिए।

महोदय, मेरा अगला मुद्दा यह है कि नारियल की न्यूनतम कीमत सुनिश्चित की जानी चाहिये। देश में नारियल के तेल का कुछ आधिक्य है। उसका निर्यात किया जाना चाहिए। ऐसा मेरा सुझाव है। बाजार पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने के लिए इसका निर्यात किया जाना चाहिए ताकि इसकी कीमतें बढ़ें। लोगों का कहना है कि नारियल का आयात किया जाता है। इसे रोका जाना चाहिए। यह सब तो नारियल के बारे में हुआ।

एक शब्द उस वस्तु के लिए भी जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पैदा होती है, अर्थात् इलायची। हमारे देश में हर साल लगभग 5,000 टन इलायची पैदा होती है, जिसमें से लगभग 3,000 टन की पैदावार मेरे निर्वाचन क्षेत्र में और शेष 2,000 की अन्य क्षेत्रों में होती है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि केन्द्रीय सरकार की एजेंसी इलायची बोर्ड द्वारा इलायची की उत्पादन लागत 200 रुपए प्रति किलो अनुमानित करने के बावजूद उत्पादकों को प्रति किलो 140 रुपए या उससे भी कम मिल रहे हैं। दुर्भाग्य से इस कीमत पर खरीदने के लिए भी बाजार में खरीददार नहीं हैं। मैं जानता हूं कि तमिलनाडू और कर्नाटक के उत्पादक बड़े उत्पादक नही हैं। उनके पास एक या आधा एकड़ अथवा एक हेक्टेयर की छोटी-छोटी जोतें हैं। लेकिन उनके लिए इलायची की खेती करना एक मुश्किल काम हो गया है और वे सभी मुसीबत में हैं। इलायची से देश को महत्त्वपूर्ण विदेशी मुद्रा मिल रही है। पिछले साल इससे ही हमने 70 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमाई थी। यह उद्योग संकट में है। कारण यह है कि इसका उत्पादन कुछ बढ़ा है और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारा प्रतियोगी देश गुवाटे

माला में भी इलायची का उत्पादन बढ़ा है, जिससे इसके खरीददार मुख्यतः खाड़ी के देश इसे खरीदने से इन्कार कर रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में कमी आई है। एक महीने के अन्दर ही गुवाटेमाला की इलायची बाजार में आ जाएगी और वे इसे कम कीमत पर बेच सकते हैं। ऐसे में हमारी इलायची का कोई खरीददार नहीं रहेगा क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में 2,000 टन अतिरिक्त इलायची पड़ी हुई है। कोई खरीददार नहीं होगा। अतः कृषि मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि अगर जरूरी हो तो वह वाणिज्य मंत्री से इस मामले में बात करें ताकि इलायची बोर्ड को कुछ फंड आबंटित किया जाए। राज्य व्यापार निगम इसे 250 रुपए प्रति किलो की दर से खरीद कर निर्यात कर सकता है और ऐसा करके उद्योग विदेशी मुद्रा और हमारे उत्पादकों को बचा सकता है।

श्री इन्द्र जीत गुप्त (बसिरहार) : महोदय मुझे विश्वास है कि आपने सभा में, कृषि उत्पादों की कीमतों में तेजी से आई कमी पर व्यक्त की गई चिंता और दुख की ओर ध्यान दिया होगा। इस संबंध में सभी दलों की एक राय है। अतः आप यह आरोप नहीं लगा सकते कि ऐसा किसी राजनैतिक प्रेरणा से किया जा रहा है। यहां उपस्थित सभी सदस्यों को बहुत चिंता है। (व्यवधान)। इस चर्चा को समाप्ति सोमवार को होगी। माननीय मंत्री जी को अपने तर्क तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। यह चर्चा तबतक वास्तव में फायदेमंद नहीं हो सकती जबतक इस संबंध में सरकार की नीति पर चर्चा न की जाए। यह इस या उस फसल के बारे में दिए कुछ आंकड़ों का सवाल नहीं है। इस मामले में सरकार की जो नीति है उस पर चर्चा तथा पुनर्विचार किया जा रहा है, क्योंकि हम सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले साल में हैं। जैसे ही योजना आरम्भ हुई हमने यह घटनाएं देखीं जिनका यहां बहुत से सदस्यों ने उल्लेख किया है। एक ओर कृषि उत्पादों की कीमतें कम हो रही हैं तो दूसरी ओर उपभोक्ताओं के लिए अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है। यह बहुत गंभीर बात है। आपको बताना पड़ेगा कि आप इसका समाधान कैसे करेंगे। जहां तक योजना के कागजातों से मुझे पता चला है कि खाद्य और उर्वरक पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता को समाप्त या धीरे-धीरे कम कर दिया जाएगा। हम इस प्रस्ताव का पूरी तरह विरोध करते हैं। इस समय देश में जो मौजूदा स्थिति है उसे देखते हुए आपको चयनात्मक आर्थिक सहायता देनी चाहिए —इसके बिना गुजारा नहीं है। कल ही सदन में आपने जो वक्तव्य दिया है उसे ध्यान में रखते हुए उत्पादकों के लिए ही नहीं बल्कि उपभोक्ताओं के लिए भी सरकार द्वारा आर्थिक सहायता की व्यवस्था की जानी चाहिए। वैसे आपका दावा है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या आपने कम की है किंतु आपके ही आंकड़ों के अनुसार इस रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 2500 से 3000 लाख के बीच है। उनको संरक्षण प्रदान करना होगा। उनमें क्रय शक्ति नहीं है। अगर आपने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उन्हें चयनात्मक आर्थिक सहायता नहीं दी तो वे भूखों मरने की स्थिति में आ जाएंगे। जैसा कि अभी-अभी चीनी के मामले में किया गया है, आपने इस मामले में भी इस नीति को त्यागना शुरू कर दिया है। ऐसी बात नहीं है कि आप गन्ना उत्पादकों को बहुत अधिक कीमतें दे रहे हैं और इस कारण आपको प्रति किलो लेवी चीनी की कीमत 40 पैसे बढ़ानी पड़ी और निशुल्क बिक्री की

चीनी सप्लाई बढ़ानी पड़ी। आपने 8.5 प्रतिशत वसूली पर गन्ने की कीमत 16.50 रुपए निर्धारित की है और घोषणा की है कि अगले साल कीमत 17 रुपए होगी। लेकिन गन्ना उत्पादकों का कहना है कि इस कीमत से तो उनकी उत्पादन लागत भी पूरी नहीं होती है। गन्ने का उत्पादन भी 83 लाख टन से घटकर लगभग 50 लाख टन रह गया है जिसके कारण आपको दस लाख टन चीनी विदेशों से मंगानी पड़ी। यह बड़ी अजीब सी स्थिति है। आप गन्ना उत्पादकों को कम कीमतें देते, हैं, आप विदेशों से चीनी आयात करने को प्राथमिकता देते हैं और आपने आम जनता द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली लेवी चीनी की कीमत प्रति किलो 40 पैसे बढ़ा दी है। आपको स्पष्ट करना होगा कि आपकी नीति क्या है। यह एक मद है जिसकी कोई ऐजेंसी या सार्वजनिक क्षेत्र का संस्थान खरीद नहीं कर रहा है। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि कपास धान और जूट के मामले में आपने भारतीय जूट निगम, भारतीय कपास निगम या भारतीय खाद्य निगम को क्या नीति निर्देश दिए हैं? ये सभी सरकारी क्षेत्र के संगठन हैं जिनका गठन स्पष्टतया कीमतों को स्थिर रखने अर्थात् उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के उद्देश्य से किया गया है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है?

मध्यम रेशा कपास की कीमत 535 या 537 रुपए निर्धारित की गई थी लेकिन बहुत से राज्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कपास उत्पादकों को 400 या उससे भी कम कीमत पर उसे बेचना पड़ रहा है। आखिर यह कपास निगम है किसलिए? यह कर क्या रहा है? धान के मामले में उसका खरीद मूल्य 142 रुपये निर्धारित किया गया था लेकिन आपने सुना होगा कि पंजाब में उत्पादक इसे 120 से 125 रुपए कीमत पर बेच रहे हैं। जूट के मामले में आप जानते ही हैं कि क्या हुआ है। अन्य सदस्यों ने भी इसका उल्लेख किया है। सदन में 13 अगस्त को तत्कालीन वाणिज्य मंत्री ने— दुर्भाग्य से नए वाजिज्य मंत्री यहां उपस्थित नही हैं, मैं चाहता हूं कि कि वह जूट के मामले को देखें जोकि उनका विशेष क्षेत्र है – कि भारतीय जूट निगम बाजार में प्रवेश करेगा और कच्चे जूट की खरीद शुरू करेगा—ऐसा अगस्त में कहा गया था और नई फसल का 25 से 33% खरीदेगा। इससे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य ही नहीं बल्कि प्रति क्विंटल 55 रुपए और मिलेंगे। कृपया रिकार्ड को देखिए। उस समय मंत्री जी ने यही कहा था। और उसके बाद क्या हुआ? कच्चे जूट का समर्थन मूल्य 735 रुपए घोषित किया गया था लेकिन यह इससे नीचे चला गया और लोगों को मजबूर होकर जूट की किस्म के अनुसार 200 रुपए प्रति क्विंटल या उससे कम कीमत पर भी बेचना पड़ा। मालूम नहीं जूट के बारे में आप क्या आश्वासन देंगे, क्योंकि अधिकतर कच्चा जूट किसानों द्वारा बेच दिए जाने के कारण बिचौलियों के पास है। अब आपको किसानों के पास कच्चा जूट नहीं मिलेगा। अब आप कच्चे जूट के लिए कीमतें देकर किसको लाभ पहुंचाएंगे?

हालत यह है कि कुछ एक प्रभावशाली और धनी किसानों को, जिनके पास बेनामी भूमि ही है, छोड़कर किसानों के पास भंडार करने की शक्ति नहीं है। यह एक अलग मामला है। लेकिन आमतौर पर हमारे देश के किसानों में, सबसे अधिक जूट उत्पादकों में, भंडार करने की सामर्थ्य नहीं है। वे फसल तैयार हो जाने पर बेहतर कीमत की प्राप्ति के लिए उसे रोक कर नहीं रख

सकते। अगर उन्हें अगले दिन दो वक्त की रोटी खानी है तो उन्हें उसे तत्काल बेचना पड़ेगा। अब इसे तत्काल बेचने की तो बात ही नहीं है। वह तो पहले ही बिक चुका है। आप जानते ही हैं कि तैयार होने से पूर्व ही जूट बिक जाता है। आप इन लोगों की सहायता कैसे कर रहे हैं? मैं जानता हूं कि क्या होगा। कच्चे जूट की कीमत इस साल कम हो गई है तो उत्पादक संभवत: कम एकड़ भूमि पर बुआई करेंगे। वे ज्यादा भूमि पर अन्य फसलें उगाएंगे और अगले साल मिल मालिकों को यह कहने का मौका मिल जाएगा कि कच्चे जूट की कमी है। इसलिए कुछ मिलों को बंद कर देना चाहिए या करघों को सील करके कुछ कामगारों की छंटनी कर देनी चाहिए और इस तरह यह कुचक्र सालों-साल चलता रहेगा।

आपकी कोई स्थायी नीति नहीं है। जैसा कि बहुत से सदस्यों ने कहा सारी नीति इस तरह काम करती है कि बड़े व्यापारियों या इन मिलों के एजेंटों को खुले बाजार में स्वतंत्र रूप से काम करने की आजादी मिल जाती है। उनकी बड़े व्यापारियों से साठगांठ है। मैं जूट के बारे में जानता हूं। उसके बारे में बड़े-बड़े वक्तव्य दिए जाते हैं, लेकिन जब खरीद फरोख्त की बारी आती है तो पश्चिम बंगाल के उन सभी जिलों के सभी जूट मिल-मालिक और उनके ऐजेंट उत्पादकों को बाध्य करने में सफल हो जाते हैं कि वे कम कीमतों पर कच्चा जूट बेच दें। आप उनकी कैसे सहायता करेंगे।

मैं कहना चाहता हूं कि स्थिति इस प्रकार है। मालूम नहीं सरकार ऐसा क्यों कर रही है। कृपया आप हमें यह बताएं। क्या आप कपास की कीमतों से संतुष्ट हैं?

उदाहरण के लिए गुजरात में—यहां गुजरात के एक मंत्री बैठे हुए हैं, इसलिए मैं गुजरात का उल्लेख कर रहा हूं—कपास की कीमतों के साथ क्या हुआ है? गुजरात के कपास उत्पादक मांग कर रहे हैं कि निर्यात किस्म के कपास को ऊंची कीमतों पर निर्यात करने की अनुमति दी जाए।

आन्ध्र प्रदेश में कपास उत्पादन क्षेत्रों में पिछले साल उगाया गया काफी जूट वहीं पड़ा हुआ है। कुछ स्थानों पर किसानों ने इसे जला दिया है और नई फसल पर उन्होंने प्रति हेक्टेयर 2 से 3 हजार रुपया लगाया है। लेकिन उन्हें तीन सौ रुपए से अधिक नहीं मिल रहा। तो महोदय, नीति क्या है? हम नहीं चाहते कि हमें कुछ आंकड़े बताए जाएं कि जूट संबंध में इस प्रकार है, चीनी में इस प्रकार है और कपास में इस प्रकार आपकी नीति क्या है? एक कृषि मूल्य आयोग है। आपके पास सरकारी क्षेत्र के संस्थान हैं, जो कि खरीद करने वाली ऐजेंसियां हैं। और आपने अनुमान लगाया हुआ है कि कृषि के लिए समर्थन मूल्य का क्या मतलब है। समर्थन मूल्य की आपकी परिभाषा क्या है? उत्पादन लागत जमा और कितना? हमें प्रति वस्तु के आधार पर बताएं? इसका अनुमान कैसे लगाया जाता है?

प्रो० एन० रंगा : उत्पादन लागत जमा जोखिम जमा पारिश्रमिक।...

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जी हां, जमा परिवहन लागत जमा और कुछ। कृपया बताएं कि आज

कल इसको निर्धारित करने का फार्मूला क्या है। ऐसा क्यों होता है कि हर मामले में अंततः किसान को घोषित समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर बेचना पड़ता है। यह सांविधिक न्यूनतम मूल्य नहीं है कई बार इसे सांविधिक न्यूनतम मूल्य कहा जाता है। कोई सांविधिक न्यूनतम मूल्य नहीं है। सांविधिक न्यूनतम मूल्य क्यों नहीं होना चाहिए? वास्तविक व्यावहारिक अनुभव में राष्ट्रीय समर्थन मूल्य की धारणा का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि आपके संस्थान उन्हें बनाए नहीं रख सकते हैं। कई बार वे साफ-साफ कहते हैं कि हम खरीदना तभी शुरू करेंगे जब कीमतें समर्थन मूल्य से नीचे गिर जायेंगी। इस पर भी वे इसे नहीं खरीदते हैं। और तब तक फसल किसानों के हाथ से निकल चुकी होती है।

मेरा मुद्दा यह है कि वे गरीबों की सहायता नहीं कर रहे हैं। अगर वह अपना माल नहीं बेचता है तो तभी बाद में उसे फायदा हो सकता है। लेकिन उसके हाथ से निकल जाता है। वह उसका भंडारण नहीं कर सकेगा, अपने पास नहीं रख सकेगा। इस बार मेरे ख्याल से कपास की फसल तैयार होने के 2½ महीने बाद समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है। किसानों को किसी तरह की सुरक्षा कैसे मिलेगी? अतः इन लोगों को बड़ी शार्क मछलियों द्वारा, एकाधिकार व्यापार बाजार के संचालकों, बड़े सट्टाबाजारियों और संचालकों द्वारा लूटा जा रहा है जोकि कभी-कभी मिल मालिकों की ओर से भी भूमिका निभाते हैं और आप उनके हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। मैं समझता हूं कि आप अज्ञानतावश ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो कुछ हो रहा है, उससे आप भली प्रकार परिचित हैं। अतः मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। हर समय किसानों के लिए आँसू बहाते रहते हैं, परन्तु वास्तव में, व्यावहारिक रूप में; वे उन्हें भेड़ियों के सामने फेंक देते हैं। इससे अति गम्भीर स्थिति पैदा होगी। यदि उन्हें किसानों का समर्थन न मिले तो मुझे अतीव प्रसन्नता होगी। परन्तु बात यह है कि देश में भारी गड़बड़ी होगी तथा देश की पूरी आर्थिक प्रणाली को आघात पहुंचेगा। अतः उन्हें हमें बताना चाहिए कि उनकी नीति क्या है।

***श्री जी० एस० बसवराजू** (टुमकुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमने इस सम्मानित सभा में उपभोक्ताओं की समस्याओं पर तीन मास तक वाद-विवाद किया था। आज हम किसानों की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। उपभोक्ता तथा किसान आज देश में सबसे अधिक कष्ट उठा रहे हैं। आज विषय का मुख्य आधार यही है। कृषि उत्पादों के मूल्य में भारी गिरावट आई है।

अभी तक कई माननीय सदस्यों ने किसानों के बारे में भारी चिन्ता व्यक्त की है। हमारे मंत्री महोदय श्री बूटा सिंह जी स्वयं किसान हैं, तथा देश के गरीब किसानों के प्रति उनकी पूरी सहानुभूति है। परन्तु इतना ही पर्याप्त नही है। हमारी मौखिक सहानुभूति से न तो किसानों को, न ही उपभोक्ताओं को लाभ होगा। हमें कुछ ठोस कार्यवाही करनी चाहिए ताकि हमारे किसान आश्वस्त होकर अधिक उत्पादन करें।

*कन्नड़ में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

पूरे देश में किसानों की हालत एक सी है फिर चाहे वे पंजाब के हों, कर्नाटक के हों, अथवा आंध्र प्रदेश के। किसानों के पास चाहे हजार एकड़ भूमि भी क्यों न हो, वे कार नहीं रख सकते। भारी मात्रा में अनाज पैदा करने वाले किसान हमारे देश में अच्छी तरह से जीवन-यापन नहीं कर सकते। देश में किसानों की यही स्थिति है।

किसान देश की रीढ़ हैं। 60% से अधिक लोग किसान हैं। परन्तु दुर्भाग्य से उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ है। उद्योगपति तथा व्यावसायिक लोग सम्पन्नता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्हें किसानों की कतई चिन्ता नहीं है। वास्तव में ये ही लोग किसानों की दयनीय दशा के लिए मुख्यतया जिम्मेदार हैं।

किसान को एक मीटर पानी के पाइप के लिए 32 रुपए देने पड़ते हैं। अपने उत्पादनों के लिए उसे क्या मिलता है? एक टन गन्ने में पैदा हुई चीनी से, चाहे उसे नियंत्रित मूल्य पर ही बेचा जाए, 450 रुपए कमाए जा सकते हैं। चीनी के अलावा उससे लगभग 400 रुपए का शीरा भी निकलता है। खोई का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। परन्तु अभागे किसान को प्रति टन गन्ने के लिए 100 से 150 रुपए मिलते हैं। कुछ स्थानों पर यह दर 150 रुपए तक बढ़ा दी गई हैं। परन्तु यह वृद्धि बहुत थोड़ी है।

कृषि मूल्य आयोग अपना कार्य संतोषजनक ढंग से नहीं कर रहा है। मूल्य निर्धारित करते समय वे किसानों द्वारा किए गए कठोर परिश्रम को ध्यान में नही रखते। किसानों द्वारा उपयोग में लाए गए उपकरणों, उर्वरकों की लागत तथा किसान के परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए श्रम की उपेक्षा की जाती है। किसानों को गन्ने का मूल्य कम से कम 300 रुपए प्रति टन दिया जाना चाहिए।। धान के लिए कम से कम 200 रुपए प्रति क्विंटल दिए जाने चाहियें। अधिकांश किसान कृषि कार्य पर ही इसलिए लगे हुए हैं, क्योंकि उनके पास अन्य विकल्प नहीं है।

मेरे बहुत से साथियों ने देश में नारियल उत्पादकों की कठिनाइयों का उल्लेख किया है। यह कठिनाइयां केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में अधिक फैली हुई है।

बहुत समय पहले सुपारी का मूल्य 500 रु० प्रति क्विंटल था। कर्नाटक में 'काम्पको सोसाइटी' बनी तथा सुपारी का मूल्य 3000 रुपए प्रति क्विंटल तक हो गया। इस मूल्य में पूरे देश में कोई कमी नहीं आई। इसी प्रकार नारियल की बिक्री के लिए सुविधाएं दी जानी चाहियें। अखिल भारतीय नारियल विकास बोर्ड के संबंध में एक अधिनियम है, जिसमें विपणन सम्बन्धी सुविधाओं की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि उचित विपणन सुविधाएं दी जाती हैं तो नारियल उत्पाद को प्रोत्साहन मिल सकता है। अन्यथा नारियल उत्पादक नष्ट हो जायेंगे, जैसा कि हमारे साथी प्रो० पी० जे० कुरियन ने अभी-अभी बताया है। दिल्ली में उपभोक्ता को एक नारियल के लिए 4 से 5 रुपये तक देने पड़ते हैं। इसके साथ ही केरल तथा कर्नाटक में उत्पादक को एक नारियल के लिये केवल एक ही रुपया मिलता है। स्थिति की यही विडंबना है। इसलिए मैं मंत्री महोदय श्री बूटा सिंह जी से निवेदन करता हूं कि अखिल भारतीय नारियल विकास बोर्ड अधि-

नियम में संशोधन लायें ताकि नारियल उत्पादकों को विपणन सुविधाएं मिल सकें। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा कई अन्य राज्यों में नारियल का उपयोग प्रति दिन का खाना बनाने में होता है। केरल तथा अन्य पड़ोसी राज्यों में नारियल के तेल का काफी मात्रा में उपयोग होता है। अतः यदि विपणन सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं, तो इससे ऊपर उल्लिखित राज्यों के उपभोक्ताओं को सहायता मिलेगी।

हमारे देश में कपास पैदा करने वाले किसानों की स्थिति अन्य किसानों से बेहतर नहीं है। भारतीय खाद्य निगम से भी किसानों तथा उपभोक्ताओं को कोई लाभ नहीं है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित मूल्य उत्साहजनक नहीं होता है, क्योंकि यह खुले बाजार के मूल्यों से सदा कम रहता है। इसी कारण से मिल-मालिक और ऐजेन्ट तथा निहित-स्वार्थ वाले व्यक्ति ही हैं जो लाभान्वित होते हैं। मध्यम तथा छोटे किसान सदा घाटे में रहते हैं। बहुत से हथकरघा बंद हो रहे है। पिछले वर्ष मेरे राज्य में कई किसानों ने कपास जला दी क्योंकि उन्हें क्रेता नहीं मिल सके। अन्य राज्यों से आने वाले कुछ साथियों ने भी कपास के जलाये जाने की बात कही है।

अन्य अनाज, जैसे राजी ज्वार, मक्का आदि के अच्छे भाव नहीं मिल रहे हैं। फलों और सब्जियों के लिए शीतागार नहीं हैं। शीतागारों के प्रत्येक जिला मुख्यालय में खोले जाने के लिए केन्द्र को राज्यों की सहायता करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी देखना चाहिए कि उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच सीधे लेन-देन हो। ऐजेन्टों तथा बिचौलियों का सदा के लिए उन्मूलन किया जाना चाहिए।

भारतीय खाद्य निगम अनाजों की प्राप्ति के समय प्रति बोरी लगभग 2 किलो निकाल लेता है। एक बार धान का क्रय मूल्य 100 रुपए निर्धारित किया गया था, परन्तु उससे पहले ही व्यापारियों ने किसानों से धान 80 रुपये की दर से खरीद लिया था जिसे अन्त में उन्होंने 100 रुपये की दर पर भारतीय खाद्य निगम को बेच दिया। व्यापारी इस तरह लाभ बटोर रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि भारतीय खाद्य निगम के क्रियाकलापो पर पूर्ण नियंत्रण रखें।

राज्यों के यहां वित्तीय अड़चनें, बाधाएं हैं अतः केन्द्र को पूरे देश के किसानों को लाभदायक मूल्य दिलाने के लिए उनकी सहायता करनी चाहिये। यदि किसानों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमें अनाज की गम्भीर कमी का सामना करना पड़ेगा। दूसरी ओर यदि किसानों को प्रोत्साहन दिया जाता है तो हम भारी विदेशी-मुद्रा कमा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करेंगे तथा उन्हें अधिकाधिक उत्पादन करने के लिए सहायता देगा। बोलने का अवसर देने के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री जार्ज जोसफ मंडाकल (मुवत्तुपुजा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम मुद्दों पर बोलूंगा।

नारियल केरल की मुख्य फसल है। केरल में लगभग 30 लाख लोग नारियल की खेती करते हैं। पिछले वर्ष इसका मूल्य 4 रुपये था। इस वर्ष यह 1½ रुपये से कम है। केरल के गरीब नारियल उत्पादकों को लगभग 1000 करोड़ रुपये की हानि हुई है। लाभ किसको पहुंचा ? टाटा आयल कं०, हिन्दुस्तान लिवर को लाभ पहुंचा है। दो वर्ष पूर्व साबुन की तथा केश तेल की शीशी का क्या मूल्य था ? मूल्यों में 200 तथा 300 प्रतिशत वृद्धि हुई है जबकि नारियल के तेल का मूल्य कम हुआ है। नारियल का तेल साबुन तथा बालों के तेल का कच्चा माल है। एकाधिकार गृह किसानों को हानि देकर लाभ कमा रहे हैं। अतः सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों को लाभप्रद मूल्य मिल सके। भारत की एकता तथा अखंडता के हित में, केरल के किसानों के साथ उपेक्षा नहीं बरती जानी चाहिए।

अब मैं केरल के किसानों की हालत सुधारने के लिये एक दो सुझाव दूंगा। पहला, कृषि मंत्री को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि नारियल बोर्ड को रबड़ बोर्ड की तरह पर्याप्त धन दिया जाये। नारियल के नये पेड़ लगाने, तथा पेड़ों के फिर से लगाये जाने के लिए धन दिया जाना चाहिए। नारियल के पेड़ दीर्घकालीन फसल है। उत्तर भारत में दीर्घकालीन फसलों के बारे में कोई नहीं जानता। नारियल का पेड़ 8 अथवा 10 वर्ष में लाभ देने लगता है। नारियल के पेड़ लगाने के लिए किसानों को ब्याज-मुक्त ऋण दिया जाना चाहिए। अतः मेरा सुझाव है कि नारियल और खोपरे के तेल का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाए और नारियल को खाद्य-तेल-बीज माना जाय। किसानों को आर्थिक सहायता देकर फालतू खोपरा तथा नारियल का तेल खरीदना चाहिए तथा राज्य व्यापार निगम के माध्यम से उसका निर्यात करना चाहिए।

1971 में रबड़ के मूल्य घट गये थे। हमने केवल 5000 टन रबड़ का निर्यात किया था। उसके तुरन्त बाद रबड़ का मूल्य 4 रुपए किलो से 8 रुपये किलो तक हो गया। अतः, सरकार रबड़ तथा नारियल पैदा करने वाले किसानों को ब्याज-मुक्त ऋण तथा आर्थिक सहायता देकर उन्हें दुर्दशा से बचा सकती है।

एक अन्य बात अदरक के बारे में है। अदरक का उत्पादन एक या दो एकड़ भूमि वाले छोटे किसानों द्वारा होता है। दुर्भाग्य से इस वर्ष अदरक का मूल्य 12 रुपये प्रति किलो है। गत वर्ष यह 40/- रुपये प्रति किलो था। असम तथा शिमोगा में पैदा होने वाले अदरक सौंठ के लिए उपयुक्त नहीं। इसे जूस बनाने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। दुर्भाग्य से असम तथा शिमोगा में पैदा होने वाले अदरक को सौंठ बनाकर निर्यात किया गया। इस भूल के लिए वाणिज्य मंत्रालय तथा गुणवत्ता नियंत्रक जिम्मेदार हैं। बहुत ही घटिया किस्म का होने के कारण इसे हमारे देश को वापस कर दिया गया। इस कारण देश में सौंठ के भाव गिर गए। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस मामले की जांच कराये तथा दोषी व्यक्तियों को दण्ड दे।

काली मिर्च पर सरकार तीन रुपये उत्पाद-शुल्क लेती है। परन्तु जब केरल में बाढ़ आयी और भू-स्खलन हुआ तो गरीब किसानो की मदद के लिये कोई आगे नहीं आया। काफी के मामले में सरकार 7 रुपये से अधिक निर्यात शुल्क ले रही है। रबड़, नारियल के तेल, खोपड़ा, जायफल तथा

लौंग का आयात हमारे देश के कृषकों को लम्बी अवधि तक प्रभावित करता है। इन पदार्थों की खेती के लिए कृषकों को आठ वर्ष से अधिक समय के लिये प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यदि इन उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं होते हैं उनका भविष्य क्या होगा, और वह भी 8 से 10 वर्ष की प्रतीक्षा के पश्चात् ? उन कृषकों की सहायता कौन करेगा जो लम्बी अवधि की फसलों की खेती करते हैं ? अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह नारियल उत्पादकों के हितों की रक्षा करें। हमारे देश के उत्तरी भाग में किसी को भी लम्बी-अवधि की खेती के संबंध में ज्ञान नहीं है। उसमें यदि उनके उत्पाद के लिए कोई लाभकारी मूल्य नहीं है तो वह फसल को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिये मूंगफली के बदले गेहूं बोया जा सकता है। वह जल्दी-जल्दी फसल को बदल सकते हैं। किंतु नारियल, रबड़, जायफल तथा लौंग के मामले में ऐसा नहीं किया जा सकता है। कृषकों को फसल प्राप्त करने के लिये 8 से 10 वर्ष के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। महोदय, जैसे आप एक कृषक हैं और कृषकों के परिवार से हैं, अतः आप कृषकों की समस्याओं को जानते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप गरीब किसानों तथा कमजोर वर्गों को सहायता देने की ओर ध्यान दें ताकि देश की एकता तथा अखंडता को सुरक्षित रखा जाए।

***श्री वी० एस० विजयराघवन** (पालघाट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय कृषि मंत्री का भी आभारी हूं कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना स्वीकार किया है। महोदय, केरल नारियल की भूमि है। "केरल" नाम भी नारियल से निकाला गया है। इसी से केरल के लोगों के जीवन में नारियल के महत्व का पता चलता है। किन्तु आजकल नारियल अर्थव्यवस्था को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है और 30 लाख परिवार, जो नारियल की खेती में लगे हैं, संकट में हैं। नारियल तथा इसके उत्पादों के मूल्यों में भारी कमी से केरल की अर्थव्यवस्था को भारी धक्का लगा है।

वर्ष 1984 में नारियल तथा नारियल तेल के मूल्य थोड़े समय के लिए बढ़ गए। उस समय एक नारियल का मूल्य लगभग 4 रुपए हो गया था। इसी प्रकार नारियल तेल का मूल्य 33 रुपए प्रति क्विंटल था। किन्तु यह अधिक समय तक नहीं चला। तत्काल कमी आरंभ हुई। और आज नारियल का मूल्य एक रुपए से कम है और नारियल का तेल लगभग 1470/-रु० प्रति किलो है। मूल्यों में भारी कमी थोड़े समय पूर्व नहीं हुई है। जो लोग नारियल पर निर्भर करते हैं उनके आजीविका का एकमात्र साधन छिन गया है। इससे राज्य को 1000 करोड़ रुपयों की हानि हुई है। केरल जैसे राज्य में जिसकी वित्तीय स्थिति अस्थिर है, इतनी भारी क्षति का परिणाम क्या हुआ है। इसका अनुमान कोई भी लगा सकता है। अतः यह सरकार का प्रमुख कर्त्तव्य है कि केरल के कृषकों तथा वहां की अर्थव्यवस्था की सुरक्षा करे।

नारियल के मूल्यों में इस भारी कमी के क्या कारण हैं ? इन उत्पादों का आयात मूल्यों में

*मलयालम में दिए गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

कमी के लिए एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। इस बात को हम अस्वीकार नहीं कर सकते हैं कि समय-समय पर नारियल तेल तथा खोपरा के आयात से विगत में मूल्यों में कमी हुई है। यद्यपि माननीय मंत्री ने बजट सत्र के दौरान कहा था कि नारियल के तेल का आयात नहीं किया जाएगा, उससे केरल के लोग आश्वस्त नहीं हुए हैं। अतः सरकार को एक सुस्पष्ट वक्तव्य देना चाहिए कि वह किसी भी परिस्थिति के अंतर्गत नारियल-तेल का आयात नहीं करेंगे।

मूल्यों में कमी का दूसरा कारण देश में नारियल तेल के उपभोग में कमी है। वर्ष 1984 में जब नारियल के तेल के मूल्य में भारी वृद्धि हुई तो लोगों ने सस्ते खाद्य तेलों का प्रयोग आरंभ कर दिया। केरल में लगभग 78 हजार टन नारियल तेल का प्रयोग होता था। किंतु अब यह कम होकर 30 हजार टन की रह गया है अर्थात् उपभोग में लगभग 40% की कमी हुई है। अतः प्रश्न यह है कि वर्तमान स्थिति में क्या किया जाए ? नारियल के तेल का देश में उपयोग में वृद्धि करने के लिए उपाय किये जाने चाहिएं। इस संबंध में केरल की कृषक कांग्रेस ने एक सुझाव दिया है। सुझाव यह है कि नारियल का न्यूनतम मूल्य 2000 रुपये निर्धारित किया जाना चाहिए और सरकार को कृषकों से भण्डार खरीदना चाहिए और इसे राशन की दुकानों द्वारा उसी मूल्य पर सप्लाई करना चाहिए जिस पर अन्य तेल बेचे जाते हैं। केरल सरकार ने यह सुझाव स्वीकार किया है। वास्तव में जब मूल्यों में कमी हुई तो केरल सरकार ने 17 करोड़ रुपए खर्च किये और 14 हजार टन खोपरों की खरीद की किन्तु इस उपाय से मूल्य स्थिर नहीं हुए। इसके अतिरिक्त ऐसी सरकार द्वारा जो स्वयं वित्तीय कठिनाई में हो। और क्या किया जा सकता है। अतः सरकार को तुरन्त कुछ उपाय करने चाहिएं। सबसे पहले, नारियल तेल ता न्यूनतम मूल्य 2 हजार रुपये निर्धारित किया जाना चाहिए, और राज्य व्यापार निगम को न्यूनतम 20 हजार टन नारियल तेल खरीदने का आदेश दिया जाना चाहिए। दूसरा, साबुन तथा वनस्पति का उत्पादन करने वाली इकाइयों को अपने उत्पाद बनाने के लिए 30 प्रतिशत नारियल तेल प्रयोग करने के लिए कहा जाना चाहिए। उससे पूर्व वनस्पति के उत्पादन में नारियल के तेल के प्रयोग पर से प्रतिबन्ध उठाया जाना चाहिए।

इस समय नारियल को तिलहन के रूप में नहीं माना जाता है। यद्यपि नारियल तेल देश में उत्पादित तेल का 7 प्रतिशत है। अतः मैं निवेदन करता हूं कि नारियल को तिलहन माना जाए।

मैं नारियल बोर्ड के विषय में भी कुछ कहना चाहूंगा। इस बोर्ड के पास नारियल से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिये पर्याप्त शक्तियां नहीं हैं। इसके पास प्रशासकीय शक्तियां नहीं हैं। अतः यह बोर्ड उत्पादकों को राहत देने के लिए प्रभावशाली ढंग से कुछ करने में सक्षम नहीं है। अतः नारियल बोर्ड को भी वही शक्तियां दी जानी चाहिएं जो इलाइची बोर्ड, काफी बोर्ड जैसे अन्य वस्तुओं के बोर्डों को प्रदत्त की गई हैं।

अन्त में मुझे धान की खेती के विषय में कुछ कहना है जो धान के मूल्यों में गिरावट के कारण संकट में है। वह ऋण चुकाने में असमर्थ हैं। अतः मैं सरकार से ऋणों की वसूली स्थगित

करने का अनुरोध करूंगा। मैं सरकार से एक धान बोर्ड की स्थापना करने का अनुरोध भी करूंगा जो कृषकों को बेहतर सेवा कर सके।

समाप्त करने से पूर्व मैं पुनः माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह केरल के नारियल तथा धान उत्पादकों की रक्षा करे। उन्होंने पिछले मानसून में केरल के बाढ़ग्रस्त लोगों को राहत उपलब्ध कराने में काफी रुचि ली थी। मैं उनसे केरल के गरीब कृषकों की समस्याओं में इसी प्रकार की रुचि दिखाने का अनुरोध करूंगा।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री काली प्रसाद पाण्डेय (गोपालगंज): बहुत अधक प्रयास के बाद मुझे बोलने का अवसर मिला, इसके लिए में आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

सभी माननीय सदस्यों ने कपास, धान, गल्ला, गन्ना, पटसन, नारियल आदि कृषि जिन्सों के संबंध में चिन्ता व्यक्त की है।

उपाध्यक्ष जी, हिन्दुस्तान की 75 प्रतिशत आबादी देहातों में निवास करती है जो अपनी मांगों के लिए कभी नारे नहीं लगा सकती, पैसों के अभाव में नेताओं के पास नहीं जा सकती, वह आबादी किसानों की है। आज आप देखेंगे कि किसानों के साथ क्या होता है। आप पूर्व का इतिहास देखें, किसान रेलियां होती हैं जो कि किसानों के नाम पर आयोजित की जाती हैं। स्वर्गीय प्रधान-मन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने लिखा था "जय जवान-जय किसान"। लेकिन किसानों की हालत इतनी बदतर हो चुकी है जिसका बयान मैं अपनी जुबान से नहीं कर सकता, मेरी जुबान हिचकिचा रही है। उपाध्यक्ष जी, सवाल यह पैदा होता है कि सभी सरकारों ने नारा दिया कि किसानों के हितों की रक्षा की जाएगी, लेकिन आज तक कभी यह देखा नहीं गया। किसान की जो लागत है जो किसान अपने कृषि उत्पादन में खर्च करता है उतना मूल्य उसको नहीं मिल पाता। आज आप देखते हैं चाहे गन्ना हो, कपास हो, फसल में कीड़ा लग जाता है और फसल बरबाद हो जाती है। एक तरफ किसानों को कीड़े चाटते है और दूसरी तरफ मिल-मालिक और सरकारी अधिकारी। गन्ने के मूल्य के बारे में हिन्दुस्तान के किसानों को यह आशा थी कि उसको उचित मूल्य मिलेगा। उत्तरी बिहार में मैंने देखा है कि किसानों की जीविका का साधन केवल गन्ना है।

कपास की भी बात की गई। गांधी जी ने कभी सोचा था कि चर्खे के माध्यम से कपास से कपड़ा बनाकर हम सस्ते कपड़े का निर्यात करेंगे जिससे गरीब तबके के लोगों को फायदा होगा, लेकिन आज कपास के उत्पादक इतना उत्पादन करके भी कई जगह उसको जला रहा है, क्योंकि उसको खरीदने वाला कोई नहीं है। आपकी नीति स्पष्ट नहीं है। जब तक आप वस्त्र उद्योग नीति में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक कपास उत्पादकों की उपेक्षा होती रहेगी।

मैं गन्ना बहुल क्षेत्र से आता हूं। किसानों को वहां पर दो तरह से पेरा जाता है। एक तो

जब गन्ने की मिल में तौल होती है, उसमें और उसके बाद 6 महीने, साल-साल भर, दो साल तक उसको भुगतान नहीं किया जाता, उसको वेट करना पड़ता है। तब क्या होता है कि अगर 400 रुपये की पूंजी है तो दलाल कहते हैं कि 200 रुपये ले लो। दो सौ रुपये दलाल खा जाता है। किसान मजबूर है, पैसे का दूसरा साधन उसके पास नहीं है। इसके लिए आपको उचित व्यवस्था करनी चाहिए। एक दिन रंगा साहब बात कर रहे थे, राव बीरेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री के रूप में जवाब दे रहे थे, कहते-कहते आवेश में उन्होंने कहा कि कुछ माननीय सदस्य मिल-मालिकों से मिल गये हैं, मिल-मालिकों की पैरवी करते हैं, मैं पूछता हूं कि मिल-मालिकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही क्यों नहीं की जाती, जो कृषकों की उपेक्षा करते हैं। उनको क्रिमनल एक्ट, गुण्डा एक्ट या मीसा में गिरफ्तार क्यों नहीं करते। बिहार में हतुआ की सुगर फैक्ट्री के मिल मालिक ऐसे हैं कि जब उनकी फैक्ट्री में किसानों का करोड़ों रुपया बाकी होता है तो वे फैक्ट्री बंद करके रवाना हो जाते हैं। अभी हतुआ सुगर फैक्ट्री को सरकार ने टेक ओवर किया है, लेकिन सरकार ने घोषणा नहीं की कि विगत साल का किसानों का बकाया रुपया भुगतान होगा या नहीं। आज हम इस सदन में बैठकर चर्चा कर रहे हैं लेकिन किसान के पास दो वक्त की रोटी नहीं है। किसान दिन भर खेतों में काम करता है, मेहनत करता है मजदूरी करता है, लेकिन भुगतान समय पर न होने के कारण वह दो रोटी को मोहताज होता है।

आप अगर किसानों के लिए नारा देते हैं तो उनके लिए कुछ करना होगा। चौधरी चरण सिंह की सरकार थी, उन्होंने भी बहुत जोरों का नारा दिया, किसान रैली की, आपने भी किसान रैली की, लेकिन अमीर अमीर होते जा रहे हैं और किसानों की माली हालत प्रतिदिन गिरती जा रही है। इन शब्दों के साथ में आपसे अनुरोध करूंगा, मैं किसी दल विशेष की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मैं इंडिपेंडेंट सदस्य के नाते आपसे अनुरोध करूंगा कि जिस नीति की आप घोषणा करें, वह पूर्ण रूप से लागू हो।

7 म० प०

[अनुवाद]

श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी (कुरनुल) : अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा, किन्तु मैं कुछ ठोस तथ्यों का वर्णन किए बिना नहीं रह सकता हूं। दूध के एक कप (प्याले) का मूल्य 6 रुपये है; एक केले का मूल्य तीन रुपये का मिलता है; एक इडली 3 रु० की मिलती है; सूप की एक प्लेट 25 रुपये में मिलती है; एक शानदार भोजन 1400 रुपये में मिलता है; यह सारा भारत के पांच सितारा होटलों में होता है, जहां अधिक भीड़ होती है। इसी प्रकार की चीजें गांव में 50 पैसे, 40 पैसे तथा 80 पैसे में मिलती हैं। यह विषमता है। यह ठोस तथ्य स्मरण दिलाते हैं कि शहरी आय तथा ग्रामीण आय के बीच विषमता बढ़ती जा रही है। लगभग 15 वर्ष पूर्व यह 1 : 2 थी; अब यह 1 : 8 से अधिक है। इसको स्पष्ट करने के लिए यदि हम सभी बैंकों के लेखों को लेंगे, हम देखते हैं कि ग्रामीण ऋणग्रस्तता पिछले बीस से तीस वर्षों में अत्यधिक बढ़ गई है। तथ्य स्वतः सिद्ध हैं।

इन सब बातों के अतिरिक्त मैं एक सामाजिक प्रवृत्ति का उल्लेख करना चाहूंगा। आज कोई भी व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह किसी किसान अथवा कृषक से नहीं करना चाहता है चाहे वह धनवान् अथवा निर्धन किसी भी वर्ग का हो। यदि कोई कहे कि वह गांव में रहता हुआ एक शालीन कृषक है तो किसी लड़की का पिता उसको विवाह में अपनी पुत्री देने को तैयार नहीं है। यह आजकल एक सामाजिक प्रवृत्ति हो गई है। दुर्भाग्यवश किसान असंगठित है, निस्संदेह कई बड़े किसान नेता हैं। प्रो० रंगा यहां हैं। कृषि उत्पाद का व्यापार व्यापारी समुदाय के हाथों में है। फसल पर आधारित सभी उद्योग उद्योगपतियों अथवा व्यापारी सनुदाय के हाथ में हैं। अत: मेरा नम्र निवेदन यह है कि सरकार को एक ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिससे किसान अपने आप को संगठित कर सके। किसानों के संगठन को प्रोत्साहन दीजिए ताकि उनका शोषण न हो और वह स्वयं को बचा सकें।

मेरा दूसरा सुझाव है कि जहां तक कृषि-आधारित उद्योगों का संबंध है, कृपया देखिए कि किसान को यह कृषि आधारित उद्योग आरंभ करने में अथवा उत्पादन कार्य अथवा इन उद्योगों के स्वमित्व में निर्णय लेने में कोई अधिकार हो। यह मेरा दूसरा सुझाव है। जब तक कृषि उत्पादों का का व्यापार तथा उस पर आधारित उद्योग किसी अन्य पक्ष के हाथ में है, तब तक किसान का शोषण होता रहेगा।

अपने राज्य की बात करता हूं। हम केन्द्र सरकार से अनुरोध करने रहे हैं कि हमें स्वयं चावल की खरीद करने की अनुमति दे, ताकि इस अतिरिक्त लागत को जो भारतीय खाद्य निगम को देनी पड़ती है, बचाया जा सके। हमने अतिरिक्त लागत के बिना सस्ते मूल्यों पर धान प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव रखा है। हम कहते हैं कि हम उत्पादक को बेहतर कीमत देंगे और इसे किसानों को रियायती दर पर, कम मूल्य पर देंगे। भारतीय खाद्य निगम को खाद प्राप्ति में एकाधिकार की अनुमति देने के स्थान पर मैं माननीय मन्त्री से इस सुझाव पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। जहां भी कोई राज्य सरकार धान अथवा अनाज तथा अन्य कृषि उत्पादन प्राप्त करने के लिए आगे आता हैं, उसे ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि राज्य सरकार की खरीद ऐजेन्सियों तथा भारतीय खाद्य निगम के बीच स्वस्थ मुकाबला हो सके। हम यह देखने का प्रयत्न भी करेंगे कि कौन बेहतर तथा अधिक कुशलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं।

महोदय, इसके बाद मुझे कपास के सम्बन्ध में कहना है। 10 वर्ष पूर्व मैं भारतीय कपास निगम का एक सदस्य रहा हूं। पन्द्रह वर्ष पूर्व कपास के मूल्य कपास की विभिन्न किस्मों के लिए 400 रु० से 700 रु० प्रति क्विंटल के बीच थे। अब पिछले 15 वर्षों से एक जैसे मूल्य हैं। दुर्भाग्यवश, इस वर्ष वे बहुत घट गए हैं। भारतीय कपास निगम की ऐजेन्सियां भी हैं। किंतु जहां तक आन्ध्र प्रदेश राज्य का सम्बन्ध है उनकी भूमिका पूर्ण रूप से निराशाजनक है। केवल निराशाजनक ही नहीं बल्कि यह वह स्थिति है जब लोगों को यह कहने का अवसर मिलता है : कपास निगम नहीं होना चाहिए। इसे बन्द कर दिया जाए।" जो कुछ हो रहा है वह यह है कि जब कपास का समर्थन मूल्य 550 रु० के करीब घोषित किया जाता है तो कपास निगम की ऐजेंसियां भी स्थानीय

व्यापारियों के साथ सांठ-गांठ करती हैं और कपास को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर देती हैं। एजेंट यह कहने का प्रयत्न करता है कि आपकी कपास घटिया किस्म की है; अतः मैं 200 रुपये अथवा 300 रुपये प्रति क्विंटल देने की स्थिति में भी नही हूं।" अतः ग्रामों से कपास इकट्ठी करके किसान कपास को कपास निगम अथवा अन्य व्यापारी को मामूली मूल्य पर बेचने को और अलाभप्रद मूल्य लेने पर जो उसके हाथ में दिया जाता है, मजबूर होते हैं।

स्थिति यह है।

जहां तक निर्यात तथा आयात का सम्बन्ध है, किसान को इसमें कुछ भी बोलने का अवसर नहीं मिलता है। हम नहीं जानते हैं कि आप उन कृषि उत्पादों का आयात क्यों करते हैं जिनका यहां उत्पादन होता है, उदाहरण के लि· खाद्य तेल, चीनी, कपास, पटसन। यह सारी वस्तुएं जो यहां कृषि उत्पादों से बनाई जा सकती हैं आयात की जाती हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे किसान को लाभकारी मूल्य नहीं मिलते हैं। जहां तक आयात-निर्यात नीति का सम्बन्ध है, उसमें किसान लाबी अथवा किसानों के प्रतिनिधि भी होने चाहिएं। उसे अपने हित की बात कहने करने का अवसर दिया जाना चाहिए, और उसके हितों की सुरक्षा के लिए कोई होना चाहिए। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब कल 11 म० पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

7.0 म० पं०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 22 नवम्बर, 1985/ अग्रहायण 1907 (शक) में ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक : स्टील स्लेट प्रिन्टर्स, दिल्ली